खण्ड-343, अंक-4
मंगलवार, 9 माघ, शक संवत् 1901
(29 जनवरी, 1980 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 343 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)

1980

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे।

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये।

विषय–सूची

विषय	पृष्ठ–संख्या
उपस्थित सदस्य	311
प्रश्नोत्तर	31
प्रश्नों के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न	377
विगत लोक सभा चुनाव में आगरा संसदीय क्षेत्र के देवरी पोलिंग स्टेशन पर हरिजन मतदाताओं को धमकाने, वोट न डालने देने तथा हरिजन युवक सोबरन सिंह की हत्या के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	377
जनपद आगरा के थाना मरसैना के ग्राम इटौरा में श्री बांके लाल बढ़ई व उसके लड़के रामविश्वास की श्री राम हरी ब्राह्मण के डाकू दल द्वारा गोली से मार कर हत्या किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	378
देवरिया जिले के बिहारी छपरा तथा वरवा रतनपुर केन्द्रों के गन्ने की खरीद न होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना..	379
श्री इलहाज अब्दुल समी तथा उनके परिवार के साथ घाघरा घाट पर पुलिस वालों द्वारा अभद्र व्यवहार किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	379
ब्रज की प्राचीन संस्कृति की रक्षा की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	380
उन्नाव के कतिपय मार्गों पर चलने वाली बसों के बन्द होने से जनता में कठिनाई के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	380
प्रदेश में पिछड़े वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति स्वीकार न किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	381
जनपद वाराणसी के कैण्ट विधान सभाई क्षेत्र में पड़ रही डकैतियों के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना..	382
जनपद सीतापुर में ग्राम मजरा भिठौली निवासी श्री टीकन के घर डकैती तथा हत्या के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	383
लाल बहादुर शास्त्री बालिका इण्टर कालेज, मुगलसराय में व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	384
प्रदेश में चीनी उद्योग में काम करने वाले मजदूरों की वेतन वृद्धि की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	384
मेरठ जिले में हरिजन तथा निर्बल वर्ग में व्याप्त आतंक तथा भय के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	385
प्रतापगढ़ जनपद में बढ़ती हुयी डकैतियों, हत्याओं एवं बलात्कार की घटनाओं के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	385

विषय	पृष्ठ संख्या
वाराणसी में जल संस्थान द्वारा जल मूल्य की वसूली में धांधली के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	386
इलाहाबाद नगर महापालिका कर्मचारियों की हड़ताल के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	387
श्री देव बहादुर सिंह की नियम 301 की सूचना स्वीकार न किये जाने पर आपत्ति ..	388
बसों के किराये में वृद्धि के संबंध में समाचार पत्रों में भ्रामक समाचार छपने के विषय में औचित्य का प्रश्न	388
गणतंत्र दिवस की परेड के अवसर पर विधायकों के बैठने की समुचित व्यवस्था न होने के संबंध में औचित्य का प्रश्न	392
श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी, सदस्या विधान सभा की गिरफ्तारी एवं रिहाई के संबंध से सूचना	393
'स्वतन्त्र भारत', 'दैनिक जागरण' व 'नेशनल हेराल्ड' समाचार पत्रों के सम्पादकों एवं यू0 एन0 आई0 के प्रतिनिधि के विरुद्ध उठायी गयी विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री उपाध्यक्ष का निर्णय	393
थाना डिडौली, जनपद मुरादाबाद की पुलिस द्वारा गिरफ्तार किये गये तीन अभियुक्तों की तथाकथित पिटाई से अभियुक्त अब्दुल गफूर की मृत्यु तथा दो अन्य के घायल होने के संबंध में वक्तव्य	393
बलरामपुर जिला गोंडा में घटित घटनाओं के संबंध में वक्तव्य ..	395
कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं	396
श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (जारी) ..	397
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	440
जनपद मुरादाबाद के अमरोहा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अकबरपुर पट्टी स्थित मतदान केन्द्र पर गोली से तीन व्यक्तियों की हत्या के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य	440
नत्थियां	448

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, दिनांक 29 जनवरी, 1980

विधान सभा की बैठक सभा मन्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में उपाध्यक्ष, श्री जगन्नाथ प्रसाद की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य 372

अकबर हुसैन, श्री
अजब सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
अजब सिंह, श्री (जिला सहारनपुर)
अजीत सिंह सेठी, श्री
अठई राम , श्री
अनवार अहमद समदनी, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल वहीद, श्री
अब्दुल हफीज, श्री
अब्दुल हलीम खां, श्री
अरुण कुमार , श्री
अली असगर हुसैन, श्री
अवधेश कुमार श्रीवास्तव, श्री
अवधेश नरायन, श्री
अवधेश प्रसाद, श्री
अवनीश कुमार सिंह, श्री
अवैद्य नाथ, श्री
अशफाक अहमद, श्री
अशफाक अहमद खान श्री
अशर्फी लाल यादव, श्री
अशोक बाजपेयी, श्री
अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश' डाक्टर
आबिद अली, श्री
इन्द्रमणी बड़ौनी, श्री
इसमाईल, श्री
ईशदत्त यादव, श्री
ईश्वर प्रसाद, श्री
उदय प्रताप सिंह, श्री
उदित नरायन, श्री
ऊदल, श्री
एदल सिंह, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओंकार नाथ, श्री
ओंकार सिंह, श्री
ओम प्रकाश, श्री (उर्फ राम मिलन सिंह)
औसान सिंह, श्री
कन्हई सिंह, श्री
कन्हैया लाल गुप्त, श्री
कन्हैया लाल सोनकर, श्री
कमल किशन पाण्डेय, श्री
कमला प्रसाद वर्मा, श्री
कमलाप्रसाद सिंह, श्री
करन सिंह, श्री
कल्पनाथ सिंह, श्री
कल्याण सिंह, श्री
काजी मुहम्मद मुहिउद्दीन, श्री
काली चरण , श्री
कासिम हसन, श्री
किशन लाल, श्री
किशन लाल दिलेर, श्री
कुदसिया बेगम, श्रीमती (बेगम ऐजाज रसूल)
कृपा शंकर आर्य, श्री
कृष्ण कान्त मिश्र, श्री
कृष्ण कुमार पालीवाल, श्री
कृष्णवीर सिंह कौशल, डाक्टर
कृष्ण स्वरूप, श्री
कृष्णा राय, श्री
केशरी नाथ त्रिपाठी, श्री
कौशल किशोर, श्री
खान गुफरान जाहिदी, श्री
खान मोहम्मद आतिफ खां, श्री
खयाली राम शास्त्री, श्री
गंगा प्रसाद, श्री
गंगा सहाय यादव, श्री
गंजी प्रसाद, श्री
गजेन्द्र सिंह श्री
गणेश दत्त बाजपेयी, श्री
गनेशी लाल चौधरी, श्री (वकील)
गया प्रसाद मेहरोत्रा, श्री (उर्फ मन्ने बाबू)

गिरधारी लाल, श्री
गिरीश चन्द्र तिवारी, श्री
गुन्जेश्वर, श्री
गुरुदत्त सोलंकी, श्री
गुरू प्रसाद, श्री
गुलाब सेहरा, श्री
गेंदा लाल गुप्त,श्री
गोकरन प्रसाद, श्री
गोविन्द सिंह नेगी,श्री
गौरी देवी, श्रीमती
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री
गौरी शंकर भैया, श्री
चन्द्र पाल, श्री
चन्द्र पाल सिंह , श्री
चन्द्र भान मौर्य, श्री
चन्द्र भूषण सिंह, श्री
चन्द्र शेखर सिंह, श्री
चन्द्रसेन सिंह, श्री
चेतराम गंगवार, श्री
छज्जू सिंह , श्री
छेदा सिंह चौहान, श्री
छेदी, श्री (उर्फ छेदीलाल)
छोटे लाल, श्री
छोटे लाल 'निर्भय', श्री
जंग बहादुर सिंह पटेल, श्री
जगदम्बा प्रसाद सिंह, श्री
जगदीश, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश प्रसाद त्रिवेदी, श्री
जगदीश सिंह, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगन्नाथ सिंह परमार, श्री
जर्नादन प्रसाद ओझा, श्री
जय राम, श्री
जय शंकर पाण्डेय, श्री
जवाहर लाल, डाक्टर
जसवीर सिंह, श्री
जागन सिंह, श्री
जागेश्वर, श्री
जौहरी लाल त्रिवेदी, श्री
झामलाल अहेरवार, श्री
डी० पी० बोरा, श्री
तेजभान सिंह, श्री
तेजभान सिंह, कुंवर
तेज सिंह, श्री
त्रिवेनी सिंह, श्री
दयाराम भास्कर, श्री
दिनेश चन्द्र रस्तोगी, श्री
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री
दीप नरायन, श्री
दुक्खी प्रसाद , श्री
दुर्ग विजय सिंह, श्री
देवकी नन्दन, श्री
देव कुमार, श्री
देव बहादुर सिंह, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र दत्त शास्त्री, श्री
धरम राम, श्री
धर्म दत्त वैद्य, आचार्य
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला बिजनौर)
धीरेन्द्र सहाय, श्री
नन्द राम, श्री
नन्हेलाल कुरील, श्री
नरेन्द्र सिंह, श्री
नरेशपाल सिंह यादव, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायण सिंह, श्री
नारायण सिंह भैसोरा, श्री
नेतराम सिंह, श्री
नेम सिंह चौहान, श्री
नौनिहाल सिंह, चौधरी
पदमाकर लाल श्रीवास्तव, श्री
पुरुषोत्तम दास, श्री
पूरन चन्द्र, श्री
पूरन लाल, श्री
प्यारे लाल, श्री
प्यारे लाल शाक्य, श्री
प्रताप सिंह 'पुष्पवान', श्री
प्रताप सिंह भाटी, श्री
प्रदीप कुमार बजाज, श्री
प्रभु दयाल यादव, श्री (एडवोकेट)
प्रेम नारायण अहेरवार, श्री
प्रेमवती, श्रीमती
फजलुर्रहमान अंसारी, श्री
फजलूलबारी, श्री (उर्फ बन्ने भाई)
बंगाली सिंह, डाक्टर
बदन सिंह, श्री
बनारसी दास चांदना, श्री
बरफिया लाल जुवांठा "अरविन्द", श्री

बलदेव, श्री
बलवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
बलवीर सिंह, श्री (जिला मैनपुरी)
बंसत, श्री
बांके लाल, श्री
बाबू बदरे, श्री
बाबूराम प्रभाती, डाक्टर
बाबू राम शुक्ल, श्री
बाबू लाल वर्मा, श्री
बाबू लाल विद्यार्थी, श्री
बाबू लाल "सरोज", श्री
बाबू सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
बाबू सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
बालकृष्ण, श्री
बिन्दू लाल, श्री
बिहारी लाल हन्स, श्री
बुद्धू राम, श्री
बृज बल्लभ सिंह, श्री
बृज लाल, श्री
बेचू राम, श्री
बेनी प्रसाद माधव, श्री
बेनी प्रसाद वर्मा, श्री
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री
ब्रज बल्लभ, श्री
ब्रह्म दत्त द्विवेदी, श्री
भगवत दयाल, डाक्टर
भगवती चरण 'निर्मोही', श्री
भगवती प्रसाद सिंह, श्री
भगवान दीन कुशवाहा, श्री
भगवान सिंह, श्री
भगौती सिंह, श्री
भाभी, श्री
भारत सिंह, श्री
भीषम, श्री
मकबूल अहमद, श्री
मथुरा प्रसाद पाण्डेय, श्री
मधुकर दिघे, श्री
मन्जूर अली खां, श्री (उर्फ शन्नू खां)
मन्जूर अहमद, श्री
मन्ना लाल, श्री
मन्नू राम, श्री
मन्नू लाल द्विवेदी, श्री
मन्सूर अली, श्री
मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ, श्री
मलिखान सिंह, श्री
मसूदुल हसन नोमानी, श्री
महेन्द्र रिपुदमन सिंह, राजा
महेन्द्र सिंह यादव, श्री
मान सिंह आजाद, श्री
माधव, श्री
मालती शर्मा, श्रीमती
मिठाई लाल, श्री
मित्रसेन, श्री
मुकन्दी सिंह, श्री
मुकीमुर्रहमान, श्री
मुख्तार अनीस, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुफ्ती जलील अहमद, श्री
मुश्ताक अहमद, श्री
मुहम्मद खलील उल्लाह कुरैशी, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मूल चन्द्र, ठाकुर
मैनेजर सिंह, श्री
मोअज्जिज अली बेग, डाक्टर
मोती राम, श्री
मोती लाल देहलवी, श्री
मोहन लाल, श्री
मोहन लाल त्रिपाठी, श्री
मोहन सिंह, श्री (जिला देवरिया)
मोहन सिंह, श्री (जिला रायबरेली)
मोहम्मद उसमान, श्री
मोहम्मद शमीम अन्सारी, श्री
मौजी लाल कुरील, श्री
यशपाल सिंह, श्री
रघुवर दयाल वर्मा, श्री
रणजीत सिंह, श्री
रणवीर सिंह, श्री
रफी उल्लाह, श्री
रफीक अहमद खां, श्री
रमेश चन्द्र, श्री
रवीन्द्र नाथ तिवारी, श्री
राघव राम मिश्र, श्री
राज किशोर तिवारी, श्री
राज कुमार शर्मा, श्री
राज नरायन, श्री
राज नाथ सिंह, श्री
राजपति मिश्र, श्री
राजबली तिवारी, श्री
राज ब्रजराज सिंह, श्री
राजमंगल तिवारी, श्री

राजेन्द्र चौधरी, श्री
राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री
राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री
राधे श्याम शर्मा, श्री
राम अधार, श्री
राम अधार यादव, बाबा
राम आसरे , श्री
राम आसरे अग्निहोत्री, श्री
राम आसरे वर्मा, श्री
राम कृष्ण, श्री
राम गोबिन , श्री
राम चरन शाह, श्री
राम जनम राय, श्री
रामजी, श्री
राम दत्त जोशी, श्री
राम दयाल , श्री
राम दुलारे, श्री
राम देव दुबे, श्री
राम देव यादव, श्री
राम नरायन वर्मा, श्री
राम नरेश पाण्डेय, श्री
राम नरेश यादव, श्री
रामपति, श्री
राम प्यारे, श्री
राम प्रकाश, श्री
राम फेर कोरी, श्री
राम बक्श, श्री
राम बरन वर्मा, श्री
राम रतन सिंह, श्री
राम रति देवी, श्रीमती
राम लखन, श्री
राम लखन दुबे श्री
राम शिरोमणि दुबे, श्री
राम संजीवन , श्री
राम सरन सिंह, कुंवर
राम सागर, श्री
राम सिंह, श्री
रामेश्वर नाथ चौबे, श्री
राव मुश्ताक अहमद खां, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रेवती रमण रस्तोगी, श्री
रेवती रमण सिंह, श्री (उर्फ मणि जी)
रेवती शरण मौर्य, श्री
लक्खी सिंह, श्री
लक्ष्मण सिंह, श्री
लक्ष्मी नरायन, श्री
लक्ष्मी शंकर यादव, श्री
लाल दास, श्री
लीलवत सिंह, श्री
वंश गोपाल चतुर्वेदी, श्री
विक्रमा राय, श्री
विजय राज सिंह, श्री
विद्या शंकर, श्री
विश्वनाथ पाण्डेय, श्री
विष्णु प्रताप सिंह, श्री
वीरेन्द्र चतुर्वेदी श्री
वीरेन्द्र पति यादव, श्री
शंकर सिंह, श्री
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शतरूद्र प्रकाश, श्री
शफीकुर्रहमान बर्क, श्री
शम्भूनाथ, श्री
शम्भूनाथ चौधरी, श्री
शशि प्रभा, श्रीमती
शारदा देवी, श्रीमती
शारदा प्रसाद जायसवाल, श्री
शारदा प्रसाद रावत, श्री
शारदा भक्त सिंह, श्री
शिवदास, श्री
शिव प्रसाद, श्री
शिव मंगल सिंह, श्री
शिव लाल मित्तल, श्री
शोबन सिंह जीना, श्री
श्याम दत्त पालीवाल, श्री
श्यामदेव, श्री
श्यामधर मिश्र, श्री
श्याम नारायण तिवारी, श्री
श्याम बिहारी सिंह, श्री
श्याम सुन्दर गुप्त, श्री
श्रीचन्द्र, श्री
श्रीनारायण, श्री (उर्फ भुलई भाई)
श्री राम द्विवेदी, श्री
संगम लाल, श्री
संग्राम सिंह, श्री
सखावत हुसैन, श्री
सत्यदेव त्रिपाठी, श्री
सत्यपाल सिंह यादव, श्री
सत्य प्रकाश, श्री
सत्यवीर, कुंवर

सन्त बक्श रावत, श्री
सियाराम सागर, श्री
सुखदराज सिंह, श्री
सुखपाल पान्डेय, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दर लाल, श्री
सुन्दर लाल दीक्षित, श्री
सुमेर चन्द्र गोयल, श्री
सुरेन्द्र पाल, श्री
सुल्तान सिंह, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सूरज प्रसाद, श्री
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री
सूर्यमुखी शर्मा, श्रीमती
सोहन बीर सिंह तोमर, श्री
सोहन लाल, श्री
स्वरूप कुमारी बक्शी, श्रीमती
हर देव सिंह, श्री
हर प्रताप सिंह, श्री
हरिकेवल प्रसाद, श्री
हरि चरण यादव, श्री (एडवोकेट)
हरि पाल सिंह शास्त्री, श्री
हरिश्चन्द्र, श्री (उर्फ हरीश जी)
हरी किशन श्रीवास्तव, श्री
हरी राम वर्मा, श्री
हरी राम शाक्य, श्री
हरी सिंह, श्री
हाकिम लाल, श्री
हामिद रजा खां, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हुकम चन्द्र तिवारी, श्री
हुक्म सिंह परिहार, श्री

नोट :—नियोजन राज्य मंत्री ,श्री महिपाल सिंह शास्त्री भी सदन में उपस्थित थे ।

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, 29 जनवरी, 1980

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38 (2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

मंत्रि मंडल के सदस्यों के विरुद्ध गबन और भ्रष्टाचार के मुकदमें

*1—श्री गनेशीलाल चौधरी (जिला सीतापुर) (अनुपस्थित) तथा श्री लालदास (जिला सीतापुर) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश के वर्तमान मन्त्रि मण्डल में कौन-कौन मन्त्री हैं जिनके खिलाफ गबन और भ्रष्टाचार के मुकदमें न्यायालय में चल रहे हैं ?

मुख्य मंत्री (श्री बनारसी दास)—

किसी भी मंत्री के खिलाफ गबन और भ्रष्टाचार के मुकदमें न्यायालय में नहीं चल रहा हैं।

*2—श्री बाबूराम शुक्ल—

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

*3—श्री बाबूलाल वर्मा, श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री मन्नालाल तथा श्री औसान सिंह—

[3रे बुधवार में तारांकित प्रश्न संख्या 1 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

उप निरीक्षक, पुलिस, श्री सुरेन्द्र नाथ सिंह की पदोन्नति

*4---श्री नरेश चन्द्र (जिला खीरी) तथा श्री हरिकेवल प्रसाद (जिला देवरिया)---

क्या सरकार को जानकारी है कि कैसरबाग कोतवाली, जनपद लखनऊ के वर्तमान सब-इन्सपेक्टर (श्री सुरेन्द्र नाथ सिंह) की सूझबूझ तथा दृढ़ता से कार्य करने की सराहना शासन द्वारा 1971 में औराई गोली काण्ड, वाराणसी के लिए नियुक्त एक सदस्यीय जांच आयोग ने की थी ? क्या यह भी सही है कि उक्त सब-इन्सपेक्टर के कार्य एवं व्यवहार की निरन्तर सराहना जिस-जिस जनपद व थाने में वह तैनात रहे, सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा की जाती रही है ? यदि हां, तो उनको अब तक पदोन्नति का अवसर न प्रदान करने का क्या कारण है ? इनकी पदोन्नति कब तक कर दी जायगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सूचना राज्य मंत्री (श्री सत्यदेव त्रिपाठी)---

वर्ष 1971 में औराई, वाराणसी गोली काण्ड की जांच हेतु नियुक्त आयोग नें पुलिस-जनों जिनमें उप निरीक्षक श्री सुरेन्द्र नाथ सिंह भी शामिल हैं, की सराहना की थी। यह सही नहीं है कि प्रश्नगत सब-इन्सपेक्टर के कार्य एवं व्यवहार की सराहना जिस-जिस जनपद व थाने पर वे नियुक्त रहे, सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा की जाती रही है। प्रश्न नहीं उठता।

इनकी पदोन्नति के सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

श्री हरिकेवल प्रसाद---

यह नियमानुसार कार्यवाही कब तक हो जायेगी ?

श्री सत्यदेव त्रिपाठी---

इनके विरुद्ध वैभागिक कार्यवाही पुलिस ऐक्ट की धारा 7 के अन्तर्गत चल रही है, यू गोरखपुर, बस्ती, देवरिया, गोण्डा, उन्नाव आदि कई जनपदों में दुराचरण की कई प्रविष्टियां इनके विरुद्ध हैं। इसलिये वैभागिक कार्यवाही समाप्त होने के बाद नियमानुसार कार्यवाही जो आवश्यक होगी वह की जायेगी।

श्री हरिकेवल प्रसाद---

कोई निश्चित अवधि मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि कब तक नियमानुसार कार्यवाही पूरी कर दी जायेगी ? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि जहां-जहां जिन जनपदों में यह कार्यरत रहे वहां इनके अच्छे कामों के बारे में जो अच्छी प्रविष्टियां मिली हैं क्या उनसे जो प्रतिकूल प्रविष्टियां हैं वे प्रभावहीन नहीं हो जातीं ?

श्री उपाध्यक्ष---

मैं इसकी इजाजत नहीं देता हूं।

जनपद बनारस में वाद संख्या 882/1977 हर स्वरूप चौबे बनाम नगेन्द्र सिंह का अदालत में पंजीकरण तथा अभियुक्तों के अदालत में हाजिर होने हेतु कार्यवाही

*5---श्री हुकम चन्द्र तिवारी (जिला मथुरा)---

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाद संख्या 882/1977 हर स्वरूप चौबे प्रति नगेन्द्र सिंह आदि धारा 395/218/220 500/323/49 भा0 द0 वि0, थाना भेलूपुर, जनपद बनारस किस तारीख में किस अदालत में पंजीकृत हुआ और उसमें अब तक कितने अभियुक्त न्यायालय में हाजिर हो सके तथा अब तक कितनी तारीख अभियुक्तों के हाजिर होने की मात्र न्यायालय में लग चुकी है ? क्या यह सत्य है कि अदालत द्वारा अभियुक्तों के विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को न्यायालय में हाजिर होने के लिए पत्र लिखे हैं ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री सत्यदेव त्रिपाठी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री हुकम चन्द तिवारी—

यह सवाल 3 बार स्थगित हो चुका है, तो यह सूचना कब तक अवश्य आ जायेंगी ?

श्री सत्यदेव त्रिपा ी—

यह मामले न्यायालय में लम्बित हं और यह सूचना उच्च न्यायालय से आनी है । जितनी जल्दी वहां से सूचना प्राप्त हो जायेगी, प्रश्न का उत्तर दे दिया जायेगा ।

औराई गोली काण्ड के जांच आयोग की रिपोर्ट पर पुरस्कृत पुलिस कर्मचारी तथा उप निरीक्षक, पुलिस (श्री सुरेन्द्र नाथ सिंह) को निलम्बन काल के वेतन तथा पुरस्कार की धनराशि का भुगतान

*6—श्री नरेश चन्द्र (अनुपस्थित) तथा श्री हरिकेवल प्रसाद—

क्या सरकार को जानकारी है कि शासन द्वारा नियुक्त एक सदस्यीय जांच आयोग न 1971 मे जनपद वाराणसी में हुई औराई गोली काण्ड को उचित ठहराते हुए पुलिस कमचारियों की सूझबूझ तथा दृढ़ता से कार्य करने की सराहना की थी और सम्बन्धित अराजपत्रित कर्मचारियों को पुरस्कृत करने का शासन ने निर्णय लिया था ? यदि हां, तो पुरस्कार किन-किन पुलिसजनों को प्रदान किया गय ? यदि नहीं प्रदान किया गया, तो क्यों ? क्या उक्त गोलीकाण्ड के फलस्वरूप निलम्बित तत्कालीन सब-इन्सपेक्टर (श्री सुरेन्द्र नाथ सिंह) को निलम्बन समाप्त हो जाने पर निलम्बन अवधि के पूर्ण वेतन का भुगतान कर दिया गया तथा वार्षिक वेतन-वृद्धि एवं पुरस्कार की धनराशि भी दी गई ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं तो क्यों ? इसके लिए कौन दोषी है ?

श्री सत्यदेव त्रिपाठी—

जी हां । पुरस्कृत पुलिस कर्मचारियों की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है । श्री सुरेन्द्र नाथ सिंह, सब-इन्सपेक्टर को उनके निलम्बन काल दिनांक 7-1-71 से 31-3-71 के वेतन आदि का भुगतान पुलिस अधीक्षक, सीतापुर के आदेश संख्या 408 दिनांक 12-6-75 द्वार कर दिया गया था । इसके अतिरिक्त पुरस्कार की धनराशि का भुगतान भी रहे कर दिया गया है । जहां तक वार्षिक वेतन वृद्धि के भुगतान का प्रश्न है, वह इनकी सेवा-पुस्तिका उपलब्ध न होने के कारण अभी तक नहीं किया जा सका । अब सेवा-पुस्तिका उपलब्ध हो गई है और वेतन-वृद्धि की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है । देय धनराशि का भुगतान इन्हें शीघ्र हो जायेगा ।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ..448..पर)

श्री हरि केवल प्रसाद—

मान्यवर, मंत्री जी ने जो प्रश्न मेरा पहले था और उसी से सम्बन्धित दूसरा प्रश्न है जिसका उत्तर दे रहे हैं । एक जगह पर तो सम्भव नहीं है कह कर इन्कार किया और दूसरी जगह पर उसी सब-इन्सपेक्टर की बात जहां मैंने कहा था, उसी को, जो उसको सुविधा देने की बात थी, उसको स्वयं अपने उत्तर में कहा है । तो मैं यह जानना चाहता हूं कि इस प्रश्न संख्या 6 के उत्तर के सम्बन्ध में जो माननीय मंत्री जी ने प्रश्न संख्या 4 का उत्तर दिया है, इस प्रश्न संख्या 6 में जो उत्तर आया है, उस उत्तर के अनुसार प्रश्न संख्या 4 का जो उत्तर है वह उत्तर निरस्त करते हुए उस सब-इन्सपेक्टर सुरेन्द्र नाथ सिंह को इसके अनुसार पदोन्नति देने का काम करेंगे ?

श्री सत्यदेव त्रिपाठी--

मान्यवर, दोनों प्रश्नों का उत्तर दो अलग-अलग चीजों से सम्बन्धित है। प्रश्न संख्या 4 पदोन्नति से सम्बन्ध रखता है और प्रोन्नति के बारे में। श्रीमन्, मैंने निवेदन किया कि नियमानुसार किया जायगा। यह दूसरा प्रश्न इनकी वेतन-वृद्धि के भुगतान के देय के सम्बन्ध में है और जिस अवधि में ये सस्पेन्ड रहे और औराई गोली काण्ड में जांच आयोग ने यह स्वीकार किया कि पुलिस का बल प्रयोग सही था। मान्यवर, दोनों अलग-अलग सवाल हैं और दोनों का अलग-अलग उत्तर आपकी सेवा में प्रस्तुत किया है।

श्री हरि केवल प्रसाद--

मान्यवर, जांच आयोग ने क्या रिपोर्ट दी और उस रिपोर्ट में सब-इन्सपेक्टर के बारे में क्या-क्या चीजें लिखी हैं, यह मैं जानना चाहता हूं ?

श्री सत्य देव त्रिपाठी--

मान्यवर, श्री हरि गोविन्द शुक्ल, भूतपूर्व जिला जज, लखनऊ ने कमीशन आफ इन्क्वायरी ऐक्ट के अन्तर्गत एक-सदस्यीय जांच आयोग के रूप में इसकी जांच की। यह किसी एक पुलिस अधिकारी की जांच नहीं है, वरन् उस समय नियुक्त 30 पुलिसजनों के बारे में उनकी कर्तव्य निष्ठा की सराहना की है। श्री सुरेन्द्र नाथ सिंह, सब-इन्सपेक्टर दिनांक 7-1-71 से 31-3-71 तक निलम्बित रहे हैं। उन 30 पुलिसजनों की यह सूची संलग्न है जिन्हें पुरस्कार दिया गया, श्री बी0 एन0 मिश्र, इन्सपेक्टर, श्री दीपनरायन सिंह, पी0सी0, श्री यशपाल सिंह, पी0सी0 आदि 30 पुलिस कर्मचारी हैं। इसमें केवल अकेले सुरेन्द्र नाथ सिंह को ही नहीं पुरस्कार दिया गया है बल्कि 30 पुलिसजनों को देने के लिए लिखा गया है।

बहराइच जिले के भिनगा व सोहेलवा जंगलात में नाजायज कटान

*7--श्री कमला प्रसाद वर्मा (जिला बहराइच) (अनुपस्थित)--

क्या वन मंत्री को जानकारी है कि बहराइच जिले के भिनगा व सोहेलवा जंगलात में पिछले एक साल से अब तक लाखों रुपयों के नाजायज पेड़ कटान किए गए और कुछ नाजायज कटान की लकड़ी पकड़ी गयी और सुपुर्दगी में दी गयी ? यदि हां, तो सुपुर्दगार कौन रहे तथा क्या पकड़ी गई लकड़ी का निस्तारण कर दिया गया ? साथ ही नाजायज कटान को रोकने के लिए कौन-कौन प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

वन मंत्री (श्री काजी मुहम्मद मुहिउद्दीन)--

बहराइच जिले के भिनगा व सोहेलवा जंगलात में पिछले एक साल से अब तक लगभग 94,000 रु0 की कीमत के पेड़ नाजायज तौर पर काटे पाये गये। इसमें से लगभग 72,300 रुपये की लकड़ी विभाग ने पकड़ ली है और लगभग 15,000 रु0 जुर्माना भी अब तक किया जा चुका है। उक्त में से लगभग 600 रु0 कीमत की लकड़ी नीचे लिखे हुए लोगों की सुपुर्दगी में दिया गया है :--

1--श्री रामचन्द्र, पुत्र श्री चन्द्रिका।
2--श्री बद्री सिंह, पुत्र श्री महादेव।
3--श्री गुरई, पुत्र श्री राम सरन।
4--श्री अकबर, पुत्र श्री जमादार।
5--श्री छेदी, पुत्र श्री चन्द्र बली।

चूंकि नाजायज कटान से सम्बन्धित मुजरिमों की छानबीन अभी हो रही है अतः पकड़ी गयी लकड़ी का पूरा निस्तारण नही किया गया है।

नाजायज कटान को रोकने तथा गहरी तौर से मुआइना हो सकने के मकसद से भिनगा रेंज को दो रेंजों भिनगा तथा ककरदीरी रेंजों में बांट दिया गया है।

जिन क्षेत्रों में नाजायज कटान अधिक होता है वहां गश्ती गार्ड तैनात कर दिये हैं। जंगलों की अच्छी तरह से मुआइने करने के लिये एस0 डी0 ओ0, भिनगा को एक जीप भी दे दी गई है।

जिला जेल, बस्ती, में लम्बी अवधितक निरुद्ध विचाराधीन बन्दी

*8---श्री हरिश्चन्द्र---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जिला जेल में ऐसे कितने अण्डर ट्रायल्स हैं, जिनको जेल में रहते हुए एक वर्ष, दो वर्ष और पांच वर्ष से अधिक हो चुका है ?

श्री सत्यदेव त्रिपाठी---

जिला जेल बस्ती में (अगस्त, 1979 तक) तीन विचाराधीन बन्दी एक वर्ष व नौ विचाराधीन बन्दी दो वर्ष से अधिक अवधि से निरुद्ध है। पांच वर्ष से अधिक अवधि से निरुद्ध कोई विचाराधीन बन्दी नहीं है।

श्री हरिश्चन्द्र---

मान्यवर, मैं मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि इतनी लम्बी अवधि तक विचाराधीन बन्दी बनाये रखने का क्या कारण है ? क्या उनमें ऐसा भी कोई बन्दी है जिनके विरुद्ध पुलिस ने अभी तक चार्जशीट न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया है ?

श्री सत्यदेव त्रिपाठी---

मान्यवर, 1 वर्ष से अधिक विचाराधीन बन्दी श्री भगौती पुत्र शिव हरख, राम सूरत पुत्र दूबर, जयराम पुत्र जगदम्बा है। तीनों अभियुक्त 395/397 के अभियोग में है। दो वर्ष से अधिक विचाराधीन बन्दी जो हैं उनकी चार्जशीट श्रीमन्, न्यायालय में दी जा चुकी है। इसमें सरकार या शासन की ओर से केवल चार्जशीट दी जा सकती है। चार्जशीट देने के बाद न्यायालय को तय करना है। इसमें शासन अपनी ओर से कुछ नहीं करता।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)---

क्या माननीय मुख्य मंत्री जी को यह जानकारी है कि जो 2--2, 3 वर्ष से अभियुक्त जेल में बन्द हैं उनको चार्जशीट सबमिट की गई, तो कब सबमिट की गई ?.

श्री उपाध्यक्ष---

यह तारीख के बारे में पूछ रहे है कि चार्जशीट किस तारीख को दी गई ?

श्री सत्यदेव त्रिपाठी---

मान्यवर, इसमें सेशन कमिट होने के तारीख 18-4-78, 14-4-78, 20-9-78 दी हुई है। चार्जशीट की तारीख की जानकारी हेतु सूचना की आवश्यकता होगी।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---

श्रीमन्, इसमें प्रश्न यही था कि 2--2, 4--4 साल हो जाते हैं चार्जशीट नहीं दी जाती है। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं माननीय मुख्य मंत्री पर लेकिन शायद उनके सचिवों ने जानबूझकर जानकारी नहीं दी। इसलिये मैं आपका संरक्षण चाहता हूं कि आप स्पष्ट उत्तर दिलाने की कृपा करें प्रश्न को स्थगित करके कि चार्जशीट कब दी गई और पुलिस ने अत्याचार किया या नहीं किया ?

श्री उपाध्यक्ष---

क्या पत्रावली में चार्जशीट की तारीख के बारे में कोई जिक्र नहीं है ?

श्री सत्यदेव त्रिपाठी---

मान्यवर, मैंने निवेदन किया कि सेशन में कब कमिट हुआ इसकी तारीख दी गई है, चार्जशीट कब दी गई किस तिथि को दी गई, यह नहीं है।

श्री हरिश्चन्द्र---

मान्यवर, इस प्रश्न का उत्तर माननीय मुख्य मंत्री जी नहीं दे सके कि चार्जशीट उन्हें कब दी गई इसलिये मेरा अनुरोध है कि प्रश्न स्थगित किया जाय। इस पर पूरी तैयारी करके माननीय मुख्य मंत्री जी उत्तर दें।

श्री उपाध्यक्ष---

तारीख की सूचना प्राप्त करके माननीय सदस्यों को भेज दें।

श्री सत्यदेव त्रिपाठी---

तारीख की सूचना संशोधित उत्तर के साथ भेज दूंगा।

शाहजहांपुर जिले के थाना मीरानपुर-कटरा की पुलिस द्वारा डकैतों की गिरफ्तारी

*9--श्रीमती सूर्यमुखी शर्मा (जिला झांसी) (अनुपस्थित)---

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शाहजहांपुर के थाना मीरानपुर-कटरा की पुलिस ने जून, 1979 में एक सशस्त्र गिरोह पकड़ा जिनके पास अनेक राइफलें, बन्दूकें तथा बम बरामद हुआ था, कई डकैतियों के फरार डकैत पकड़े गए? यदि हां, तो डकैत किस-किस जिले के निवासी हैं और किन-किन डकैतियों में फरार थे? क्या यह भी सही है कि उपरोक्त घटना के संबंध में जून, 1979 में ही एक विधायक ने इंचार्ज मीरानपुर-कटरा को पत्र भेजा था और उस पर पुलिस अधीक्षक, शाहजहांपुर ने क्या कार्यवाही की? क्या वह पत्र मंत्री जी सदन की मेज पर रखेंगे?

श्री बनारसी दास--

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 17/18-6-79 की रात शाहजहांपुर के थाना मीरानपुर कटरा की पुलिस द्वारा ग्राम कुनियां बिहारीपुर के जंगल में डकैतों के एक सशस्त्र गिरोह के तीन सदस्यों को गिरफ्तार किया गया था, जिनके पास से राइफल, बन्दूक, कारतूस आदि बरामद हुये थे। किसी अभियुक्त के पास से बम नहीं बरामद हुआ। गिरफ्तार तीनों अभियुक्तों में से कोई फरार डकैत नहीं था। तीनों अभियुक्त जिला शाहजहांपुर के निवासी हैं प्राप्त सूचना के अनुसार उपरोक्त घटना के संबंध में जून, 1979 में इंचार्ज मीरानपुर कटरा को किसी विधायक का कोई पत्र प्राप्त हुआ प्रतीत नहीं होता। अतः उस पर कोई कार्यवाही करने या उसे सदन की मेज पर रखने का प्रश्न नहीं उठता।

जिला बन्दी गृह अधीक्षक, शाहजहांपुर के विरुद्ध शिकायत एवं जांच

*10--श्री जगदीश सिंह (जिला शाहजहांपुर) (अनुपस्थित)--

क्या कारागार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 21 मई, 1979 को श्री जगदीश शरण गुप्त, संचालक, नशाबन्दी परिषद्, शाहजहांपुर द्वारा जिला बन्दी गृह अधीक्षक, शाहजहांपुर के विरुद्ध कोई शिकायती-पत्र शासन को दिया गया है? यदि हां, तो उसमें क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

कारागार राज्य मंत्री (श्री अब्दुल रऊफ लारी)--

जी हां। शिकायतकर्ता ने जांच अधिकारी के समक्ष प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया था कि जांच स्थगित रखी जाये। अतएव अधीक्षक के विरुद्ध अभी कोई कार्यवाही किया जाना संभव नहीं हो पाया है।

बहराइच जनपद में उद्योगों की स्थापनार्थ सर्वेक्षण रिपोर्ट पर विचार

*11—श्री बाबूलाल वर्मा (जिला बहराइच)—

क्या उद्योग मन्त्री कृपया बतायेंगे कि बहराइच जिला 30 पूर्वी पिछड़े जिलों की सूची में सम्मिलित है ? यदि हां, तो औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा जिला घोषित न किए जाने के क्या कारण हैं ? क्या स्थानीय प्राकृति जन्य एवं कृषि जन्य कच्चे माल की उपलब्धता के आधार पर उद्योग की स्थापनार्थ कोई सर्वेक्षण रिपोर्ट संलग्नक संख्या 270/आ0लि0—37 (द)/-77, दिनांक 24/26 जून, 1978 जिलाधिकारी बहराइच के साथ 1978 में शासन को प्राप्त हुई ? यदि हां, तो कौन-कौन से उद्योग की स्थापनार्थ सरकार विचार कर रही हैं ?

उप मुख्य मंत्री उद्योग (श्री राम नरेश यादव)—

राज्य के पूर्वी क्षेत्र में 15 जिले हैं जिनमें से 11 जिले "पिछड़ा जिला" घोषित हैं और उनमें बहराइच जिला भी सम्मिलित है ।

प्रश्नगत रिपोर्ट शासन में प्राप्त हुयी है । उद्योगों के स्थापनार्थ शासन द्वारा विभिन्न सुविधायें प्रदान करके उद्यमियों को प्रोत्साहित किया जाता है । रिपोर्ट में उल्लिखित कोई उद्योग स्वयं लगाने पर शासन द्वारा इस समय विचार नहीं किया जा रहा है ।

श्री बाबू लाल वर्मा—

मान्यवर, मैंने जो प्रश्न किया था उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि जिलाधिकारी, बहराइच ने बहराइच जिले में कृषि जन्य और प्राकृति सम्पदा की उपलब्धता के आधार पर उद्योग लगाने के सम्बन्ध में सर्वेक्षण कराया और वह सर्वेक्षण रिपोर्ट सरकार को प्राप्त हो गई । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उस सर्वेक्षण रिपोर्ट में कौन-कौन से उद्योगों को लगाने की संस्तुति है और उन उद्योगों को लगाने के लिये सरकार क्या विचार कर रही है ?

श्री राम नरेश यादव—

उसमें जूट का मिनी प्लांट, मिनी शुगर प्लांट, स्टार्च उद्योग, कागज उद्योग, लकड़ी के बुरादे से पार्टिकल बोर्ड, मैच उद्योग, मछली के पाउडर का मिनी प्लांट, आलू के पाउडर का मिनी प्लांट है । एक बात और उसमें है जिला उद्योग केन्द्र है और फिर जिला पिछड़ा घोषित किया गया है उसमें अब तक सब्सिडी लागू है और अन्य सुविधायें देकर इस बात का प्रयास किया है कि उद्योग स्थापित हों ।

श्री बाबू लाल वर्मा—

मान्यवर, मैं मा0 उद्योग मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जुलाई, 77 से दिसम्बर, 79 तक कितने उद्योग के स्थापनार्थ किन-किन उद्योगों को प्रोत्साहित किया गया है और उनके आधार पर किन उद्योगों के स्थापना के प्रयास किये गये ?

श्री उपाध्यक्ष—

यह प्रश्न इससे नहीं उठता ।

श्री बाबू लाल वर्मा—

शासन की ओर से उद्योगों को प्रोत्साहित किया जाता है?

श्री उपाध्यक्ष—

यह प्रश्न नहीं उठता है फिर मैंने श्री तिवारी को बुला लिया है, आप बैठें ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)--

क्या माननीय उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कौन-कौन से 11 जिले पिछड़े घोषित किये गये हैं और क्या उन सभी जिलों का सर्वेक्षण करा लिया गया है कि वहां कौन-कौन से उद्योग लगाये जा सकते हैं ? यदि हां, तो विवरण क्या है ?

श्री उपाध्यक्ष--

आपका यह बहुत ब्यौरे का सवाल है । मूल प्रश्न केवल बहराइच जिले से ही संबंधित है ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी---

नहीं मान्यवर, मैं केवल यह जानना चाहता हूं कि कौन-कौन से 11 जिले हैं और क्या सभी का सर्वेक्षण करा लिया गया है ?

श्री राम नरेश यादव---

मान्यवर, 15 जिलों में से मैं आपको बता दूं कि उनमें से 4 जिले इलाहाबाद, वाराणसी, मिर्जापुर तथा गोरखपुर को छोड़कर 11 जिले हैं । अगर पन्द्रहों जिलों की सूचना जानना चाहते हों तो मैं वह भी बता दूं ।

मान्यवर, एक बात और बता दूं कि हमारे जितने भी जिले हैं 56, उन सभी का ऐक्शन प्लान बना लिया गया है और सर्वेक्षण आदि कराने के बाद उनका सर्वेक्षण किया जा रहा है कि किन-किन तरह से प्रदेश के सभी पिछड़े जिलों की समस्याओं का समाधान ढूंढा जा सकता है ।

श्री वीरेन्द्र चतुर्वेदी (जिला देवरिया)---

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि उन 11 पिछड़े जिलों के विकास के लिए सरकार क्या प्रोत्साहन दे रही है और उनके औद्योगिक विकास के लिए क्या-क्या सुविधायें प्रदेश सरकार की ओर से दी जा रही है ? इसकी विस्तृत सूचना दें ।

(उत्तर के लिये मन्त्री जी को नहीं पुकारा गया)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो संशोधित रिपोर्ट शासन को मिली है क्या वह रिपोर्ट जनरल मैनेजर को फिर करने की कृपा करेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष--

यह रिपोर्ट आदि रहने दें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---

नहीं मान्यवर, इस रिपोर्ट पर बहुत कुछ निर्भर करता है ।

श्री नेम सिंह चौहान (जिला अलीगढ़)---

मान्यवर, मुझे अवसर बोलने का नहीं दिया जाता है, जो लोग जोर से बोलते है, उन्हीं को अवसर दिया जाता है तो क्या मैं भी जोर से बोलूं तभी अवसर आप मुझे देंगे ?

श्री बाबू लाल वर्मा---

माननीय उद्योग मंत्री जी ने अपने उस प्रश्न के उत्तर में बताया कि जितने उद्यमी कोई उद्योग लगाना चाहेंगे तो शासन की ओर से उस उद्योग के प्रति प्रोत्साहित किया जायेगा । तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि सन् 1977 से अब तक कितने उद्यमियों को प्रोत्साहन दिया गया है और उनमें कौन-कौन से उद्योग लगाने की व्यवस्था सरकार द्वारा की गयी है ?

श्री राम नरेश यादव---

मान्यवर, मैं तो सभी माननीय सदस्यों से कहूंगा कि प्रदेश का अगर कोई भी उद्यमी उद्योग लगाना चाहता है तो उसे सारी सुविधाएं उपलब्ध करायी जायेंगी ।

श्री फजलुलबारी (जिला गोंडा)---

मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से जानना चाहूंगा कि क्या इन पिछड़े जिलों में से सबसे ज्यादा पिछड़ा जिला गोण्डा नहीं है और अगर गोण्डा सबसे ज्यादा पिछड़ा जिला है, तो उसके बारे में भी कुछ सोचा है ?

तो उसकी तरक्की की व्यवस्था माननीय मंत्री जी ने कुछ सोची है ?

श्री उपाध्यक्ष---

यह प्रश्न नहीं उठता ।

लखनऊ नगर महापालिका द्वारा नवयुग कन्या विद्यालय तथा राजकीय सूक्ष्म यंत्र फैक्टरी के मध्य की भूमि के आवंटन का प्रस्ताव

*12---श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई) तथा श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी---

तीसरे गुरुवार, दिनांक 17 मई, 1979 के तारांकित प्रश्न संख्या 6 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या आवास मन्त्री बतलायेंगे कि नगर महापालिका की विकास समिति के अपने प्रस्ताव 65, दिनांक 15 जून, 1971 द्वारा सम्बन्धित स्थान को विद्यालय को देने की संस्तुति की थी एवं वर्तमान मुख्य मंत्री, आयुक्त, लखनऊ मण्डल, प्रशासक नगर महापालिका, जिलाधीश, लखनऊ ने समय-समय पर इस सम्बन्ध में आश्वासन भी दिये थे तथा गत श्री यादव मन्त्रि मण्डल के राज्य मंत्री सर्वश्री धीरेन्द्र सहाय एवं भगवती सिंह ने पक्ष में लिखित मत व्यक्त भी किये थे ? यदि हां, तो विद्यालय के लगभग 8,000 विद्यार्थियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार उक्त निर्जन भूमि को सम्बन्धित विद्यालय को देने के प्रश्न पर पुनः विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

आवास राज्य मंत्री (श्री भगौती सिंह)---

नगर महापालिका की विकास समिति के प्रस्ताव संख्या 65 दिनांक 15 जून, 1971 द्वारा नवयुग कन्या विद्यालय तथा राजकीय सूक्ष्म यन्त्र फैक्टरी के मध्य की सड़क को बन्द करके नवयुग विद्यालय को भूमि देने की थी । परन्तु अन्तिम निर्णय नहीं लिया था । इस मामले पर दिनांक 4-7-79 को लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा पुनः विचार किया गया और निर्णय लिया गया कि किसी भी पक्ष को सड़क की भूमि का आवंटन किया जाना उचित नहीं होगा और नवयुग कन्या विद्यालय के तत्सम्बन्धी प्रार्थना-पत्र को लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा निरस्त किया गया ।

यह मामला अभी शासन के विचाराधीन है ।

श्री राम आसरे वर्मा---

15 जून, 1971 को नगर महापालिका की विकास समिति का प्रस्ताव हुआ और उसके बाद आयुक्त, लखनऊ मण्डल, प्रशासक नगर महापालिका आदि ने समय-समय पर आश्वासन दिये और इसके बाद जिन माननीय मंत्री जी ने जबाव दिया, उन्होंने भी लिखा है कि यह जमीन संबंधित विद्यालय को दे दी जाय फिर भी 1971 के प्रस्ताव पर निर्णय नहीं हो पाया है। यह मामला कब तक शासन के विचाराधीन रहेगा और दूसरी बात मंत्री महोदय के लिखने के बाद शासन को कौन-सी कड़ी है जो अभी तक इस पर निर्णय नहीं ले रही है ?

श्री भगौती सिंह---

लखनऊ विकास प्राधिकरण के फैसले के बाद शासन उस पर विचार कर रहा है। चूंकि यह एक सड़क का मामला है जो इन्स्ट्रूमेंट फैक्टरी के पीछे और नवयुग कन्या विद्यालय के बीच से जाती है और आगे चल कर समाप्त हो गई है। अब उसे किसी को आवंटित करना किस हद तक मुनासिब होगा, इस पर विचार करना है। मैं आश्वासन देता हूं इसमें जल्दी होगी।

श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)---

मैं जानना चाहता हूं कि 71 से अब तक निर्णय नहीं हो पाया है इसका क्या कारण है ?

श्री भगौती सिंह---

जैसा मैंने अनुरोध किया कि एक सड़क की जमीन को एक संस्था को दिये जाने का प्रश्न है और वह सड़क 50 फिट चौड़ी है वह जमीन किस की है और किन नियमों के तहत देना है इन सब पर विचार करने के उपरान्त ही कार्यवाही होगी। इसीलिए विलम्ब हुआ है।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)---

यह प्रश्न बड़ा स्पष्ट और साफ है। 1971 से लखनऊ शहर के अन्दर ही जमीन, जो डेवलेपमेन्ट अथारिटी की है, 1971 से अब तक कितने शासन बदल गये, चीफ सेक्रेटरी बदल गये इन सब चीजों के होते हुए क्या अब कोई आश्वासन देगें कि इस पर निर्णय कब तक हो जायेगा ?

श्री उपाध्यक्ष---

आश्वासन दिया जा चुका है कि शीघ्र कर देंगे।

श्री रियासत हुसैन---

इसमें कोई समय तो बताया नहीं।

(उत्तर के लिए मन्त्री जी को नहीं पुकारा गया।)

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी---

नगर महापालिका की विकास समिति ने 71 में प्रस्ताव किया। उस समय मान्यवर, यह मामला स्पष्ट था। उसके बाद 8 साल तक पेन्डिग रखा गया। उसके बाद कौन सी ऐसी बात थी शासन के सामने या प्राधिकरण के सामने या लोगों का रिप्रजेन्टेशन आया या क्या हुआ इस पर पुर्नविचार का सवाल पैदा हुआ और जब प्राधिकरण ने निरस्त कर दिया तो किस तरह से शासन के विचाराधीन है, क्या इस पर विचार करेंगे ?

श्री भगौती सिंह---

मान्यवर, पूरा प्रश्न मैं नहीं सुन पाया हूं।

श्री रवीन्द्रनाथ तिवारी---

मेरा प्रश्न यह था कि जब नगर महापालिका की विकास समिति ने प्रस्ताव किया इस जमीन को देने का उस समय सारा मामला समिति के सामने स्पष्ट था। उसके बाद सर्व सम्मति से प्रस्ताव हुआ तो कौन सी वजह थी कि 8 साल तक इसे पेंडिग रखा गया और 8 साल के बाद क्या पब्लिक की तरफ से कोई रिप्रेजेंटेशन था जो विकास प्राधिकरण ने उस पर विचार किया ? प्राधिकरण ने जब निरस्त कर दिया तो शासन के सामने कैसे विचाराधीन है ?

श्री भगौती सिंह---

मान्यवर, विकास का कार्य पहले नगर महापालिका के अन्तर्गत विकास समिति करती थी और इस समिति ने 71 में निर्णय लिया कि अमुक भूमि दे दी जाय और उसके बाद उसने कोई

अंतिम निर्णय नहीं लिया । उसके बाद प्राधिकरण का निर्माण हुआ । फिर यह मामला प्राधिकरण में आया, उसने विचार किया और जब फैसला कर लिया कि यह जमीन किसी पक्ष को देना मुनासिब नहीं होगा तो इस पर शासन विचार कर रहा है ।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी) ––

मान्यवर, मेरा निवेदन है कि सड़क अगर चालू हालत में है और उसके अलावा भी जमीन है तो सड़क की जमीन को छोड़कर बाकी जमीन क्या विद्यालय को जल्द से जल्द दे दी जायगी ?

श्री भगौती सिंह––

मान्यवर, सड़क के अलावा बाकी जमीन वहां पर नहीं है ।

[दिनांक 29 जनवरी, 1980 के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

आग्नेयास्त्रों के लाइसेंस के संबंध में नीति के संबंध में भूतपूर्व संसद सदस्य, श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह के सुझाव

*1––श्री कन्हई सिंह (जिला शाहजहांपुर) (अनुपस्थित)––

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या शासन ने ऐसा कोई आदेश प्रसारित किया है जिसके अनुसार प्रदेश में किसी व्यक्ति के पास 3 असलाह से अधिक के लाइसेंस नहीं होंगे ? क्या इस विषय में भूतपूर्व संसद सदस्य श्री सुरेन्द्र विक्रम ने दिनांक 3–8–79 को एक पत्र लिखकर मुख्यमंत्री जी को कुछ सुझाव दिये है ? यदि हां, तो अब तक शासन द्वारा उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री बनारसी दास––

जी नहीं ।

सामान्यत: किसी भी व्यक्ति की सुरक्षा के लिये तीन आग्नेयास्त्र पर्याप्त होने चाहिये यह देखते हुए शासन ने यह कार्यकारी नीति अपनायी है कि यदि कोई व्यक्ति अतिरिक्त आग्नेयास्त्र का लाइसेंस चाहता हो तो उस पर सामान्यता तभी विचार किया जाना चाहिए जब वह अपने दो से अतिरिक्त शस्त्रों के लाइसेंस समर्पित करने को तैयार हो । इसे जिला मजिस्ट्रेटों की जानकारी में ला दिया गया है ।

जी हां ।

श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह ने सुझाव दिया था कि जिन व्यक्तियों के तीन से अधिक शस्त्र हो, उनके अतिरिक्त शस्त्रों के लाइसेंस निरस्त कर दिये जांय । आयुध अधिनियम के अन्तर्गत ऐसी कार्यवाही संभव न होने के कारण इसे कार्यान्वित नहीं किया जा सकता । श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह को तदनुसार सूचित कर दिया गया ।

मुंसिफ मजिस्ट्रेट, कैराना, मुजफ्फरनगर के न्यायालय में पुलिस चालानी मुकदमों का निस्तारण

*2––श्री राज कुमार शर्मा (जिला सहारनपुर)––

क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कैराना, जिला मुजफ्फरनगर के मुन्सिफ मैजिस्ट्रेट के न्यायालय में पुलिस चालानी वादों के निस्तारण न करने के सम्बन्ध में एक पत्र मुख्य मंत्री को 4–4–79 को बार एसोसियेशन कैराना के सचिव श्री कौशल प्रसाद ने लिखा था और उसकी प्रतिलिपि न्याय मंत्री को प्रेषित की थी? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

न्याय मंत्री (श्री श्रीचन्द)--

बार एसोसिएशन कैराना, जिला मुजफ्फरनगर के सचिव श्री कौशल प्रसाद का पत्र दिनांक 4-4-79 को प्राप्त हुआ था। इसके पूर्व भी कैराना तहसील के पुलिस चालानी मुकदमों को मुंसिफ मैजिस्ट्रेट कैराना के न्यायालय में दायर तथा निस्तारित किये जाने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ था जिसपर उच्च न्यायालय इलाहाबाद की संस्तुति मांगी गई थी। उच्च न्यायालय ने फरवरी, 1979 में सूचित किया कि जब तक कैराना में जिला जेल से अभियुक्तों को लाने ले जाने की व्यवस्था, पूर्णकालिक ए0 पी0 पी0 की नियुक्ति तथा एक अतिरिक्त मुंसिफ मजिस्ट्रेट का न्यायालय स्थापित नहीं किया जाता है तब तक वहां पर पुलिस चालानी वादों का दायरा एवं निस्तारण नहीं किया जा सकता है।

बार संघ कैराना के उपरोक्त पत्र के प्राप्त होने पर उच्च न्यायालय को यह प्रस्ताव किया गया है कि थाना कैराना झिन्झाना, शामली एवं काधंला के पुलिस चालानी मुकदमें जिनमें सभी अभियुक्त जमानत पर हो मुंसिफ मजिस्ट्रेट कैराना के न्यायालय में स्थानान्तरित कर दिये जायें। अभी तक उच्च न्यायालय का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

श्री राज कुमार शर्मा--

मान्यवर, मंत्री जी ने अपने उत्तर में बतलाया कि उच्च न्यायालय ने फरवरी, 79 में सूचित किया कि जब तक कैराना में जिला जेल में अभियुक्तों को लाने ले जाने की व्यवस्था, पूर्णकालिक ए0 पी0 पी0 की नियुक्ति तथा एक अतिरिक्त मुंसिफ मैजिस्ट्रेट का न्यायालय स्थापित नहीं किया जाता है तब तक वहां पर पुलिस चालानी वादों का दायरा एवं निस्तारण नहीं किया जा सकता है तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह कमियां पूरी हो गयीं हैं?

श्री श्रीचन्द--

मान्यवर, जिला जज और मुजफ्फरनगर बार एसोसियेशन संघ ने विरोध किया है कि कैराना में पुलिस चालानी मुकदमें भेजे जायं। उन्होंने यह भी कहा है कि कैराना में 6 थाने हैं और वहां पर कोई आवास का प्रबन्ध नहीं हो सकता है और पुलिस अधीक्षक ने यह एतराज पेश किया है कि मुल्जिमों को कैराना जाने में कोई वाहन का प्रबन्ध अभियुक्तों को लाने ले जाने के लिये नहीं किया जा सकता है।

श्री राज कुमार शर्मा--

मान्यवर, मंत्री जी ने कहा है कि उच्च न्यायालय को यह प्रस्ताव किया गया है कि थाना, कैराना, शामली और कांधंला के पुलिस चलानी मुकदमे जिनमें सभी अभियुक्त जमानत पर हों मुंसिफ मैजिस्ट्रेट कैराना के न्यायालय में स्थानान्तरित कर दिये जांय। तो मैं जानना चाहता हूं कि यह प्रस्ताव मंत्री जी ने उच्च न्यायालय को कब भेंजा है?

श्री श्रीचन्द--

यह प्रस्ताव नवम्बर, 1979 मे भेजा गया है जिसका उत्तर अभी तक नहीं मिला है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी-गढ़वाल)--

मान्यवर, मंत्री जी ने कारण बताया कि मुजफ्फरनगर की बार एसोशिएसन ने चाहा है कि कैराना में मुकदमें चलें। मंत्री जी ने यह भी कहा कि हाई कोर्ट की तरफ से आया है कि मुल्जिमों को कैराना में जिला जेल से अभियुक्तों को लाने ले जाने की व्यवस्था, ए0 पी0 पी0 की नियुक्ति आदि चीजों का प्रबन्ध राज्य सरकार करे। तो मैं पूछना चाहता हूं कि प्रशासन के सामने कौन कठिनाई है कि मुल्जिमों को लाने ले जाने और ए0 पी0 पी0 का प्रबन्ध नहीं हो सकता है?

श्री श्रीचन्द--

अध्यक्ष महोदय, जिला जज ने जो दो अदालतों के लिये जो कैराना में हैं, जिनमे 1 जुलाई, 78 तक 1,566 मुकदमें जिसमें 1,162 दीवानी और 404 फौजदारी मुकदमें बताया है और कहा है कि वहां जितना काम है उससे ज्यादा काम वहां नहीं हो सकता है। दूसरी बात पुलिस अधीक्षक ने कहा है कि सिर्फ मुजफ्फरनगर से कैराना अदालत में वाहन द्वारा मुल्जिमों को भेजने का कोई कारण नहीं है जबकि मुजफ्फरनगर के लोगों ने इसका विरोध किया है और कैराना तथा शामली के कुछ लोगों ने तथा बादकारियों ने विरोध किया है कि मुजफ्फरनगर ही नजदीक पड़ता है।

अलीगढ़ जिले के थाना सासनी में एक महिला श्रीमती विनोद कुमारी तथा उनके दो बच्चों की हत्या

*3--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि जनवरी, 1979 में सासनी थाना, जिला अलीगढ़ में एक महिला (श्रीमती विनोद कुमारी) तथा उनके 2 बच्चों की एक साथ निर्मम हत्या कर दी गई? यदि हां, तो इस बारे में सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई?

श्री सत्य देव त्रिपाठी--

जी हां।

इस सम्बन्ध में थाना सासनी (अलीगढ़) पर अभियोग अन्तर्गत धारा 147/148/302 भा0 द0 वि0 पंजीकृत किया गया। उक्त अभियोग की विवेचना अपराध अनुसन्धान विभाग को सौंप दी गई है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो एफ0 आई0 आर0 लिखायी गई है कि एक महिला श्रीमती विनोद कुमारी तथा उनके 2 बच्चों की एक साथ निर्मम हत्या कर दी गयी तो, उसमें क्या कुछ लोगों की नामजद रिपोर्ट की गयी है? यदि हां, तो उनको गिरफ्तार किया गया है कि नहीं?

श्री सत्यदेव त्रिपाठी--

पहली बार एफ0 आई0 आर0 लिखायी गयी है उसमें प्रकाश लाल अरोरा, जो अध्यापक हैं, उन पर संदेह व्यक्त किया गया था लेकिन बाद में इस मामले की जांच अपराध अनुसंधान शाखा को सौंपी गयी तो उसकी जांच का नतीजा निकला कि यह अपराधी नहीं हैं, इसलिये उनको जेल नहीं भेजा गया है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि पहले जब नामजद अपराधी थे तो बाद को कौन ऐसे तथ्य सामने आये जिससे कि यह मामला अपराध अनुसंधान शाखा को भेजा गया? इसलिये मैं जानन चाहता हूं कि सी0 आई0 डी0 को जांच के लिये मामला कब भेजा गया है?

श्री सत्य देव त्रिपाठी--

मान्यवर, इस कत्ल के बाद एफ0 आई0 आर0 श्री पुष्कर लाल गुप्ता द्वारा लिखाई गयी थी चूंकि विनोद कुमारी के पति उस समय, जो रेलवे में इम्पलाईज हैं, वहां नहीं थे। वह बाद में आये थे। दिनांक 3-2-79 को अपराध अनुसंधान शाखा को यह जांच सौंपी गयी और सियाराम गुप्त जो मृतक के पति हैं, वहां नहीं थे उन्होंने आकर इस मुकदमें की पैरवी की। अपराध अनुसंधान विभाग ने जो जांच की उसमें श्री प्रकाश लाल जी को अपराधी नहीं पाया गया।

श्री मित्र सेन (जिला फैजाबाद)---

मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जब मुलजिम के खिलाफ नामजद एफ0 आई0 आर0 लिखाई गयी थी तो फिर अपराध अनुसंधान विभाग को किस अधिकारी ने मामला सौंपा और क्यों ?

श्री सत्यदेव त्रिपाठी---

मान्यवर, श्रीमती विनोद कुमारी एक कालेज की अध्यापिका थीं और अपने दो बच्चों के साथ बह रहती थीं। उनके कालेज में ही दूसरे अध्यापक हैं प्रकाश लाल अरोड़ा। पुष्कर बाबू गुप्ता ने एफ0आई0आर0 लाज कराई थी जिसमें प्रकाश लाल पर संदेह व्यक्त किया था इसकी जांच कराई गयी और यह कहा गया कि चूंकि मामले में कोई निश्चित साक्ष्य नहीं मिल रहा है इसलिये अपराध अनुसंधान विभाग को इसकी जांच दे दी जाये। अपराध अनुसंधान विभाग को जिसकी जांच जैसा कि मैंने पहले कहा 3-2-79 को सुपुर्द की गयी। उन्होंने यह पाया कि प्रकाश लाल अरोड़ा जिस पर कि संदेह था वह अपराधी नहीं है।

श्री श्यामदत्त पालीवाल (जिला आगरा)---

मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि यह निर्मम अपराध विगत जनवरी माह, 1979 में हुआ। 3 फरवरी, 1979 को यह जांच अपराध अनुसंधान शाखा को दी गयी। अभी तक वह जांच पूरी नहीं हो सकी है। क्या इस संबंध में कोई गिरफ्तारी की गयी और जांच इस समय किस स्टेज पर पहुंच चुकी है ?

श्री उपाध्यक्ष---

गिरफ्तारी के बारे में जबाब इन्होंने दे दिया है।

श्री हुकम चन्द्र तिवारी---

मैं यह जानना चाहता हू कि एफ0 आई0 आर0 दर्ज की गयी और अभियुक्त के नाम की ओर उसमें संकेत किया गया था। तो धारा 161 भारतीय दंड संहिता के अन्तर्गत कितने गवाहियों के नाम विवेचना अधिकारी ने अंकित किया।

श्री सत्यदेव त्रिपाठी---

मान्यवर, मैंने स्पष्ट रूप से निवेदन किया कि श्रीमती विनोद कुमारी जिसका कत्ल हुआ था, वह एक कालेज की अध्यापिका थीं। उसी कालेज में प्रकाश लाल अरोड़ा भी अध्यापक था। उनका पति जो रतना में था वहां नहीं मौजूद था .....

(शोर)

कई सदस्य---

क्यों रिपीट कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष---

इस वक्त मामला कोर्ट में है इसलिये अब सवाल नहीं पूछा जा सकता।

कई सदस्य---

कोर्ट में कहां है ?

श्री उपाध्यक्ष---

यह मामला सी0 आई0 डी0 को जांच के लिये सुपुर्द कर दिया गया है। अब मैं और इजाजत नहीं देता।

श्री हुकम चन्द्र तिवारी—

जब एफ0 आई0 आर0 अंकित की गई और किसी अभियुक्त का नाम उसमें दर्ज किया गया तो विवेचनाधिकारी ने अनुसन्धान शाखा को देने से पूर्व कितने गवाहों का बयान लिया और किस तारीख को लिया।

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

(श्री मोहम्मद रफी खां का नाम पुकारे जाने पर)

डाक्टर बंगाली सिंह (जिला अलीगढ़)—

मान्यवर, यह मेरा मामला है एक मिनट मेरी बात सुन लिजिए। यह बात सही है मुलजिम पकड़े गये लेकिन वहां के अधिकारी ने पैसा लेकर उन्हें छोड़ दिया। चार आदमी पकड़े गये। मेरा निवेदन है कि जांच कर के अभियुक्तों को पकड़ा जाय नहीं तो मैं विधान सभा में भूख हड़ताल कर दूंगा।

(उत्तर के लिये मंत्री जी को पुकारा नहीं गया)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

इस पर चलने दीजिए जो प्रश्न पूछे गये हैं उन का उत्तर आना चाहिये। लोग पकड़े गये शासन ने दबाव डलवा कर छुड़ा दिया।

*4—श्री बाबू लाल सरोज—

[स्पष्टीकरण के अभाव में निरस्त]

यू0 पी0 डीगिटल्स एच0 एम0 टी0 वाच असेम्बली, भवाली नैनीताल के कर्मचारियों के नियुक्ति तथा वेतन निर्धारण

*5—श्री मुहम्मद रफी खां (जिला शाहजहांपुर) (अनुपस्थित)—

क्या उद्योग मंत्री बतायेंगे कि यू0 पी0 इन्डस्ट्रियल ऐंड डेवलपमेंट कारपोरेशन के तत्वावधान में भवाली (नैनीताल) में यू0 पी0 डीगिटल्स एच0 एम0 टी0 वाच असेम्बली यूनिट जिसमें 25,000 घड़ियां प्रतिमाह असेम्बुल की जाती हैं, दिसम्बर, 1977 से चालू किया गया है? क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि उक्त फर्म में अभी तक एक्जीक्यूटिव इंजीनियर को छोड़ कर बाकी लगभग 80 कर्मचारियों का न तो वेतन निर्धारण किया गया है और न उनको औपचारिक नियुक्ति पत्र ही दिये गये हैं? यदि हां, तो क्यों और यह स्थिति कब तक रहेगी?

श्री राम नरेश यादव—

जी नहीं।

दिसम्बर, 1977 से केवल इस इकाई की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग शुरू की गई।

इस इकाई में एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर नहीं हैं, बल्कि प्रोजेक्ट एक्जीक्यूटिव है। कर्मचारियों का वेतन निर्धारण हो चुका है और उन्हें नियुक्ति पत्र पुनः देने की आवश्यकता महसूस नहीं की गई।

जिला मैंनपुरी के थाना फरिहा के थानाध्यक्ष, श्री सूरजपाल सिंह के स्थानान्तरण तथा श्री सुनहरी लाल प्रधानाध्यापक की सुरक्षा के संबंध में पत्र

*6--श्री जसवीर सिंह (जिला एटा)--

क्या मुख्य मंत्री एवं गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 13-7-79 एवं 16-7-79 श्री सूरजपाल सिंह, थानाध्यक्ष, थाना फरिहा, जनपद मैनपुरी आदि के स्थानान्तरण तथा भ्रष्टाचार एवं पक्षपात और सुनहरीलाल प्रधानाध्यापक की सुरक्षा के संबंध में प्राप्त हुये ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई और उसका क्या परिणाम हुआ ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सत्य देव त्रिपाठी--

जी हां। संदर्भित पत्रों में उल्लिखित तथ्यों की जांच करवायी गई। जांच से आरोप सही नहीं पाय गये। श्री सुनहरी लाल प्रधानाध्यापक की सुरक्षा के लिए थानाध्यक्ष को आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देश दे दिये गये हैं।

श्री जसवीर सिंह--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिस पत्र का उल्लेख किया गया है वह किसका था, किस अधिकारी ने उसकी जांच की और वहां के थानाध्यक्ष पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? उनका स्थानान्तरण क्यों नहीं किया गया ?

श्री सत्यदेव त्रिपाठी--

मान्यवर, थानाध्यक्ष के खिलाफ जो आरोप थे वे इस प्रकार हैं--थानाध्यक्ष, थाना फरिहा आदमियों को परेशान करते हैं, बदमाशों का मनोबल बढ़ाये हुये हैं, जनता भयभीत है। विधायक महोदय ने यही आरोप अपने पत्र में लिखें थे जिनकी जांच क्षेत्राधिकारी से करायी गयी और क्षेत्राधिकारी की रिपोर्ट में कहा गया कि ये आरोप सही नहीं हैं।

श्री जसवीर सिंह--

मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि थानाध्यक्ष फरिहा, जनपद मैनपुरी के विरुद्ध एक अध्यापक ने जाने से मरवाने की शिकायत की थी। तीन साल से थानाध्यक्ष वहीं पर तैनात है उनका स्थानान्तरण नहीं किया गया। क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उनको वहां से हटा दिया जायगा ताकि अध्यापक की जान की सुरक्षा हो सके ।

श्री सत्य देव त्रिपाठी--

मान्यवर, माननीय विधायक महोदय का जो पत्र है उसमें भी जैसा मैंने निवेदन किया केवल स्थानान्तरण की मांग की गई है और जहां तक सुनहरी लाल जी प्रधानाध्यापक की सुरक्षा का प्रश्न है श्रीमन्, एस0 पी0 ने बाकायदा निर्देश कर दिये है कि सुनहरी लाल जी को किसी तरह का कोई जान माल का खतरा न होने पाये।

श्री जसवीर सिंह--

मान्यवर, तीन साल से एक थानाध्यक्ष उसी पुलिस स्टेशन में है, जनता की शिकायतें एक प्रधानाध्यापक करते हैं। मेरे पास यह एक पत्र है एक मुन्नू बदमाश . .

श्री उपाध्यक्ष--

आप दूसरी बात कर रहे हैं . . . . . .

श्री जसबीर सिंह--

यह आउट आफ सब्जेक्ट है वैसे लेकिन मैं माननीय मंत्री जी के संज्ञान में लाने के लिए बता रहा हूं। मेरी प्रार्थना है कि इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए माननीय मंत्री जी थानाध्यक्ष को तत्काल वहां से हटाकर क्षत्र की सुरक्षा का आश्वासन देंगे।

श्री उपाध्यक्ष--

इनका कहना है कि थानाध्यक्ष तीन साल से एक ही जगह है, उनके खिलाफ शिकायतें है .....

श्री सत्य देव त्रिपाठी--

इसे देख लेंगे।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)--

मैं माननीय मंत्री जी से उनके उत्तर के संबंध में यह जानना चाहूंगा कि आपने कहा कि माननीय विधायक की जो शिकायतें हैं उनको क्षेत्राधिकारी ने गलत पाया तो आपका क्षेत्राधिकारी विश्वसनीय है माननीय विधायक के बनिस्बत शासन की निगाह में। यदि ऐसा है तो ऐसे विधायक को क्यों आपने अपने दल में रखा है ?

श्री उपाध्यक्ष--

यह तो विवाद का प्रश्न है ....

श्री मैनेजर सिंह--

यह सदन की गरिमा का सवाल है। माननीय मंत्री जी स्वयं कहते हैं कि विधायक ने ये आरोप शिकायत में किये हैं और कहते हैं कि क्षेत्राधिकारी ने उन्हें गलत पाया है। अब सवाल यह है कि विधायक असत्यभाषी हैं या सी० ओ० ?

श्री उपाध्यक्ष--

आप सवाल कर सकते हैं कि क्षेत्राधिकारी की जो रिपोर्ट है उस पर आप किसी दूसरे उच्चाधिकारी से जांच करा लेंगे ?

श्री मैनेजर सिंह--

माननीय मंत्री स्वयं जाकर जांच कर लें ?

श्री उपाध्यक्ष--

मंत्री महोदय, इस पर विचार कर लें।

श्री हिम्मत सिंह--

क्या क्षेत्राधिकारी ने श्री जसवीर सिंह जी का भी बयान लिया था या नहीं लिया ?

श्री सत्यदेव त्रिपाठी--

जसवीर सिंह जी के दो पत्र हैं। एक पत्र में उन्होंने कोई निश्चित आरोप नहीं लगाया है जैसे थानेदार कुछ भले आदमियों को तंग करता है .....

श्री मैनेजर सिंह--

प्रश्न केवल इतना है कि क्षेत्राधिकारी ने जांच के दौरान श्री जसवीर सिंह जी का बयान लिया या नहीं लिया ?

श्री सत्यदेव त्रिपाठी—

इसकी जानकारी इसमें नहीं है।

श्री शारदा प्रसाद जायसवाल (जिला गोरखपुर)—

[× × ×]

श्री उपाध्यक्ष—

मैं इसकी इजाजत नहीं देता।

आर्य कन्या इण्टर कालेज, रुड़की की कुमारी सुमन का अपहरण

*7—श्री राम सिंह (जिला सहारनपुर) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कु0 सुमन, आयु 16 वर्ष कक्षा 7, आर्य कन्या इण्टर कालिज, रुड़की का दिनांक 16 जुलाई, 1979 को अपहरण कर लिया गया था? क्या यह भी सही है कि लड़की के पिता ने श्री विनोद, पुत्र श्री भूदत्त यादव पर सन्देह व्यक्त किया है? क्या यह भी सही है कि अपहरणकर्ता के पिता पुलिस में सिपाही हैं जिनका नं0 172 है? क्या सरकार बतायेगी कि लड़की को बरामद करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

श्री बनारसी दास—

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 17-7-79 को एक श्री योगेन्द्र पाल बत्रा ने थाना रुड़की पर अपनी बहन कु0 सुमन के विलुप्त हो जाने की सूचना दी। दौरान छानबीन लड़की के पिता ने विनोद कुमार पुत्र भूदत्त यादव पर अपना सन्देह व्यक्त किया। श्री भूदत्त यादव पुलिस में सिपाही हैं। धारा 363/366 भा0 द0 वि0 का अपराध कायम किया गया। अभियुक्त विनोद कुमार के विरुद्ध धारा 82/83 द0 प्र0 सं0 की कार्यवाही 9-8-79 को की गई, व धारा 363/366/376 भा0द0वि0 में मफरुरी में उसका चालान किया जा चुका है। कु0 सुमन दिनांक 21-9-79 को उसके पिता को दिल्ली में बरामद हो गई थी।

थाना मल्लावां, जनपद हरदोई के श्री आर0 के0 यादव के विरुद्ध न्यायिक जांच

*8—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि हरदोई जनपद में थाना मल्लावां के भूतपूर्व थानाध्यक्ष श्री आर0 पी0 यादव के विरुद्ध जून, 1979 में न्यायिक जांच (मैजिस्टीरियल इन्क्वायरी) के आदेश जिलाधीश, हरदोई द्वारा किये गये? यदि हां, तो आरोप क्या है और अब तक जांच में प्रगति क्या हुई?

श्री सत्यदेव त्रिपाठी—

जी हां, दिनांक 1-7-79 को जिला मजिस्ट्रेट द्वारा आदेश दिए गये थे।

सर्वश्री शिव शर्मा द्विवेदी एवं राम प्रकाश द्विवेदी एडवोकेट व उनके परिवार के प्रति मल्लावां थाने की पुलिस के विरुद्ध दुर्व्यवहार व प्रताड़ना पूर्ण कृत्यों के आरोप थे।

अब तक जांच अधिकारी द्वारा लगभग 25 व्यक्तियों के सशपथ बयान लिये जा चुके हैं और उनसे आवश्यक मुद्दों पर जिरह भी की जा चुकी है। शेष लोगों के बयान लिये जाने शेष हैं। जांच प्रचलित है।

– नोटः—[× × ×] यह अंश श्री उपाध्यक्ष क आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री राम आसरे वर्मा---

मंत्री जी ने जो बयान गवाहान के अबतक हुए हैं उनके आधार पर संबंधित थानेदार के खिलाफ क्या कार्यवाही की है ?

श्री सत्य देव त्रिपाठी---

अभी जांच जारी है। अभी तक 25 व्यक्तियों के बयान हुए है। अन्य लोगों के बयान होने के बाद जैसे ही रिपोर्ट आयेगी, उसमें जो भी दोषी होगा उसके विरुद्ध कार्यवाही की जायगी।

श्री राम आसरे वर्मा---

कौन सा मैजिस्ट्रेट इस मामले की जांच कर रहा है और इस जांच में कितना समय और लगेगा ?

श्री सत्यदेव त्रिपाठी---

यह जांच अधिकारी वहां के परगना मैजिस्ट्रेट हैं और उन्होंने लिखा है कि जांच पूर्ण होने में लगभग 3 महीने का समय लगेगा।

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी (जिला फर्रुखाबाद)---

जांच के आधार पर क्या प्राग दर्शन में संबंधित अधिकारी के खिलाफ कोई केस बनता है ? अगर बनता है तो उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री सत्यदेव त्रिपाठी---

अधूरी जांच रिपोर्ट नहीं मांगी गयी है। श्री बंशीधर मनोहर जो जांच मैजिस्ट्रेट हैं उन्होंने कहा है कि तीन महीने में वह पूरी जांच रिपोर्ट दे देंगे और तभी कोई कार्यवाही हो सकेगी !

वर्तमान पुलिस उपाधीक्षक, पिथौरागढ़ के विरुद्ध शिकायती पत्र

*9---श्री नारायण सिंह भैंसोरा (जिला पिथौरागढ़) (अनुपस्थित)---

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान उपाधीक्षक, पुलिस जनपद पिथौरागढ़ के विरुद्ध सन् 1978 से सन, 1979 के सितम्बर माह तक जनता एवं जन-प्रतिनिधियों द्वारा कुल कितनी शिकायतें की गयीं और उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? माह सितम्बर, 1979 के प्रथम सप्ताह में नौ टेलीग्रामों सहित प्रश्नकर्ता द्वारा मुख्य मंत्री जी को कोई शिकायती-पत्र पुलिस ज्यादतियों के सम्बन्ध में दिया गया था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? क्या यह भी सही है कि उक्त अधिकारी के विरुद्ध राज्य गुप्तचर विभाग तथा केन्द्रीय गुप्तचर विभाग द्वारा भी शासन को सूचना दी गयी थी ? यदि हां, तो इन शिकायतों को देखते हुये उक्त अधिकारी का स्थानान्तरण एवं अविलम्ब गुप्तचर विभाग द्वारा जांच की जायेगी ?

श्री बनारसी दास---

वर्तमान पुलिस उपाधीक्षक पिथौरागढ़ के विरुद्ध सन् 1978 से सितम्बर, 1979 तक जनता एवं जनप्रतिनिधियों से कुल 9 शिकायती पत्र प्राप्त हुये जिन पर जांच कराई गई। जांच से आरोप अप्रमाणित रहे। माननीय प्रश्नकर्ता द्वारा मुख्य मंत्री जी को सम्बोधित एक प्रार्थना पत्र दिनांकित 3-9-79 प्राप्त हुआ था। जिसके साथ 11 टेलीग्राम संलग्न थे। इनमें कोई विशेष आरोप नहीं थे। मुख्यतया पुलिस उपाधीक्षक प्रभारी, पिथौरागढ़ को हटाये जाने की मांग की गई थी। पुलिस उप महानिरीक्षक कुमायूं परिक्षेत्र द्वारा ऐसे ही 11 टेलीग्रामों की जांच से यह विदित हुआ कि सभी तार एक ही व्यक्ति द्वारा एक ही हस्तलेख में

लिखे गये और एक ही व्यक्ति द्वारा इन सभी तारों का टेलीग्राफ आफिस पिथौरागढ़ में पेमेन्ट किया गया । सभी तार फर्जी नाम से किये गये ।

राज्य गुप्तचर विभाग तथा केन्द्रीय गुप्तचर विभाग द्वारा उक्त अधिकारी के विरुद्ध शासन को सूचना देना नहीं पाया गया ।

अपराध संख्या 666/75, थाना कोतवाली, मथुरा में प्रस्तुत आरोप-पत्र

*10--श्री हुकम चन्द्र तिवारी--

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अपराध संख्या 666/75, धारा 457 भारतीय दंड संहिता, थाना कोतवाली, मथुरा में आरोप-पत्र किस तिथि को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सत्य है कि इस घटना का अभियुक्त देश छोड़-कर विदेश में स्थायी रूप से बस गया है ? यदि हां, तो भारत किस तिथि को छोड़ा ?

श्री बनारसी दास--

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्नगत अपराध में साक्ष्य के अभाव में आरोप-पत्र न्यायालय में नहीं प्रेषित किया गया । विवेचना अन्तिम रिपोर्ट द्वारा समाप्त की गई । यह सही है कि उपरोक्त घटना के एक संदिग्ध श्री आई0 पी0 सिंह, फरवरी, 1976 में अपने पुत्रगण जो यूनाइटेड किंग्डम में सेवारत हैं, के पास चले गये ।

श्री हुकम चन्द्र तिवारी--

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जब यह घटना थाने पर अंकित हुई तो उसकी विवेचना किस तारीख को हुई और विवेचना अधिकारी ने जाब्ता फौजदारी की धारा 161 के अधीन किन-किन लोगों के गवाह किस-किस तारीख को लिये ? दूसरी बात यह है कि क्या यह जांच सिविल पुलिस द्वारा की जा रही है या किसी अन्य एजेन्सी से की जा रही है ?

श्री सत्य देव त्रिपाठी--

यह प्रथम सूचना 24-6-75 को की गई । बन्दी बनाये गये इन्द्रपाल और विवेचना करने वाले अधिकारी का नाम है ब्रह्मानन्द शर्मा, अपराध अनुसन्धान शाखा, उत्तर प्रदेश आगरा । अंतिम आख्या 25-11-76 को की गई । इसमें गवाह ने जो पहले बयान दिया था उसने बाद में अपने बयान बदल दिये ।

श्री हुकम चन्द्र तिवारी--

मान्यवर, मैंने पूछा है कि जाब्ता फौजदारी की धारा 161 के अन्तर्गत किन-किन तारीखों में बयान लिये गये और जब सिविल पुलिस उसकी जांच कर रही थी और उसका विवेचना अधिकारी था तो किसके प्रार्थना पत्र पर यह जांच अपराध अनुसंधान शाखा को सौंपी गई ?

श्री उपाध्यक्ष--

आपके सवाल का पहला भाग तारीख से सम्बन्धित है । मंत्री जी अगर आप के पास वह तारीख हो तो दे दीजिये । दूसरा भाग यह है कि किसकी संस्तुति पर आपने यह केस सी0 आई0 डी0 को दिया ?

श्री सत्यदेव त्रिपाठी--

मान्यवर, पुलिस केस की डायरी कभी भी नहीं मंगाई जाती है । जैसा मैंने आपसे निवेदन किया इसकी जांच 25-11-76 को की गई और 29-6-76 को यह केस अपराध अनुसंधान शाखा को सौंपा गया ।

श्री उपाध्यक्ष---

किसकी प्रार्थना पर आपने इसको सी0 आई0 डी0 के सुपुर्द किया। क्या आधार था ?

श्री हुकम चन्द्र तिवारी---

मान्यवर, 161 के अधीन जो बयान लिये गये वह किस-किस तारीख को लिये गये और सी0 आई0 डी0 को किस आधार पर भजा गया, यह सीधा सा सवाल है।

श्री उपाध्यक्ष---

आप के प्रश्न का पहला भाग व्यौरे का है। दूसरे भाग का जवाब मंत्री जी दे दें।

श्री सत्यदेव त्रिपाठी---

यह मंदिर के एक महाराजाधिराज का मामला था और बड़ा गम्भीर मामला था। इसलिये उसमें कुत्तों का प्रयोग किया गया। आप जो बार-बार 161 का नाम ले रहे हैं, तो उसमें पुलिस की डायरी होती है। यहां पर सदन में कभी भी पुलिस की डायरी नहीं मंगाई जाती है और यदि आप आदेश दें तो उसको भी मंगाना शुरू किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष---

उसकी जरूरत नहीं है।

किसान संघर्ष समिति द्वारा थाना चोलापुर की पुलिस के अत्याचार के विरोध में प्रदर्शन

*11---श्री ऊदल---

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि थानाध्यक्ष चोलापुर, वाराणसी तथा यहां की पुलिस को अत्याचारों के खिलाफ जिला किसान संघर्ष समिति, वाराणसी ने दिनांक 5-8-79 को थाने पर प्रदर्शन एवं सभा का आयोजन किया था? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठी चार्ज करके भगा दिया जिससे पांच संघर्ष समिति के नेताओं और प्रदर्शनकारियों को चोटें आयी है ? यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की गयी ?

श्री सत्यदेव त्रिपाठी---

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 5-8-79 को किसान संघर्ष समिति ने थाना चोलापुर की पुलिस के तथा कथित अत्याचार के विरोध में प्रदर्शन का आयोजन किया था। पुलिस द्वारा प्रदर्शनकारियों पर कोई लाठी चार्ज नहीं किया गया। प्रश्न नहीं उठता।

श्री ऊदल---

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इसकी जांच किससे करायी गई ? क्या मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि मैंने स्वयं लिखकर माननीय मुख्य मंत्री जी को दिया था जिसमें प्रदर्शनकारियों में श्री देवनाथ, राजनाथ आदि 6 आदमियों को बुरी तरह से पीटा गया था। उसकी जांच किससे करायी गई। क्या आप इस पर पुनः जांच करायेंगे ?

श्री सत्यदेव त्रिपाठी---

इसमें पुलिस लाठी चार्ज की बात है जिसमें कुछ लोगों को चोटें आयी थीं। वहां पर जिला किसान संघर्ष समिति के कुछ लोग कांग्रेस (आई0) के विरोध में सभा कर रहे थे। उसमें किसी एक सदस्य ने कहा कि किसान संघर्ष समिति के लोग अपराधी प्रवृत्ति के हैं इस पर किसान संघर्ष समिति के लोगों ने कहा पुलिस के दलालों वापस जाओ, इस पर आपस में संघर्ष हुआ और 6 लोगों को चोटें आयी।

श्री ऊदल---

क्या माननीय मंत्री जी पुनः इसकी जांच कराने की कृपा करेंगे कि कांग्रेस आई जिसका जिक्र उन्होंने किया है उनसे आपस में कोई टकराव नहीं था बल्कि किसान संघर्ष समिति के लोग थाने के दुर्व्यवहार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे और पुलिस ने उस पर अवरोध उत्पन्न किया और लाठी चार्ज किया ?

श्री सत्य देव त्रिपाठी---

मान्यवर, कोई भी लाठी चार्ज वहां नहीं हुआ। वहां 107, 116 और 151 में कांग्रेस आई और किसान संघर्ष समिति के कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसके साथ ही साथ अगर माननीय विधायक जी का इस समय कोई पत्र पत्रावली में उपलब्ध नहीं है अगर वह कोई स्पैसिफिक बात बतायेंगे तो जांच करा लेंगे।

श्री गोविन्द सिंह नेगी---

यह आप मानते हैं कि पुलिस अत्याचार के खिलाफ प्रदर्शन हुआ। तो क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो जांच कराई गई पुलिस भ्रष्टाचार के बारे में शिकायतों की वह क्या है।

श्री सत्यदेव त्रिपाठी---

अभी ऐसी कोई जांच नहीं कराई गई।

श्री राम आसरे वर्मा---

क्या मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदर्शनकारियों के साथ पुलिस द्वारा जो जुल्म किये गये उस सिलसिले में माननीय विधायक से कोई पत्र प्राप्त हुआ ? यदि हुआ है तो वह क्या और उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री सत्यदेव त्रिपाठी---

मैंने निवेदन किया कि पत्रावली में इस समय कोई पत्र उपलब्ध नहीं है। जो भी वह पत्र देंगे उसकी जांच करा ली जायेगी।

श्री मैनेजर सिंह---

मंत्री जी ने कहा कि किसान संघर्ष वाहिनी के लोगों और पुलिस के दलालों के बीच, चाहे वह किसी भी पार्टी के हों, मारपीट हुई। इसमें जो किसान पक्ष के लोगों और पुलिस के दलालों के बीच जो मारपीट हुई उसमें कितने पुलिस के दलालों को किसान वाहिनी के लोगों ने मारा इसकी जांच करायेंगे।

श्री उपाध्यक्ष---

यह प्रश्न इससे उत्पन्न नहीं होता।

विकास खण्ड गरुड़ बैजनाथ, जिला अल्मोड़ा में अवैध शराब बनाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध शिकायती-पत्र

*12---श्री प्रताप सिंह पुष्पवान (जिला चमोली) (अनुपस्थित)---

क्या आबकारी मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा घेटी व भिलकारी, पो० ओ० भिलकोट, विकास खंड गरुड़ बैजनाथ, जिला अल्मोड़ा में अवैध शराब बनाने वाले व्यक्तियों (श्री राम सिंह दुकानदार पुत्र मान सिंह, ग्राम घेटी, श्री नरसिंह पुत्र श्री गोविन्द सिंह ,ग्राम घेटी, श्री मान सिंह पुत्र श्री गंगाणसिंह, ग्राम घेटी व कुशा सिंह, ग्राम भिलकोट पो० ओ० भिलकोट) के विरुद्ध प्रश्नकर्ता द्वारा कोई शिकायती पत्र 3 अप्रैल, 1979 को दिया गया था ? यदि हां, तो क्या दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बनारसी दास--

प्रश्न में उल्लिखित शिकायती पत्र उपलब्ध नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बहराइच की जरवल चीनी मिल पर बकाया गन्ना मूल्य

*13---श्री बाबूलाल वर्मा---

क्या गन्ना विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जरवल बहराइच चीनी मिल पर इस समय कितना मूल्य बकाया है तथा अब तक कितना भुगतान किया गया है ? गन्ना मूल्य समय पर भुगतान न किये जाने के क्या कारण है तथा शेष गन्ना मूल्य का कब तक भुगतान कर दिया जायेगा ?

गन्ना विकास मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)---

जनपद बहराइच की जरवल चीनी मिल पर दिनांक 31-12-79 की स्थिति के अनुसार 26-71 लाख रुपया गन्ना मूल्य बकाया है जिसका विवरण निम्न प्रकार है :---

वर्ष	बकाया लाख रुपये
(क) 1979-80	8.64
(ख) 1978-79 तथा इस के पूर्व वर्षों का	18.07
योग ..	26.71

सत्र 1978-79 के 63.14 लाख रुपये देय गन्ना मूल्य में से 62.24 लाख रुपये का भुगतान कर दिया गया है। चीनी मिल की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण समस्त गन्ना मूल्य का समय से भुगतान सम्भव नहीं हो सका है। बकाया गन्ना मूल्य के भुगतान हेतु प्रयास किया जा रहा है।

श्री बाबूलाल वर्मा--

मान्यवर, भूतपूर्व गन्ना विकास मंत्री जी और वर्तमान गन्ना मंत्री 31 अक्तूबर, 1978 तक और 31 दिसम्बर, 79 तक पिछले गन्ना के बकाया के बारे में सदन के अंदर और बाहर अनेक बार घोषणा कर चुके हैं पिछले गन्ना मूल्य के बकाये का एक एक पैसा अदा कर दिया जायेगा। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि मैंने स्पष्ट प्रश्न किया है कि पिछले बकाये का कब तक भुगतान कर दिया जायेगा ? मंत्री जी ने उत्तर दिया है कि भुगतान करने का प्रयास किया जा रहा है, तो यह प्रयास कब तक जारी रहेगा। जब तक आप मंत्री हैं तब तक समाप्त हो जायेगा या आपके जाने के बाद भी जारी रहेगा। निश्चित तारीख आप बतायें कि जो बकाया है वह कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा--

मान्यवर, मैंने उत्तर में कहा है कि बकाया गन्ना मूल्य के भुगतान का प्रयास किया जा रहा है। प्रयास इससे स्पष्ट है कि दिसम्बर 1978 तक 52 लाख रुपये इस मिल ने भुगतान किया और कुछ इस साल किया जो बाकी रुपया है उसके भुगतान का प्रयास किया जा रहा है वह भी भुगतान कर दिया जायेगा।

नोट:---तारांकित प्रश्न संख्या 13 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

शाहजहांपुर जिलें के तिलहर पेट्रोल पम्प तथा फरीदपुर पम्प पर, बरेली पर झगड़ा और लूटी गयी दुकानें

*14—श्री चेतराम गंगवार (जिला बरेली)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि शाहजहांपुर जिले के तिलहर पेट्रोल पम्प पर और जिले के फरीदपुर पम्प पर जो झगड़ा और मार-पीट हुई तथा दुकानें लूटी गई और सितम्बर 79 में उसके लिये कौन दोषी है और सरकार ने तत्काल क्या कार्यवाही की जिसमें ऐसी बातों की पुनरावृत्ति न हो ?

श्री बनारसी दास—

सूचना एकत्र की जा रही है।

अलीगढ़ शहर को "उपद्रव ग्रस्त क्षेत्र" घोषित किया जाना

*15—श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)—

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि क्या अलीगढ़ को अशांन्त क्षेत्र घोषित कर दिया गया है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

श्री बनारसी दास—

दिनांक 8-5-1979 से 10-5-1979 तक थाना जी0 आर0 पी0 क्षेत्र, अलीगढ़ दिनांक 9-5-1979 से 2-6-1979 तक अलीगढ़ शहर एव 16-6-1979 से 30-7 1979 तक अलीगढ़ शहर को डिस्टर्बड एरियाज (स्पेशल कोर्ट) ऐक्ट, 1976 के अन्तर्गत "उपद्रवग्रस्त क्षेत्र" घोषित किया गया था।

उक्त क्षेत्रों में विभिन्न धार्मिक समुदायों के सदस्यों में मतभेद और विवाद के कारण लोक शान्ति एवं प्रशान्ति मे व्यापक रूप से विघ्न होने के कारण उक्त अधिनियम के अन्तर्गत उक्त क्षेत्रों को उक्त अवधियों "में उपद्रवग्रस्त क्षेत्र" घोषित किया गया।

संख्या सहायक हेतु लोक सेवा आयोग द्वारा साक्षात्कार के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति

*16—,श्री श्याम लाल अहेरवार (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या मुख्य मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि सीधी भर्ती के कोटे के अन्तर्गत 'संख्या सहायक (वर्तमान पदनाम सहायक संख्याधिकारी) के पदों पर नियुक्ति हेतु लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा अप्रैल, 1977 मे लिये गये साक्षात्कार के आधार पर चयन किये गये अभ्यर्थियों की सूची के आधार पर नियुक्ति अभी तक न किये जाने का कारण क्या है ?

श्री बनारसी दास —

संख्या सहायक (वर्तमान पदनाम सहायक संख्याधिकारी) हेतु लोक सेवा आयोग द्वारा अप्रैल, 1977 में लिये गये साक्षात्कार के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति न होने का कारण यह है कि अर्थ एवं संख्या प्रभाग के विभागीय कर्मचारियों में ठहराव (स्टेगनेशन) की स्थिति को तथा प्रभाग की सेवा नियमावली में प्रस्तावित संशोधनों को ध्यान में रखते हुए शासन ने यह निर्णय लिया है कि फिलहाल उक्त पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्तियां न की जायं तथा इन पदों पर प्रभाग के कर्मचारियों की ही पदोन्नतियां की जायं।

थाना धूरपुर, जिला इलाहाबाद के तत्कालीन थानाध्यक्ष, सहायक थानाध्यक्ष के विरुद्ध श्री रईस अहमद सिद्दीकी का शिकायती-पत्र

*17—श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसूफ (जिला बस्ती)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिसम्बर, 1977 में थाना धूरपुर, जिला इलाहाबाद के तत्कालीन थानाध्यक्ष, सहायक थानाध्यक्ष के विरुद्ध श्री रईस अहमद सिद्दीकी, स0 प्र0

(लेखा–1) अनु0 ने गृह सचिव को यह शिकायती-पत्र दिया था कि उक्त थानाध्यक्षों ने ग्राम पंवर के श्री निसार अहमद तथा श्री मोहम्मद अजीम को नाजायज तौर से गिरफ्तार करके एवं दूसरे दिन रु0 1,000 (रुपया एक हजार) की रिश्वत श्री निसार अहमद के पिता श्री अब्दुल खलील से लेकर दोनों को रिहा कर दिया था ? क्या तत्कालीन गृह सचिव ने उसी रूस में दिनांक 4 जनवरी, 1978 को डी0 आई0 जी0 (इन्टीकरेशन) को तुरन्त जांच करने हतु आदेश दिया था ? यदि हां, तो जांचोपरान्त क्या निर्णय लिया गया ? क्या जांच रिपोर्ट की प्रति सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बनारसी दास––

थाना भूरपुर, जिला इलाहाबाद के तत्कालीन थानाध्यक्ष के विरुद्ध श्री रईस अहमद का शिकायती-पत्र दिसम्बर, 1977 में नहीं बल्कि 4–1–78 को शासन को प्राप्त हुआ था जिसमें ग्राम पंवर के श्री निसार अहमद तथा श्री अब्दुल अजीम को मारने पीटने एवं पांच-पांच सौ रुपये लेकर दोनों को छोड़ देने आदि का आरोप लगाया गया था जिस पर प्रश्न में उल्लिखित श्रोतों से जांच कराने के लिये उसी दिन आदेश दिया गया । जांच से थानाध्यक्ष के विरुद्ध मारने पीटने व रिश्वत लेने का आरोप प्रमाणित नहीं हुआ परन्तु रिश्वत लेने के सम्बन्ध में उनका चरित्र संदिग्ध पाये जाने के कारण उनका सत्यनिष्ठा प्रमाण-पत्र रोकने तथा दुश्चरित्र लेख प्रदान करने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने के लिये पुलिस उप महानिरीक्षक कानपुर परिक्षेत्र को लिखा गया है।

जांच रिपोर्ट की प्रति सदन के पटल पर रखना जनहित में उचित नहीं है ।

प्रदेश के जनपदों में डी0 जी0 सी0 को नियुक्ति का आधार

*18––श्री रामदत्त जोशी (जिला नैनीताल)––

क्या न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अप्रैल, 1979 में प्रदेश के जनपदों में डी0जी0पी0 को नियुक्तियों के संबंध में यह सिद्धांत निर्धारित किया गया था कि यदि जिलाधिकारी और जिला जज की राय जिस मामले में समान हो तो उसमें मंत्री स्तर पर हस्तक्षेप नहीं किया जायगा ? क्या नैनीताल में श्री पूरनचन्द पाण्डे नामक अधिवक्ता जिसे भूतपूर्व न्याय मंत्री ने नियुक्ति प्रदान कर दी थी, जिसकी तत्कालीन मुख्य मंत्री माननीय यादव द्वारा पुष्टि कर दिये जाने के बावजूद वर्तमान न्याय मंत्री द्वारा निरस्त कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री श्रीचन्द्र––

ऐसा कोई निश्चित सिद्धांत निर्धारित नहीं किया गया था । यह सही है कि नैनीताल जनपद में श्री पूरन चन्द्र पाडे की नियुक्ति भूतपूर्व न्याय मंत्री जी द्वारा की गई थी व तत्कालीन मुख्य मंत्री जी ने उसकी पुष्टि की थी । वर्तमान न्याय मंत्री जी ने इस नियुक्ति को श्री पांडे के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों के आधार पर निरस्त कर दिया ।

*19–श्री सुखपाल पांडेय––

(प्रदेशीय सरकार से असम्बद्ध होने के कारण निरस्त)

प्रदेश के जनपदों में मद्य निषेध के बावजूद जहरीली शराब से मृत्यु

*20–श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)––

क्या आबकारी मंत्री को जानकारी है, कि प्रदेश के अनेक जनपदों में पूर्ण मद्य निषेध के बावजूद इस वर्ष जहरीली शराब से हजारों लोग मर चुके है तथा प्रदेश में जहरीली शराब का आतंक छा गया है ? यदि हां, तो शासन क्या प्रभावी कार्यवाही करने जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ।

श्री बनारसी दास—

जी नहीं । शासन को ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि प्रदेश के अनेक मद्यनिषेध जिलों में पूर्ण मद्यनिषेध के बावजूद वर्ष 1979–80 में हजारों लोग जहरीली शराब से मर चुके हैं । प्रदेश में इस समय 21 जिलों, 3 तहसीलों तथा 3 तीर्थ स्थलों में पूर्ण मद्यनिषेध लागू है और इन क्षेत्रों में से केवल लखनऊ नगर में विषाक्त पेय के सेवन से 21 व्यक्तियों के मृत्यु की सूचना शासन को प्राप्त हुई है । इस संबंध में राज्य सरकार ने पुलिस उप महानिरीक्षक, लखनऊ परिक्षेत्र के पर्यवेक्षण में पुलिस तथा आबकारी अधिकारियों की सहायता से विस्तृत जांच किये जाने के आदेश किये हैं । मृत्यु व्यक्तियों के शव परीक्षण से मृत्यु का कारण स्पष्ट ज्ञात नहीं हो सका इसलिए बिसरा का रासायनिक परीक्षण कराया गया और अब तक प्राप्त रासायनिक परीक्षक की रिपोर्ट से ज्ञात हुआ है कि मेथाइल अल्कोहल मिश्रित इथाइलअल्कोहल के सेवन से मृत्यु हुई है। वर्ष 1971 में मेथाइल अल्कोहल जो एक घातक विष है के सेवन से 44 व्यक्तियों की हो मृत्यु हो जाने के कारण आबकारी विभाग ने वर्ष 1975 से मेथाइल अल्कोहल का विकारक के रूप में प्रयोग बंद कर दिया है । आबकारी विभाग का मेथाइल अल्कोहल पर कोई नियंत्रण नहीं है। लखनऊ नगर में उपर्युक्त कांड के संबंध में पुलिस द्वारा 14 अभियोग कायम किये गये हैं और 10 व्यक्तियों को बन्दी बनाया गया । आबकारी विभाग के लखनऊ नगर के सभी आबकारी निरीक्षकों से स्पष्टीकरण मांगा गया है कि क्यों न उनके विरुद्ध भारी संख्या में जन-हानि के लिए कठोर दंडात्मक कार्यवाही की जाये । आबकारी आयुक्त ने भी 31 अक्टूबर, 1979 को सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को सतर्कता बरतने के लिए कड़ी चेतावनी दी है । इस संबंध में पुलिस विभाग द्वारा भी 3 निरीक्षकों का स्थानान्तरण किया गया है और 10 पुलिस उप निरीक्षक, 1 हेड कान्स्टेबिल तथा 5 सिपाहियों को लाइन हाजिर कर दिया गया है। इन सबकी चरित्र पंजिका में दुश्चरित्र लेखा करने के संबंध में स्पष्टीकरण भी मांगा गया है ।

राज्य सरकार के अधीन कार्यरत कर्मचारियों को गन्ना संघ के कर्मचारियों के समान बोनस तथा एक्स ग्रेशिया का भुगतान

*21—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त —

क्या यह सही है कि गन्ना विकास विभाग जिला स्तर पर कार्यरत राजकीय लिपिकों तथा गन्ना संघ के लिपिकों के वेतन मान समान होने एवं समान कार्य किये जाने के बाद भी गन्ना संघ के लिपिकों को आनरेरिया, बोनस तथा एक्सग्रेसिया दिये जाने का क्या कारण है ? क्या सरकार यह सुविधा राजकीय लिपिकों को भी देने की कृपा करेगी ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

गन्ना संघ के कर्मचारियों को बोनस तथा एक्स ग्रेसिया का भुगतान उनके सेवा नियोजक द्वारा उनके अर्जित लाभ के अन्तर्गत निर्धारित नीति के आधार पर किया जाता है राज्य सरकार के अधीन कार्यरत कर्मचारियों को यह सुविधा उपलब्ध नहीं है यद्यपि विशिष्ट सेवाओं के लिये यदा कदा मानदेय देने की सुविधा वित्तीय नियमों के अन्तर्गत उपलब्ध है ।

राजकीय कर्मचारी बोनस ऐक्ट के अन्तर्गत नहीं आते अतः इस प्रकार की सुविधा प्रदान करना सम्भव नहीं है ।

श्री मलखान सिंह, निवासी ग्राम आमकीदीप चन्दपुर, जिला सहारनपुर के घर चोरी की अंकित रिपोर्ट

*22—श्री राम सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि दिनांक 28/29 अगस्त, 1979 की रात में श्री मलखान सिंह, निवासी ग्राम आमदीपकी चन्दपुर, थाना नागल, जिला सहारनपुर के यहां चोरी

हो गई थी और क्या यह भी सही है कि चोरी का सारा माल बरामद हो गया था और पुलिस ने उसे बांटकर केस में अन्तिम रिपोर्ट लगाकर मामला समाप्त कर दिया है ?

श्री बनारसी दास––

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 28-29 अगस्त, 1979 की रात मे श्री मलखान सिंह, निवासी ग्राम आमकीदीप चन्दपुर, थाना नागल, जिला सहारनपुर, के यहां चोरी होने कि कोई सूचना थाने पर अंकित नहीं कराई गई है ।

थाना गोबर्धन (मथुरा) की पुलिस के साथ मुठभेड़ में भिक्खी व पूरन नामक दो जाटवों की मृत्यु

*23––श्री हुकुम चन्द तिवारी––

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 6/7 फरवरी, 1976 को भिक्खी व पूरन नामक दो जाटवों को गोवर्धन पुलिस द्वारा मुठभेड़ दिखाकर निर्मम हत्या करने की परगनाधीश श्री ओंकारनाथ द्वारा जांच की गई थी ? यदि हां, तो उनकी क्या रिपोर्ट थी तथा उस रिपोर्ट पर आज तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बनारसी दास–

दिनांक 6–7 फरवरी, 1976 को थाना गोवर्धन (मथुरा) की पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ की घटना, जिसमें भिक्की व मोती नामक दो जाटवों की मृत्यु हुई, की जांच श्री ओंकार नाथ परगना मजिस्ट्रेट छाता द्वारा की गई । जांच कर्त्ता मजिस्टेट अपनी जांच से किसी निश्चित निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सके, और उन्होंने उक्त घटना की जांच अपराध अनुसन्धान विभाग द्वारा करवाये जाने की संस्तुति की । उक्त संस्तुति के अनुसार शासन द्वारा उपरोक्त घटना की जांच, अपराध शाखा, अपराध अनुसन्धान विभाग से करवायी गई । अपराध शाखा की जांच के दौरान ऐसा कोई साक्ष्य प्रकाश में नहीं आया, जिससे मुठभेड़ की उक्त घटना संदिग्ध प्रतीत हो ।

'ओ' ब्लाक एम0 जी0 कालोनी किदवई नगर, कानपुर के फर्जी हलफनामों की जांच

*24––श्री रामआसरे वर्मा––

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य मंत्री उत्तर प्रदेश शासन ने 23 अप्रैल, 1979 को पत्र संख्या 1972/25–4–79 को सचिव, आवास उत्तर प्रदेश को निर्बल वर्ग 'ओ' ब्लाक एम0 जी0 कालोनी किदवई नगर, कानपुर की बेदखली कार्यवाही रोकने तथा फर्जी हलफनामों की जांच के निदश जारी किये थे ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि कानपुर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों ने आदेशों की अवहेलना करते हुए 16–9–79 को बेदखली कार्यवाही की है ? यदि हां, तो इस पर उक्त अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही क्या शासन द्वारा की गई ?

श्री भगौती सिंह––

मुख्य मंत्री उत्तर प्रदेश ने अपने आदेश दिनांक 24–4–79 में फर्जी हलफनामों की जांच और निर्बल वर्ग के व्यक्ति जो वहां रह रहे हैं, उपयुक्तता के आधार पर उन्हें नियमित रूप से आवास आवंटित करने पर विचार करने के निर्देश दिये थे ।

कैदियों की जेल के समय से पूर्व रिहाई तथा दया याचिका के आधार पर मुक्ति

*25––श्री मुहम्मद रफी खां––

क्या यह सही है कि उत्तर प्रदेश ने कैदियों की जेल से समय से पूर्व रिहाई के लिये दफा 433-ए सी आर0 पी0 सी0 के अन्तर्गत यह कैद लगा दी है कि जब तक कैदी को जेल में 14

साल न हो जाय न छोड़ा जाय ? क्या यह सही है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 16 के तहत जो दया याचिका सरकार के माध्यम से महामहिम राज्यपाल महोदय को जाना था, उनको कारागार विभाग ने रोक लिया और नामंजूर कर दिया ? यदि हां, तो उसका संवैधानिक आधार क्या है ?

श्री श्रीचन्द--

यह सही है कि दफा 433 ए, सी0 आर0 पी0 सी0 के अन्तर्गत वे व्यक्ति जिनको ऐसे अपराध में आजीवन कारावास का दंड दिया गया हो जिसमें उन्हें मौत की सजा भी दी जा सकती है या वे व्यक्ति जिनके मृत्यु दंड को शासन द्वारा धारा 433 सी0 आर0 पी0 सी0 के अधीन आजीवन कारावास के दंड में लघुकृत किया गया हो, कम से कम 14 वर्ष (अपरिहार) की सजा भोगने के उपरान्त ही जेल से रिहा किये जा सकेंगे ।

नियमानुसार राज्यपाल को आदेशार्थ वही मामले भेजे जाने आवश्यक हैं जिनमें न्याय मंत्री तथा मुख्य मंत्री जी द्वारा याचिका स्वीकार करने की संस्तुति की गई हो । उत्तर प्रदेश कार्य नियमावली, 1975 के नियम 3 के अधीन निर्गत कार्यालय आदेश के अन्तर्गत ऐसी दया याचिका के आधार पर बन्दियों के मुक्ति के वे सब मामले; जिनमें सम्बन्धित जिला अधिकारी द्वारा बन्दी को मुक्त करने की संस्तुति नहीं की गई है, सचिव के स्तर पर निर्णय लेकर निस्तारित किए जाते हैं ।

उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम द्वारा संचालित शक्कर के प्रतिष्ठानों में घाटा

*26--श्री पुरुषोत्तम कौशिक--

क्या गन्ना विकास मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश में उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम (कारपोरेशन) द्वारा संचालित शक्कर के प्रतिष्ठानों में वर्ष 77-78 में चौवालीस करोड़ रुपये का घाटा हुआ है ? यदि हां, तो सम्पूर्ण विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत किया जाएगा ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा--

उ0 प्र0 राज्य चीनी निगम में वर्ष 77-78 में कुल 6 इकाइयां तथा तीन सहायक कम्पनियों की इकाइयां कार्यरत थीं। इनमें कुल रुपया 1135.54 लाख का घाटा हुआ है जिनका विवरण निम्न प्रकार है :--

चीनी निगम की इकाइयां (1977-78)

	(लाख रुपयों में)
1--बाराबंकी	70.45
2--भटनी	57.66
3--खड्डा	57.61
4--पिपराइच	67.65
5--मुहीउद्दीनपुर	135.44
6--सखौतीटान्डा	177.96
योग ..	566.77

निगम की सहायक कम्पनियों द्वारा संचालित मिलें—

1—किच्छा	..	139.18
2—छाता	..	218.73
3—चांदपुर	..	210.86
योग	..	568.77
कुल योग	..	1135.54

अवध वन प्रभाग के उन्नाव रेंज में उप अरण्यपाल द्वारा खुलवायी गयी कैश बुकें

*27—श्री रियासत हुसैन—

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अवध वन प्रभाग के उन्नाव रेंज में उप-अरण्यपाल, अवध प्रभाग द्वारा जूनियर वन विदों व उप राजिक को कैश बुके खुलवा रखी हैं जिसकी स्वीकृति भी उच्चाधिकारियों से नहीं ली ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री काजी मुहम्मद मुहिउद्दीन—

जी हां। अवध वन प्रभाग के उन्नाव रेंज में उप-अरण्यपाल द्वारा एक वरिष्ठ उप-राजिक तथा एक कनिष्ठ वन विद को कैश बुकें खुलवा रखी हैं, जिसके लिये उप-अरण्यपाल सक्षम हैं। कैश बुक खुलवाने के लिये ज्येष्ठता का कोई प्रतिबन्ध नहीं है। इस हेतु उच्चाधिकारियों से स्वीकृति लेने की कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री सत्यदेव द्विवेदी, एडवोकेट व अन्य के विरुद्ध थाना ज्ञानपुर, जनपद वाराणसी में अदालत से मिसल गायब करने का आरोप

*28—डाक्टर अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश' (जिला कानपुर)—

क्या मुख्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि श्री सत्यदेव द्विवेदी, एडवोकेट एवं अन्य के विरुद्ध थाना ज्ञानपुर, जनपद वाराणसी में अदालत से मिसिल गायब करने के आरोप तत्कालीन चकबन्दी अधिकारी (बन्दोबस्त) ने लगाया था ? क्या उक्त पत्रावली अदालत से गायब है ? क्या अभियुक्तों पर अभी तक कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बनारसी दास—

सूचना एकत्र की जा रही है।

उत्तर प्रदेश दीवानी न्यायालय कर्मचारी संघ का 24 सूत्रीय मांग-पत्र

*29—श्री ओंकार नाथ (जिला हमीरपुर)—

क्या न्याय मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश दीवानी न्यायालय कर्मचारी संघ ने अपना 24 सूत्रीय मांग पत्र दिसम्बर, 1978 को उच्च न्यायालय द्वारा संस्तुत शासन को दिया था ? यदि हां, तो मांगे क्या हैं और शासन ने उन पर क्या निर्णय लिया है ? क्या इन्हीं मांगों से सम्बद्ध 9 अप्रैल, 1979 को इस संघ ने लखनऊ में विशाल प्रदर्शन भी किया था और शासन को ज्ञापन भी दिया था ? इसी सम्बन्ध में 10 जुलाई, 1979 को सांकेतिक तालाबन्दी हड़ताल प्रदेश भर में संघ द्वारा की गई ? अभी तक इस न्यायोचित मांगों के पूरा न करने का क्या कारण है ?

श्री श्रीचन्द--

उत्तर प्रदेश दीवानी न्यायालय कर्मचारी संघ का 24 सूत्रीय मांग-पत्र, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा उनकी संस्तुति सहित जुलाई, 1978 में शासन को प्राप्त हुआ था। मांग-पत्र अनुलग्नक के रूप में नत्थी है।

इस मांग-पत्र में मुख्य मांगे इस प्रकार थी।

(1) दीवानी न्यायालय कर्मचारियों को उच्च न्यायालय तथा कलेक्ट्रेट के समकक्ष पदों के कर्मचारियों के बराबर वेतनमान दिया जावे।

(2) न्यायालयों में बढ़ते हुए काम के लिये नये पद सृजित किये जायं।

(3) प्रतिभूति वाले पदों पर कार्यरत कर्मचारियों को विशेष वेतन दिया जाये।

(4) आशुलिपिकों को यदि अवकाश के दिन घर पर बुलाया जाये तो वाहन भत्ता अथवा प्रतिकर अवकाश दिया जावे।

(5) वर्तमान चरित्र पंजिका प्रविष्टि की प्रथा को अविलम्ब समाप्त किया जावे। मकानों के एलाटमेंट/मकान निर्माण तथा बाहन क्रय के लिये अग्रिम आदि मामलों में विशेष प्राविधान किया जावे।

(6) उच्च न्यायालय में विभिन्न पद 50 प्रतिशत तक दीवानी न्यायालय कर्मचारियों के लिये सुरक्षित रखे जावें तथा उ0 प्र0 न्यायिक सेवा में भी 50 प्रतिशत पद सुरक्षित किये जावे।

इन मुख्य मांगों के सम्बन्ध में उच्च न्यायालय की संस्तुति के आधार पर जो निर्णय लिये गये वह इस प्रकार हैं :--

1--कर्मचारियों के वेतनमान में समरूपता का मामला मंत्रि-परिषद् के समक्ष प्रस्तुत किया गया था तथा उसके आदेशानुसार यह मामला अब नवगठित वेतन आयोग के विचाराधीन है तथा इनकी अन्तरिम रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।

2--अधीनस्थ न्यायालयों के पुनर्गठन के सम्बन्ध में मुख्य कार्यालय निरीक्षक की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है जिस पर शासन के सम्बन्धित विभागों में विचार किया जा रहा है।

3--आशुलिपिकों को वाहन भत्ता दिये जाने तथा प्रतिभूति के पदों पर विशेष वेतन दिये जाने के मामले वेतन आयोग के संदर्भित कर दिये गये हैं।

4--चरित्र पंजिका में प्रविष्ट की प्रथा तथा मकानों के आवंटन/मकान निर्माण/वाहन क्रय आदि के लिये अग्रिम के सम्बन्ध में यह कर्मचारी अन्य राज्य कर्मचारियों की भांति शासन द्वारा बनाये गये सामान्य नियमों से शासित हैं अतः इन्हें किसी प्रकार शिथिल किया जाना सम्भव नहीं है।

5--कर्मचारियों की अन्य मांगों के सम्बन्ध में मुख्य रूप से उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय लिये जाने हैं।

यह सही है कि कर्मचारी संघ ने अपनी मांगों के सम्बन्ध में 9 अप्रैल, 1979 को लखनऊ में एक रैली की थी और शासन को एक ज्ञापन दिया था। संघ द्वारा शासन को एक और ज्ञापन दिनांक 28-5-79 को भी दिया गया था जिसमें उनकी मांगों के पूरे न होने की दशा में दिनांक 10-7-79 को साकेतिक तालाबन्दी किए जाने का जिक्र किया गया था। इस विषय में शासन उच्च न्यायालय द्वारा संघ के पदाधिकारियों को यह आश्वासन दिये जाने पर, कि उनकी मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार किया जा रहा है, संघ द्वारा 10-7-79 को प्रस्तावित तालाबन्दी की कार्यवाही वापस ले ली गई थी। मांगों पर निर्णय लेने की वर्तमान स्थिति का उल्लेख ऊपर कर दिया गया है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 499 पर।)

अन्तू थाना, जनपद प्रतापगढ़ के दरोगा श्री सत्यदेव दुबे के विरुद्ध शिकायती-पत्र

*30--श्री विद्याशंकर (जिला प्रतापगढ़)--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ थाना अन्तू ग्राम विक्रम पट्टी के शिववरन सिंह पुत्र कामता सिंह ने कोई शिकायती प्रार्थना-पत्र अन्तू थाना के दरोगा श्री सत्यदेव दुबे के विरुद्ध उनके पास भेजा ? क्या यह सही है कि उक्त प्रार्थना-पत्र की प्रतियां पुलिस महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश, जिलाधिकारी प्रतापगढ़ तथा पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ को भेजी गई ? यदि हां, तो उक्त शिकायती प्रार्थना-पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बनारसी दास--

जी हां, प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ था। जांच कराई गई जांच से आरोप सत्यापित नहीं हुये।

प्रश्न नहीं उठता।

राजस्थान, मध्य प्रदेश तथा बिहार के राज्य कर्मचारियों को पी0 सी0 एस0 परीक्षा में अधिकतम आयु सीमा में छूट

*31--श्री ऊदल--

क्या सरकार की जानकारी में यह बात है कि राजस्थान, मध्य प्रदेश तथा बिहार के राज्य कर्मचारियों को उन प्रान्तों की पी0 सी0 एस0 परीक्षा में अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाती है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस राज्य की पी0 सी0एस0 परीक्षा में भी राज्य कर्मचारियों की आयु में छूट दिये जाने पर विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बनारसी दास--

जी हां। शासन को यह जानकारी है कि राजस्थान तथा मध्य प्रदेश पी0 सी0 एस0 परीक्षा में बैठने हेतु राज्य कर्मचारियों को अधिकतम आयु सीमा में छूट प्रदान की जाती है। बिहार प्रदेश में ऐसी छूट दिए जाने की जानकारी शासन को नहीं है।

इस प्रदेश में भी राज्य कर्मचारियों को प्रादेशिक सिविल सेवा में सम्मिलित होने हेतु छूट दिए जाने का प्रश्न विचाराधीन है।

श्री खुदाबख्श निवासी दिलावलगढ़ के मृत्यु के संबंध में थानाध्यक्ष शुक्ल बाजार, सुल्तानपुर के विरुद्ध शिकायती-पत्र

*32--श्री रियासत हुसेन--

क्या मुख्यमंत्री को विदित है कि दिनांक 12 अप्रैल, 1979 व 22 अप्रैल 1979 को क्रमशः सोनी पुत्र फकीर बक्श, साकिन दिलावल गढ़, कस्बा इन्होंना, थाना शिवरतनगंज, जिला रायबरेली तथा उसी गांव की नूरजहां पत्नी खुदाबक्श के प्रार्थना-पत्र मुख्यमंत्री जी को स्थानीय जनता के प्रतिनिधियों ने दिये, जिनमें थानाध्यक्ष शुक्ल बाजार, जिला सुल्तानपुर के विरुद्ध खुदाबक्श पुत्र फकीर बख्श, निवासी दिलावल गढ़ को गिरफ्तार करने, मारने-पीटने तथा उसके फलस्वरूप उसकी मृत्यु जेल अस्पताल, सुल्तानपुर में हो जाने की शिकायत की गई है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बनारसी दास--

दिनांक 12-4-79 को दिये गये व 23-4-79 के प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए हैं मामले की जांच मजिस्ट्रेट द्वारा की जा रही है जो प्रचलित है।

श्री त्रिलोकी निवासी ढेमा के घर चोरी की घटना व थाना कुमारगंज में अंकित कराई गई रिपोर्ट

*33--श्री अवधेश कुमार श्रीवास्तव (जिला गोरखपुर)--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि त्रिलोकी कलवार निवासी ग्राम ढेमा के घर में माह अगस्त, 1979 में तथा ग्राम पूरा सहादत का पुरवा (रानीपुर) में 6 मुसलमानों के घरों में माह अगस्त में डकैतियों की घटनायें हुई जिन्हें थानाध्यक्ष कुमारगंज, जिला फैजाबाद द्वारा चोरी की घटना होना दर्ज किया गया है। यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मामलों की जांच अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा कराकर दोषी थानाध्यक्ष को दंडित करेगी। यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बनारसी दास--

प्राप्त सूचना के अनुसार श्री त्रिलोकी, निवासी ढेमा के घर माह अगस्त, 79 में चोरी की घटना थाना कुमारगंज में अंकित कराई गई थी इस मामले में अभियोग पंजीकृत होकर विवेचनोपरान्त मुलिजमों का पता न लगने के कारण विवेचना अंतिम रिपोर्ट द्वारा समाप्त की गई। जहां तक माह अगस्त, 79 के सहादत का पुरवा (रानीपुर) में 6 मुसलमानों के यहां डकैती की घटना का प्रश्न है इस संबंध में थाना कुमारगंज में ऐसी कोई सूचना अंकित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जौनपुर जनपद के मड़ियाहूं तहसील में ऊन का उद्योग चलाने पर विचार

*34--श्री राज किशोर तिवारी (जिला जौनपुर)--

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की करेंगे कि जौनपुर जनपद के मड़ियाहूं तहसील में कोई ऊन का उद्योग चलाने का सरकार विचार कर रही है क्या इस तरह की योजना स्वीकृत हो गयी है ? क्या यह भी सत्य है भू0 पू0 उद्योग मंत्री ने इसकी घोषणा सार्वजनिक रूप से मड़ियाहूं में की है ? यदि हां, तो उद्योग लगाने का कार्य कब से हो रहा है ?

श्री राम नरेश यादव--

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद बस्ती में स्थापित जिला उद्योग केन्द्र

*35--श्री दिवाकर विक्रम सिंह (जिला बस्ती)--

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या शासन ने बस्ती जनपद में डी0 आई0 सेन्टर स्थापित करने का निर्णय लिया है? यदि हां, तो सेन्टर कार्य करने लगा अथवा नहीं? यदि करने लगा तो कब से, यदि नहीं तो क्यों और किन आधारों पर अन्य जनपदों में उक्त सेन्टर कार्य करने लगा और बस्ती में इसकी स्थापना क्यों नहीं की गई ?

श्री राम नरेश यादव--

जी हां।

जनपद बस्ती में जिला उद्योग केन्द्र नवम्बर, 1978 में स्थापित हो गया है और कार्य करने लगा है।

फैजाबाद में जूता बनाने वालों की संख्या तथा प्रदान की गयी सुविधायें

*36--श्री जयशंकर पांडेय (जिला फैजाबाद)--

क्या उद्योग मंत्री को इस बात की जानकारी है कि फैजाबाद शहर में, जूता बनाने वाले मजदूरों की संख्या करीब चार हजार से भी ऊपर है ? यदि हां, तो क्या सरकार फजाबाद में जूते के उद्योग को बढ़ाने के लिये कौन-कौन से कदम उठाने जा रही है कि जिससे मजदूरों का लाभ हो सके ?

श्री राम नरेश यादव--

फैजाबाद में जूता बनाने वालों की वास्तविक संख्या के सम्बन्ध में कोई विधिवत् सर्वेक्षण नहीं किया गया है, जिसके कारण ठीक-ठीक जूता कारीगरों की संख्या बताना सम्भव नहीं है। परन्तु फैजाबाद और रुदौली तथा इसके आस-पास के क्षेत्रों में अधिक मात्रा में जूता बनाने वाले कारीगर असंगठित रूप से जूते का उत्पादन करने में सम्बद्ध है।

फैजाबाद के जूता कारीगरों को कब्जा माल उचित, मूल्य एवं मात्रा में उपलब्ध कराने हेतु उ0 प्र0 राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम लि0 आगरा ने अपना एक डिपो दिसम्बर, 1979 में स्थापित किया है। अन्य सुविधायें प्रदान करने हेतु एक विधिवत् सर्वेक्षण किये जाने का प्रस्ताव है। उक्त सर्वेक्षण के उपरान्त अन्य आवश्यक सुविधायें प्रदान करने सम्बन्धी कार्यवाही सम्भव हो सकेगी।

जिला देवरिया की महत्वपूर्ण शिक्षा केन्द्रों पर राजकीय पालीटेक्निक संस्थान खोलने का विचार

*37--श्री राम नरेश पांडेय (जिला देवरिया)---

क्या प्राविधिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिले के कुशीनगर या फाजिल नगर जैसे महत्वपूर्ण शिक्षा केन्द्रों पर राजकीय पालीटेक्निक संस्थान खोलने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सत्य देव त्रिपाठी--

जी नहीं। इस क्षेत्र में पहले से ही गोरखपुर में एक राजकीय तथा एक सहायता प्राप्त पालीटेक्निक एवं बस्ती, गोण्डा तथा फैजाबाद आदि में राजकीय पालीटेक्निक चल रहेहैं। क्षेत्रीय आवश्यकताओं को देखते हुए पर्याप्त है।

वन विद के विरुद्ध गम्भीर अनियमिततायें संबंधी शिकायती-पत्र तथा जांच

*38--श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी (जिला ललितपुर)---

क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि श्रीकाशीराम गड़रिया निवासी ग्राम साउर रेन्ज, तालबेहट, जिला ललितपुर का एक प्रार्थना-पत्र जिसमें फारेस्टर द्वारा 1,000 रु0 (एक हजार रु0) रिश्वत लेने की शिकायत की गयी थी, प्रश्नकर्त्ता विधायक ने अपने नोट सहित 12-9-78 को श्रीमान्, डी0 एफ0 ओ0 झांसी को दिया था, तथा प्रश्नकर्त्ता विधायक ने एक पत्र 19-10-78 को वन मंत्री जी को दिया था जिसमें तालबेहट रेंज के अधिकारियों-कर्मचारियों की शिकायत के साथ श्री काशीराम की भी शिकायत थी? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री काजी मुहम्मद मुहिउद्दीन--

जी हां। दिनांक 12-9-1978 को कथित शिकायती-पत्र डी0 एफ0 ओ0 झांसी को प्राप्त हुआ था। शिकायती-पत्र में रिश्वत लेने की बात कहीं गयी थी। अतः डी0 एफ0 ओ0 ने शिकायती-पत्र मूल रूप में विधायक महोदय को यह कहकर लौटा दिया था कि शिकायती-पत्र में रिश्वत की बात कही गयी है, अतः पुलिस द्वारा जांच करायी जाये। विधायक महोदय का दिनांक 19-10-1978 का शिकायती-पत्र भी प्राप्त हुआ था जिसकी जांच कराई गयी। जांच में रिश्वत लेने का आरोप सिद्ध नहीं हुआ परन्तु वन विद द्वारा गम्भीर वित्तीय अनियमिततायें करने के तथ्य प्रकाश में आये जिसके लिए वन विद् के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही के फलस्वरूप निम्न दण्ड दिये गये :--

(1) वन विद को वन विदों की वरिष्ठता सूची में सभी वन विदों के नीचे कर दिया गया तथा वन विद के आरम्भिक वेतनमान पर उनका वेतन निर्धारित कर दिया गया।

(2) वन विद को भर्त्सना दी गयी जिसकी प्रविष्टि उनकी चरित्र पंजीका में कर दी गई।

(3) वन विद को 5 वर्ष के लिए पदोन्नति से वंचित किया गया।

*39—श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी ——

क्या वन मंत्री को इस बात की भी जानकारी है कि विस्तृत जांच में, 1,000 रु0 रिश्वत का मामला सही पाया गया था और 1 अप्रैल, 1979 को उक्त 1,000 रुपया विधायक के समक्ष श्री काशीराम आदि को वापिस किया गया ? यदि हां, तो उक्त श्री राघव सिंह डी0 एफ0 ओ0 जिन्होंने विधायक की शिकायत झूठी बताकर मामला समाप्त कर दिया था उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री काजी मुहम्मद मुहिउद्दीन——

रिश्वत लेने का मामला सिद्ध नहीं पाया गया वरन, वन विद द्वारा जो एक हजार रुपया मुआवजे के रूप में वसूल किया गया था वह उन्हें इस आधार पर वापस कर दिया गया कि जुर्म डी0 एफ0 ओ0 द्वारा संदिग्ध पाया गया। श्री राघव सिंह डी0 एफ0 ओ0 द्वारा मामला समाप्त नहीं किया गया था। अतः इस सम्बन्ध में उनके बिरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

ग्राम टीरों, थाना सैयदराजा के श्री सेचू हरिजन की निर्मम हत्या की जांच

*40—श्री श्याम देव (जिला वाराणसी)——

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि दिनांक 28—7—79 को वाराणसी जनपद के सैयद राजा थाना अन्तर्गत टीरो ग्राम के श्री सेचू हरिजन की निर्मम हत्या की गई ? यदि हां, तो नामजद हत्यारों के खिलाफ क्या कार्यवाही हुई तथा कब हुई? क्या यह भी सच है कि स्व0 सेचू ने अपने जान से मारने की साजिश की पुलिस विभाग को जानकारी दिया था उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री बनारसी दास ——

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 29—7—79 को ग्राम टीरोरो, थाना सैयद राजा (वाराणसी) निवासी श्री दासू द्वारा नामांकित कुछ व्यक्तियों के विरुद्ध उसी दिन घर में घुस कर बल्लम व लाठी से चोटें पहुंचाने तथा गोली चलाने व श्री सेचू को पकड़ ले जाने की सूचना थाना सैयदराजा पर दीगई दिनांक 31—7—79 को श्री सेचू की मृत्यु हो गई। पुलिस ने अपराध पंजीकृत कर 3 नामांकित अभियुक्तों को दिनांक 20—8—79 को गिरफ्तार किया तथा पांच नामांकित अभियुक्तों ने दिनांक 5—9—79 को न्यायालय में आत्म समर्पण किया। शेष दो नामांकित अभियुक्तों के विरुद्ध विवेचना प्रचलित है। उक्त आठ नामांकित अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप-पत्र दिनांक 11—11—79 को न्यायालय भेजा गया व मुकदमा न्यायालय के विचाराधीन है।

मृतक सेचू ने जान मारने की साजिश के बारे में पुलिस विभाग को सूचना नहीं दी थी।

*41—श्री श्याम देव——

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

बबेरु, जिला बांदा में फौजी नामक दस्यु के गिरोह द्वारा हत्या

*42 श्री जगन्नाथ सिंह (जिला फतेहपुर)——

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि बबेरु, जिला बांदा टाउन एरिया के अन्दर सरे आम पुलिस थाना के पास फौजी नामक दस्यु के गिरोह द्वारा दो व्यक्तियों की हत्या कर दी गई ? क्या यह सही है कि दस्यु दल दिनांक 21—6—79 ई0 को लगभग 12 बजे दिन से 1 बजे दिन तक बराबर बीच बाजार गोली बारी करता व जनता को धमकी देता रहा ? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि इस फौजी गिरोह को कब तक समाप्त करने तथा मृतकों के परिवारों को क्या सहायता देने के सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री बनारसी दास ---

प्राप्त सूचना के अनुसार फौजी दस्यु के गिरोह द्वारा दिनांक 22-6-1979 को छत्रपाल सिंह एवं भोड़ीसिंह को पटेल होटल कस्बा बबेरु में जान से मार डालने एवं भोड़ीं सिंह की लाइसेंसी बन्दूक छीन ले जाने की सूचना उसी दिन थाना बबेरु पर प्राप्त हुई थी। घटनास्थल थाने से 3 फर्लांग दूर है। सूचना प्राप्त होते ही थानाध्यक्ष मय पुलिस फोर्स घटनास्थल पर पहुंचे और दस्युओं का पीछा किया किन्तु दस्यु दल भागने में सफल हो गया। यह सही नहीं है कि दस्यु दल एक घंटे तक बीच बाजार गोलीबारी करता रहा है। फौजी दस्यु दल के उन्मूलन हेतु निरंतर प्रयास जारी है और अब तक की कार्यवाही के परिणाम स्वरूप दल के 10 सदस्य मुठभेड़ में मारे जा चुके हैं हैं और 21 पुलिस द्वारा गिरफ्तार करके जेल भेजे जा चुके हैं। इस गिरोह को शरण देने वालों तथा इन्हें शस्त्रादि देने वालों के विरुद्ध भी नियमानुसार कार्यवाही की गई है। दिनांक 28-12-1979 को फौजी का शव भी ग्राम डिघौरा के पास बागे नदी के पुलिस को बरामद हुआ है।

इस प्रकार के मामलों में मृतकों के आश्रितों को नियमान्तर्गत पेंशन या कोई अन्य आर्थिक सहायता देय नहीं है।

अतर्रा (बांदा) में ओंकार नाथ की दुकान में लूट तथा गिरफ्तार अभियुक्त

*43---श्री जगन्नाथ सिंह---

क्या मुख्य मंत्री उत्तर प्रदेश कृपया बतायेंगे कि दिनांक 19 जून, 1979 को दिन दहाड़े अतर्रा (बांदा) नगरपालिका के एक शर्राफ ओंकार नाथ की दूकान को लूट लिया गया है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कौन-कौन से लोग गिरफ्तार किये जा चुके हैं व कितने फरार हैं ?

श्री बनारसी दास---

प्राप्त सूचना के अनुसार 19-6-1979 को करीब सात बजे शाम सात अज्ञात सशस्त्र बदमाश श्री ओंकार नाथ अग्रवाल निवासी नरैनी रोड बांदा की दुकान में घुस आये और करीब 26,500 रु0 के जेवरात व नकदी लूट ले गये। इस सूचना पर थाने पर धारा 395/397 भारतीय दंड विधान का अभियोग पंजीकृत हुआ। विवेचना से सात अभियुक्त प्रकाश में आये जिनमें से तीन, राम गोपाल, चुन्नीलाल तथा अशोक, पुलिस द्वारा गिरफ्तार किये गये और चार, जीवन लाल, चुनवाद, हर प्रसाद तथा सूर्यवली ने न्यायालय में आत्मसमर्पण किया किसी भी अभियुक्त की गिरफ्तारी शेष नहीं है।

नकारची टोला चौराहा, थाना फिरोजाबाद दक्षिण, जनपद आगरा में बदमाशों द्वारा लूटपाट तथा गिरफ्तारी

*44---श्री रघुवर दयाल वर्मा (जिला आगरा)---

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद आगरा के थाना फीरोजाबाद दक्षिण में क्या दिनांक 20 जुलाई, 1979 को सुबह साढ़े छः बजे नकारची टोला के चौराहे पर रिक्शे में दो व्यापारी श्री सुभाष व उनके साथी को तीन बदमाशों ने गोली मारकर तथा चाकुओं से गोदकर 25,000 पचीस हजार रुपये अगर ड्राफ्टों से भरी अटैची छीनकर सरेआम भाग गये, जिससे दोनों युवक व्यापारी बुरी तरह घायल हो गये जिन्हे बेहोशी अवस्था में उन्हें अस्पताल में दाखिल किया गया ? यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में अपराधियों की गिरफ्तारी और जनजीवन की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाया। यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बनारसी दास---

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 20-7-79 को नकारची टोला चौराहे पर रिक्शे से आते श्री सुभाष चन्द्र गुप्त एवं श्री प्रेम सागर गुप्त पर चार व्यक्तियों द्वारा चाकू व डन्डों से

वार करने, कट्टे से फायर करने तथा बारह हजार रुपये के बैंक ड्राफ्टों तथा चार हजार रुपये नकद एवं रुपयों से भरी दो अटैची छीनकर भाग जाने के सम्बन्ध में थाना दक्षिण फिरोजाबाद पर लिखाई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर थाने पर अभियोग अन्तर्गत धारा 394 भा0 द0 वि0 पंजीकृत किया गया एवं तत्काल विवेचना प्रारम्भ की गई। नामजद एवं विवेचना से प्रकाश मे आये चार अभियुक्तों में से एक अभियुक्त को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया शेष तीन फरार अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 82/83 जा0 फो0 की कार्यवाही की गई, जिसके परिणामस्वरूप अभियुक्तों ने न्यायालय में आत्मसमर्पण किया, एवं उन्हें जेल भेजा गया। अभियोग न्यायालय के विचाराधीन है। जन जीवन की सुरक्षा हेतु स्थानीय पुलिस को सतर्क कर दिया गया है।

*45---श्री नरेश चन्द्र--

[2-9-5-79 को तारांकित प्रश्न संख्या 13 द्वारा उत्तरित]

थाना नगरा, जनपद बलिया में मिट्टी के तेल की चोरबाजारी से श्री बदन एवं श्री तजामुल की गिरफ्तारी तथा थानाध्यक्ष के विरुद्ध जांच

*46---श्री हरिकेवल प्रसाद--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगरा बाजार, थाना नगरा जनपद, बलिया में दिनांक 27 सितम्बर, 1979 को 10 बजे दिन में श्री बदन एवं श्री तेजामुल को थानाध्यक्ष नगरा में पकड़ा, बाल काट कर चेहरों पर कालिख चूना पोतकर पूरे बाजार में घुमाया जिसके विरोध में सम्पूर्ण नगरा बाजार दूसरे दिन दुकानदारों ने बंद रखा और शासन को इस आशय का आवेदन-पत्र देकर कि थानाध्यक्ष के धन अर्जित करने सुरा सुन्दरी में लीन होने एवं दुकानदारों को अपमानित करने के संदर्भ में तत्काल हटाकर जांच की जाय ? यदि हां, तो तथ्य क्या है ?

श्री बनारसी दास--

प्राप्त सूचना के अनुसार 27-9-79 को नगरा जनपद बलिया में एक हरिजन छात्र श्री शिव बली प्रसाद मिट्टी का तेल खरीदने श्री वेदब्रत की दुकान पर गया। श्री वेदब्रत व तजमुल हुसैन एक ही दुकान में दुकानदारी करते हैं और उन्होंने रु0 4 प्रति लीटर मिट्टी का तेल देने को कहा। पैसे के अभाव में उक्त छात्र ने एक ही लीटर तेल खरीदा। इस चोर-बाजारी की सूचना पर छात्रों तथा जनता में आक्रोष उत्पन्न हुआ और उन लोगों ने सर्वश्री वेदब्रत व तजमुल हुसैन को घेर लिया और उनके मुह पर कालिख लगा कर घुमाया। चोर बाजारी की इस घटना की सूचना थाना नगरा पर श्री शिव बली प्रसाद ने दी और यह भी सूचित किया कि दुकानदारों के पास मिट्टी के तेल का भंडार है जिसको चोर-बाजारी से रोका जाय। सूचना के आधार पर थानाध्यक्ष व अन्य पुलिस कर्मचारी मौके पर गये और अभियुक्तों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही का आश्वासन छात्रों को देते हुए स्थिति को नियंत्रित किया। घटना के संबंध में धारा 3/7 ई0 सी0 ऐक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया और दोनों व्यक्तियों को गिरफ्तार कर विवेचनोपरान्त आरोप-पत्र न्यायालय भेजा जा चुका है। 28-9-79 को कुछ दुकानें बन्द रहीं परन्तु पूरा बाजार बन्द रहने की बात सही नहीं पाई गई। संबंधित थानाध्यक्ष के विरुद्ध कुछ शिकायती पत्र शासन को प्राप्त हुए थे जिनकी जांच के आदेश दे दिये गये है।

थाना हजरतगंज, जनपद लखनऊ में क्राइम नं0 7064/5307/427 के अन्तर्गत अभियुक्तों का चालान

*47---श्री सत्यपाल सिंह यादव (जिला शाहजहांपुर)--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के थाना हजरतगंज में क्राइम नं0 7064/5307/427 व ता0 3-5-79 को लिखाई गई ? यदि हां, तो इसमें अब तक

क्या कार्यवाही की गई ? यदि हां, तो अब तक चार्जशीट क्यों नहीं लगाई गई ? क्या सरकार इसमें मुल्जिमों के खिलाफ तत्काल कार्यवाही कराके चार्जशीट लगायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बनारसी दास--

जी हां। मामले में की गई विवेचना के उपरान्त दो अभियुक्तों का चालान अदालत में किया जा चुका है। अभियोग न्यायालय के विचाराधीन है।

राजकीय पालीटेक्निक, बस्ती में छात्रावास निर्माण-कार्य

*48--श्री बाबूराम वर्मा (जिला बस्ती)--

क्या प्राविधिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय पालीटेक्निक, बस्ती में छात्रावास निर्माण हेतु वर्ष 1979-80 में रु0 50 हजार का प्राविधान किया गया है ? यदि हां, तो क्या प्रा0 शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि छात्रावास का आगणन कितने रुपये का है तथा सार्वजनिक निर्माण विभाग के किस शाखा से छात्रावास का निर्माण होना है और किस माह से निर्माण कार्य प्रारम्भ होगा ?

श्री सत्य देव त्रिपाठी--

जी हां।

छात्रावास के आगणन रु0 6,76,000 की लागत की है। यह निर्माण कार्य विभागीय निर्माण ईकाई, सार्वजनिक निर्माण विभाग, बस्ती द्वारा अन्य आवश्यक औपचारिकतायें पूर्ण करने के बाद प्रारम्भ किया जायगा।

मैनपुरी गेट के समीप बदमाशों द्वारा दो व्यक्तियों की मृत्यु

*49--श्री रघुबर दयाल वर्मा--

क्या मुख्यमंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या जनपद आगरा उद्योग नगर, फीरोजाबाद में दिनांक 29-9-79 को लगभग 12 बजे दिन के शिकोहाबाद गेट पर नाले के निर्माणाधीन पुलिया पर पुलिस चौकी नालबंदान चौकी पूर्व से 150 गज की दूरी पर सड़क पर मोटर साइकिल से आते दो युवकों को बदमाशों ने गोली मार दी जिसमें दोनों नौजवानों की घटना स्थल पर मृत्यु हो गयी ? यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

श्री बनारसी दास--

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 29-9-79 को मैनपुरी गेट के समीप मोटर साइकिल से आ रहे वादी तथा अन्य दो व्यक्तियों पर दो अज्ञात अभियुक्तों द्वारा फायर किये जाने के परिणाम स्वरूप दो व्यक्तियों की अस्पताल ले जाते समय रास्ते में मृत्यु हो जाने की घटना के सम्बन्ध में श्री गुरुचरन सिंह, निवासी नई बस्ती, आगरा द्वारा थाना दक्षिण फिरोजाबाद पर दी गई सूचना के आधार पर अभियोग अन्तर्गत धारा 302 भा0 द0 वि0 पंजीकृत किया गया। विवेचना से धारा 393 भा0 द0 वि0 का भी अपराध होना पाया गया। विवेचना से दो अभियुक्त प्रकाश में आये, जिनके विरुद्ध धारा 82/83 जा0 फो0 की कार्यवाही की गई तथा मफरूरी में आरोप-पत्र न्यायालय भेजा गया। अभियोग न्यायालय के विचाराधीन है।

यू0 पी0 जेल एसोसियेशन की मांगें

*50--श्री राज कुमार शर्मा--

क्या कारागार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यू0 पी0 जेल एसोसियेशन की विभिन्न शाखाओं ने 20-7-79 या इसके आस-पास अपनी 23 मांगों पर आधारित कोई ज्ञापन कारागार मंत्री जी को दिये हैं ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? उनकी मुख्य मांगें क्या हैं ?

श्री अब्दुल रऊफ लारी--

जी हां ।

मुख्य मांगों की सूची संलग्न है । इन मांगों के सम्बन्ध में शासन द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 452 पर)

जिला बरेली में थाना जैतीपुर की पुलिस द्वारा श्रीराम हरिजन की मृत्यु

*51--श्री हुक्म सिंह परिहार (जिला आगरा)--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 22-10-79 को फतेहगंज पूर्वी, जिला बरेली की पुलिस ने ग्राम नगरिया खुर्द, थाना जैतीपुर, जिला शाहजहांपुर में एक हरिजन की पिटाई करके मार डाला ? यदि हां, तो उसमें तत्काल क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बनारसी दास--

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 22-10-79 को श्री राम पुत्र श्री इतवारी (धोबी) को बरेली जिले के थाना जैतीपुर की पुलिस ने राहजनी की एक घटना के संबंध में एक तमंचा, चार कारतूस भरे, एक फायर किया हुआ कारतूस, लूटी हुई घड़ी व नकद 15.40 पैसे सहित गिरफ्तार किया । गिरफ्तारी के समय उसने पुलिस पार्टी व गांव वालों पर गोली चलाई । पुलिस ने भी आत्म रक्षा में फायर किया और पुलिस व गांव वालों ने बल प्रयोग करके श्री राम को पकड़ लिया । पुलिस जब गिरफ्तार करने के उपरान्त अभियुक्त श्री राम को थाने ले जा रही थी तो उसने पेट में दर्द होने की शिकायत की और रास्ते में ही उसकी मृत्यु हो गई । घटना की जांच परगना मजिस्ट्रेट द्वारा की गयी ।

प्रतापगढ़ से प्रकाशित साप्ताहिक 'अमृत वाण' का रद्द डिक्लेरेशन

*52--श्री राजनरायन (जिला मिर्जापुर)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रतापगढ़ से प्रकाशित होने वाले साप्ताहिक "अमृत वाण" का डिक्लेरेशन जून, 1979 में रद्द कर दिया गया है ? यदि हां, तो उक्त साप्ताहिक के 30 जुलाई, 79 के अंक में प्रतापगढ़ के जिलाधिकारी ने दुग्ध, दुग्ध पदार्थ व्यवसाय से संबंधित विज्ञापन कैसे छपवाया और इस सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

श्री बनारसी दास--

प्रतापगढ़ से प्रकाशित साप्ताहिक "अमृतवाण" का डिक्लेरेशन 18-5-79 को रद्द किया गया था ।

वह विज्ञापन नहीं था, बल्कि नोटिस था । उक्त सप्ताहिक का डिक्लेरेशन प्रतापगढ़ में रद्द होने पर उसका प्रकाशन इलाहाबाद से प्रारम्भ हुआ, और प्रसारण इलाहाबाद तथा प्रतापगढ़ में एक साथ होने लगा जिला अधिकारी, प्रतापगढ़ ने दुग्ध तथा दुग्ध पदार्थों के विषय में एक नोटिस जिले में प्रसारित समाचार पत्रों में जारी की जो कतिपय अन्य पत्रों के साथ-साथ उक्त पत्र को भी प्रकाशनार्थ भेजी गई ।

इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है ।

जनपद गोरखपुर के ग्राम सभा पकड़ी चौबे के निवासी श्री शम्भू की आग लगने से मृत्यु

*53--श्री शारदा प्रसाद जायसवाल--

क्या सरकार बताने की कृपा करेंगी कि जनपद गोरखपुर के ग्राम सभा पकड़ी चौबे का निवासी शम्भू आत्मज नारायण को 6-7 जून सन् 78 की रात्रि को सोये हुए शम्भू को चारपाई

में बांधकर कुछ असामाजिक तत्वों ने फूंस के घर में आग लगाकर जला दिया जिसकी रिपोर्ट 7 जून, 1978 को स्थानीय थाना कोठी मार, गोरखपुर में दर्ज है ? यदि हां, तो आज तक मुल्जिमों को गिरफ्तार न करने के क्या कारण है ?

श्री बनारसी दास---

प्राप्त सूचना के अनुसार माह जून, 1978 में कथित घटना के संबंध में कोई अपराध पंजीकृत नहीं हुआ है। 7-7-78 को श्री हरिवंश ने 10-30 बजे सुबह प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखाई कि रात में संयोगवश आग लगने के फलस्वरूप उसके भाई की मृत्यु हो गयी। कथित घटना के संबंध में पंचायतनामा बनात समय संदेह प्रकट किया गया लेकिन इसका कोई कारण नहीं बताया गया अतः पुलिस ने विवेचना बतौर दरयाफ्तहाल की है । पोस्ट मार्टम रिपोर्ट क आधार पर और दरयाफ्तहाल विवेचना से ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं हुआ कि मुकदमा पंजीकृत कर किसी को गिरफ्तार किया जाए ।

थाना घोसी, जिला आजमगढ़ में ट्रक जलने की दुर्घटना

*54---श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)---

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि घोसी थाना, जिला आजमगढ़ मार्च, 1979 में ट्रक नं0यू0टी0 जेड में 7394 को पकड़कर पुलिस थाने में ले गई थी और बाद में थाने के अन्दर वह जला दी गई और उसके मालिक को ट्रक वापिस नहीं मिली ? यदि हां, तो क्या ट्रक मालिक को सरकार ने कोई मुआवजा दिया है ? यदि हां, तो कब और कितना ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री बनारसी दास-

मार्च, 1979 में नहीं बल्कि 17-2-79 को ट्रक नं0 यू0टी0जेड0 7394 से कुचलकर एक छात्र की मृत्यु हो गयी । इस संबंध में थाना घोसी में अभियोग पंजीकृत हुआ जिसके संबंध में प्रश्नगत ट्रक थाना घोसी में पहुंचा दिया गया। दुर्घटना से उत्तेजित होकर भीड़ थाने में घुस आई और उस ट्रक में आग लगा दी थी । विधिक दृष्टि से आवश्थकतानुसार मामले में किसी क्षतिपूर्ति की जिम्मेदारी शासन की नहीं है

प्रदेश के कुख्यात अपराधी को दिया गया लाइसेंस

*55--श्री रवीन्द्रनाथ तिवारी--

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद फैजाबाद की कोतवाली में तैनात दरोगा श्री लालजी यादव और जिले के एक अन्य उच्च पुलिस अधिकारी की संस्तुति पर वर्ष 1979 में प्रदेश के एक कुख्यात अपराधी को राइफल का लाइसेंस दिया गया था और उक्त लाइसेन्स पर खरीदी गई राइफल किसी अन्य जिले में पकड़ी गई है? यदि हां, तो पूरा विवरण क्या है और दोषी पुलिस अधिकारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री बनारसी दास--

सूचना एकत्र की जा रही है

श्री चुन्नीलाल के घर चोरी की घटना की दर्ज रिपोर्ट

*56--श्री दशरथ सिंह (जिला गोंडा)--

क्या मुख्य मन्त्री को पता है कि दिनांक 2 जुलाई, 1979 को चुन्नी लाल वर्मा, गोण्डा के यहां डाका पड़ा और चोट खाने वालों की डाक्टरी की गयी और डाक्टरी से 14 चोटें सही पाई गयीं फिर भी उक्त घटना की एफ0 आई0 आर0 380 धारा आई0 पी0 सी0 में लिखी गयी आज (दिनांक 19-10-79) तक उक्त धारा नहीं बदली गयी ? यदि हां, तो उक्त अनियमितता के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बनारसी दास--

दिनांक 1/2-78 की रात्रि में श्री चुन्नीलाल के घर पर चोरी की घटना की सूचना दर्ज हुयी थी। प्रारम्भ में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करते समय जो तथ्य बताये गये हैं उसके आधार पर विधिक दृष्टि से धारा 394 आई0 पी0 सी0 में ही जुर्म दर्ज करना उचित होता लेकिन इसके साथ-साथ विवेचना दौरान को तथ्य मालूम हुये उनसे 380/323 का ही जुर्म बन सकता था। कार्यवाही के संबंध में पूरी छानबीन कर विचार किया जायगा।

अपराध अनुसंधान बिभाग की फील्ड यूनिट की गाड़ी में शराब की बरामदगी

*57--श्री बाबूलाल वर्मा--

क्या सरकार कृपया बताएगी कि दिनांक 30 अक्तूबर, 1979 से 1 नवम्बर, 1979 के बीच अपराध अनुसंधान शाखा की वैज्ञानिक विभाग के पुलिस अधीक्षक की कार नम्बर यू0 टी0 डी0 4511 की सरकारी गाड़ी पर फैजाबाद से लखनऊ आते समय 50 बोतल शराब बरामद की गयी ? यदि हां, तो यह नाजायज शराब विक्रेता कौन थे ? लखनऊ में कहां सप्लाई होनी थी ? क्या सरकार ने मामले की गोपनीय जांच कराई ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है ? सरकार ने अपराधियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की ?

श्री बनारसी दास--

दिनांक 30-10-79 को अपराध अनुसंधान विभाग की छाप अंगुष्ठ शाखा की फील्ड यूनिट की गाड़ी संख्या यू0 टी0 डी0 4511 में लखनऊ आते समय 50 बोतल शराब बरामद हुई थी। उक्त गाड़ी शोध इकाई के पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रयोग में लाई जाती थी। शराब जनपद फैजाबाद के सोहावल चौराहे पर स्थित श्री छोटे लाल जायसवाल के ठेके से ली गई थी। लखनऊ में शराब कहां से सप्लाई होती थी अभी जांच की जा रही है। मामले में कोई गोपनीय जांच नहीं कराई गई है। शराब की बरामदगी के संबंध में अब थाना महानगर में मुकदमा अपराध संख्या 853 अन्तर्गत धारा 60 आबकारी अधिनियम दिनांक 30-10-79 को पंजीकृत हुआ और इसकी विवेचना अपराध शाखा के अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा की जा रही है। विवेचना अभी प्रचलित है। गाड़ी के ड्राइवर तथा उसमें बैठे हुये उप-निरीक्षक एवं हवलदार, पी0 ए0 सी0 को निलम्बित कर दिया गया है।

थाना भिनगा, जिला बहराइच में श्री नीवर द्वारा दर्ज रिपोर्ट तथा जांच

*58--श्री गजाधर प्रसाद (जिला बहराइच)--

क्या शासन को जानकारी है कि दिनांक 28 सितम्बर, 1979 को धारा 147/148/149/323/452/498 ता0हि0 की रिपोर्ट थाना भिनगा, जिला बहराइच में श्री नीवर सा0 लोधी पुरवा, डा0 बकवा, थाना भिनगा ने कई मुलजिमान के विरुद्ध दर्ज कराई ? क्या यह सही है कि सम्बन्धित पुलिस थाना भिनगा ने उस पर फाइनल रिपोर्ट लगा दी है ? यदि हां, तो क्यों तथा चार्ज शीट अब तक न भेजने का क्या कारण है ?

श्री बनारसी दास--

जी हां। विवेचना के दौरान वादी द्वारा लिखाई गयी सूचना सही नहीं पाई गई। अतः पुलिस द्वारा इस मामले में फाइनल रिपोर्ट लगा दी गयी। अंतिम रिपोर्ट लग जाने के बाद चार्जशीट भेजने का प्रश्न नहीं उठता।

थाना चरखारी, जनपद हमीरपुर के तत्कालीन थानाध्यक्ष के विरुद्ध आरोप तथा जांच

*59--श्री बिहारी लाल हंस (जिला हरदोई)--

*क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि माह फरवरी, 1978 में थाना चरखारी, जनपद हमीरपुर के तत्कालीन थानाध्यक्ष तथा अन्य पुलिस कर्मियों द्वारा श्री प्रताप सिंह परमार,

पत्रकार चरखारी (हमीरपुर) तथा अन्य के विरुद्ध दो (2) झूठे मनगढ़न्त प्रकरण ग्राम रिबई के दो हरिजन बन्धुओं से जबरिया दर्ज कराए गये थे, जो न्यायालय मुंसिफ महोबा से स्थानीय पुलिस द्वारा सबूत न पाने के कारण मई, 79 के प्रथम सप्ताह में तथा द्वितीय प्रकरण गत माह अगस्त, 79 के तृतीय सप्ताह मे निर्णीत हो चुके हैं ? यदि हां, तो सम्बन्धित पुलिस अधिकारियों तथा पुलिस कर्मियों को निलम्बित क्यों नहीं किया गया ?

श्री बनारसी दास--

प्राप्त सूचना के अनुसार वर्ष 1978 में श्री प्रताप सिंह परमार एवं अन्य के विरुद्ध थाना चरखारी, जिला हमीरपुर में धारा 352/504/506 भा0दं0 वि0 के दो अभियोग श्री बन्ना पुत्र खूबा चमार निवासी रिबई तथा श्री भोला पुत्र जसिया बसोर निवासी रिबई द्वारा अंकित कराये गये थे जिनमें न्यायालय से अनुमति लेकर विवेचना के पश्चात् स्थानीय पुलिस द्वारा उक्त दोनों अभियोगों में साम्य उपलब्ध होने पर आरोप पत्र प्रेषित किये गये थे । न्यायालय द्वारा दोनों अभियोगों के अभियुक्त बरी किये गये । न्यायालय द्वारा किसी भी पुलिस कर्मचारी के विरुद्ध कोई अवरोध नहीं किया गया । अतः पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

*60--श्री बिहारी लाल हंस--

उक्त प्रकरणों के संदर्भ में जनपद हमीरपुर के तत्कालीन सांसद महोदय ने तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा के अनेक विधायकों ने एवं तत्कालीन माननीय नेता विरोधी दल (श्री नारायण दत्त तिवारी) ने बराबर तत्कालीन गृह मंत्री जी को एवं मुख्य मंत्री जी को पत्र लिखे थे ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गयी यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बनारसी दास--

इस संबंध में तत्कालीन संसद सदस्य तथा कुछ माननीय विधायकों के पत्र प्राप्त हुये । इस संबंध में जांच कराई गई । जांच से आरोप प्रमाणित नहीं हुये ।

अतारांकित प्रश्न

निगोही सेन्टर पर बीसलपुर चीनी मिल द्वारा क्रय किया गया गन्ना व उसका भुगतान

1--श्री मुहम्मद रफी खां--

क्या गन्ना विकास मंत्री बताएंगे कि बीसलपुर शुगर फैक्टरी के निगोही सेन्टर पर साल 1977-78 में काश्तकारों से जो गन्ना खरीदा गया था उसकी कीमत का भुगतान पूर्णतया कब तक हो जायगा ? तथा साल 1978-79 में इन काश्तकारों तथा इसी फैक्ट्री के शाहजहांपुर जिले में जो सेन्टर हैं उन सब पर बीसलपुर फैक्ट्री व तिलहर फैक्ट्री को के लिए कटौती क्यों की जा रही है ? क्या यह सही है कि इन कटौतियों के बाद किसानों का केवल 7.75 पैसे में मिल रहा है ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा--

वर्ष 1977-78 में निगोही सेन्टर पर बीसलपुर चीनी मिल ने जो गन्ना क्रय किया उसका कुल गन्ना मूल्य रु0 2,41,611.85 देय हुआ । इसमें से 1.25 रुपया प्रति कुन्टल की दर से अंश पूंजी तथा 0.75 रुपये प्रति कुन्टल की दर से (नान रिफंडेबिल डिपाजिट) की कटौती अर्थात् कुल 38,658.00 रुपये की कटौती के पश्चात् शेष धनराशि का भुगतान कर दिया गया है ।

वर्ष 1978-79 में बीसलपुर मिल द्वारा शाहजहांपुर समिति के सेन्टरों पर खरीदे गये गन्ने के मूल्य से अपने मिल के लिए अंशपूंजी तथा नान रिफंडेबिल कटौती की गई एवं शाहजहांपुर

समिति के ए० जी० एम० के प्रस्ताव के अनुसार तिलहर चीनी मिल के लिए अंश पूंजी तथा नान रिफंडेबिल कटौती की गई है ।

सभी कटौतियों के बाद शाहजहांपुर के उक्त मिल से सम्बन्धित कृषकों को जो भुगतान किया गया है वह औसतन लगभग 7.02 रुपये प्रति कुन्टल है ।

मुख्य मंत्री तथा मंत्रि परिषद् के अन्य सदस्यों पर यात्रा भत्ता, टेलीफोन की बकाया धनराशि

2--श्री देवबहादुर सिंह--

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि दिनांक 1 अप्रैल, 1978 से 31 मार्च, 1979 तक प्रदेश के मुख्य मंत्री तथा मंत्रि परिषद् के प्रत्येक सदस्य पर कितनी-कितनी धनराशि यात्रा-भत्ता, टेलीफोन पर खर्च की गयी ?

श्री बनारसी दास--

वांछित सूचना संलग्न तालिका "क" में दी गयी है ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 454 पर)

गन्ना विकास विभाग के बरेली एवं मध्य क्षेत्र में ए० डी० बी० सेट्स की खरीद

3--श्री रवीन्द्रनाथ तिवारी--

क्या गन्ना विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि सन् 1974 से 1977 के बीच में गन्ना विकास विभाग के बरेली एवं मध्य क्षेत्र में ए० डी० बी० सेट्स (पशु चालित रबर टायर की गाड़ियां) की खरीद की गयी थी और खरीद के मूल आदेश में पूर्ति (सप्लाई) एफ० ओ० आर० डिस्टीनेशन करनी थी ? तथा बाद में सप्लाई करने वाली फर्म को बहुत अधिक दर से किराया दिलाया गया ? क्या यह भी सही है कि ए० डी० बी० सेट्स पर सेल्स टैक्स नहीं था, परन्तु तत्कालीन उप गन्ना आयुक्त द्वारा गन्ना समितियों से उक्त फर्म को सेल्स टैक्स के नाम पर भी धनराशि दिलाई गयी । उक्त सभी बातों के बारे में गन्ना आयुक्त की शिकायतें उक्त अवधि में समय-समय पर प्राप्त हुयीं ? यदि हां, तो क्या शिकायतों की जांच कराकर दोषी लोगों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा--

गन्ना विकास विभाग के बरेली एवं मध्य क्षेत्र में सन् 1974 से 1977 के बीच ए० डी० बी० सेट्स (पशुचालित रबर टायर की गाड़ियों) की खरीद की गयी ।

फर्म द्वारा दिये गये कोटेशन में रेट (दर) एक्स फैक्ट्री गोडाउन के थे । पूर्ति आदेश में स्पष्ट निर्देश दिये गये थे कि फर्म द्वारा माल की पूर्ति गन्ना समितियों के गोडाउन तक की जायेगी परन्तु यातायात व्यय फर्म की रसीदों के आधार पर समितियां वहन करेंगी । यातायात व्यय का भुगतान ट्रांसपोर्ट कम्पनी के निर्धारित दरों के अनुसार किया गया ।

ए० डी० बी० सेंट्स आदि पर बिक्री कर छूट विषयक विज्ञप्ति सं० एस० टी० 32971 दस-950(1)-58, दिनांक 9-6-64 के आधार पर बिक्री कर अथवा अन्य करों के भुगतान के संबंध में संबंधित उप गन्ना आयुक्तों के पूर्ति आदेशों में बिक्री कर एवं अन्य कर, जो भी नियमानुसार देय हैं, समितियों को वहन करने के निर्देश थे । यह फर्म की जिम्मेदारी होती है कि वह नियमानुसार ही बिक्री कर आदि माल पूर्ति करने पर वसूल करे क्योंकि फर्म के बिलों पर इसे चार्ज कर जमा करने के हिसाब किताब की जिम्मेदारी फर्म एवं बिक्री कर विभाग की है । फर्म ने प्रश्नगत वर्षों में उप गन्ना आयुक्त (मध्यक्षेत्र) के अन्तर्गत रुपये 80,863.50 पैसे बिक्री कर समितियों को मालपूर्ति करने पर समितियों से वसूल किया तथा उप गन्ना आयुक्त

(रुहेलखण्ड-क्षेत्र) बरेली के अन्तर्गत 96,200 रु0 37 पैसे बिक्री कर समितियों को माल पूर्ति करने पर समितियों से वसूल किया गया। इस संबंध में सेल्स टैक्स विभाग से पत्र व्यवहार जारी है।

इस पूरे मामले के सभी पहलुओं पर जांच की आवश्यक कार्यवाही जारी है।

उप गन्ना आयुक्त, गोरखपुर मण्डल के अधीनस्थ कार्यालयों में वरिष्ठ सहायकों की सेवा निवृत्ति

4--श्री अठई राम (जिला इलाहाबाद)---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उप गन्ना आयुक्त, गोरखपुर मण्डल के अधीनस्थ कार्यालयों में वरिष्ठ सहायकों के पदों पर कार्यरत कितने वरिष्ठ सहायकों को दिसम्बर, 1977 में सेवा निवृत्त किया गया है ? क्या यह सही है कि उन्हें उनके फण्ड की कटौती तथा अन्य उपलब्धियों का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों और उन्हें कब तक भुगतान कर दिया जायेगा ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा--

उप गन्ना आयुक्त, गोरखपुर मण्डल के अधीनस्थ कार्यालयों में दिसम्बर, 1977 में किसी भी राजकीय कार्यरत वरिष्ठ सहायकों को सेवा निवृत्त नहीं किया गया है। अतः उनके फण्ड की कटौती तथा उपलब्धियों के भुगतान का प्रश्न नहीं उठता है।

लक्ष्मी जी शुगर मिल महोली, जिला सीतापुर का अवशेष गन्ना मूल्य

5--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या गन्ना विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि लक्ष्मी जी शुगर मिल महोली, जिला सीतापुर द्वारा काश्तकारों के गन्ना मूल्य के बकाया वर्ष 1974-75, 1975-76 तथा 1976-77 का भुगतान गन्ना समितियों (सम्बन्धित) को काश्तकारों में वितरण हेतु कब दिया गया यह तथा पैसा काश्तकारों में कब से बांटा जाना प्रारम्भ किया गया और तीन वर्षों का कुल बकाया कितना था तथा उनमें से दिनांक 30 जून, 1979 तक कितना बांटा जा चुका है ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा--

लक्ष्मी जी शुगर मिल महोली, जिला सीतापुर का वर्ष 1974-75, 75-76 तथा 76-77 के अवशेष गन्ना मूल्य में से चीनी मिल ने लगभग 65 लाख रु0 का भुगतान संबंधित समितियों को दिनांक 15-5-79 से 17-5-79 की अवधि में कर दिया था। यह पैसा किसानों को दिनांक 19-5-79 से बांटना प्रारम्भ कर दिया गया। तीन वर्षों का कुल बकाया लगभग 75 लाख रु0 था उसमें से दिनांक 30-6-79 तक लगभग 12.04 लाख रु० बांटा गया।

बहराइच जिले के सुहेलवा पश्चिमी रेन्ज में लकड़ी की नाजायज कटान

6--श्री कमला प्रसाद वर्मा--

क्या वन मन्त्री को यह जानकारी है कि बहराइच जिले के सुहेलवा पश्चिमी रेंज में लाखों रुपये के नाजायज पेड़ की कटान वर्ष 1978-79 में की गयी है ? यदि हां, तो नाजायज कटान व अग्नि काण्ड की जांच कब और किसने की तथा जांच रिपोर्ट क्या है, साथ ही दोषी अधिकारियों तथा रेंज आफिसर, सुहेलवा पश्चिमी को अब तक निलम्बित करके स्थानान्तरित न करने का क्या कारण है और नाजायज कटान तथा अग्नि काण्ड से शासन को कितने रुपये की क्षति हुई है ?

श्री काजी मुहम्मद मुहिउद्दीन--

बहराइच जिले के सुहेलवा पश्चिमी रेंज में वर्ष 1978-79 में लकड़ी का नाजायज कटान की सूचना मिली है। नाजायज कटान एवं अग्नि काण्ड की जांच जून, 1979 से अक्तूबर, 1979 की अवधि में उप-प्रभागीय वनाधिकारी भिनगा द्वारा की गयी। जांच के फलस्वरूप विभिन्न व्यास तथा प्रजाति के लगभग 30,800 रुपये मूल्य के 377 पेड़ों का नाजायज कटान पाया गया तथा अग्नि काण्ड से लगभग 5,000 रुपये की शासन को क्षति की जानकारी हुई है। संबंधित वन रक्षक को दिनांक 6-7-79 को निलम्बित करके पश्चिमी सुहेलवा रेंज से सम्बद्ध कर दिया गया है। संबंधित राजि अधिकारी को भी निलम्बित करके उत्तर गोण्डा वन प्रभाग में संबद्ध करने के आदेश दे दिये गये हैं।

टेक्सटाइल इन्स्टीट्यूट, कानपुर में फोरमैन पद पर नियुक्ति का आधार

7--श्री सुखपाल पाण्डेय (जिला बस्ती) तथा श्री मैनेजर सिंह--

क्या प्राविधिक शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि टेक्सटाइल इन्स्टीट्यूट, कानपुर में फोरमैन पद पर नियुक्ति वरिष्ठता के आधार पर की गयी है? यदि नहीं, तो इस अनियमितता के लिये कौन अधिकारी जिम्मेदार है? इस अनियमितता को नियमित करने के लिये सरकार क्या करने जा रही है?

श्री सत्य देव त्रिपाठी--

जी हां, फोरमैन का पद वर्कशाप के अन्तर्गत आता है और वर्कशाप इंस्ट्रक्टर मशीन शाप के पद पर कार्यरत कर्मचारी जो पद को निर्धारित अर्हतायें रखते हैं और वरिष्ठता में आते हैं कथित पद पर नियुक्ति हेतु पात्र होते हैं।

जनपद गोरखपुर में अल्प बचत योजनान्तर्गत कटौती

8--श्री हरिशचन्द्र--

क्या गन्ना विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1975-76 तथा 1976-77 में अल्प बचत के नाम पर गोरखपुर तथा बस्ती जिले में गन्ना किसानों से कटौती के रूप में धन लिया गया है? यदि हां, तो क्या इसका प्रमाण-पत्र संबंधित किसानों को दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा--

गोरखपुर जनपद में वर्ष 1975-76 में अल्प बचत योजनान्तर्गत कोई कटौती नहीं हुई। वर्ष 1976-77 में गन्ना समितियों के माध्यम से कुल 52,584 कृषकों से मू0 10,51,458.00 की कटौती हुई। उसमें से 42,989 कृषकों को प्रमाण पत्र दे दिया है। शेष 9,595 कृषकों को प्रमाण पत्र न देने का मुख्य कारण यह रहा है कि कृषक समय से उपलब्ध नहीं हो पाते हैं जिससे औपचारिकतायें पूर्ण कराकर धन डाकघर में जमा कर प्रमाण पत्र दिया जा सके।

बस्ती जनपद में वर्ष 1975-76 में केवल दो गन्ना समितियों टिनिच तथा खलीलाबाद में कटौती की गयी। टिनिच समिति में कुल 3,200 कृषकों से कुल 27,015.00 रुपये अल्प बचत में जमा किया गया जिसमें 1,170 किसानों का 15,000.00 रुपये के एन0 एस0सी0 बनवाकर उनके प्रमाण पत्र संबंधित कृषकों को दे दिये गये हैं शेष 20,30 कृषकों का 12,015.00 रुपये की एन0 एस0 सी0 इस कारण न बन सकी कि उनका धन 10.00 रुपये से कम था। इस धन को समिति के नाम डाकघर में जमा कर इस आशय के प्रमाण पत्र कृषकों को दिये जा रहे हैं। खलीलालबाद समिति में कुल 2,392 कृषकों से रुपया 46,550.00 की कटौती की गयी। इसमें से समिति द्वारा

45,000.00 रुपया सावधि खाते में तथा 1,55,000 रुपये सेंविंग बैंक खाते में जमा किया गया। संबंधित कृषकों को प्रमाण पत्र देने की कार्यवाही की जा रही है।

वर्ष 76–77 में बस्ती जनपद में सभी गन्ना समितियों के अन्तर्गत कुल 84,096 कृषकों से कुल रुपया 14,61,663.00 रुपये की कटौती हुई। इसमें से 58,186 कृषकों को रुपये 10,24,775.00 की एन0एस0सी0 बनवाई गयी। उसमें से 43,526 कृषकों को प्रमाण-पत्र दिये जा चुके हैं शेष 14,660 कृषकों को प्रमाण पत्र दिये जाने की कार्यवाही की जा रही है। रु0 4,33,888 रु0 की एन0एस0सी0 डाकघरों से फार्म्स आदि न मिल पाने तथा कृषकों की समय से उपस्थिति सुलभ न होने के कारण नहीं बनवाई जा सकी है यह धनराशि समितियों द्वारा डाकघर में जमा कर दी गयी है तथा यह निर्देश दिया जा चुका है कि जो कृषक स्वेच्छा से डाकघर में अपना खाता खुलवाना चाहें उनका तुरन्त खाता खुलवा दिया जाय अथवा जो कृषक अपना धन वापस लेना चाहे समिति उन्हें उसका धन वापस कर दें।

चन्डो प्रेस कोयलसा, आजमगढ़ के संस्थापनार्थ ऋण की स्वीकृति तथा वितरण

9—श्री मथुरा प्रसाद पाण्डेय (जिला बस्ती)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वित्तीय निगम, वाराणसी द्वारा स्वत्वाधिकारी श्री राजमणि पाण्डेय, चण्डी प्रेस कोयलसा, आजमगढ़ के संस्थायनार्थ बारह हजार रुपया ऋण स्वीकृति सन् 1971–72 ई0 में हुआ था और नियमानुसार सारी शर्तें पूरी हो गयी हैं, परन्तु अभी तक उनको ऋण नहीं दिया गया ? अगर हां, तो क्यों ?

श्री राम नरेश यादव—

इकाई को छपाई के कार्य करने हेतु सामान्य ऋण योजना के अन्तर्गत रुपये 12,000 का ऋण दिनांक 25–6–73 को स्वीकृत किया गया था, जिसका उपयोग निम्न प्रकार करना था

	रु0
(अ) भवन निर्माण हेतु रुपये	6,000
(ब) मशीनरी क्रय हेतु रुपये	6,000
योग . .	12,000

उपरोक्त ऋण की कानूनी लिखा पढ़ी 27 अगस्त, 1974 को पूरी की गयी। इसके उपरान्त दिनांक 10–9–74 को इकाई स्थल का निरीक्षण करने पर पूर्व स्थित जमीन (जिस पर भवन बनवाना था) पर भवन निर्माण नहीं प्रारम्भ किया गया था। जमीन के मूल्यांकन पर कुछ आवश्यक कागजात उद्यमी द्वारा न जमा करने के कारण पैसे का भुगतान न किया जा सका। इस आशय का पत्र दिनांक 24–9–74 को लिखा गया तदुपरान्त उद्यमी द्वारा कुछ कागजात जमा किये गये तथा शेष के लिये (जैसे फाइनल एफीडेविट तथा स्वीकृत प्लान यू0पी0 रोड साइड कन्ट्रोल ऐक्ट, 1945) दिनांक 21–10–74 तथा 6–11–74 को पुनः लिखा गया। इस बीच उद्यमी ने प्रार्थना की कि विद्युत् चालित मशीन के स्थान पर पैर से चलने वाशी मशीन क्रय करना चाहते हैं। इसी बीच उद्यमी ने कुछ मंगाये गये कागज दिये, किन्तु त्रुटिपूर्ण होने के कारण निगम के विधि सलाहकार द्वारा पुनः 19–5–75 को वापस कर दिया गया। इसके साथ ही उद्यमी को इस आशय का भी पत्र दिनांक 8–7–75 व 26–1–76 को लिखा गया कि पैर द्वारा चालित मशीन की सूची मूल्य तथा लागत का विवरण दें ताकि उनके प्रार्थना पर पुनः विचार किया जा सके। इसके बाद दिनांक 30 जनवरी, 76 को पूर्व सूचना के होते हुये भी उद्योग का निरीक्षण न पूरा हो सका, क्योंकि उद्यमी कहीं बाहर गये थे। दिनांक 11–2–76, को उद्यमी को पुनः कार्यालय में उपस्थित होने के लिये पत्र लिखा गया ताकि परिवर्तित उद्योग के संबंध में जानकारी प्राप्त की जा सके।

इसके उत्तर में उद्यमी ने दिनांक 1–3–76 को लिखित रूप में दिया कि वह विद्युत चालित मशीन ही लगाना चाहते हैं तथा शीघ्र ही विद्युत संस्तुति पत्र देंगे । उद्यमी द्वारा विद्युत संस्तुति पत्र प्राप्त हो जाने पर इकाई की प्रगति देखने हेतु दिनांक 3–8–77 को निरीक्षण करने पर ज्ञात हुआ कि जमीन (जिसका मूल्य रु0 968 था) के अतिरिक्त कोई प्रगति न की जा सकी थी, जब कि योजना को पूरा करने के लिये स्वयं उद्यमी को रु0 31,100 लगाना था ।

इसके उपरान्त दिनांक 14–8–78 को पुनः उद्यमी ने सूचित किया कि ऋण की मात्रा बहुत कम है जिससे भवन निर्माण नहीं हो सकता । अतः दूसरे स्थान पर (निजी भवन में) मशीनें लगाने की अनुमति दी जाय और साथ ही भवन ऋण को मशीन क्रय हेतु बदल दिया जाय । दिनांक 1–9–78 को उद्यमी को पुनः लिखा गया कि स्थान परिवर्तन हेतु आवश्यक कागजात सहित कार्यालय से सम्पर्क करें । किन्तु उद्यमी ने इस संबंध में कोई प्रयास न किया । अतः ऋण का वितरण न हो सका ।

श्री के0 डी0 शुक्ला वर्तमान आबकारी निरीक्षण, पडरौना का स्थानान्तरण

10––श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)––

क्या आबकारी मन्त्री कृपया बतायेंगे कि वर्तमान आबकारी निरीक्षक, पडरौना (देवरिया) का स्थानान्तरण उनके वर्तमान स्थान के कार्यकाल में कितने बार हुआ एवं किन कारणों से रोक दिया गया ? क्या यह भी सच है कि उक्त निरीक्षक के विरुद्ध प्रश्नकर्ता के अतिरिक्त अन्य बहुत सी शिकायतें शासन को मिली हैं, जिनके विषय में जांच चल रही है ? यदि हां, तो प्रमुख शिकायतें क्या हैं ?

श्री बनारसी दास––

वर्तमान आबकारी निरीक्षक, पडरौना (देवरिया) श्री के0 डी0 शुक्ला का उनके वर्तमान स्थान के कार्यकाल में 6 बार स्थानान्तरण हुआ है यह स्थानान्तरण प्रत्येक बार प्रशासनिक कारणों से रोक दिये गये ।

श्री शुक्ला के विरुद्ध , प्रश्नकर्ता श्री जनार्दन प्रसाद ओझा विधायक के अतिरिक्त श्री ध्रुव प्रसाद अनुज्ञापी ताड़ी, श्री रामायण शुक्ला , अध्यक्ष, जिला युवा जनता, देवरिया के साथ साप्ताहिक समाचार पत्र "मंत्री" की प्रति के साथ शिकायतें प्राप्त हुई। प्रमुख शिकायतें, ताड़/खजूर के पेड़ों से बगैर राजस्व दिए ताड़ी निकलवाना व बिकवाना शराब के अवैध अड्डे चलवाना, निजी जीपों से स्मलिंग कराना अपने गांव में बेनामी जमीन खरीदना, कीमती राइफल रिवाल्वर व दुनाली बन्दूक खरीदना, 1700 बोतल शराब गायब करने की है ।

अर्थ एवं संख्या प्रभाग में अस्थायी रूप से कार्यरत संख्याधिकारियों का लोकसेवा आयोग द्वारा अनुमोदन

11––श्री नेमसिंह चौहान (जिला अलीगढ़)––

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि "अर्थ एवं संख्या प्रभाग" में वर्ष 1959 से लेकर आज तक राजपत्रित पदों पर विभागीय अभ्यर्थियों को उनके लिये निर्धारित 50 प्रतिशत कोटे में आयोग से अनुमोदित करा कर नियमित रूप से किया गया ? यदि हां, तो 20 वर्षों तक इस संबंध में कोई कार्यवाही न किये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री बनारसी दास––

जी हां । प्रभाग में दिसम्बर, 1959 तथा उसके बाद अस्थायी रूप से कार्यरत संख्याधिकारियों को विभागी कोटे के अन्तर्गत अभी तक लोक सेवा आयोग से अनुमोदित नहीं कराया

जा सका है। मई, 1974 में ही प्रभाग के राजपत्रित पदों से संबंधित उत्तर प्रदेश इकोनामिक इन्टेलीजेन्स सर्विस नियमावली, 1957 में संशोधन के फलस्वरूप संख्याधिकारी के पद पर 50 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा नियुक्ति का प्रविधान हुआ। नियमावली बन जाने के बाद जुलाई, 1975 मे संख्याधिकारी पद पर विभागीय कोटे के अन्तर्गत पदोन्नति हेतु चयन कराने के लिए पात्रता सूची पर लोक सेवा आयोग को भेजी गयी। लोक सेवा आयोग तथा शासन के बीच इस संबंध में काफी पत्र व्यवहार चलता रहा। परन्तु जुलाई, 1978तक चयन के मामले को अन्तिम रूप नहीं मिल सका। जुलाई, 1978 में प्रभाग के विरूद्ध दायर की गयी एक याचिका के संबंध में लोक सेवा अधिकरण के निर्णय के अनुसार संख्या सहायक पद पर, जिस पद से संख्याधिकारी पद पर नियमों के अन्तर्गत पदोन्नति का प्राविधान है, 52 व्यक्तियों को वर्ष 1965 से ही विधिवत् अनुमोदित मानना पड़ा। अतः इस प्रकार चयन हेतु आयोग को भेजी गयी पात्रता सूची में पुनः परिवर्तन आवश्यक हो गया। जिन व्यक्तियों को लोक सेवा अधिकरण के निर्णय के अनुसार संख्या सहायक पद पर वर्ष 1965 से ही अनुमोदित माना गया तथा उनकी उसी संवर्ग के अन्य व्यक्तियों के साथ ज्येष्ठता सूची बनाकर संबंधित कर्मचारियों से आपत्तियां मांगने हेतु जारी की गयी। आपत्तियां प्राप्त होने पर उनका निस्तारण करके ज्येष्ठता सूची को अन्तिम रूप दिया गया। अब संशोधित पात्रता सूची लोक सेवा आयोग को भेजी जा रही है। आशा है कि शीघ्र ही विभागीय कोटे के अन्तर्गत पदोन्नति हेतु चयन की कार्यवाही पूर्ण हो जायेगीं।

अर्थ एवं संख्या प्रभाग के अन्तर्गत 'संख्या सहायक' कर्मचरियों की राजपत्रित पदों पर पदोन्नति

12—श्री नेमसिंह चौहान—

क्या मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेगें कि 'अर्थ एवं सख्या प्रभाग' के अन्तर्गत राजपत्रित पदों (संख्या अधिकारी) पर अनेक ऐसे लोग अब भी कार्यरत है जो निचले पद (संख्या सहायक सहायक संख्या अधिकारी) पर न तो स्थायी हैं और न ही आयोग से अनुमोदित है? क्या यह सही है कि अनेक कर्मचारी प्रभाग में "संख्या सहायक" पद पर स्थायी हैं और उन्हें अभी तक राज पत्रित पदों पर पदोन्नति नहीं किया गया है? यदि हां तो ऐसा क्यों?

श्री बनारसी दास—

इस समय अर्थ एवं संख्या प्रभाग में 19 व्यक्ति ऐसे है जो संख्या सहायक (अब सहायक संख्याधिकारी) के पद पर न तो लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश द्वारा अनुमोदित है न इस पद पर स्थायी है परन्तु संख्याधिकारी / अर्थ अधिकारी के पद पर तदर्थ रूप से पदोन्नति है। जिस समय उपरोक्त तदर्थ पदोन्नतियां की गयी थी उस समय कोई उपयुक्त स्थायी सहायक संख्याधिकारी उपलब्ध नहीं था।

ज्येष्ठता सूची के अनुसार इस समय केवल 17 व्यक्ति ऐसे हैं ने राजपत्रित पद पर पदोन्नति नहीं हैं जो संख्या सहायक पद पर स्थायी है। इनमें से 3 व्यक्तियों को विभागीय चयन समिति में संख्याधिकारी पद पर तदर्थ पदोन्नति हेतु उपयुक्त नहीं पाया। शेष 14 व्यक्ति को संख्याधिकारी के पद पर तदर्थ पदोन्नति हेतु चयन के लिए कार्यवाही प्रारम्भ की गयी परन्तु लोक सेवा अधिकरण के स्थगन आदेश के फलस्वरूप पदोन्नति अभी नही की जा सकी।

सचिवालय के गोपन एवं बीजा अनुभागों में तृतीय एवं द्वितीय श्रेणी के कार्यरत कर्मचारी

13—श्री फजलुलबारी—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेगें कि सचिवालय के गोपन विभाग तथा बीजा सेक्शन में तृतीय एवं द्वितीय श्रेणी में कुल कितने कर्मचारी हैं और उसमें कितने मुस्लिम अल्प संख्यक वर्ग के हैं? यदि उनकी संख्या कम है तो इसका कारण क्या है?

श्री बनारसी दास—

सचिवालय के गोपन एवं बीजा अनुभागों में तृतीय एवं द्वितीय श्रेणी के इस समय क्रमशः कुल 86 एवं 11 कर्मचारी तैनात हैं।

गोपन अनुभाग में इस समय मुस्लिम अल्पसंख्यक बर्ग के 2 कर्मचारी तैनात हैं। बीजा अनुभाग में कोई मुस्लिम कर्मचारी तैनात नहीं है।

सचिवालय के विभिन्न अनुभागों में कर्मचारियों की तैनातियां किसी धर्म अथवा वर्ग विशेष के आधार पर नही की जाती हैं, बल्कि तैनातियों का आधार किसी पद के लिए संबंधित कर्मचारी की उपयुक्तता ही होता है।

फर्रुखाबाद जनपद में बन्दूकों, रायफल तथा रिवाल्वर पिस्तौल के लायसेन्सदार व उन पर मुकदमें

14—श्री गिरीश चन्द्र तिवारी (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि फर्रुखाबाद जनपद में कुल कितने बन्दूकों, रायफल तथा 30 कारबाइन रायफल,रिवाल्वर पिस्तौल के लाइसेन्स है उनमें कितने ऐसे लाइ-सेन्सदार है जो हिस्ट्रीशीटर है, या किसी मुकदमें में सजायाफ्ता है? कितने ऐसे लाइसेन्सदार हैं जिन पर धारा 302–307,395–396–397, में से किसी धारा में मुकदमे चल. रहे हैं?

श्री बनारसी दास—

फर्रुखाबाद जनपद में इस समय 12, 978 बंदूक 628 राइफल, 29.30 कारबाइन राइफल, 177 पिस्तौल और 324 रिवाल्वर के लाइसेन्सदार हैं।

इनमें से 9 लाइसेन्सदार हिस्ट्रीशीटर है और 7 लाइसेन्सदार ऐसे हैं जिनको मुकदमों में सजा हुई है तथा 24 लाइसेन्सदार ऐसे है जिनपर भा0 द0 वि0 की धारा 302–307, 395, 396, 397 में मुकदमे चल रहे हैं।

लक्ष्मी जी शुगर मिल महोली, जिला सीतापुर के गन्ना काश्तकारों के बकाया धनराशि, ब्याज तथा कमीशन का भुगतान

15—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या गन्ना विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि लक्ष्मी जी शुगर मिल महोली, जिला सीतापुर द्वारा गन्ना काश्तकारों के बकाया धन के भुगतान हेतु जिले गन्ना समितियों को किस तिथि तक का धन दिनांक 7 जुलाई, 1979 तक दे दिया गया है तथा कितने दिन का भुगतान बकाया है' क्या यह बकाया कब तक दे दिया जायेगा ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

दि लक्ष्मी जी सुगर महोली जिला सीतापुर द्वारा गन्ना काश्तकारों के बकाया गन्ना मूल्य के भुगतान हेतु जिले की गन्ना समिति महोली एवं सीतापुर को सीजन 1978–79 के प्रारम्भ से दिनांक 5–3–79 तक का धन दिनांक 7–7–79 तक के दे दिया है। गन्ना समिति महोली का 106 दिन तथा गन्ना समिति सीतापुर को 85 दिन का उक्त चीनी मिल पर गन्ना मूल्य भुगतान हेतु बकाया है। चीनी मिल की आर्थिक स्थित खराब होने के कारण उक्त बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं हो सका। इस बकाया भुगतान हेतु प्रयास जारी है।

16—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या सरकार यह बाताने की कृपा करेगी कि उक्त प्रश्न के संदर्भ में मात्र मूल धन हीं समितियों को दिया गया अथवा व्याज तथा कमीशन भी ? यदि व्याज तथा कमीशन नहीं दिया गया है। तो क्यों कब तक दे दिया जायेगा।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा--

चीनी मिल ने गन्ना मूल्य के अतिरिक्त सीजन 1978-79 का कमीशन 4.45 लाख रुपया में से 0-54 लाख रूपये गन्ना समितियों को भुगतान किया है तथा ब्याज का भुगतान बिल्कुल नहीं किया गया है। चीनी मिल की आर्थिक स्थिति दयनीय होने के कारण कमीशन तथा ब्याज का भुगतान नही हो सका है। जिसके भुगतान हेतु प्रयास किये जा रहे हैं।

चिरौली सन्त आश्रम, कृष्ण नगर, मथुरा की जब्त संपत्ति तथा वापस दिलाने की व्यवस्था

17--श्री ओम प्रकाश (जिला बस्ती)

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेगें कि जिला मथुरा अन्तर्गत चिरोली सन्त आश्रम कृष्ण नगर मथुरा (जय गुरुदेव बाबा का आश्रम) की सारी सम्पति व सामान बाबा जी की गिरफ्तारी के साथ आपातकाल जून, 1975 में पुलिस द्वारा उठा ले जाया गया था। यदि हां, तो क्या आश्रम को पुलिस द्वारा ले जाया गया सामान आश्रम को वापस दिलाने की व्यवस्था सरकार करेगी।

श्री बनारसी दास--

चिरौली सन्त आश्रम, कृष्ण नगर मथुरा की सम्पत्ति बाबा जी की गिरफ्तारी दिनांक 29-6-1975 के पश्चात 23-8-75, 24-8-75 और 17-12-75 को जब्त की गयी। सम्पत्ति की वापसी के बारे में की गयी कार्यवाही की स्थित निम्नवत् है --

(1) ग्राम महोती और पन्नापुर स्थित क्रमश: 32.72 तथा 4.03 एकड़ भूमि ली गयी थी ग्राम महोती तथा पन्नापुर मे स्थित क्रमश: 18.665 तथा 1.36 एकड़ भूमि उद्योग विभाग द्वारा वर्ष 1973-74 में भूमि अर्जन अधिनियम 1894 के प्राविधानों के अनुसार विधिवत् अर्जित की गयी थी। शेषभूमि संघ को लौटा दी गयी है। संध की अर्जित भूमि की वापसी अथवा उनके बदले में भूमि देने का प्रश्न शासन द्वारा विचाराधीन है।

(2) जब्त किये गये अनाज की नीलामी से प्राप्त धनराशि 3, 966.30 पैसे की वापसी के आदेश दिनांक 26-4-77 के बाद किये गये प्रयासों के बावजूद भी संध के मैनेजर इस धनराशि को स्वीकार नही कर रहे है।

(3) मवेशियों की नीलामी से प्राप्त धनराशि रु 0 1499.50 वापस नहीं की जा सकती क्योंकि मवेशियों के खुराक पर नगर पालिका द्वारा 2445.45 रु 0 व्यय किया गया।

(4) 1,91,000 रु 0 की बैकों में जमा धनराशि अब मुक्त की जा चुकी है।

(5) जब सम्पत्ति में से कुछ सामान चोरी चला गया था, जिसकी जांच अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा कराई जा रही है। अन्य सम्पत्ति वापस कर दी गयी है।

सीतापुर में आवास एवं विकास परिषद् द्वारा आवास योजना की प्रगति

18--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या मुख्य मंत्री जी यह बताने की कृपा करेगें कि सीतापुर में इस समय आवास एवं विकास परिषद् द्वारा जो आवास योजना विचाराधीन है उसकी प्रगति क्या है तथा भूखण्डों का आंबंटन कब तक कर दिया जायेगा ? कुल कितने प्रार्थना पत्र भू-खण्ड प्राप्त करने हेतु अब तक प्राप्त हुए हैं ?

श्री भगौती सिह--

सीतापुर में आवास एवं विकास परिषद् द्वारा इस समय रेलवे स्टेशन कैन्ट के समीप भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना कार्यान्वित की जा रही है। उक्त योजना में समाविष्ट भूमि के अर्जन हेतु लैन्ड एक्वीजीशन ऐक्ट धारा 7 के आदेश दिनांक 31.-5-79 को शासन द्वारा जारी कर दिये गये है। उक्त आदेशों के अनुसार विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी द्वारा भूमि अध्याप्ति

श्री भगोती सिंह--

की कार्यवाही की जा रही है। आवास एवं विकास परिषद् द्वारा उक्त भूमि के अर्जन हेतु लैन्ड एक्वीजीशन ऐक्ट की धारा 17 की विज्ञप्ति जारी किये जाने का प्रस्ताव भी प्राप्त हुआ है जो शासन के विचाराधीन है। उक्त विज्ञप्ति किये जाने के दो मास के भीतर आवास परिषद् को भूमि का कब्जा मिल जायेगा तथा उसके एक वर्ष बाद भूखण्डों के आंबटन की सम्भावना है।

परिषद् की उक्त योजना में भूखण्ड आंवटन हेतु अब तक 107 व्यक्तियों ने अपना पंजीकरण कराया है।

सीतापुर जिले के कथित थानों में तैनात पुलिस कर्मचारी

19--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सीतापुर जिले के थाना कोतवाली (सीतापुर) कमलापुर, खैराबाद तथा रामकोट में वहां की जन संख्या अपराध स्थिति तथा पुलिस कर्मचारियों की संख्या तय करने हेतु निर्धारित मानकों को ध्यान में रखते हुए कुल कितने-कितने पुलिस कर्मचारियों का होना आवश्यक है? वर्तमान समय में कितने कर्मचारी तैनात हैं? कमी कब तक पूरी हो जायगी?

श्री बनारसी दास---

इस समय प्रदेश में 1971 की जनसंख्या एवं 1971-73 के अपराध आंकड़ों के आधार पर थाना/चौकियों का नियतन स्वीकृत है। उक्त मापदण्ड के आधार पर जनपद सीतापुर के थाना कोतवाली कमलापुर, खैराबाद तथा रामकोट का नियतन निम्न प्रकार है और उसी के अनुसार वहां कर्मचारी नियुक्त हैं :--

	इन्सपे0	स0इ0	हेड का0	का0
1--थाना कोतवाली	1	19	3	30
वाच एण्ड वार्ड	..	..	16	95
2--थाना कमलापुर	..	5	1	22
3--थाना खैराबाद	..	5	1	20
वाच एण्ड वार्ड	..	..	3	17
4--थाना रामकोट	..	5	1	18

प्रदेश की आवश्यकता को देखते हुये 1975-77 के अपराध आंकड़ों एवं 1977 को प्रकल्पित जनसंख्या के आधार पर पूरे प्रदेश के थाना/चौकियों के नियतन में तीन चरणों (वर्ष 1979-80, 1980-81 तथा 1981-82) में वृद्धि किये जाने का शासन द्वारा निर्णय लिया गया है। इसके अनुसार कुल 57 इन्सपेक्टर, 1404 सबइन्सपेक्टर, 882 हेडकान्स0 तथा 8202 कान्स्टेबिल, नागरिक पुलिस के पद स्वीकृत किये जाने हैं इसमें जनपद सीतापुर के लिये एक 2 इन्सपेक्टर, 12 सब इन्सपेक्टर, 10 हेड कान्स्टेबिल तथा 117 कान्स्टेबिल नागरिक पुलिस के पद प्रस्तावित हैं।

कलेक्ट्रेट कर्मचारियों का सिविल कोर्ट कैडर में विलीनीकरण

20--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या न्याय मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि शासकीय आदेश संख्या 1797/सात-अ-न्याय-3-71, दिनांक 30 जून, 1978 जिसके अनुसार कलेक्ट्रेट कर्मचारियों जो सिविल कोर्स कैडर में विलीनीकरण हेतु निर्देश दिए गए थे, का अनुपालन अभी तक प्रदेश के किन-किन जिलों में नहीं किया गया है? विलीनीकरण प्रक्रिया कब तक पूर्ण हो जायगी?

श्री श्रीचन्द्र--

शासनादेश संख्या 1797/सात-अ0 न्या0- 3/71, दिनांक 30 जून, 1978 जिसके अनुसार कलक्ट्रट कर्मचारियों को सिविलकोर्स कैडर में विलीनीकरण हेतु निर्देश दिये गये थे का अनुपालन अभी तक 21 जिलों में अर्थात् इलाहाबाद, आजमगढ़, बरेली, बिजनौर, बलिया बाराबंकी, गोरखपुर, जालौन, कानपुर, खीरी, लखनऊ, मैनपुरी, मुरादाबाद, पौड़ी गढ़वाल, सीतापुर, शाहजहांपुर, उन्नाव, फतेहपुर, हरदोई, मरठ एवं वाराणसी में पूरा नहीं हो सका है। अलीगढ़, मिर्जापुर व सहारनपुर की स्थित क संबंध में सूचना अभी प्रतिष्ठित है। विलीनीकरण प्रक्रिया 25 जिलों में पूरी हो गयी है, 7 जिलों में कलेक्ट्रेट के कर्मचारी दीवानी न्यायालयों में नहीं थे तथा शेष में यथा शीघ्र पूर्ण करने का प्रयास किया जा रहा है।

श्री श्याम सुन्दर लाल, उप राजिक इन्चार्ज, बांदा फारेस्ट डिवीजन, झांसी के विरुद्ध शिकायती पत्र तथा फर्जी बाउचर का भुगतान

21--श्री राम जी--(जिला आजमगढ़)

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि श्री श्याम सुन्दर लाल उपराजिक इंचार्ज फारेस्ट रेंज आफिस कर्वी, बांदा फारेस्ट डिवीजन, बुन्देल खण्ड वृत, झांसी के विरुद्ध श्री शिव नरेश, ग्राम खेरहरा, जिला बांदा द्वारा जनवरी, 1979 में शिकायती पत्र दिया गया ? यदि हां, तो उस पर सरकार ने कोई कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री काजी मुहम्मद मुहिउद्दीन--

जी हां। शिकायती पत्र में लगाये गये आरोपों की जांच करायी गयी तथा आरोप निराधार पाये गये।

22--श्री राम जी--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि श्री श्याम सुन्दर लाल, उपराजिक इंचार्ज फारेस्ट रेंज आफिस कर्वी, बांदा फारेस्ट डिवीजन बुन्देल खण्ड वृत झांसी ने तेंदू पत्ता सीजन 1978 में 18 तेंदू पत्ता यूनिटें रखकर दो महीने में 170 रु0 प्रति यूनिट माह के हिसाब से फर्जी बाउचर बना कर भुगतान प्राप्त कर लिये? यदि हां, तो क्या आय वाउचर हेड आफिस बांदा से निकलवाकर जांच कराने की कृपा करेंगी ?

श्री काजी मुहम्मद मुहिउद्दीन--

18 तेंदू पत्ता यूनिटें नहीं बल्कि 17 तेंदू पत्ता यूनिटें श्री श्याम सुन्दर लाल, उपराजिक इंचार्ज फारेस्ट रेंज, कर्वी, बांदा फारेस्ट डिवीजन, बुन्देल खण्ड वृत्त, झांसी द्वारा तेंदू पत्ता सीजन 1978 में रखकर इनमें 17 बाउचरों को दिनांक 15-5-78 से दिनांक 30-6-78 तक रु0 170/-- प्रति यूनिट की दर से भुगतान किया गया। बाउचरों ने उक्त अवधि में कार्य किया तथा उनको भुगतान किया गया। अतः फर्जी बाउचर बनाकर भुगतान प्राप्त करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

उत्तरी बिन्दकी, जनपद फतेहपुर के कथित ग्रामों में पर्यटन स्थलों का निर्माण

23--श्री जगन्नाथ सिंह--

क्या पर्यटन मंत्री कृपया बतायेंगे कि 286 उत्तरी बिन्दकी, जनपद फतेहपुर में ग्राम खजुहा कनखल बाबा थानपुर व शिवराजपुर में कब तक पर्यटन स्थलों का निर्माण करा दिये जाने की संभावना है ?

पर्यटन राज्य मंत्री (राजा महेन्द्र रिपुदमन सिंह)--

286 उत्तरी बिन्दकी, जनपद फतेहपुर में ग्राम खजुहा कनखल बाबा थानपुर व शिवराजपुर में पर्यटन स्थलों की निर्माण में कोई योजना विभाग के विचाराधीन नहीं है।

प्रदेश की संस्थाओं व पार्टियों पर साम्प्रदायिक होने के कारण प्रतिबन्ध

24—श्री जगन्नाथ सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश में कौन-कौन सी संस्थाओं व पार्टियों पर साम्प्रदायिक होने के कारण प्रतिबन्ध लगाया गया है ?

श्री बनारसी दास—

उत्तर प्रदेश में किसी भी संस्था या पार्टी पर साम्प्रदायिक होने के कारण प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया है ।

मोमबत्ती का व्यापार करने हेतु लखनऊ में आयातित मोम का कोटा तथा आवंटन

25—श्री रियासत हुसैन—

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माह मई, 1979 से मोमबत्ती का व्यापार करने हेतु कितने उद्योगों को लखनऊ में पंजीकृत किया गया और उनमें से कितने उद्योगों को आयातित मोम के परमिट निर्गत किये गये ? यदि आयातित मोम के परमिट निर्गत नहीं किये गये तो क्यों ? क्या दीपावली के पहले आयातित मोम के परमिट निर्गत करन की व्यवस्था की जावेगी ?

श्री राम नरेश यादव—

माह मई, 1979 से लखनऊ जनपद में 17 इकाइयां आयतित क्षेत्र के लिये पंजीकृता की गयी किसी को आयातित मोम नहीं दिया गया । वर्ष 1979 में आयातित मोम का कोट नहीं प्राप्त हुआ था । अतः आवंटन नहीं किया जा सका । जहां तक वर्ष 1978 में लघु उद्योग निगम द्वारा आयतित मोम का प्रश्न है उसके निस्तारण हेतु निगम ने अक्तूबर 1978 में विज्ञापित कर दिया था कि प्रश्नगत मोम वास्तविक उपभोक्ताओं को निगम द्वारा बिना उद्योग निदेशालय के आवंटन पत्र पर उनको आवश्यकतानुसार आवंटित किया जावेगा । इच्छुक इकाईयों से विशेष जानकारी प्राप्त करने के लिये निगम के मुख्यालय या नजदीक के भण्डार से सीधे सम्पर्क करने के लिये भी विज्ञप्ति में अनुरोध कर दिया गया था । इसके आधार पर दीपावली के पहले आयातित मोम का आवंटन उपभोक्ता स्वयं अपनी आवश्यकता अनुसार प्राप्त करने के लिये प्रार्थना-पत्र दे सकते हैं ।

गन्ना विकास परिषद्, किच्छा (नैनीताल) का किच्छा शुगर मिल पर बकाया धनराशि

26—श्री देव बहादुर सिंह—

क्या गन्ना विकास मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि गन्ना विकास परिषद् किच्छा नैनीताल को किच्छा शुगर कम्पनी से सघन संरक्षण परियोजना वर्ष 1976–77 के अंश के रूप में, 10 मील सघन विकास योजना वर्ष 1977–78 के, अंश के रूप में अन्तर ग्रामीण सड़क निर्माण योजना का शेष अंश के रुपमें, विकास कमीशन वर्ष 1977–78 के रूप में तथा वर्ष 1977–78 के शेष कमीशन पर ब्याज माह मई, 1979 तक कुल कितनी-कितनी धनराशि देय थी और दिनांक 30 जून, 1979 तक उक्त रकम में कितना भुगतान किया गया ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

गन्ना विकास परिषद् किच्छा, (नैनीताल) का किच्छा शुगर मिल पर सघन संरक्षण परियोजना वर्ष 1976–77 के अन्तर्गत रु0 37,093·73 पैसे देय था, वह 30 जून, 79 तक पूर्ण रूप में अवशेष रहा । 10 मील सघन विकास योजना वर्ष 1977–78 के अन्तर्गत उक्त मिल पर रुपये 28,070-79 पैसे वाजिब था,वह भी जून,1979 तक पूर्णरुपेण अवशेष अन्य ग्रामीण निर्माण सड़क योजना के अंशदान के रूप में उक्त मिल द्वारा किच्छा परिषद्

को मई, 79 तक रुपये 5,00,000,00 पैसे की धनराशि देय थी उसमें से कुल रुपये 2,25,00।–परिषद् को प्राप्त हुआ और 30 जून, 1979 तक रु0 2,75,0 00 अवशेष रहा।

चीनी मिल किच्छा पर परिषद् का विकास कमीशन के रूप में रु0 2,57,064.78 पैसे वाजिब था। उसमें मई, 79 तक कुल रुपये 70,000– परिषद् को प्राप्त हुआ तथा वर्ष 1977–78 का विकास कमींशन रुपये 1,87,064.08 पैसे अवशेष रहा।

वर्ष 1977–78 के अवशेष विकास कमींशन पर व्याज का मई, 1979 तक रुपये 24,692 54 पैसे देय था वह जून, 1979 तक सम्पूर्ण अवशेष रहा।

प्रदेश में देशी तथा अंग्रेजी शराब की खपत

27—श्री देव बहादुर सिंह—

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि वर्ष 1977–78 तथा 1978–79 में प्रदेश में कुल कितनी देशी तथा अंग्रेजी शराब की खपत हुई? नशाबन्दी से वित्तीय वर्ष 1977–78 तथा 1978–79 में कुल कितने-कितने धनराशि की कमी प्रदेश में हुई तथा इस कमी की भारत सरकार ने कितने अंश तक पूरा किया?

श्री बनारसी दास—

सूचना एकत्र की जा रही है।

तत्कालीन थानाध्यक्ष, पुरवा, जिला उन्नाव के विरुद्ध शिकायती-पत्र

28—श्री रियासत हुसैन—

क्या मुख्य मंत्री को विदित है कि थाना इंचार्ज पुरवा जिला,, उन्नाव के संबंध में शासन को कोई शिकायती-पत्र दिनांक 18 दिसम्बर, 1978 को प्राप्त हुआ था तथा शासन द्वारा उक्त थाना इंचार्ज के स्थानान्तरण के आदेश कर दियें गये थे? यदि हां, तो क्या उक्त थाना इंचार्ज थाना पुरवा, से कार्य-मुक्त हो गये हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बनारसी दास—

तत्कालीन थानाध्यक्ष पुरवा, जिला उन्नाव के विरुद्ध एक शिकायती-पत्र दिनांक 18–12–79 को प्राप्त हुआ था। थानाध्यक्ष का स्थानान्तरण लखनऊ परिक्षेत्र में 12 वर्ष की निर्धारित कार्यावधि पूरी कर लेने पर नियमानुसार बरेली परिक्षेत्र में किया गया थानाध्यक्ष उन्नाव से कार्यमुक्त हो चुके हैं।

पुलिस चौकी रुद्रपुर, जिला नैनीताल के श्री गुलाबी राम सिपाही के विरुद्ध आरोपों की जांच

29—श्री राम सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि दिनांक 21 जून, 1979 को पुलिस चौकी–रुद्रपुर, जिला नैनीताल में श्री गुलाबी राम सिपाही के विरुद्ध श्री हरेन्द्र सिंह सिरोही, सी0ओ0 ने कोई रिपोर्ट दर्ज कराई है और उसकी जांच का परिणाम क्या रहा? क्या यही सिपाही इन्हीं सी0 ओ0 के द्वारा पीटा भी गया है?

श्री बनारसी दास—

प्राप्त सूचना के अनुसार श्री हरेन्द्र सिंह सिरोही, क्षेत्राधिकारी ने श्री गुलाबी राम कांसटेबिल के विरुद्ध कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई। दिनांक 20-7-79 को कांसटेबिल गुलाबी राम ने पुलिस उप महानिरीक्षक कुमायूं परिक्षेत्र, नैनीताल को एक प्रार्थना-पत्र दिया, जिसमें दिनांक 21–6–1979 को क्षेत्राधिकारी श्री हरेन्द्र सिंह सिरोही द्वारा प्रार्थी को पीटने, गाली गलौज करने अदि के आरोप लगाये गये हैं। आरोपों की जांच प्रचलित है।

30—श्री हुकम चन्द्र तिवारी—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया ।]

मथुरा जनपद थाना सहायक सादा बाद के अन्तर्गत दर्ज केस तथा थानाध्यक्षों के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायत

31—श्री हुकम चन्द्र तिवारी—

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा जनपद के थाना सहायक व सादाबाद के अन्तर्गत माह जनवरी, 1979 से 14 जुलाई, 1979 तक कितने धारा 302 भारतीय दण्ड संहिता के केस दर्ज हुये तथा कितनों में आरोप-पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किये गये और ऐसे कितने केस दोनों थाने के अन्तर्गत विचाराधीन हैं जिनमें अभी तक पूरे अभियुक्त पकड़े नहीं गए, न न्यायालय में आरोप-पत्र दाखिल हो सके हैं ? क्या इन केसों के वादियों द्वारा स्थानीय पुलिस के थाना अध्यक्षों के विरुद्ध गम्भीर भ्रष्टाचार की शिकायत शासन को की है ? यदि हां, तो उन पर क्या-क्या कार्यवाही हुई और शिकायत कर्ताओं के बयान कब-कब किस-किस तिथि को लिए गये तथा क्या परिणाम रहा ?

श्री बनारसी दास—

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्नगत अवधि में मथुरा जनपद के थाना सहपऊ व सादाबाद में धारा 302 भा0दं0वि0 के चार अपराध पंजीकृत किये गये, जिनमें से दो अपराधों में आरोप-पत्र न्यायालय में प्रेषित किये गये। एक अपराध में विवेचना के उपरान्त अंतिम रिपोर्ट लगाई गई। शेष एक अपराध विवेचनाधीन है।

उपरोक्त अपराध , जिसमें अंतिम रिपार्ट लगाई गई, के वादी का शिकायती-पत्र प्राप्त हुआ, जिसमें पुलिस के विरुद्ध निष्पक्ष विवेचना न करने व भ्रष्टाचार के आरोप लगाये गये थे जिसकी जांच के दौरान वादी का बयान दिनांक 21-5-79 एवं 14-7-79 को लिया गया। जांच से आरोप सही नहीं पाये गये ।

अपराध जो विवेचनाधीन है, के वादी के भी शिकायती-पत्र प्राप्त हुये थे, जिनमें स्थानीय पुलिस द्वारा निष्पक्ष विवेचना न करने का आरोप लगाया गया था। स्थानीय पुलिस द्वारा की गई विवेचना का परीक्षण अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा कराया गया, जिससे स्थानीय पुलिस द्वारा की गई विवेचना कुछ विन्दुओं पर अपूर्ण पाई गई। इस संबंध में अग्रेतर कार्यवाही की जा रही है। जांच के दौरान वादी के बयान दिनांक 30-10-79 को अंकित किया गया ।

महावीर शुगर मिल, सिसवा बाजार (गोरखपुर) के तत्कालीन रिसीवर के विरुद्ध शिकायत

32—श्री शारदा प्रसाद जायसवाल—

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि महावीर शुगर मिल सिसवा बाजार, गोरखपुर, जो सरकारी नियन्त्रण में है उस मिल के तत्कालीन रिसीवर के विरुद्ध वर्ष 1978-79 में मिल की मरम्मत हेतु प्राप्त कोटेशन के अंकित दर से अधिक दर पर भारी मात्रा में मशीनरी पार्टस का क्रय एवं पुरानी चीनी का विक्रय बाजार भाव से कम पर बेचने का गम्भीर घोटाला व अनियमितताओं की शिकायत प्रश्नकर्ता द्वारा माह फरवरी/मार्च, 1979 में की गयी थी। यदि हां, तो शिकायत की जांच किस अधिकारी से कराई गयी है और उसकी जांच रिपोर्ट क्या है ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

जी हां, महावीर शुगर मिल्स, सिसवा बाजार (गोरखपुर) के तत्कालीन रिसीवर के विरुद्ध शिकायतों से संबंधित माननीय सदस्य का कथित पत्र शासन को प्राप्त हुआ था । उसमें उल्लिखित शिकायतों की जांच जिलाधिकारी, गोरखपुर द्वारा कराई गयी। जिलाधिकारी से जांच रिपोर्ट प्राप्त हो गयी है जिसका परीक्षण किया जा रहा है ।

डी0एफ0ओ0, उरई द्वारा क्रय किये गये पत्थर

33—श्री ऊदल—

क्या वन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सन् 1978–79 तथा अप्रैल से जुलाई, 79 तक डी0एफ0ओ0, उरई ने कितने सीमा पत्थर तथा अन्य किस्म के कितने पत्थर किस रेट में खरीदे हैं ? ठेले सहित रिक्शे कितने खरीदे ? क्या यह सही है कि वे सभी पत्थर पड़े हुये हैं और ठेले एवं रिक्शे भी खराब हो गये हैं ?

श्री काजी मुहम्मद मुहिउद्दीन—

वर्ष 1978–79 तथा अप्रैल से जुलाई, 1979 तक डी0एफ0ओ0 उरई द्वारा क्रय किये गये पत्थरों का विवरण निम्न प्रकार है:—

साइज	अदद	रेट प्रति पत्थर
सीमा (पत्थर स्तम्भ)		रुपये में
3 फुट × 5 इंच × 4 इंच		
पत्थर के तार बाढ़ स्तम्भ ..	500	7.25
1.5 मी0 × 15 से0मी0 × 10 से0 मी0 ..	7952	8.67

क्रय किये गये सम्पूर्ण 500 सीमा स्तम्भ वन बन्दोबस्त अधिकारी जालौन (उरई) को जारी किये जा चुके हैं जिनका प्रयोग जंगलों के सीमांकन में किया जा रहा है ।

6239 पत्थर के तार बाढ़ स्तम्भ उपयोग में लाये जा चुके हैं । शेष 1,713 पत्थर स्टाक में हैं ।

उक्त अवधि में 16 साइकिल, रिक्शा, ट्राली सहित क्रय किये गये हैं और ये सभी ठीक हालत में फील्ड में कार्यरत हैं ।

डी0एफ0ओ0, उरई के बंगले का कम्पाउन्ड तथा की गयी खेती

34—श्री ऊदल—

क्या वन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि डी0एफ0ओ0 उरई के बंगले का कम्पाउन्ड 15/16 एकड़ का है ? यदि हां, तो उसमें पेड़-पौधे लगाये जाते हैं या खेती की जा रही है ?

श्री काजी मुहम्मद मुहिउद्दीन—

डी0एफ0ओ0 उरई वन विभाग के पुराने विश्रामगृह में निवास कर रहे हैं इस बंगले का कम्पाउन्ड 0.60 हैक्टर (1.50 एकड़) का है जो भविष्य में डी0एफ0ओ0 के कार्यालय व आवास के निर्माण हेतु रक्षित है । फिलहाल इस भूमि पर खेती की जा रही है ।

थानाध्यक्ष, बानेपुर, जिला गोंडा के विरुद्ध आरोप

35—श्री ऊदल—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि थानाध्यक्ष बानेपुर, जिला गोंडा के बारे में एक खुला पत्र 14 आरोपों का जिला गोंडा के कई संगठनों के पदाधिकारियों की ओर से 28 जुलाई, 1979 को निकाला गया है जो मुख्य मन्त्री एवं पुलिस महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश के नाम सम्बोधित हैं ? यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बनारसी दास—

12 आरोपों का एक खुला पत्र प्राप्त हुआ था जिसकी जांच कराई गई। जांच से आरोप सही नहीं पाये गए ।

श्री के 0 डी 0 शुक्ला आबकारी निरीक्षक, पडरौना के विरुद्ध अनियमितताओं की जांच

36—श्री शारदा प्रसाद जायसवाल—

क्या आबकारी मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि के0डी 0 शुक्ला, आबकारी निरीक्षक, पडरौना के कार्य क्षेत्र के अन्तर्गत वर्ष 1978 में इलाहाबाद उड़ाका दल ने छापा मार कर 1900 बोतल अवैध सील्ड शराब बिना इक्साइज ड्यूटी भुगतान किया हुआ पकड़ा था ? क्या उक्त आरोप एवं अन्य शिकायतें श्री शुक्ला के विरुद्ध प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है ?

श्री बनारसी दास—

श्री के 0 डी 0 शुक्ला, आबकारी निरीक्षक व पडरौना के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत वर्ष 1978 में इलाहाबाद उड़ाका दल (एक्साइज इन्टेलीजेंस ब्यूरो उत्तर प्रदेश) ने छापा मारकर दिनांक 27—6—78 को कसया स्थित देशी शराब की दुकान पर 35. 7 प्रतिशत वी/वी तीव्रता की 1255बोतलें व 495पौवा मसालेदार शराब की शील्ड बोतलें पकड़ी थी। दिनांक 1—4—79 से देशी शराब की स्वीकृत तीव्रता 36 प्रतिशत वी/वी से कम कर दी गयी थी एक अधिक तीव्रता की देशी शराब दूकान पर रखना निषिद्ध था । परन्तु पकड़ी गयी उक्त शराब की बोतलें उस दुकान का गतवर्ष का अवशेष स्टाक था, अतः एक्साइज ड्यूटी भुगतान किया हुआ था। उपरोक्त अनियमितता के लिये श्री शुक्ला की चरित्रपंजिका में प्रतिकूल प्रविष्टि कर उन्हें दंडित किया गया ।

उपरोक्त के अतिरिक्त श्री शुक्ला के विरुद्ध शिकायतों की ध्रुव प्रसाद ताड़ी अनुज्ञापी द्वारा श्री रामायण शुक्ला अध्यक्ष जिला युवक जनता देवरिया के साथ देवरिया से प्रकाशित साप्ताहिक समाचार पत्र "मंत्री" की प्रति था श्री जनार्दन प्रसाद ओझा विधायक द्वारा की गयी है। श्रीध्रुव प्रसाद ताड़ी अनुज्ञापी द्वारा की गयी शिकायत साक्ष्य के अभाव में सही नहीं पाई गयीं। श्री रामायण शुक्ला की शिकायत की जांच की जा चुकी है, जांच रिपोर्ट पर अंतिम निर्णय शेष है। श्री जनार्दन प्रसाद ओझा विधायक द्वारा की गयी शिकायतों की जांच की जा रही है ।

गांधी आश्रम, ग्वालदम, जिला चमोली में अनुसूचित जाति/जनजाति के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कार्यरत कर्मचारी व उनका स्थायीकरण

37—श्री पूरन चन्द्र (जिला अल्मोड़ा)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गांधी आश्रम, ग्वालदम, ज़िला चमोली में सितम्बर, 79 तक कितने अनुसूचित जाति/जन जाति के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी कितने वर्षों से कार्यरत हैं और कितने कर्मचारियों का अब तक स्थायीकरण किया गया ? यदि नहीं किया गया है, तो कब तक किया जायगा ?

श्री राम नरेश यादव—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

38—श्री देव बहादुर सिंह—

[38—3—78 के तारांकित प्रश्न संख्या 7 द्वारा उत्तरित ।]

39—श्री देव बहादुर सिंह—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

अस्थायी संख्या सहायक कर्मचारियों का विनियमितीकरण

40—श्री झामलाल अहेरवार (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या मुख्य मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि विभाग में सीधी भर्ती के कोटे के अन्तर्गत सन् 1960 से 1972 तक समय-समय तदर्थ रूप से नियुक्त अस्थायी संख्या सहायक (वर्तमान पद नाम सहायक संख्याधिकारी) के पद पर निरन्तर सेवारत कर्मचारियों का विनियमितीकरण न किये जाने का क्या कारण रहा ? क्या शीघ्र उपरोक्त कर्मचारियों का विनियमितीकरण शासनादेश संख्या 19/8/75 (1)का- ,दिनांक 14-5-79 के परिचालन में करने का कष्ट करेंगे ?

श्री बनारसी दास—

उ0प्र0 अधीनस्थ अर्थ एवं संख्या सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली 1976 के अन्तर्गत सीधी भर्ती द्वारा सहायक संख्याधिकारी पद पर तदर्थ रूप से नियुक्त किये गये । 17 व्यक्तियों के विनियमितीकरण का मामला वर्ष 1976 से लोक सेवा आयोग उ0प्र0 के विचाराधीन रहा । शासनादेश संख्या 19-8-75 (1) दिनांक 14-5-79 के जारी होने तक इन व्यक्तियों के विनियमितीकरण हेतु लोक सेवा आयोग का कोई निर्णय नहीं प्राप्त हुआ । उक्त शासनादेश के जारी होने के बाद इन व्यक्तियों तथा सीधी भर्ती द्वारा तदर्थ रूप से सहायक संख्याधिकारी पद पर नियुक्त किये गये कुछ अन्य व्यक्तियों के विनियमितीकरण के संबंध में प्रभाग द्वारा कार्यवाही प्रारम्भ की गयी । परन्तु प्रभाग के कुछ कर्मचारियों ने लोक सेवा अधिकरण उ0प्र0 में याचिका प्रस्तुत करके अधिकरण से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया जिसके फलस्वरूप विनियमितीकरण की कार्यवाही को रोक देना पड़ा । अधिकरण के स्थगन आदेश समाप्त होने के दिनांक को ही प्रभाग क कुछ कर्मचारियों न माननीय उच्च न्यायालय से पुनः स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया । इन परिस्थितियों में अभी तक इन व्यक्तियों का विनियमितीकरण नहीं किया जा सका है । स्थगन आदेश समाप्त होने पर उपरोक्त शासनादेश के अन्तर्गत विनियमितीकरण की कार्यवाही की जायेगी ।

गन्ना संघ एवं गन्ना समितियों के कर्मचारियों का पदोन्नति का आधार तथा विनियमित वेतनमान

41—श्री खान गुफरान जाहिदी (जिला फतेहपुर)—

क्या गन्ना विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि गन्ना संघ एवं गन्ना समितियों के कर्मचारियों पर 17 अक्तूबर, 1975 तक कौन से सेवा नियम लागू थे व जून, 1969 में गन्ना संघ द्वारा जूनियर सहायकों से सीनियर सहायकों के पदों पर पदोन्नतियां किस आधार पर की गयीं और गन्ना संघ द्वारा 15 अगस्त, 1973 से किया गया वेतन अभिनवीकरण सहकारी अधिनियम, 1965 की किस धारा से विनियमित किया गया है ? इस संबंध में प्राप्त प्रत्यावदनों पर गन्ना आयुक्त द्वारा क्या निर्णय लिया गया ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

गन्ना संघ एवं गन्ना समितियों के कर्मचारियों पर दिनांक 17-10-75 तक केन कोआपरेटिव सर्विस रूल्स, 1963 लागू था ।

जून, 1969 से जूनियर सहायकों की पदोन्नतियां ज्येष्ठ सहायकों के पद पर ज्येष्ठता एवं उपयुक्तता के आधार पर की गयी ।

बढ़ती हुई महंगाई एवं कर्मचारियों में व्याप्त असंतोष तथा उनकी मांग पर गन्ना संघ की प्रबन्ध कमेटी ने दिनांक 15-6-73 से कर्मचारियों के वेतन अभिनवीकरण किया जो गन्ना आयुक्त/निबन्धक सहकारी गन्ना समितियां की स्वीकृति के उपरान्त उक्त तिथि से प्रभावी हुआ । सहकारी समिति अधिनियम 1965 की धारा 121 (1) के अन्तर्गत

निबन्धक को समितियों के कर्मचारियों की सेवा शर्तों को विनियमित करने के अधिकार प्राप्त हैं। वेतन अभिनवीकरण के संबंध में प्राप्त प्रत्यावेदनों पर नियमानुसार कार्यवाही की गयी।

अवध वन प्रभात के अन्तर्गत यूकेलिप्टस ग्रोप सेक्शन में राजधिकारी इन्चार्ज यूकेलिप्टस ग्रोव द्वारा किया गया व्यय

42—श्री रियासत हुसैन—

क्या वन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि अवध वन प्रभाग के अन्तर्गत यूकिलिप्टस ग्रूव में 1975 से अब तक कितना खर्चा राजधिकारी इन्चार्ज, यूकिलिप्टिस ग्रूव द्वारा किन-किन मदों पर किया गया तथा जिन अधिकारियों/कर्मचारियों के आवासों में कार्य किया जाता है उनके प्रमाण-पत्र लिये जाते हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री काजी मुहम्मद मुहिउद्दीन---

अवध वन प्रभाग के अन्तर्गत यूकेलिप्टस ग्रोव सेक्शन में सितम्बर, 1975 से अक्टूबर, 1979 तक राज अधिकारी इन्चार्ज यूकेलिप्टस ग्रोव द्वारा रु0 8,29,947 का खर्च विभिन्न मदों पर किया गया। यह व्यय नये भवन के निर्माण पुराने भवनों में परिवर्तन, विशेष मरम्मत, भवनों के कम्पाउन्ड के वार्षिक रख-रखाव व बिजली व पानी की व्यवस्था पर किया गया।

नियमों के अन्तर्गत ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जिसके अन्तर्गत जिन अधिकारियों/कर्मचारियों के आवासों में कार्य कराया जाय उनमें रहने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों से कार्यों के बारे में प्रमाण-पत्र लिये जायें।

मेमोरा सेक्शन में इन्चार्ज फारेस्टर द्वारा व्यय

43—श्री रियासत हुसैन—

क्या वन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि अवध वन प्रभाग के अन्तर्गत मेंमोरा सेक्शन में 1976 से 1979 तक कितना व्यय इन्चार्ज फारेस्टर द्वारा करवाया गया ? क्या इस फारेस्टर से सीनियर और फारेस्टर व डिप्टी रेंजर प्रभाग में नहीं थे ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री काजी मुहम्मद मुहिउद्दीन—

अवध वन प्रभाग के अन्तर्गत मेमोरा नाम का कोई सेक्शन नहीं है। मेमोरा नामक स्थान बन्थरा सेक्शन में है जिसके इन्चार्ज फारेस्टर द्वारा कुल रुपये 7,29,400.00 की धन-राशि का व्यय 1976 से अक्तूबर, 1979 तक किया गया।

उक्त फारेस्टर से सीनियर फारेस्टर व डिप्टीरेन्जर प्रभाग में थे। यह अनिवार्य नहीं है कि वरिष्ठतम फारेस्टर या डिप्टी रेन्जर से कार्य करवाया जाय। उपयुक्तता के आधार पर यह कार्य सौंपे जाते हैं।

44—श्रीमती शारदा देवी—

[3रे गुरूवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 42 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]।

45—श्री रामदत्त जोशी—

[3रे सोमवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 57 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जिला अल्मोड़ा में वन विभाग द्वारा कथित मार्गों का निर्माण

46—श्री पूरन चन्द्र—

क्या वन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला अल्मोड़ा में वर्ष 1977–78 में जो वन विभाग द्वारा कनाधार छत्यानी मोटर मार्ग. का 2 कि0 मी0 का निर्माण किया गया था किन

परिस्थितियों में वह कार्य अब रोक दिया गया है ? और अब पुनः इस रोड का निर्माण कार्य कब तक छत्यानी मजकोट तक पूरा किया जायगा ?

श्री काजी मुहम्मद मुहिउद्दीन---

जिला अल्मोड़ा में वर्ष 1977-78 में वन विभाग द्वारा कनाधार छत्यानी मोटर मार्ग का निर्माण नहीं किया गया है ।

वन विभाग द्वारा कन्धार से बजवाड़ा (वन विश्राम भवन) तक लगभग 30 कि मी0 लम्बे मोटर मार्ग का निर्माण कार्य किया जाना प्रस्तावित है । इस मार्ग का निर्माण कार्य वर्ष 1978-79 में आरम्भ किया गया है तथा उक्त वर्ष में 1 कि0 मी0 200 मीटर मोटर मार्ग का निर्माण पूरा किया गया है । वर्ष 1979-80 में 1 कि0 मी0 मार्ग का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है, जिसमें से 450 मीटर मार्ग का निर्माण किया जा चुका है शेष कार्य प्रगति में है । धन की उपलब्धता के अनुसार इस मोटर मार्ग का निर्माण कार्य आने वाले वर्षों में पूरा किया जायगा ।

उपरोक्त कन्धार से वजवाड़ा मोटर मार्ग छत्यानी ग्राम से लगभग 2 कि0 मी0 की दूरी पर से गुजरेगा । छत्यानी से मजकोट लगभग 6 कि0 मी0 की दूरी पर है इन ग्रामों को प्रस्तावित निर्माणाधीन मोटर मार्ग से जोड़ने के लिये करीब 8 कि0 मी0 सह मार्ग बनाना होगा । इस सह मार्ग के निर्माण हेतु वन विभाग का अभी कोई प्रस्ताव नहीं है ।

श्री गोविन्द नारायण जोशी, सेल्समैन जिला अल्मोड़ा की सेवा समाप्त किये जाने का कारण

47---श्री पूरन चन्द्र---

क्या सरकार को विदित है कि श्री गोविन्द नारायण जोशी पुत्र श्री लीलाधर जोशी, ग्राम सिलकानी (भण्डारी गांव), पो0 आ0 कपकोट, जिला अल्मोड़ा की वर्ष 1974 में श्री गांधी आश्रम, कपकोट (चनौदा) में जिला अल्मोड़ा में सेल्समैन के पद पर नियुक्त किया गया था। क्या श्री जोशी को उनकी पत्नी की मृत्यु सितम्बर, 1975 में हो जाने के कारण माह का उपार्जित अवकाश दिया गया था ? यदि हां, तो छुट्टी लेने के कारण उनकी सेवायें वर्ष 1975 में नवम्बर माह में समाप्त कर दी गयीं ? क्या सरकार बतायेगी कि श्री जोशी को 12 वर्ष की निरन्तर सेवा करने के बावजूद सेवा से निकाले जाने का क्या कारण है ?

श्री राम नरेश यादव---

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद आजमगढ़ में तैनात हरिजन थानाध्यक्ष

48---श्री बुद्धू राम (जिला आजमगढ़)---

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ में कितने हरिजन इंचार्ज दरोगा तैनात है ? और कितने पिछड़ी जाति के हैं ? यदि हरिजन इंचार्ज नहीं है तो उसके क्या कारण हैं ? क्या सरकार इसे पूरा करने हेतू कोई व्यवस्था करने का कष्ट करेगी ?

श्री बनारसी दास---

जनपद आजमगढ़ में हरिजन जाति का कोई सब-इन्सपेक्टर थाना अध्यक्ष नहीं है । पिछड़ी जाति के पांच उप निरीक्षक थानाध्यक्ष हैं । हरिजन थानाध्यक्ष न होने के कारण जिले में नियुक्त उप-निरीक्षकों में थानाध्यक्ष के पद पर नियुक्तियों के लिये योग्य हरिजन उप निरीक्षक का अभाव है । हरिजन थानाध्यक्ष की नियुक्ति हेतु प्रयास किया जा रहा है ।

देवरिया जनपद में पडरौना सर्किल के आबकारी इन्सपेक्टर श्री कपिल देव शुक्ला के क्षेत्र में गम्भीर अनियमितताएं तथा घोटाला व स्थानान्तरण

49--श्री पुरुषोत्तम कौशिक--

क्या आबकारी मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जनपद में पडरौना सर्किल के इन्स-पेक्टर (आबकारी) श्री कपिलदेव शुक्ला का स्थानान्तरण वर्ष 1978-79 में कितनी बार निरस्त किया गया तथा निरस्त करने का कारण क्या था ?

श्री बनारसी दास--

देवरिया जनपद में पडरौना सर्किल के आबकारी इन्सपेक्टर श्री कपिल देव शुक्ला का स्थानान्तरण वर्ष 1978-79 में दो बार निरस्त किया गया । निरस्त करने का कारण प्रशासनिक आधार था।

50--श्री पुरुषोत्तम कौशिक--

क्या मंत्री यह भी बतायेंगे कि आबकारी निरीक्षक, पडरौना (देवरिया) श्री के0 डी0 शुक्ला के क्षेत्र में उप आयुक्त आबकारी, इलाहाबाद (एक्साइज इन्टेलिजेन्स ब्यूरो) ने गम्भीर अनियमितायें तथा घोटाले पकड़े हैं ? यदि हां, तो सम्पूर्ण मामला सतर्कता अधिष्ठान को सौप दिया जायगा ?

श्री बनारसी दास--

जी हां, आबकारी निरीक्षक पडरौना (देवरिया), श्री के0डी0 शुक्ला के क्षेत्र में उप आयुक्त आबकारी इलाहाबाद (एक्साइज इन्टेलीजेन्स ब्यूरो) ने अनियमितायें तथा घोटाले पकड़े । इस संबंध में श्री शुक्ला को एक विशेष प्रतिकूल प्रविष्ट दी गई। सम्पूर्ण मामला सर्तकता अधिष्ठान को सौंपा नहीं गया है ।

51--श्री रियासत हुसैन--

[3रे मंगलवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 42 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

थाना जीयनपुर, आजमगढ़ में अपराध संख्या 181 की सी0 आई0 डी0 द्वारा जांच

52--श्री राम जनम (जिला आजमगढ़)--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगें कि थाना जीयनपुर, परगना व तहसील सगड़ी, आजमगढ़ के अपराध संख्या 181 घटना दिनांक 20-8-76 की सी0 आई0 डी0 द्वारा जांच हुई है ? यदि हां, तो उसमें कौन-कौन तथ्य प्रकाश में आये ? क्या आदलत में चल रहे इस मुकदमें को सरकार बापस लेने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री बनारसी दास--

जी नहीं, सरकार द्वारा मुकदमा अदालत से वापस लेने के संबंध मे कोई विचार नहीं हो रहा है ।

थाना जीयनपुर, आजमगढ़ में दर्ज फर्जी मुकदमा

53--श्री राम जनम--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 6-9-76 को थाना कोतवाली आजम-गढ़ में ग्राम चंगईपुर परगना व तहसील सगड़ी, आजमगढ़ के किसी व्यक्ति की जगह फर्जी व्यक्ति द्वारा बैनामा कराने की प्रथम सूचना दर्ज हुई है ? यदि हां, तो उसमें अब तक कौन-सी कार्यवाही हुई ?

श्री बनारसी दास--

जी हां, श्री नर सिंह पुत्र सभा जीत सिंह, साकिन चंगईपुर थाना जीयनपुर, आजमगढ़ के द्वारा धारा 419/420/467/469 भा0 द0 वि0 का मुकदमा दर्ज कराया गया था। विवेचना के उपरान्त उपरोक्त मुकदमों में दिनांक 26-3-79 को साक्ष्य के अभाव में तथा फर्जी मुकदमा पाये जाने पर विवेचक ने अन्तिम रिपोर्ट द्वारा मुकदमा समाप्त कर दिया।

श्री हजारी लाल गुप्ता, परगनाधीश मांट, मथुरा की सतर्कता अधिष्ठान द्वारा जांच

54--श्री हुकम चन्द्र तिवारी--

क्या मुख्य मंत्री बतानेकी कृपा करेंगे कि वर्ष 1974 में श्री हजारी लाल गुप्ता, परगनाधीश मांट (मथुरा) में तैनात थे, उस समय सरकार प्रति मुन्ना लाल, सरकार प्रति रमेश चन्द्र, सरकार प्रति हरदम सिंह के सीलिंग के वादों में निर्णय बदलने, साक्ष्य न लिखने एवं अनियमितता बरतने की शासन को शिकायतें प्राप्त हुईं जिसकी सर्तकता अधिष्ठान द्वारा जांच करने पर सभी आरोप सत्य पाये गये ? यदि हां, तो आज तक उन्हें निलम्बित क्यों नहीं किया गया?

श्री बनारसी दास--

प्रश्नगत मामले में सर्तकता अधिष्ठान की खुली जांच के उपरान्त जांच आख्या प्राप्त हो गयी है जो शासन में विचाराधीन है।

गोंडा जनपद के थाना कौडिया के अन्तर्गत दर्ज रिपोर्ट

55--श्री रामपति--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोंडा जनपद के थाना कौडिया के अन्तर्गत दिनांक 1 जनवरी, 1979 से 15 अगस्त, 1979 तक धारा 329, 323, तथा 394 अ ई0 पी0 सी0 के अन्तर्गत कितनी रिपोर्टें दर्ज हुई हैं? क्या इन रिपोर्ट में जुलाई, 1979 मे पिपरा चौबे निवासी रामचन्दर की रिपोर्ट भी सम्मलित है ? यदि हां, तो रिपोर्ट किन लोगों पर थी तथा पुलिस ने आज तक क्या कार्यवाही किया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बनारसी दास--

प्रश्नगत अवधि में इन धाराओं के अन्तर्गत कुल 19 अपराध पंजीबद्ध हुए जिनमें श्री रामचन्द्रर द्वारा लिखायी गई रिपोर्ट भी सम्मिलित है। यह रिपोर्ट सर्वश्री किशुन उर्फ कोयले, हजारी लाल व एक अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध थी। पुलिस द्वारा विवेचनोपरान्त मामले में अन्तिम रिपोर्ट लगा दी गयी।

थाना कौडिया के अन्तर्गत श्री रामसरन की हत्या की जांच

56--श्री रामपति--

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि गतवर्ष थाना कौडिया के अन्तर्गत राम सरन निवासी तेलियाकोट को कत्ल कर दिया गया जिसकी सूचना मुख्य मंत्री एवं गृह मंत्री को 3 अक्तूबर, 1978 को भेजी गयी है, यदि हां, तो रिपोर्ट में आज तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बनारसी दास--

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 22-9-78 को श्री रामसरन की हत्या के संबंध में दरयाफ्त हाल द्वारा मामले की विवेचना हो रही है। 3-10-78 का पत्र प्राप्त होना प्रतीत नहीं हुआ ।

57--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त --

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

अभियुक्त श्री राम लखन व सन्त राम खेसरहा, जिला बस्ती के विरुद्ध जांच

58—श्री राम नारायन वर्मा (जिला सीतापुर)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उनके कार्यालय में माह सितम्बर, 1979 में राम लखन, थाना खेसरहा, जिला बस्ती के खिलाफ कोई शिकायती पत्र दिया गया था ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? क्या यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उनके नाम से मई, 1979 में जी0 आर0 पी0 बस्ती में 302 का मुकदमा दर्ज है ? यदि हां, तो उसमें अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बनारसी दास—

जी हां, शासन द्वारा जांच कराने के आदेश दिये गये हैं।

जी हां। विवेचना के उपरान्त अभियुक्तगण राम लखन व सन्त राम के विरुद्ध आरोप पत्र प्रेषित कर दिया गया है।

ग्राम शादीपुर, जिला आजमगढ़ के हरिजन के घर पड़ी डकैती

59—श्री बुद्धू राम —

क्या मुख्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि आजमगढ़ थाना बरदह के अन्तर्गत ग्राम शादीपुर के हरिजन के यहां दिनांक 7 जनवरी, 1978 को डकैती पड़ी थी और उसमें मुन्नी लाल हरिजन का दाहिना हाथ डकैतों के बम से कट गया था? यदि हां, तो अब तक विभागीय क्या-क्या कार्यवाही की गयी और उक्त गरीब हरिजन को जिसका हाथ कट गया है अब तक कौन-कौन सी सहायता दी गयी और नहीं सहायता दी गयी, तो क्या कारण है।

श्री बनारसी दास—

जी हां, 7/8-1-1978 को रात्रि में डकैती पड़ी थी श्री मुन्नी लाल जो डकैती में डकैतों के प्रहार से घायल हो गया था, का हाथ बाद में डाक्टर द्वारा काट दिया गया। अभियोग का न्यायालय में असफल अभियोग होने के परिपेक्ष्य में मामले की जांच विवेचना अन्तिम रिपोर्ट द्वारा समाप्त कर दी गयी है। असाधारण पेंशन स्वीकृति किये जाने का मामला शासन के विचाराधीन है ।

श्री लक्ष्मी नारायण चतुर्वेदी, थानाध्यक्ष नेबुआ नौरंगिया, जनपद देवरिया का स्थानान्तरण

60—श्री श्रीनारायण (जिला देवरिया)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री लक्ष्मी नारायण चतुर्वेदी पुलिस सब इन्स-पेक्टर, जिला देवरिया का थाना नेबुआ नौरंगिया से जनवरी, 1979 से 30 सितम्बर, 1979 तक कब-कब और कहां-कहां के लिए स्थानान्तरण हुआ और वह किसके-किसके आदेश से किन-किन कारणों से स्थगित कर दिया गया ?

श्री बनारसी दास —

श्री लक्ष्मी नारायण चतुर्वेदी, थानाध्यक्ष नेबुआ नौरंगिया,, जनपद देवरिया का स्थानान्तरण दिनांक 2 फरवरी, 1979 को थानाध्यक्ष लार के पद पर हुआ था जो उनकी पत्नी की चिकित्सा के कारण तत्कालीन पुलिस अधिक्षक द्वारा अनुकम्पा के आधार पर निरस्त कर दिया गया। इन्हें दिनांक 20-8-79 को थाना कप्तानगंज के लिए स्थानान्तरित किया गया जहां उन्होंने दिनांक 3-9-79 को कार्यभार ग्रहण कर लिया है। श्री चतुर्वेदी का स्थानान्तरण पुलिस मुख्यालय के आदेश दिनांक 18-9-79 द्वारा जनपद देवरिया से लखनऊ परिक्षेत्र में किया गया जो पुलिस मुख्यालय के आदेश दिनांक 25-9-79 द्वारा प्रशासनिक कारणों से अग्रिम आदेश तक रोक दिया गया है।

प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

(डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल का नाम पुकारे जाने पर)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)--

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष--

अब मैंने नियम 301 ले लिया है। आप बैठिए।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न प्रश्नों के सम्बन्ध में ही है। पूर्ववर्ती अध्यक्ष जो रहे हैं उन्होंने व्यवस्था दी थी कि जब कभी ऐसा मामला सदन में आये जिसमें किसी सदस्य ने शिकायत की हो और जब उसकी इन्क्वायरी होगी तो सम्बन्धित विधायक से जरूर बयान लिया जायेगा। अभी एक मामला इसी प्रकार का सदन में आया और माननीय सदस्य से जांच के समय पूछा नहीं गया, उनका बयान नहीं लिया गया। आप पहले की रूलिंग को देख लें। अगर सही है तो शासन को निर्देश देने की कृपा करें कि इन्क्वायरी करते समय सम्बन्धित माननीय सदस्य से जरूर पूछ लिया जाये।

श्री उपाध्यक्ष--

यह देख लिया जायेगा।

विगत लोक सभा चुनाव में आगरा संसदीय क्षेत्र के देवरी पोलिंग स्टेशन पर हरिजन मतदाताओं को धमकाने, वोट न डालने देने तथा हरिजन युवक सोबरन सिंह की हत्या के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री उपाध्यक्ष--

कौशल जी, आप दूसरे पैरा में "उत्तर प्रदेश की वर्तमान.....उसी श्रृखला के अन्तर्गत" अंश को न पढ़े। इसको मैंने स्वीकार नहीं किया है। यह आक्षेप है।

*डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल (जिला आगरा)--

मान्यवर, यही तो मुख्य था।

श्री उपाध्यक्ष--

इसको मैंने अस्वीकार कर दिया है।

*डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल--

मान्यवर, आपके माध्यम से अविलम्बनीय लोक महत्व के एक गम्भीर प्रश्न की ओर शासन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। विगत लोक सभा चुनावों में आगरा संसदीय क्षेत्र के दयालबाग विधान सभा क्षेत्र के देवरी पोलिंग स्टशन पर टुन्डपुरा थाना सदर आगरा निवासी 26 वर्षीय जाटव युवक श्री सोबरन सिंह की 3 जनवरी, 1980 को हत्या कर दी गयी। जिसकी हाथ पैर कटी लाश करीब एक सप्ताह बाद खेत में पड़ी पायी गयी।

श्रीमन्, इस अन्तिम परिणिति की शुरूआत इस गांव में हरिजनों को वोट डालने से रोके जाने की घटना को लेकर हुई जिसका विरोध करने व हरिजन मतदाताओं का वोट डलवाने हेतु इस हरिजन युवक के नेतृत्व में करीब 10-12 नवयुवक टुन्डपुरा से देवरी गांव गये। देवरी पोलिंग स्टेशन पर कब्जा करने वाले दल के कार्यकर्ताओं ने इन युवकों पर

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[डा० कृष्णवीर सिंह कौशल]

हमला कर दिया, इनको बुरी तरह मार पीट कर घायल कर दिया। इनकी मोटर साइकिल, स्कूटर, साइकिल व घड़ियां आदि छीन लीं। यही नहीं उपरोक्त घटना के बाद क्षेत्रीय हरिजन पुरूषों को एक वर्ग विशेष के लोगों द्वारा घरों में जाने से रोका जा रहा है, क्षेत्र में गरीब, निर्बल व हरिजन वर्ग में असुरक्षा व असंतोष की भावना व्याप्त हो गयी है।

श्रीमन्, इतना सब कुछ घटित होने बाद भी प्रशासन व शासन मूक दर्शक बना हुआ है। कोई प्रभावी कदम अपराधियों के विरुद्ध अब तक नहीं उठाया गया है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि समस्या की गम्भीरता देखते हुए उपरोक्त कान्ड की जांच किसी उच्च न्यायिक अधिकारी द्वारा कराने के आदेश तत्काल प्रदान करें व आप मुख्य मंत्री जी को सदन में इस सन्दर्भ में आज ही वक्तव्य देने हेतु निर्देशित करें।

जनपद आगरा के थाना मरसैना के ग्राम इटौरा में श्री बांके लाल बढ़ई व उसके लड़के राम विश्वास को श्री राम हरी ब्राह्मण के डाकू दल द्वारा गोली से मार कर हत्या किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

(श्री रघुबर दयाल वर्मा का नाम पुकार कर।)

श्री उपाध्यक्ष—

आप इस सूचना का पैरा 2 न पढ़िए।

श्री रघुबर दयाल वर्मा (जिला आगरा)—

मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय सदन का ध्यान एक अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि जनपद आगरा के मरसैना के ग्राम इटौरा में दिनांक 16-1-80 को रात्रि में 8 बजे अलाव पर बैठे श्री बांके लाल बढ़ई, वृद्ध 70 साल व उसके लड़के राम विश्वास, उम्र 17 साल को श्री रामहरी ब्राह्मण के डाकू दल ने गोली मार दी जिससे उनकी घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई और तीन अन्य के भी गोली मारी जो बुरी तरह घायल हो गये जिनको अस्पताल में बचाया जा सका और आज भी वह खतरे से बाहर नहीं हैं। श्री बांके लाल का परिवार भूमिहीन है और समूचे गांव में कोहराम मचा हुआ है।

मान्यवर, यही नहीं थाना मरसैना से इटौरा की दूरी 2 1/2 फर्लांग है और ग्राम रामदास पुरा, कबीरपुरा, उसमानपुर कटीनरि से किसान गांव छोड़ कर भागने लगे हैं। डकैत विधाराम के आतंक, लूट और हत्याओं के तांते से गांव खाली होने लगे हैं और इटौरा के आसपास के गांव डकैत राम हरी के आ ंक से खाली हो रहे हैं।

थाना मरसैना के समूचे क्षेत्र में जनमानस हिल उठा है और क्षेत्र में असुरक्षा की स्थिति बड़े पैमाने पर बिगड़ चुकी है जिससे ग्रामीणों में हलचल उठ खड़ी हुई है।

श्री उपाध्यक्ष—

जिस हिस्से को मैंने काट दिया है उसे मत पढ़िए।

श्री रघुबर दयाल वर्मा—

श्रीमन्, एक लाइन पढ़ रहा हूं।

[× × ×]

नोट:—[× × ×] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

जनपद आगरा के थाना मरसैना के ग्राम इटौरा में श्री बांके लाल बढ़ई व उसके लड़के श्रीराम विश्वास को श्री राम हरी ब्राह्मण के डाकू दल द्वारा गोली से मार कर हत्या किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना 379

अस्तु माननीय सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूं कि मृतक परिवा ों की विधवाओं और बच्चों को तत्काल समुचित आर्थिक सहायता दी जाये और उनके आश्रितों को पेंशन तथा दोषियों को तत्काल गिरफ्तार किया जावे तथा तुरन्त सुरक्षात्मक कदम उठाये जावें।

देवरिया जिले के बिहारी छपरा तथा बरवा रतनपुर केन्द्रों के गन्ने की खरीद न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री श्रीनारायण (जिला देवरिया)--

माान्यवर, देवरिया जिले का बिहारी छपरा गन्ना क्रय केन्द्र गोरखपुर जिले के घुघली चीनी मिल तथा बरवा रतनपुर गोरखपुर के सिसवा चीनी मिल के जोन में पड़ता है और दोनों चीनी मिले बीमार दशा में चल रही हैं जिससे दर्जनों गांवों मे गन्ने की भारी समस्या बन गयी है। विगत वर्षों में बिहारी छपरा में कप्तान गंज चीनी मिल का कांटा लगता रहा है तथा बरवा रतनपुर में राम कोला का परन्तु इस वर्ष न तो कोई कांटा लगा और न ही गन्ने की सप्लाई की कोई व्यवस्था ही हुयी है। गन्ना खेतों में सूख कर बरबाद हो रहा है। गन्ना किसान गन्ना गिरा कर गेहूं की एक फसल काट लेता था उससे भी उसे हाथ धोना पड़ा तथा उसकी पूंजी खेत में डूब रही है। अधिकारियों की अदूरदर्शिता तथा सरकार की उदासीनता से गन्ना किसान बरबाद हो रहा है। इससे लोगों में भीषण रोष एवं असंतोष व्याप्त है।

अस्तु लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न को आपके माध्यम से माननीय सदन के संज्ञान में लाकर यह मांग करता हूंकि बिहारी छपरा में कप्तानगंज तथा बरवा रतनपुर में राम कोला मिलों को कांटा लगाकर शीघ्र गन्ना क्रय करने की व्यवस्था करें।

श्री इलहाज अब्दुल समी तथा उनके परिवार के साथ घाघरा घाट पर पुलिस वालों द्वारा अभद्र व्यवहार किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री फजलुल बारी (जिला गोंडा)--

उपाध्यक्ष महोदय, दिनांक 25-1-80 की रात में इल्हाज अब्दुल समी जो मेरे क्षेत्र गोंडा के निवासी हैं अपनी जीप नं0 यू0 एस0 ए0 1558 से लखनऊ से गोंडा जाते हुए रात के लगभग 10 बजे घाघरा घाट पर जब पुल के पूर्वी किनारे पर आये तो बावर्दी बन्दूक धा ी पुलिस वालों ने उनकी जीप को रोका जीप में हाजी समी के साथ उनकी बड़ी बहन और बीबी नकाब में थी। सिपाहियों ने हाजी साहब से कहा कि दरोगा जी और हम आपकी जीप पर जरबल रोड तक जायेंगे। लेकिन हाजी साहब के इनकार करने पर दरोगा जी गुस्से में भरे हुए सामने आये और गाली देते हुए समी साहब को गाड़ी से नीचे आने को कहा और सिपाहियों से गाड़ी की तलाशी लेने को कहा। कड़ाके की सर्दी में नदी के किनारे गाड़ी से बाहर दो बुर्कापोश खवातीन और हाजी समी आध घन्टा खड़े रहे और कानून के मुहाफिज लोगों के बुजुर्गों और औलादों तक से रिश्ता जोड़ते रहे और दरोगा जी ने हाजी समी की दाढ़ी तक नोचने को कही। गाड़ी में गैर कानूनी कोई चीज नहीं मिली और इन मुसाफिरों को आगे जाने की इजाजत मिली।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि बहराइच जिले के इन दुष्ट कानून के मुहाफिजों के खिलाफ जो कानून का मजाक उड़ाते हैं, सख्त कार्यवाही करें ताकि कानून की हुकमरानी (रूल आफ ला) की भावना जनता और कर्मचारियों में पैदा हो सके।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

ब्रज की प्राचीन संस्कृति की रक्षा की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ।

*श्री राधे श्याम शर्मा (जिला मथुरा)---

मान्यवर, योगीराज कृष्ण की पवित्र जन्म भूमि मथुरा ब्रज क्षेत्र में इसी लोक सभा चुनाव में घूमने का पूरा व्यापक अवसर गांव-गांव मुझे मिला है। इस समय ब्रज की प्राचीन संस्कृति पूरी तरह से नष्ट हो रही है, पवित्र यमुना नदी का जल पूरी तरह से स्वार्थी तत्वों ने रंगी हुई धोतियों की धुलाई से लाल तथा दूषित कर रखा है। मथुरा, वृन्दावन, गोकुल के घाट सभी खंडित हो चुके हैं। गोकुल के लोग तो बिना उद्योग धंधे के गोकुल ही छोड़कर दूसरे स्थानों पर अधिकांश चले गये हैं। घाटों के सहारे बने प्राचीन मन्दिर सब टूट फूट रहे हैं। मथुरा का परिक्रमा मार्ग पूरी तरह से कंटकाकीर्ण हो रहा है। ब्रज चौरासी कोस की परिक्रमा मार्ग का भी बुरा हाल है। सारे ब्रज क्षेत्र के पवित्र स्थान मथुरा, वृन्दावन, नन्दगांव, बरसाना, गोकुल (पुराना गोकुल महाबन) बल्देव, मांट-छांहरी भांडोर बन, राधाकुंड, जतोपुरा, गोबर्द्धन, सोंख सभी तीर्थ स्थलों के मन्दिर क्षतिग्रस्त हो रहे हैं। सारे ब्रज के ताल, तलैया, घाट, बनों का बुरा हाल हो चुका है। एक प्रकार से इस भ्रमण में मुझे पूरी तरह से ज्ञात हुआ कि ब्रज की पवित्र प्राचीन संस्कृति पूरी तरह से नष्ट हो रही है। मथुरा शहर का पवित्र चतुर्वेदी समाज जो पूरी तरह से धार्मिक है, जो बिना यमुना में स्नान किये कोई कार्य ही नहीं करता है, स्त्रियां यमुना जल से खाना बनाती हैं, यह ब्रज की प्राचीन परम्परा है पर अब यमुना नदी का पानी पूरी तरह दूषित व लाल होने के कारण इन नित्य कार्यों में बड़ी रुकावट हो रही है। मथुरा में आजकल नलों में पानी तो चार चार दिन तक नहीं मिलता है, इससे भारी कठिनाई पूरे नगर में हो रही है। बिजली का भी बहुत बुरा हाल है। ब्रज संस्कृति के ह्रास के लिये मैंने पिछले दिनों भी विधान सभा में कहा था पर शासन द्वारा कोई कार्यवाही नहीं हुई। इससे जनता में घोर निराशा और बढ़ी है। मेरी उत्तर प्रदेश शासन से जोरदार मांग है कि ब्रज के सर्वांगीण विकास तथा ब्रज संस्कृति की पूरी तरह रक्षा के लिए एक उच्चस्तरीय सर्वेदल का गठन किया जाय जो ब्रज की प्राचीन संस्कृति के पूरी तरह से जानकार विद्वानों से सम्पर्क करे तथा साथ में उन्हें घुमाकर पूरे ब्रज का सर्वे करे और 3 माह के अन्दर सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रेषित करे। सरकार उस रिपोर्ट पर तत्काल कार्यवाही कर ब्रज की प्राचीन संस्कृति की रक्षा करने के लिए निर्माण कार्य अति शीघ्र कराये।

उन्नाव के कतिपय मार्गों पर चलने वाली बसों के बन्द होने से जनता में कठिनाई के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जगदीश प्रसाद त्रिवेदी (जिला उन्नाव)---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मान्यवर, आपके माध्यम से अविलम्बनीय अति लोक महत्व की निम्न सूचना की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

उन्नाव जनपद में इस समय प्राइवेट बस मालिकों ने आपस में सांठ-गांठ कर उन्नाव-हरदोई रोड, उन्नाव-औरास-संडीला रोड, उन्नाव हसनगंज रोड, उन्नाव-भोजपुर आदि मार्गों पर चलने-वाली प्राइवेट बसों का चलाना बन्द कर दिया है जिससे जनपद का सामान्य जन-जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है और लोग घोर कठिनाइयों में फंस गये हैं। प्राइवेट बस मालिकों के इस मनमाने तरीके से आम जनता में घोर रोष एवं असंतोष की भावना उत्पन्न हो रही है। बस मालिकों द्वारा हड़ताल किये जाने के सम्बन्ध में कहा यह जाता है कि उक्त सभी प्राइवेट लारी मालिकान बसों में भूसे की तरह ठूंस-ठूंस कर सवारियां भरते हैं और टिकट न बनाकर लाखों रुपये की कर-चोरी करते हैं।

[× × × ×]

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट:--[×××] इंगित अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया

उन्नाव के कतिपय मार्गों पर चलने वाली बसों के बन्द होने से जनता में कठिनाई के संबंध में 381 नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री उपाध्यक्ष—

यह अंश आप न पढ़िये। अंत वाला अंश पढ़ दीजिए। वह दूसरी घटना है।

श्री जगदीश प्रसाद त्रिवेदी—

घटना क्यों हो गयी, किस प्रकार स्थिति पैदा हुई उसका विवरण बता रहा हूं। दूसरी घटना नहीं है। गत 25 जनवरी को इसी प्रकार उन्नाव से हरदोई की ओर जाने वाली एक बस में इतनी अधिक सवारियां भरी गयी थीं कि उसमें खड़े होने की भी तिल भर जगह नहीं थी। लोग बस के पीछे तथा सीढ़ियों पर लटके हुये थे। बस चलाते समय ड्राइवर ने एकाएक गाड़ी की गति तेज कर दी जिससे हिचकोला खाकर तीन-चार यात्री गिर पड़े। गिरने वालों में अरगूपुर नौसहरा निवासी डी0 एस0 एन0कालेज, उन्नाव का बी0 ए0 द्वितीय वर्ष का रमाकान्त नामक एक छात्र भी था जो दुर्भाग्यवश बस के नीचे आ गया और बस उसे रौंदती हुई लगभग एक किलोमीटर आगे तक चली गयी। बस में बैठे यात्रियों ने जब ड्राइवर से लड़के के कुचलने और बस को घटना स्थल पर वापस लौटा ले चलने को कहा तो बस ड्राइवर ने कहा कि साला कुचल गया होगा, मुझे कोई फिकर नहीं। इस पर यात्रियों ने बस ड्राइवर को घटना स्थल पर बस लौटाने को मजबूर किया। तब ड्राइवर गाड़ी लेकर घटना स्थल तक वापस आया। इस अवधि में कुछ छात्र तथा नागरिक भी आ गये और उपस्थित भीड़ तथा छात्रों ने घटना स्थल के समीप ही पुलिस कार्यालय में उपस्थित उप पुलिस अधीक्षक श्री तेजीराम तथा श्री वीरेन्द्र सिंह से कहा कि आप ड्राइवर व कन्डक्टर को गिरफ्तार कर लें लेकिन दोनों ही अधिकारियों ने सुनी अनसुनी कर दी और चुपचाप बैठे रहे। लगभग एक घंटे के अन्तराल में मौके का फायदा उठाकर ड्राइवर व कन्डक्टर भाग निकले और लाश लावारिश पड़ी रही। पुलिस द्वारा कोई तत्पर कार्यवाही न होते देख उपस्थित भीड़ क्रुद्ध हो उठी और उसने बस में आग लगा दी। इसी घटना के विरोध स्वरूप बस मालिकों ने सभी मार्गों पर चलने वाली बसों का चलना बन्द कर दिया है। अति लोक महत्व की उक्त सूचना के माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से अपेक्षा करता हूं कि वह तुरन्त इस ओर ध्यान दे और यातायात को सुचारु रूप से चलाने के लिये सभी प्राइवेट मार्गों पर राजकीय परिवहन निगम की ओर से बसें चलवाने की व्यवस्था करें।

प्रदेश में पिछड़े वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति स्वीकार न किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राम संजीवन (जिला बांदा)—

उपाध्यक्ष महोदय, वर्तमान शिक्षा सत्र प्रायः समाप्त होने की स्थिति में है। आज तक पिछड़े वर्गों के लाखों छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं दी गयी है। दशमोत्तर कक्षाओं में इन वर्गों के सीमित आय के सभी छात्रों को छात्रवृत्ति देने के आदेश शासन ने दे रखे हैं। तथापि छात्रों को आर्थिक सहायता देने की इस योजना को ठीक प्रकार से सही रूप से लागू नहीं किया जा रहा है। स्कूल और कालिजों में प्रधानाध्यापक सभी पात्र छात्रों को छात्रवृत्ति फार्म नहीं देते। जिन छात्रों को फार्म मिल भी जाते हैं उनको जिला हरिजन कल्याण अधिकारी छात्रवृत्ति स्वीकृत नहीं करते और उत्तर देते हैं कि सभी को छात्रवृत्ति देने के लिये धन उपलब्ध नहीं है। जिन छात्रों को छात्रवृत्ति स्वीकृत होकर स्कूल कालेजों में भेज दी जाती है उनके भुगतान में प्रिंसिपल और उनके कार्यालय में धांधली की जाती है, कटौती की जाती है। शासन और हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग के कुछ अधिकारी गरीब पिछड़े छात्रों की पढ़ाई में मदद पहुंचाने की इस सर्वमान्य योजना को पूरी तरह से तहस-नहस करने और उसको तोड़-फोड़ के जरिये भीतर घात करने के लिये पूरी तरह कटिबद्ध हैं। शासन को ऐसे अधिकारियों के प्रति

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राम सजीवन]

तुरन्त सजग एवं सक्रिय होकर कड़ी कार्यवाही करनी चाहिये। शासन की ओर से भी अभी तक इस मामले में लगातार ढिलाई, उपेक्षा और तिरस्कार का रवैया अपनाया जा रहा है और शासन की ओर से जिलों-जिलों में वांछित धन नहीं भेजा जा रहा है। इस प्रकार लाखों शान्ति प्रिय पिछड़े वर्ग के छात्रों के साथ घोर अन्याय एवं अत्याचार हो रहा है। उनमें घोर असंतोष एवं निराशा व्याप्त है तथा स्थिति विस्फोटक हो गयी है। अत: इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर सदन और सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूं।

जनपद वाराणसी के कैण्ट विधान सभाई क्षेत्र में पड़ रही डकैतियों के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री शतरुद्र प्रकाश (जिला वाराणसी)---

महोदय, जनपद वाराणसी में स्थित मेरे कैंट विधान सभाई क्षेत्र में सम्प्रति पड़ रही डकैतियों से ग्रामीण बुरी तरह आतंकित है। करीब 10 जनवरी, 1980 से निरन्तर डकैतियां पड़ रही हैं। ग्राम सभा टिकरी में 11 जनवरी, 1980 की रात में सात घरों में डकैती पड़ी। इसके बाद पुन: इसी ग्राम में 21 जनवरी, 80 को डकैती पड़ी जिसमें एक व्यक्ति जान से मार दिया गया। इसी दिनांक को दो अज्ञात व्यक्तियों की लाश भी ग्राम सभा रमना में पाई गयी। 10, 11, 12, 13 जनवरी 80 के बीच ग्राम बसन्त पट्टी छितौनी, काशीपुर कुरहुआ में लगातार डकैतियां पड़ी जिसके फलस्वरूप कई ग्रामीण घायल हुए। ग्राम सभा अवड़े में दिनांक 25-1-80 को डकैती पड़ी।

रात में डकैतियों का सिलसिला निरन्तर जारी है जिसके फलस्वरूप इन इलाकों के ग्रामवासी महिलायें और बच्चे सभी रात को पहरा देते हैं। रात का सोना हराम हो गया है डर और आतंक का साम्राज्य हो गया है। मुझे जानकारी दी गयी है कि डाके में जो लोग आते हैं वे घरों में घुस कर लूटते समय यह स्पष्ट रूप से कहते हैं कि वर्धा पर और वोट दो जिससे यह लगता है कि डकैतियों में राजनीतिक दुर्भावना भी ग्रसित है।

यह अत्यन्त तथा चिन्तनीय प्रश्न है कई ग्रामवासी तो आतंक तथा असुरक्षा के कारण पहचान कर भी डकैतों का नाम बताने में हिचकते हैं।

मैं आपके मार्फत नियम 301 के अन्तर्गत शासन से मांग करता हूं कि तत्काल लखनऊ से पुलिस के किसी वरिष्ठ अधिकारी को भेज कर इस पूरे घटनाक्रम की जांच कराई जाय तथा ग्रामवासियों की सुरक्षा का तत्काल इन्तजाम कराया जाय और डकैतों को गिरफ्तार किया जाय।

मान्यवर, मैं चाहता हूं कि आप शासन को इस संबंध में निर्देश दें कि ऐसी जो विषम परिस्थिति है इस पर तुरन्त नियंत्रण पाया जाय।

श्री उपाध्यक्ष---

ऐसी सूचनायें निर्देश के साथ तो भेज ही दी जाती हैं। यह सूचना भी भेज दी जायंगी।

श्री शतरुद्र प्रकाश--

नहीं मान्यवर, इसके लिए माननीय मुख्य मंत्री जी को निर्देश दे दिया जाय। यह बहुत अहम प्रश्न है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जनपद सीतापुर के ग्राम मजरा मिठौली निवासी श्री टीकन के घर डकैती तथा हत्या के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राम रतन सिंह (जिला सीतापुर)--

मान्यवर, आपके माध्यम से उत्तर प्रदेशीय सरकार का ध्यान एक अमानवीय घटित घटना की ओर आकृष्ट कर निवेदन करना चाहता हूं कि निम्नांकित तथ्यों पर से सहानुभूति-पूर्वक विचार किया जाय तथा ग्रामवासियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए अविलम्ब कठोर कार्यवाही की जाय ।

हमारे विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र मिश्रिख, जनपद सीतापुर के ग्राम दौलतपुर मजरा मिठौली, तहसील मिश्रिख, जनपद सीतापुर के निवासी श्री टीकन के घर दिनांक 16-17 जनवरी; 1980 की रात को डकैती पड़ी। डकैतों ने टीकन के पुत्र राम लौटन को गोली से मार डाला तथा उसकी 50 वर्षीय पत्नी को बाहर खींचकर जिन्दा जला दिया । उक्त घटना से निकटवर्ती क्षेत्र में असन्तोष एवं भय व्याप्त हो गया है ।

उपरोक्त घटना की रिपोर्ट मिश्रिख थाने में दर्ज है तथा इस संबंध में अनेकानेक प्रार्थना-पत्र शासन के संबंधित अधिकारियों को दिये गये हैं । प्रार्थना-पत्र में उपरोक्त घटना के घटित होने का कारण स्थानीय रंजिश तथा छुआछूत की लड़ाई भी बताई गयी है । उक्त घटित घटना के पश्चात पूरा गांव उजड़ गया है, वहां के रहने वाले अनेकों हरिजन अन्यत्र भाग गये हैं । इस संबंध में एस0पी0 सीतापुर को भी हमने सहायता एवं उचित कार्यवाही के लिये निवेदन किया था किन्तु अभी तक वहां के निवासियों की सुरक्षा का कोई प्रबन्ध नहीं हो सका है और हरिजनों की वापसी भी गांव में नहीं हुयी है ।

हमारा शासन से अनुरोध है, कि उपरोक्त घटना की उच्चस्तरीय जांच करवाई जाय तथा समाज के कमजोर वर्ग को तुरन्त न्याय दिलाया जाय तथा ऐसी व्यवस्था की जाय कि गांव से भागे हरिजन पुनः गांव में रह कर अपनी रोजी रोटी चला सकें । साथ ही हमारा यह भी आग्रह है कि शासन द्वारा वहां के निवासियों को क्षतिपूर्ति के लिये आर्थिक सहायता भी दी जाय।

लाल बहादुर शास्त्री बालिका इण्टर कालेज, मुगलसराय में व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री गंजी प्रसाद (जिला वाराणसी)--

मान्यवर, मैं इस विधान सभा सत्र में अपने विधान सभा क्षेत्र मुगल सराय अन्तर्गत स्थित लाल बहादुर शास्त्री बालिका इन्टर कालेज मुगलसराय के अन्तर्गत व्याप्त अनेक भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं की ओर आपके माध्यम से इस अविलम्बनीय लोक महत्वपूर्ण कार्य के प्रति सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं ।

महोदय, उक्त विद्यालय में दो प्रबन्ध समितियों का झगड़ा है । इसी विवाद से सम्बन्धित विषय को ले कर तथा कथित प्रबन्धक श्री विक्रम सिंह ने प्रधानाचार्या श्रीमती कुसुम धवन को अकारण निलम्बित किया था जिसमें माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने प्रधानाचार्य से सम्बन्धित संयुक्त निदेशक (महिला) के आदेश को निरस्त कर दिया । फिर भी प्रबन्धक ने प्रधानाचार्या को सेवा तथा वेतन दोनों से वंचित कर रखा है । इतना ही नहीं प्रबन्धक ने विद्यालय भवन में ही अपना निवास बना रखा है इस आचरण के विरोध में नगर के गणमान्य प्रतिष्ठित लोगों ने एक पखवारे तक क्रमिक अनशन भी किया जो मेरे साथ मुख्य मंत्री जी से मिले प्रतिनिधि मण्डल को सारी अनियमितताओं की उचित जांच एवं कार्यवाही के उनके आश्वासन के बाद भंग किया गया ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री उपाध्यक्ष--

जो पैरा शेष रह गया है वह न पढ़िये । अन्तिम पैरा पढ़ दें बीच वाला छोड़ दीजिये ।

श्री गंजी प्रसाद--

[× × ×]

श्री गंजी प्रसाद--

अतः आप से प्रार्थना है कि जन कल्याण की दृष्टि से तथा विद्यालय के हित में अपने माध्यम से शिक्षा मंत्री जी एवं शासन को निर्देश देने का कष्ट करें कि विद्यालय की अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच हेतु अविलम्ब साधिकर नियंत्रक नियुक्त करते हुए अन्य अनियमितताओं और भ्रष्टाचार की जांच करायी जाय जिससे सामान्य जनता में शासन के प्रति सद्भावना उत्पन्न हो सके ।

प्रदेश के चीनी उद्योग में काम करने वाले मजदूरों की वेतन वृद्धि की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एक अविलम्बनीय प्रश्न को माननीय सदन के सामने रखना चाहता हूं । प्रदेश के चीनी उद्योगों में काम करने वाले मजदूरों के वेतन आदि के सम्बन्ध में एक त्रिदलीय सम्मेलन 26, 27 अक्तूबर, 79 को मंसूरी में हुआ था ।

सभी पक्षों ने मजदूरों के वेतन वृद्धि तथा महंगाई भत्ते के प्रश्न को तय करने के लिए माननीय मुख्य मंत्री जी को आरबीट्रेटर यानी पंच बनाया है ।

इस सम्बन्ध में त्रिदलीय सम्मेलन ने इस मसले को हल करने के लिए एक उप समिति बनायी है । उप समिति की बैठक 15 जनवरी, 80 को होने वाली थी लेकिन बैठक किसी कारणवश न हो सकी ।

प्रदेश के चीनी उद्योगों में कार्य करने वाले मजदूरों के वेतन एवं महंगाई के बारे में जब माननीय मुख्य मंत्री को सभी पक्षों ने पंच मान लिया है तो उन्हें तुरन्त इस सम्बन्ध में निर्णय दे देना चाहिये । महाराष्ट्र की सरकार ने अपने प्रदेश के चीनी मजदूरों को 45 रु0 40 पैसे प्रतिमाह के हिसाब से वेतन वृद्धि दे दिया है ।

उत्तर प्रदेश में चीनी मिल मजदूरों के सभी संगठनों ने 100 रु0 मासिक वेतन वृद्धि की मांग की है । इनका वेतन सब जगहों से कम है ।

इस सम्बन्ध में मैं माननीय मुख्य मंत्री का ध्यान इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर आकर्षित करते हुये मांग करता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी जो वेतन वृद्धि एवं महंगाई को तय करने के लिये पंच बनाये गये हैं वे अपना निर्णय तुरन्त देने की कृपा करें । ताकि चीनी मिल मजदूरों के असंतोष को खत्म किया जा सके और त्रिदलीय सम्मेलन के फैसले का जिसने माननीय मुख्य मंत्री को पंच बनाया है । उसका आदर करना चाहिये और मजदूरों को महाराष्ट्र के मजदूरों से ज्यादा वेतन देने की मांग करता हूं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट:--[XXX] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

मेंरठ जिले में हरिजन तथा निर्बल वर्ग में व्याप्त आतंक तथा भय के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सोहनवीर सिंह तोमर (जिला गाजियाबाद)—

मान्यवर, मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान.....

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)—

आज मान्यवर, आप बहुत उदार है। यह बहुत अच्छी बात है।

श्री उपाध्यक्ष—

आज बहुत सूचनायें आयी थीं, इसलिये मैंने शिथिलता बरती है।

श्री सोहन वीर सिंह तोमर—

मान्यवर, मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान मेरठ जिले के हरिजन तथा निर्बल वर्ग में व्याप्त आतंक तथा भय के वातावरण की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। जिले के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी निर्बल वर्ग को सुरक्षा प्रदान करने में पूर्णतया असफल रहे हैं। 8 दिसम्बर, को श्री मोरारजी देसाई की हत्या करने का प्रयास किया गया तथा जनता पार्टी के मेरठ से लोक सभा के प्रत्याशी श्री कैलाश प्रकाश पर प्राण घातक हमला किया गया वे गम्भीर रूप से घायल हुये परन्तु अभी तक कोई कार्यवाही अभियुक्तों के विरुद्ध नहीं की गयी। 3 जनवरी, को श्री मेहर सिंह अध्यक्ष, जनता पार्टी तथा श्री रतन लाल गर्ग महामंत्री जनता पार्टी पर ग्राम जयसिंहपुर, जिला मेरठ में भारी हमला किया गया क्योंकि वे गांव के हरिजन कार्यकर्ताओं को बुलाने पर उनकी विपदा सुनने गये थे। मुख्य मंत्री जी ने जनता पार्टी के प्रतिनिधि मण्डल को यह आश्वासन दिया था कि एस0 एस0 पी0 को स्थानान्तरण कर दिया जायगा, अभी तक कोई कार्यवाही नहीं गयी। पुलिस अधिकारियों ने श्री रतन लाल गर्ग तथा श्री मेहर सिंह को धमकी दी है कि यदि वे चुप नहीं रहे तो उन्हें समाप्त कर दिया जायगा। इसलिये मै आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करता हूं कि इस संबंध में शीघ्र स्थिति स्पष्ट करते हुये माननीय मुख्य मंत्री अपना वक्तव्य दें।

प्रतापगढ़ जनपद में बढ़ती हुयी डकैतियों, हत्याओं एवं बलात्कार की घटनाओं के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री विद्या शंकर (जिला प्रतापगढ़)—

मान्यवर, आपके माध्यम से सदन का ध्यान प्रतापगढ़ जनपद में बढ़ती हुयी डकैतियों तथा हत्याओं एवं बलात्कार की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। प्रतापगढ़ जनपद में विशेष रूप से अन्तू तथा रानीगंज थाने के अन्तर्गत आतंक से (डकैतों के) प्रभावित हैं। 5 जनवरी से 26 जनवरी के अन्दर कोई दिन ऐसा नहीं है जब कि डकैती कहीं न कहीं न पड़ी हो और कोई न कोई हत्या न हुयी हो। अन्तू थाना के ग्राम कुशलगढ़, मोहम्मदापुर, गौरवाड़ी, नरही, जगेशरगंज, मधमार, महुआताल में भीषण डकैतियां पड़ीं। 14 जनवरी को श्री सत्य नारायण मिश्र के यहां डाका पड़ा और उनको डाकुओं ने गोलियों से भून दिया। श्री सत्य नारायण मिश्र की पत्नी ने नामजद रिपोर्ट लिखाई परन्तु खेद है कि कोई मुलिजिम आज तक गिरफ्तार नहीं हुआ। बधमार के राम दुलार पाण्डे को डाकुओं ने पकड़ कर हत्या कर दी। गौरवारी और जगेशरगंज की डकैतियां दर्ज नहीं की गयीं। खदरी में 7 आदमी गोलियों से मार डाले गये। 25/26 जनवरी को रानीगंज थाने के मुनी का पुरवा में डकैती पड़ी, हजारों की

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री विद्याशंकर]

सम्पत्ति डाकुओं ने लूटी और मुहर अली गृहस्वामी का कत्ल भी कर दिया । 25 जनवरी को थाना रानीगंज के संड़िला ग्राम में बम विस्फोट किया गया और दीवार गिर गयी । जिलाधिकारी तथा पुलिस कप्तान से जब बात की जाती है तो कहते हैं कि बुरारा गैंग में 40 आदमी हैं । एक थाने की पुलिस इतने बड़े गिरोह का सामना कैसे कर सकती है । जिले के अधिकारी जिले के अपराध स्थिति को रोकथाम में अपने को असमर्थ पा रहे हैं । नरी के डकैती में एक ग्रामीण स्त्री के साथ डाकुओं ने बलात्कार भी किया ।

मान्यवर, आपके माध्यम से सरकार का ध्यान प्रतापगढ़ जनपद में बढ़ती हुयी अपराध स्थिति की ओर आकर्षित करता हूं तथा उसे रोक थाम की अपील भी करता हूं ।

वाराणसी में जल संस्थान द्वारा जल मूल्य की वसूली में धांधली के सम्बन्ध में नियम 301 के अतर्गत सूचना

श्री हरिश्चन्द्र (जिला बस्ती)---

मान्यवर, आपके माध्यम से मैं इस सदन के माननीय सदस्यों का ध्यान वाराणसी जल-संस्थान द्वारा जल मूल्य की वसूली के संबंध में वाराणसी नगर के नागरिकों के साथ बरती जाने वाली एक ऐसी धांधली, अनियमितता और अत्याचार की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं, जिसके कारण लोगों में भारी असंतोष, आतंक तथा रोष व्याप्त है। वाराणसी जल संस्थान ने घरेलू प्रयोजनों तथा अन्य प्रयोजनों के लिये जल-मूल्य की निम्न भिन्न दरें निर्धारित की हैं । घरेलू प्रयोजनों के लिये प्रयोग में आने वाले जल का मूल्य 50 पैसे प्रति हजार लीटर तथा अन्य प्रयोजनों के लिये प्रयोग में आने वाले जल का मूल्य 1-50 पै0 प्रति हजार लीटर है । परन्तु जिन लोगों ने घरेलू प्रयोजनों के लिए वाटर कनेक्शन लिए हैं, उनके नाम जल के मूल्य के भुगतान की जो बिलें जारी की गयी हैं, उनमें से अधिकांश बिलें अन्य प्रयोजनों के लिये निर्धारित दर के आधार पर जारी की है । ऐसे भी भवन है, जिनके निर्माण के समय मकान मालिक ने अन्य प्रयोजनों के लिये जल का कनेक्शन लिया था । भवन के निर्माण की अवधि में गृह-स्वामी ने अन्य प्रयोजनों के लिये निर्धारित दर पर जल मूल्य चुकाया है ।

परन्तु खेदजनक स्थिति यह है कि जो भवन वर्षों पूर्व बन कर पूरा हो चुका है । उसका असेसमेंट भी हो चुका है परन्तु अभी तक उस गृह स्वामी पर अन्य प्रयोजनों के लिए निर्धारित दर पर ही बिल जारी की जा रही है ।

मान्यवर, दूसरा पैराग्राफ ?

श्री उपाध्यक्ष---

हां, यह आप छोड़ दीजिये ।

श्री हरिश्चन्द्र---

मान्यवर, जल संस्थान वाराणसी की इस धांधली, अनियमितता और अत्याचार के दो भीषण परिणाम हो रहे हैं । एक तो नागरिकों पर वास्तविक देय धन के तीन गुने से लेकर चार गुने तक की बिलें जारी कर दी गई हैं, जिसके कारण नागरिकों में भारी असंतोष, रोष तथा आतंक व्याप्त हो गया है । दूसरी ओर जल संस्थान की आय पर भी कुप्रभाव पड़ रहा है । क्योंकि वास्तविक धनराशि होने के कारण मूल्य की वसूली नहीं हो पा रही है ।

अत: मान्यवर, मैं आपके माध्यम से शासन का ध्यान इस भीषण समस्या की ओर आकृष्ट करते हुए मांग करता हूं कि इस समस्या को सुलझाने के लिए सरकार शीघ्र समुचित कार्यवाही करें, जिससे कि लोग अपनी उचित मांगों को स्वीकार करवाने के लिए आन्दोलन के रास्ते पर जाने की मजबूरी से बच जायें ।

इलाहाबाद नगर महापालिका कर्मचारियों की हड़ताल के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री शतरूद्र प्रकाश--

एक औचित्य का प्रश्न है।

*बावा रामअधार यादव (जिला इलाहाबाद)--

हमारा बहुत आवश्यक है मुझे सुन लीजिये। इसकी कोई सीमा होती है मैंने सुबह 8-9 बजे से पहले अपनी यह नियम 301 की सूचना आपकी सेवा में दे दी थी। इलाहाबाद के अन्दर नगर महापालिका कर्मचारियों को हड़ताल एक हफ्ते से चल रही है, उनपर बर्बरतापूर्ण लाठी चार्ज हुआ। सफाई व्यवस्था ठप्प है, जल वितरण व्यवस्था अनियमित है चोरियां हो रही है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

आप शुरु कीजिये। मैं आप को बता दूं, आपकी यह सूचना बहुत लम्बी है कुछ अंश आपको छोड़ना होगा।

बाबा राम अधार यादव--

मान्यवर, इलाहाबाद नगर में एक सप्ताह से महापालिका विकास प्राधिकरण तथा जल संस्थान के कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं जिससे इलाहाबाद नगर में सफाई, पानी, रोशनी की व्यवस्था ठप्प हो जाने के कारण नगर में कूड़े का अम्बार लग गया है। भयंकर गन्दगी के कारण संक्रामक रोग फैलने की बहुत बड़ी सम्भावना हो रही है। पानी न मिलने के कारण नगर में जनता त्राहि-त्राहि कर रही है। रोशनी की कुव्यवस्था के कारण प्रतिदिन हत्यायें और राहजानी हो रही है। इलाहाबाद में एक माह से माघ मेला चल रहा है देश के कोने-कोने से लाखों यात्री इलाहाबाद में आये हैं जो कि अनेक कष्ट उठा रहे हैं।

हड़ताल समाप्त होने की कोई सम्भावना नहीं है। 26 जनवरी, 80 को गणतंत्र दिवस के अवसर पर झण्डारोहण के समय कर्मचारी संघ के 4 कर्मचारियों को प्रशासक ने अनायास झूठे आरोप लगा कर गिरफ्तार करा दिया था जिससे कर्मचारियों में उत्तेजना, तनाव एवं विस्फोटक स्थिति उत्पन्न हो गयी है। नगर महापालिका के प्रशासक की विवेकहीनता के कारण कल 28 जनवरी, 80 को नगर महापालिका के कर्मचारियों के शांति पूर्वक सभा में लाठी चार्ज करवाया और विकास प्राधिकरण के एक सदस्य श्री सत्य नारायण भारती जो कि हरिजन है, के साथ तीन कर्मचारियों को गिरफ्तार भी करवा दिया है जिसके कारण स्थिति भयंकर विस्फोट हो गयी है। इलाहाबाद के प्रशासक ने तानाशाही रवैया अख्तियार कर रखा है। न कर्मचारियों की न जनता की न जनता के प्रतिनिधियों की बातें सुनना चाहती हैं। मनमाने अनैतिक कार्य में संलग्न हैं। इलाहाबाद नगर की जनता बुरी तरह से परेशान है। इस सप्ताह से चलने वाली हड़-ताल की सूचना सरकार को भी नहीं दिया। प्रशासक द्वारा जातिवाद, भ्रष्टाचार का बोलबाला है। अभी हाल में 8 रेवेन्यू इन्स्पेक्टरों का नियुक्ति प्रशासक ने किया है जिसमें कुल आठों ब्राह्मण जाति के हैं। 23 लाख रुपया बिजली के भुगतान न होने के कारण सड़कों पर अन्धकार रहता है इसी चुंगी सफाई में बहुत बड़ी गड़बड़ी है। नगर महापालिका के प्रशासक को तत्काल हटाया न गया तो इलाहाबाद की जनता के ऊपर बहुत बड़ी आफत आने की संभावना है। कृपया इसकी जांच तत्काल किसी मंत्री अथवा विधान सभा के सदस्यों द्वारा, तत्काल करायी जावे और हड़ताल को तत्काल समाप्त कराने की व्यवस्था करावें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री देव बहादुर सिंह की नियम 301 के सूचना स्वीकार न किये जाने पर आपत्ति

श्री फजलुल बारी (जिला गोंडा)--

मान्यवर, एक औचित्य का प्रश्न है ।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)--

मान्यवर, एक मेरा है, मान्यवर । (शोर)

श्री उपाध्यक्ष--

आप कृपया बैठिये ।

श्री देव बहादुर सिंह--

क्या इसी तरह से मान्यवर होगा । ऐसा लगता है हमारे अधिकार का हनन हो रहा है ।

श्री उपाध्यक्ष--

आपके अधिकार का हनन नहीं होगा, कभी नहीं होगा ।

श्री देव बहादुर सिंह--

अभी हो रहा है ।

श्री उपाध्यक्ष--

आप बैठ जायें, और लोग भी है जिनकी सूचनाओं को नहीं लिया गया ।

श्री देव बहादुर सिंह--

आपको नहीं लेना था तो किसी की सूचना न लेते, सभी को बैठा देते ।

श्री उपाध्यक्ष--

यह मैंने पहले कह दिया था कि आज मुझे कुछ नियमों में शिथिलता करनी पड़ी । इसको आज नहीं, आप मेरा निवेदन स्वीकार करें ।

बसों के किराये में वृद्धि के संबंध में समाचार-पत्रों में भ्रामक समाचार छपने के विषय में औचित्य का प्रश्न

श्री शतरुद्र प्रकाश (जिला वाराणसी)--

मान्यवर, कल प्रश्नोत्तर काल के दौरान कुछ माननीय सदस्यों ने यह प्रश्न किया था कि बसों के भाड़े में वृद्धि होगी कि नहीं । मान्यवर, परिवहन मंत्री ने उसका जवाल दिया था नहीं । आज के समाचार पत्र दैनिक की हैडिंग में दिया है कि बसों किराये में बृद्धि होगी ।

श्री उपाध्यक्ष--

बृद्धि हुई तो नहीं, यह तो संभावित है ।

श्री शतरुद्र प्रकाश--

मान्यवर,, सुन लीजिए । बसों के किराये में बृद्धि होगी यह हेडिंग निकाली गयी । मैंने परिवहन मंत्री जी से बात चीत की है स्वयं इस अखबार को देखा है । स्वयं उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री श्री सत्यप्रकाश मालवीय ने बताया कि बसों के किराये में बृद्धि का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है । मालूम होता है कि बसों के किरायें में बृद्धि की बात शासन के समक्ष विचाराधीन

है अभी उसको बढ़ाया नहीं गया है । सदन में इसका जवाब माननीय परिवहन मंत्री जी ने दिया है लेकिन जो समाचार-पत्र में निकला है उससे पूरे प्रदेश में भ्रांति पैदा हो गयी है । निश्चित रूप से सरकार ने ऐसा फैसला कर लिया है । इस सदन की कार्यवाही में जो जवाब दिया गया उसको तोड़-मरोड़ कर रखा गया समाचार-पत्र के माध्यम से ।

श्री उपाध्यक्ष--

इसके बारे में आपने मौखिक सूचना दी । लिखित सूचना कोई नहीं है केवल संभावना है। मैं इसको औचित्य के रूप में स्वीकार नहीं करता ।

श्री शतरुद्र प्रकाश--

मान्यवर, मेरी बात सुन लीजिये ।

श्री उपाध्यक्ष--

आप बैठिये । औचित्य के प्रश्न के रूप में इसको मैं स्वीकार नहीं करता ।

श्री शतरुद्र प्रकाश--

जो शिकायत देवबहादुर जी ने की, आप मेरी बात सुन रहे थे और उन्होंने खड़े होकर बोलना शुरू कर दिया और आपने फैसला दे दिया । इसके पहले एक माननीय सदस्य बोलने के लिये खड़े हुये थे और आपने अनुमति दी । मैं अपनी बात कह रहा हूं ।

श्री उपाध्यक्ष--

औचित्य के प्रश्न के रूप में मैं इसको स्वीकार नहीं करता ।

श्री शतरुद्र प्रकाश--

सदन की कार्यवाही को तोड़-मरोड़ कर पेश किया जायगा और ह्वहूपेश नहीं किया जायगा तो किस प्रकार से सदन चलेगा । सदन की कार्यवाही में है, आप देख सकते है ।

श्री उपाध्यक्ष--

मैं उसको अस्वीकार कर चुका हूं । औचित्य के प्रश्न के रूप में स्वीकार नहीं करता हूं ।

श्री शतरुद्र प्रकाश--

आप कार्यवाही देख सकते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष--

आप बैठें ।

श्री शतरुद्र प्रकाश--

आपने कहा इसको स्वीकार नहीं करता हूं । किस रूप में आप इसको स्वीकार करेंगे।

(श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त का नाम पुकारने जाने पर)

श्री शतरुद्र प्रकाश--

यह सदन की कार्यवाही का सवाल है ।

श्री उपाध्यक्ष--

मैं इसको औचित्य के प्रश्न के रूप में स्वीकार नहीं करता माननीय परिवहन मंत्री जी से आप बात करके जानकारी कर लीजियेगा ।

श्री शतरुद्र प्रकाश--

[× × × ×]

श्री उपाध्यक्ष--

श्री शतरुद्ध प्रकाश जी बोल रहे हैं वह लिखा नहीं जायगा ।

श्री शतरुद्र प्रकाश--

[× × × ×]

श्री उपाध्यक्ष--

यह कार्यवाही का अंग नहीं बनेगा ।

श्री शतरुद्र प्रकाश--

× × × ×

श्री उपाध्यक्ष--

आप कृपया बैठिये । यह जो बोल रहे हैं लिखा नहीं जायेगा ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

आपने श्री मानसिंह आजाद को निकाल दिया था ।

श्री उपाध्यक्ष--

आप हमारे कक्ष में आ जायं (श्री शतरुद्र प्रकाश के खड़े होने एवं कुछ कहने पर) हमसे पूछ लीजियेगा । आप अपने स्थान पर बैठें, कार्यवाही चलने दें ।

श्री शतरुद्र प्रकाश--

इसका स्पष्टीकरण होना चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष--

आप नियम पढ़ें आप हमारे कक्ष में आ जायं । लिखकर दे सकते हैं, आप हमसे पूछ सकते हैं ।

श्री शतरुद्र प्रकाश--

मैंने आपके संज्ञान में बात डाली है । आपने स्वयं कहा कि औचित्य के रूप में उठा सकते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष--

अस्वीकार करता हूं ।

श्री शतरुद्र प्रकाश--

मैं जानकारी चाहता हूं कि किस नियम के तहत उठाऊं ।

नोट--[××××] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)--

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री उपाध्यक्ष—

(शतरुद्र प्रकाश जी से) आप स्थान ग्रहण करें ।

श्री शतरुद्र प्रकाश--

मैं बैठ जाऊंगा ।

(श्री शतरुद्र प्रकाश के खड़े रहने तथा बोलते रहने पर)

श्री उपाध्यक्ष--

मैं नहीं चाहता कि मुझे नियमानुसार कोई कार्यवाही करनी पड़े ।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)--

आप कर ही नहीं सकते हैं ।

श्री शतरुद्र प्रकाश--

मैं स्थान ग्रहण कर लूंगा, आखिर किस नियम के अन्तर्गत मैं यह प्रश्न उठाऊंगा ?

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)--

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि क्या आपकी सारी शक्तियां समाप्त हो गई हैं ?

श्री उपाध्यक्ष--

श्री शतरुद्र प्रकाश जी, आप अब बैठ जायं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है स्पष्ट व्यवस्था है कि एक बार आप द्वारा जब व्यवस्था दे दी गई तो उस पर पुनः चर्चा नहीं होगी । पहले तो नियमों के खिलाफ एक मामला सदन में उठाने का प्रयास किया गया । स्पष्टीकरण मंत्री जी को देना था लेकिन वह श्री शतरुद्र प्रकाश दे रहे हैं । आपके बार-बार मना करने पर भी क्या कोई अपना भाषण दे सकता है ?

श्री उपाध्यक्ष--

मैंने स्वयं उनको मना कर दिया है ।

श्री शतरुद्र प्रकाश--

मान्यवर, मैं इनसे कहूंगा कि अपनी बुद्धि अपने पास रखें, अपनी बुद्धि का प्रदर्शन वह स्वयं न करें । मैंने जो प्रश्न किया था वह नियम के अनुकूल था । मैं आपके कक्ष में आकर मालूम करूंगा कि किस नियम के तहत यह मामला उठाऊं ।

श्री उपाध्यक्ष--

मैंने इसको औचित्य के प्रश्न के रूप में स्वीकार नहीं किया । आप बार-बार पूछते हैं तो यह तरीका उचित नहीं है ।

श्री शतरुद्र प्रकाश--

जब आप कहेंगे तो मैं आऊंगा लेकिन किसी सदस्य के टीका टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है ।

गणतंत्र दिवस की परेड के अवसर पर विधायकों के बैठने की समुचित व्यवस्था न होने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

*श्री गुलाब सेहरा (जिला आगरा)--

मान्यवर, मेरा औचित्य का प्रश्न है। श्रीमन्, यदि विधायकों के अधिकार छीने जाते हैं तो उसका संरक्षण देने का दायित्व आपके ऊपर है। कल हल्ले गुल्ले में एक बात उठाई गई थी और श्री मान सिंह आजाद ने उठायी थी। वह बात यह है कि 26 जनवरी को सरकार की ओर से जो परेड का इंतजाम किया गया था उसमें विधायकों के लिये कोई स्थान नहीं रखा गया था। श्रीमन्, इस तरह की पुरानी परम्परा है कि जो स्टेट के वी0 आई0 पीज0 विधायक हैं उनको आमंत्रित किया जाता है और सीटें लगाई जाती हैं। यह भी आरोप था कि जब महामहिम राज्यपाल तशरीफ लायें तो उनके सम्मान में एक भी अधिकारी नहीं खड़ा हुआ और विधायकों की सीट नहीं लगाई गई और जो विधायक पहुंचे उनको अधिकारियों के पीछे बैठना पड़ा और आमंत्रित नही किया गया था। दूसरी मुख्य बात यह है कि जो परम्परागत सार्वजनिक उत्सव सरकारी नियंत्रण में होते हैं जो वी0 आई0 पी0 स्टेटस के हैं, उनमें सबसे पहले महामहिम राज्यपाल बैठते हैं, उसके बाद मुख्य मंत्री, उसके बाद मंत्रि मंडल के सदस्य और उसके बाद विधायक बैठेंगे लेकिन इस चीज का स्पष्ट उल्लंघन किया गया था। इसके अलावा प्रेस के लोगों के भी बैठने की व्यवस्था नहीं की गई थी। यह विधायकों के अधिकार का हनन है।

श्री उपाध्यक्ष--

कल श्री मान सिंह आजाद ने भी यही बात उठानी चाही थी तो मैंने कहा था कि नियम 301 के बाद आप इसको उठायें लेकिन उन्होंने पहले ही उठाने का प्रयास किया। मेरे मना करने के बाद भी वह नहीं माने। लेकिन जो लिखकर आपत्ति उनको देना था वह आ गई है और आपने भी उसको कह दिया। इसलिये मैं मुख्य मंत्री को इसको भेज दूंगा कि भविष्य में जो अधिकारी व्यवस्था करते होंगे उनको वह निर्देश दे देंगे।

श्री श्यामदत्त पालीवाल (जिला आगरा)--

भविष्य में तो ठीक हो जायेगा लेकिन जो हुआ उसके लिये तो उस उत्तरदायी अधिकारी के खिलाफ कुछ करें।

श्री सोहन वीर सिंह तोमर (जिला गाजियाबाद)--

मान्यवर, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं।

मान्यवर, मेरा निवेदन यह है कि एक तो 301 की सूचना, उस के बाद औचित्य के प्रश्न के संबंध में, आप निश्चित रूप से उन्हीं प्रश्नों को उठाने की आज्ञा दिया करें जो आप के कक्ष में आ कर दे दिया करें। यहां पर जो प्रश्न नहीं उठाये जा सकते आप उनको उठाने की आज्ञा दें देते हैं जिस से माननीय सदस्य खड़े हो जाते है और प्रतिस्पर्धा होती है।

श्री उपाध्यक्ष--

आप की भावनाओं का ध्यान रखा जायेगा और उन पर चलने का प्रयास किया जायगा।

श्री फजलुल बारी (जिला गोंडा)--

मान्यवर, एक औचित्य का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष--

आप ने कोई सूचना लिख कर नहीं दी है। मैं आप को इजाजत नहीं देता। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी, सदस्या विधान सभा की गिरफ्तारी एवं रिहाई के संबंध में सूचना

श्री उपाध्यक्ष--

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, लखनऊ के पत्र दिनांक 28 जनवरी, 1980 जो इस सचिवालय में 29 फरवरी, 1980 को प्राप्त हुआ, के अनुसार श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी, सदस्या विधान सभा को भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 107/116/151 के अन्तर्गत 28 जनवरी, 1980 को लगभग 1 बजे अपराह्न उत्तर प्रदेश किसान बाहिनी व युवक कांग्रेस के तत्वावधान में हुए विधान सभा के समक्ष प्रदर्शन करते हुए बन्दी बनाया गया तथा उन्हें उसी दिन 5 बजे सायंकाल छोड़ दिया गया ।

'स्वतंत्र भारत', 'दैनिक जागरण' व 'नेशनल हेराल्ड' समाचार पत्रों के सम्पादकों एवं यू0 एन0 आई0 के प्रतिनिधि के विरुद्ध उठायी गयी विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री उपाध्यक्ष का निर्णय

श्री उपाध्यक्ष--

श्री बांके लाल, सदस्य, विधान सभा ने सम्पादक स्वतंत्र भारत, सम्पादक, दैनिक जागरण और सम्पादक, नैशनल हेराल्ड, यू0 एन 0आई 0प्रतिनिधि के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना दी है । माननीय सदस्य का कहना है कि दिनांक 28 जनवरी, 1980 के दैनिक स्वतंत्रभारत तथा दैनिक जागरण में प्रकाशित यू 0एन 0आई 0 के प्रतिनिधि को यह रपट छपी है कि देवरिया जिले के नरायनपुर गांव में पुलिस ने किसानों पर जो आक्रमण किया था, उस में माननीय सदस्य का हाथ था । माननीय सदस्य का कहना है कि इस प्रकार निराधार समाचार छापकर उन को अपमानित किया गया है तथा उनकी चरित्र हत्या का प्रयास किया गया है । माननीय सदस्य का यह भी कहना है कि ऐसे समय में विधान सभा चल रही है, समाचार पत्रों के माध्यम से इस तरह का मनगढ़न्त समाचार प्रकाशित करके उनके प्रति जनता में उत्तेजना पैदा करने की कोशिश की गयी है और ऐसा प्रयास किया गया कि जनता क्षुब्ध होकर विधान सभा के कार्यक्रम में उन्हें हिस्सा न लेने दे । यह जान बूझकर समाचार पत्रों द्वारा विधान सभा सदस्य की हैसियत से उनकी गतिविधियों में हस्तक्षेप है ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 64 में यह प्राविधान है कि यदि शिकायत का आधार कोई लेख्य है तो मूल लेख्य या उसकी प्रतिलिपि सूचना के साथ संलग्न की जानी चाहिये । किन्तु इस सूचना के साथ दैनिक स्वतंत्र भारत तथा दैनिक जागरण की प्रतिलिपि, जिस में यू 0 एन 0 आई 0 के प्रतिनिधि की उपर्युक्त रपट प्रकाशित किया जाना कहा गया है, संलग्न नहीं की गयी है. . . .

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)--

श्रीमन्, श्रीमन् . . .

श्री उपाध्यक्ष--

अतः यह सूचना नियमानुसार न होने के कारण अग्राह्य है और मैं इसे सदन में उठाने की अनुमति नहीं देता हूं ।

थाना डिडौली, जनपद मुरादाबाद की पुलिस द्वारा गिरफ्तार किये गये तीन अभियुक्तों की तथाकथित पिटाई से अभियुक्त अब्दुल गफूर की मृत्यु तथा दो अन्य के घायल होने के सम्बन्ध में वक्तव्य

सूचना राज्य मंत्री (श्री सत्यदेव त्रिपाठी)--

मान्यवर, प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 19-1-80 को करीब 6-15 बजे शाम थाना डिडौली, जनपद मुरादाबाद की पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर ग्राम सिनौरा में गाय काटते

[श्री सत्यदेव त्रिपाठी]

हुए अब्दुल गफूर, पीर बख्श तथा इसरार अली नामक तीन अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया और दौरान गिरफ्तारी पकड़ धकड़ में उक्त अभियुक्तों के चोटें भी आयी थीं । अभियुक्तों से बरामद गाय का मांस कुल्हाड़ी, छुरी आदि थाने पर लाकर अपराध संख्या 16 धारा 3/8, गोहत्या निवारण अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत कराकर तीनों अभियुक्तों को रात्रि 9–15 बजे थाने की हवालत में बन्द किया गया ।

उपलब्ध सूचना के अनुसार अभियुक्त अब्दुल गफूर को दिनांक 20–1–80 को उपचार हेतु जोया अस्पताल भेजा गया था, जहां पर उसे भर्ती करके उसका डाक्टरी मुआयना किया गया तथा उपचार भी किया गया किन्तु उसकी मृत्यु हो गयी । यह सही नहीं है कि जोया अस्पताल के चिकित्सक ने अभियुक्त अब्दुल गफूर को भर्ती करने से मना कर दिया था । प्राप्त सूचना से इस बात की भी पुष्टि नहीं हुई कि अभियुक्तों को यह कहते हुये पीटा गया कि लोकदल को फिर वोट दोगे । शासन की प्राप्त जानकारी के अनुसार शेष दोनों अभियुक्तों के भी दौरान गिरफ्तारी चोटें आयीं और वे दोनों दिनांक 25–1–80 को जमानत कराकर जेल से रिहा हो गये है ।

क्षेत्राधिकारी अमरोहा से घटना की सूचना प्राप्त होते ही जिलाधिकारी तथा ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक तुरन्त घटना स्थल पर पहुंचे । जिले से प्राप्त सूचनानुसार यह कहना सही नहीं है कि इस घटना से जनता में भय आतंक, रोष या असंतोष की भावना व्याप्त है । इस घटना के संबंध में श्री अब्दुल रहीम पुत्र करीम उल्ला निवासी ककराली थाना डिडौली ने क्षेत्राधिकारी, अमरोहा को दिनांक 20–1–80 को एक प्रार्थना पत्र दिया था जिसमें मृतक अभियुक्त अब्दुल गफूर के साथ थाने की पुलिस द्वारा मार पीट करने और उसके फलस्वरूप अभियुक्त की मृत्यु हो जाने के आरोप लगाये गये थे । इस पर थाना डिडौली में अपराध संख्या 20 धारा 302 भा0 दं0 वि0 श्री वी0 के0 भारद्वाज, थानाध्यक्ष, डिडौली, श्री योगेन्द्रपाल सिंह अहलावत, उप निरीक्षक तथा राम करन सिंह कांस्टेबिल के विरुद्ध पंजीकृत किया गया, जिसकी विवेचना की जा रही है । ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा उक्त पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों आदि को निलम्बित कर दिया गया है । जिलाधिकारी के आदेश से पूरी घटना की जांच परगना मजिस्ट्रेट अमरोहा द्वारा की जा रही है ।

श्री शफीकुर्रहमान बर्क (जिला मुरादाबाद)––

मान्यवर, मैं मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जिन अधिकारियों ने अब्दुल गफूर को थाने में ला कर जान से मार डाला उनके खिलाफ अब तक क्या कार्यवाही की गयी है और उनको अब तक गिरफ्तार किया गया या नहीं किया गया ?

श्री उपाध्यक्ष––

यह केवल वक्तव्य के लिये स्वीकार किया गया था । इस पर कोई प्रश्न नहीं किया जायगा । (व्यवधान)

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)––

एक स्पष्टीकरण दिलवा दें ।

श्री उपाध्यक्ष––

स्पष्टीकरण भी नहीं होगा (व्यवधान)

श्री गुलाब सेहरा (जिला आगरा)––

व्यवस्था का प्रश्न है । इसमें नियम 51 लिखा हुआ है कि नियम 51 के अन्तर्गत प्रश्न किये जा सकते है ।

श्री उपाध्यक्ष--

इसे केवल वक्तव्य के लिये स्वीकार किया गया था ।

श्री रियासत हुसैन---

केवल वक्तव्य के लिये जो स्वीकार होता है उसमें स्पष्टीकरण किया जा सकता है ।

श्री उपाध्यक्ष--

स्पष्टीकरण लिख कर भेज दें मुख्य मंत्री के पास । इस पर कोई भी अनुपूरक प्रश्न पूछने की मैं इजाजत नहीं दे सकता ।

श्री फजलुलबारी (जिला गोंडा)--

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है । मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि इस सदन में जितने माननीय सदस्य है सभी वोटों से चुन कर आये हैं । मैं भी और गुलाब सेहरा भी जिनकी अब केन्द्र में सरकार बन गयी है । लेकिन उन्होंने औचित्य के प्रश्न का कोई नोटिस नहीं दिया....।

श्री उपाध्यक्ष--

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

बलरामपुर, जिला गोंडा में घटित घटनाओं के संबंध में वक्तव्य

सूचना राज्य मंत्री (श्री सत्यदेव त्रिपाठी)--

मान्यवर, प्राप्त सूचना के अनुसार बलरामपुर स्थित एम0 एल0 के0 डिग्री कालेज के छात्र यूनियन के अध्यक्ष श्री सूर्यभान मिश्रा ने दिनांक 27 नवम्बर, 1979 से उक्त कालेज के प्रांगण में आमरण अनशन पर बैठे थे । श्री मिश्रा की दशा गम्भीर हो जाने पर उनकी प्राण रक्षा हेतु दिनांक 3 दिसम्बर, 1979 को उनको भारतीय दंड विधान की धारा 309 के अन्तर्गत बन्दी बनाकर जेल भेजा गया । अनशनकर्त्ता की गिरफ्तारी की प्रतिक्रिया स्वरूप उक्त कालेज प्रांगण में उपस्थित छात्रों इत्यादि ने तोड़-फोड़ शुरू कर दी । कुछ असामाजिक तत्व भी छात्रों में मिल गये ।

तत्पश्चात् बलबाई तीन समूहों में एकत्र हुये । वीर विनय चौक पर पहुंच कर कुछ बलबाइयों ने जूडीशियल मजिस्ट्रेट व परगनाधिकारी के न्यायालयों, सप्लाई आफिस, डी0 डी0 सी0 आफिस, एस0 ओ0 सी0 आफिस तथा कलेक्शन आफिस में आग लगा दी । बलबाइयों ने उप पुलिस अधीक्षक के कार्यालय पहुंच कर वहां भी आग लगा दी व सिंचाई कार्यालय के पास खड़ी एक ट्रक में भी आग लगा दी । तत्पश्चात् उन्होंने चौकी पूरब टोला व चौकी बसुहा में लूट पाट की और आग लगा दी । बिक्रीकर कार्यालय को भी आग लगा दी गई । कुछ लोगों ने पोस्ट आफिस पहुंच कर उसे नुकसान पहुंचाया । बहराइच से आने वाली एक बस को भी जला दिया ।

उक्त घटनाओं के सम्बन्ध में दिनांक 3 दिसम्बर, 1979 से 5 दिसम्बर, 1979 तक कुल 17 मुकदमें पंजीकृत हुये । नामजद एवं विवेचना से प्रकाश में आये कुल 193 अभियुक्तों में से 75 अभियुक्त बन्दी बनाये गये ।

शासन ने सी0 ओ0 तथा मजिस्ट्रेट को मुअत्तल कर दिया है और वहां के थानेदार व सम्बन्धित कर्मचारियों को वहां से हटा दिया है ।

[श्री सत्यदेव त्रिपाठी—]

बलरामपुर की वर्तमान स्थिति अब पूरी तरह सामान्य है। सभी स्कूल व कालेज खुल चुके हैं। इस समय कोई असामान्य वातावरण नहीं है।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष—

इस पर अब मैं इजाजत नहीं देता। अब मैं कार्य-स्थगन प्रस्ताव लेता हूं।

श्री सत्यदेव त्रिपाठी—

मान्यवर, यह सही है कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने 25 तारीख को इसके सम्बन्ध में सदन को आश्वस्त किया था कि न्यायिक जांच होगी। इसलिये इसकी न्यायिक जांच होगी।

श्री उपाध्यक्ष—

ठीक है।

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष—

आज दो कार्य-स्थगन प्रस्ताव प्राप्त हुये हैं। एक श्री दीप नारायन का है जो दिनांक 23-1-80 गोंडा स्टेशन बनगाई के बीच ट्रेन में कुछ लोगों द्वारा मोहम्मद हुसेन नामक व्यक्ति की हत्या किये जाने के सम्बन्ध में है। दूसरी सूचना माननीय ईश्वर प्रसाद, श्री सूबेदार प्रसाद, श्री राजनाथ सिंह, श्री बाबूलाल वर्मा, श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त तथा श्री ओम प्रकाश सिंह ने दी है। इसमें इन्होंने कहा है कि दिनांक 25-1-80 को राबर्ट्स गंज जिला मिर्जापुर में शारदा महेश इण्टर कालेज के छात्रों पर पुलिस द्वारा लाठी चार्ज किया गया। तो इन दोनों के सम्बन्ध में आप लोग राज्यपाल के अभिभाषण में चर्चा के अवसर पर अपनी बात कह सकते हैं। इसलिये इन दोनों को मैंने अस्वीकार किया है। लेकिन दूसरा जो है.....
.....(कई सदस्य खड़े होकर एक साथ बोलने लगे)।

लेकिन मैं इसको माननीय मुख्य मंत्री के पास आवश्यक कार्यवाही एवं जांच के लिये भेज दूंगा। ..... (व्यवधान)।

श्री ईश्वर प्रसाद (जिला मिर्जापुर)—

मान्यवर, यह बहुत अहम मसला है। छात्रों के ऊपर पुलिस ने बर्बरता पूर्वक लाठी चार्ज किया और एक रामसिंह नामक छात्र है जिसको बहुत पीटा गया। जब वह एफ0 आई0 आर0 दर्ज कराने के लिये गया तो वह दर्ज नहीं करायी गई। उसको लाठी और डंडों से पीटा गया.....(व्यवधान।

श्री सूबेदार प्रसाद (जिला मिर्जापुर)—

मान्यवर, पुलिस ने 20 राउंड गोलियां चलाई.....

श्री उपाध्यक्ष—

इसकी जांच कराकर माननीय मुख्य मंत्री जी एक वक्तव्य 4 फरवरी को आप दे दें।

श्री सूबेदार प्रसाद—

मान्यवर, इसमें पुलिस कर्मचारियों को निलम्बित कर न्यायिक जांच कराने के आदेश दें।

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठें, आपने अपनी बात कह दी। मैंने कह दिया कि इस पर वक्तव्य आ जायगा (व्यवधान)

श्री दीप नरायन (जिला गोण्डा)--

मान्यवर, मैंने जो कार्य स्थगन प्रस्ताव दिया था, वह दिनांक 23-1-80 को गोंडा स्टेशन में ट्रेन में हत्या के सम्बन्ध में था वह आप जरा सुन लें..... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

(श्री सूबेदार प्रसाद से) आपकी बात समाप्त हो गई ।

श्री सूबेदार प्रसाद--

उसमें 17 छात्र घायल हो गये.....

श्री उपाध्यक्ष--

कार्य स्थगन के रूप में मैं इसे स्वीकार नहीं करता हूं लेकिन मामले की जांच कराकर मुख्यमंत्री वक्तव्य दे देंगे ।

श्री सूबेदार प्रसाद--

इसकी न्यायिक जांच करायें । इसमें विजय शंकर और रूस्तम पुलिस कर्मचारियों ने गोलियां चलाई ।

श्री दीप नरायन--

मैंने कार्य-स्थगन इसलिए दिया.....

श्री उपाध्यक्ष--

आप बैठ जायें । (व्यवधान) दो कार्य-स्थगन प्रस्ताव प्राप्त हुए थे दोनों को मैंने अस्वीकार कर दिया है ।

श्री दीप नरायन--

आप हमारे अधिकारों की रक्षा करें । इसकी सी0 बी0 आई0 से जांच करायें ।

श्री उपाध्यक्ष--

जांच करवा देंगे । मुख्य मंत्री जी को भेज देंगे कि वह इसकी जांच करा लेंगे ।

श्री सूबेदार प्रसाद--

पुलिस कर्मचारियों को निलम्बित करें और न्यायिक जांच करायें ।

श्री उपाध्यक्ष--

जो आवश्यक कार्यवाही होगी वह करेंगे । मैंने कह दिया है कि 4 तारीख को वक्तव्य आ जायगा ।

श्री दीप नरायन--

एक आश्वासन और चाहता हूं कि मुख्य मंत्री जी जांच करा कर कितने दिनों में जवाब दे देंगे ?

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (क्रमागत)†

*श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--

मान्यवर, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के सम्बन्ध में बहुत से प्रश्न थे । जिनका जिक्र इसमें नहीं किया गया है । सर्वप्रथम मैं आपके सामने निवेदन करना चाहता हूं कि शांति

---

†28 जनवरी, 1980 की कार्यवाही से

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री ऊदल---]

और व्यवस्था की जो हालत है वह बहुत ही खराब है । आये दिन अखबारों को कोई पृष्ठ किसी अखबार का ऐसा नहीं है जिसमें डकैतियों, चोरियों और हत्याओं तथा लूट की बातें न हों। आज हालत यह है कि बसों, ट्रेनों में डकैतियां हो रही हैं । इन सब को रोकने के लिए कोई कारगर कदम उठाने की बात महामहिम राज्यपाल महोदय को करनी चाहिये थी वह इसमें नहीं की गई । श्रीमन्, इधर लोक सभा चुनाव के बाद इसमें ज्यादा बढ़ोतरी हुई है । उसके कई कारण । पहला कारण तो यह है कि यह हमारे प्रदेश का दुर्भाग्य मैं कहूंगा कि जो नौकरशाही है, जो प्रशासन के लोग हैं वह अलग-अलग आस्थाओं के हैं । बहुत से लोगों की आस्थायें कांग्रेस की तरफ़ है । कल ही का जिक्र है आपने देखा कि देवरिया में क्या हुआ । मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं बाराबंकी में घटना घटी है इस 15 जनवरी को 5 विद्यार्थी नेताओं को, जो लोक दल से सम्बन्धित हैं, उनको पकड़ा गया और उनके बाल कटाये गये, उनके मुह पर कालिख लगायी गयी और उनको गधे पर बैठाकर जिला प्रशासन न बाराबंकी शहर में घुमाया और कहा कि भाषण करो कि जनता राज्य खत्म हो गया है और हम नेतागीरी नहीं करेंगे । मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार इस प्रश्न पर सोचें । मैं तो यहां तक कहने के लिए तैयार हूं कि जो लोग कांग्रेस के प्रति आस्था रखते थे उन्होंने कार्य धीरे कराया और वोट नहीं डालने दिया और पोलिंग्स पर सरकारी लोग खाली बैठे रहे । सरकार को इस प्रकार की बढ़ती हुई अव्यवस्था के विरुद्ध सख्त कदम उठाना चाहिये ताकि शांति और व्यवस्था कायम रह सके ।

श्रीमन, बिजली की हालत दयनीय है । इसके दो कारण हैं---एक तो पानी की कमी और दूसरे जो स्टीम पावर हाउस हैं उनमें कोयले की कमी । स्टीम के पावर हाउस चल नहीं सके और किसानों को 3 घंटे बिजली मिली, लेकिन किसानों से चार्ज पूरा लिया जा रहा है । महामहिम राज्यपाल ने सरकार का ध्यान अपने अभिभाषण में इस ओर नहीं आकृष्ट किया है । मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि जितनी बिजली आप किसानों को दे रहे हैं, उनसे उसी रेट से चार्ज करें ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि कांग्रेस की सरकार जब थी तो उसने किसानों से लगान लेने का नया फार्मूला लगाया था । जमीन की किस्म को हटाकर फार्मूला बनाया गया था और वह था सिंचित और असिंचित का । आपकी सरकार ने उस को लागू किया । सिंचित क्षेत्र चाहे ऊसर ही क्यों न हो उसका लगान 20 रुपया प्रति एकड़ लगा दिया गया और असिंचित क्षेत्र चाहे उसकी जमीन कितनी ही अच्छी क्यों न हो उसका लगान 10 रुपया प्रति एकड़ रखा गया । तो श्रीमन्, मैं कहना चाहता हूं कि इस प्रकार से सवा तीन एकड़ से ऊपर वाले जो किसान हैं उनको बड़ी परेशानी उठानी पड़ रही है । लगान बहुत पड़ रहा है और लोग देने में असमर्थ हैं । मैं आपके द्वारा सरकार से आग्रह करता हूं कि वह इस प्रश्न पर बड़ी गम्भीरता के साथ सोचें और जमीन की किस्म के अनसार लगान निर्धारित किया जाये ।

मान्यवर, इसी प्रकार से आप देखेंगे कि औद्योगिक मजदूर है और चीनी मजदूर है वह महंगाई से बहुत ही पीड़ित है । चीनी मजदूरों की तनख्वाहें बहुत कम है, उससे उनका कोई गुजारा नहीं हो पाता है । वे परेशान रहते हैं । चीनी मिल मालिकों के प्रतिनिधि और मजदूरों के प्रतिनिधियों के बीच वार्ता हुई । मेरा निवेदन है कि सरकार महंगाई को देखते हुए और आज की हालत को देखते हुए औद्योगिक क्षेत्र के मजदूरों की तनख्वाहें बढ़ायी जानी चाहिए । उनकी तनख्वाहों को महंगाई के सूचकांक के आधार पर जोड़ देना चाहिये ।

श्रीमन्, अब मैं एक बात और कहना चाहता हूं और वह है डीजल की कमी की । डीजल की बड़ी कमी है और उसके साथ ही साथ मिट्टी का तेल भी नहीं मिलता है । इसका मुख्य कारण यह है कि आपकी वितरण प्रणाली में दोष है। आज रात को मैंने रेडियो में सुना कि जो

केन्द्र में पेट्रोलियम मंत्री हैं उन्होंने कहा कि सरकारों ने वितरण व्यवस्था को ठीक नहीं किया और मिट्टी के तेल की चोरी करने वालों के विरुद्ध उन्होंने कोई कार्यवाही नहीं की। एक तो आज आवश्यक वस्तुओं को चुराया जा रहा है और दूसरे वितरण की व्यवस्था है वह ठीक नहीं है और तीसरी बात यह है कि प्रदेश में कोटे की कमी है। क्या हम सरकार से अपेक्षा करें कि सरकार ज्यादा से ज्यादा भारत सरकार पर दबाव डालेगी। चुनाव के पहले यही कहा जाता था कि यह सरकार सारा का सारा मिट्टी का तेल पी गयी है लेकिन डीजल तेल में 40 फीसदी की कटौती कर दी गयी है जिसके कारण पम्प सेट्स बेकार पड़े हुए है और किसानों में हाहाकार मचा हुआ है। मैं तो यह भी मांग करता हूं कि यदि आवश्यकता हो सभी दलों के लोग इकट्ठा होकर पेट्रोलियम मिनिस्टर के पास चले और अगर हमें सत्याग्रह करने की आवश्यकता पड़े तो वह भी करना चाहिये।

प्रदेश के पिछड़े क्षेत्र, बुन्देलखण्ड क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र और पहाड़ के जो 8 जिलों का क्षेत्र है, उनके लिए तो मैं यह कहना चाहता हूं कि जब हिमांचल प्रदेश, नागालैण्ड बन सकते हैं, मणिपुर और त्रिपुरा बन सकते हैं तो जो पहाड़ के 8 जिले हैं, भारत सरकार से मांग करके, उनका एक अलग से सूबा बनाया जाय ताकि उनका समुचित विकास हो सके।

आज हरिजनों और भूमिहीनों को जो जमीन आवंटित की गयी है, उनको पट्टे नहीं मिल रहे हैं, कब्जे नहीं मिल रहे हैं। क्या मैं सरकार से अपेक्षा करूं कि सरकार उन लोगों को उन जमीनों पर चाहे वे मकानों के लिए हों, चाहे खेती के लिये हों, उन पर जल्द से जल्द उनको कब्जा दिलाने की व्यवस्था करनी चाहिये और जो इसमें अवरोध उत्पन्न करेंगे उनके विरुद्ध सरकार कार्यवाही करेगी।

आज जो देश में और प्रदेश में मौजूदा परिस्थिति है, उसके बारे में कहना चाहता हूं आज यहां पर बहुत ही अस्थिरता का वातावरण पैदा हो गया है। हमारे कांग्रेस (आई) के दोस्त विधान सभा को भंग करने की बात, असंवैधानिक बात कर रहे हैं और जबरदस्ती चुनी हुई विधान सभाओं को भंग करने की बात कर रहे हैं। सन् 1977 में हमारे दोस्त लारी साहब, दीघे जी और हमारे भाई हिम्मत सिंह हमारा विरोध कर रहे थे जब उस समय चौधरी साहब ने और जनता पार्टी की सरकार ने विधान सभा को भंग करने की बात की थी। उस समय हमने और हमारी पार्टी ने इसी सदन में विरोध किया था और जो मौजूदा सरकार थी, उसका साथ दिया था। मैं पूछना चाहता हूं कि इस तरह का असंवैधानिक काम जो आज करने के लिये इस माननीय सदन में काले झंडे और प्रदर्शन और शांति भंग करने की बात की जा रही है क्या यह लोकतन्त्र की मर्यादाओं के अनुरूप है। मैं तो यह भी कहना चाहता हूं कि वन पार्टी रूल और एक व्यक्ति नेता होना चाहिए। उससे क्या होता है। त्वमेव माताश्च: पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च: सखा त्वमेव।

मैंने उस दिन रेडियो में सुना, अखबारों में पढ़ा एक फरमान जारी किया। क्या मैं पूछ सकता हूं नारायण सिंह जी से कहां गये? उनसे क्या पूछ सकता हूं क्या लोकतन्त्र में कोई नैतिकता नाम की चीज रहेगी या नहीं, लोकतन्त्र की कोई मर्यादा रहेगी या नहीं? लोकतन्त्र को अब कलंकित किया जा रहा है। लोकतन्त्र की हत्या की जा रही है, मैं यह चुनौती देना चाहता हूं दल बदलुओं को। जिस पार्टी के टिकट पर लोग चुने गये हैं लोकतन्त्र का यह तकाजा है कि ऐसे लोग त्याग-पत्र दें और जाकर के जनता को फेस करें। यह लोकतन्त्र का तकाजा है। मैं कहना चाहता हूं कि आप का यह काम नहीं है विधान सभाओं को भंग करने का। 1969 में जब पहली केरल गवर्नमट बनी थी कम्युनिस्ट पार्टी की, मैं पूछता हूं श्रीमती इन्दिरा गांधी क्या थीं। कांग्रेस की अध्यक्ष थीं और पंडित जवाहर लाल नेहरू प्रधान मंत्री थे। तो चुनी हुई गवर्नमेंट को रिपोर्ट देकर खतम करवाया। वह तो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी। पंडित कमला पति त्रिपाठी को कान पकड़ कर अक्षम करार देकर बेइज्जत किया गया और दूसरे श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा.....

श्री उपाध्यक्ष--

ऐसी भाषा.....

श्री ऊदल--

यह जो यहां हुआ यह बता रहा हूं। श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा और पंडित कमलापति त्रिपाठी मुख्य मंत्री थे उनकी बात कर रहा हूं। उनको कार्यकाल पूरा किये बिना ही श्रीमती इन्दिरा गांधी जो आज प्रधान मंत्री हैं उन्होंने उनको निकाल कर बाहर किया था। इस देश में चाटुकारिता की राजनीति चलेगी या सिद्धांतों, उसूलों की राजनीति चलेगी? आज लोकतंत्र कसौटी पर है। इसलिए कम्युनिस्ट पार्टी ऐसे असंवैधानिक कार्यों का विरोध करती है। हमारे रियासत हुसैन जी कह रहे थे, कुछ और लोग कह रहे थे उधर चले गये, मैंने उस वक्त भी विरोध किया था और आज भी अगर असंवैधानिक तरीके से कांग्रेस (आई) और प्रधान मंत्री इन्दिरा गांधी विधान सभाओं को भंग करने की बात करती हैं तो कम्युनिस्ट पार्टी उसका डट कर विरोध करेगी और उसको बचाने के लिए जम करके लोकतन्त्र की रक्षा के लिये जान की बाजी भी लगा देंगे।

श्रीमन्, मैं आपसे कहना चाहता हूं जो चुनकर आते हैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि आज जो दल बदल कराया जा रहा है, भजन लाल जी कल तक हरियाना के मुख्य मंत्री थे, जनता पार्टी के मुख्य मंत्री थे। यह कब तक चलेगा? अभी उड़ीसा में, आपने पढ़ा होगा, कल राज्य सभा में प्रश्न उठा था, एक बहुत बड़े प्रतिनिधि हैं (व्यवधान) सौदागर ही कहिए नाम नहीं ले रहा हूं क्योंकि चार्ज कर रहा हूं। सौदागर महोदय पये की थैलियां लेकर बिहार उड़ीसा गये और यहां भी दो दिन कमरा रिजर्व रहा यहां भी आने वाले थे। यह सौदागरों की राजनीति इस देश में चलेगी या लोकतन्त्र चलेगा, जनता का राज्य चलेगा? जनता और लोकतन्त्र की और कीमत होगी यह फैसला करना पड़ेगा।

श्रीमन्, आज यह दल बदल जो कराया जा रहा है या किया जा रहा है वह लोकतन्त्र के लिये बहुत बड़ा खतरा है और यह एक अनैतिक कार्य हो रहा है, इससे नैतिक मूल्यों को खतरा पैदा हो गया है। चुनाव में हार जीत तो होती ही है, उसे उसी प्रकार से लेना चाहिये जैसे कि हाकी या फुटबाल के खिलाड़ी हार-जीत के बाद लेते हैं। हार के बाद कभी वे दल बदल नहीं करते, अफसोस तो जाहिर करते हैं। खिलाड़ी चाहे हिन्दुस्तान के हों, चाहे पाकिस्तान के हों, वे हारने के बाद कभी दलबदल नहीं करते। इसी तरह से इस चुनाव को भी लेना चाहिये। आज दल बदल के जरिये जो लोग प्रजातन्त्र का अपमान कर रहे हैं हिन्दुस्तान की जनता इसे बरदाश्त नहीं करेगी।

मान्यवर, इस देश में शक्ति की पूजा होती है। इन्दिरा गांधी श्रीमन्, तीन बार कांग्रेस को तोड़ा और जाने कितने लोगों के खिलाफ अनुशासन की कार्यवाही भी की। वे लोग खत्म हो गये और इन्दिरा गांधी की जय-जयकार भी होने लगी और दल-बदलू लोग उधर जाने लगे। यह देख कर मुझे तुलसीदास जी की एक चौपाई याद आ गयी-- "लक्ष्मी तेरी ओट में, अवगुण छिपत हजार"। यही चीज यहां देखने में आ रही है। यह सत्ता की राजनीति अधिक दिन चलने वाली नहीं है। हिन्दुस्तान की जनता इसे चलने नहीं देगी। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि चाहे कोई भी पार्टी हो, दल बदल करने की जरूरत नहीं है, हमको एक खिलाड़ी की तरह से हार जीत को लेना चाहिये। हमें कुछ अपने उसूल और सिद्धांत स्थापित करने चाहिये।

मान्यवर, आज जो हालत है उस पर हमें आपको सबको विचार करने की आवश्यकता है। दल बदल को एक नैतिक अपराध मानना चाहिये। आप चौधरी चरणसिंह पर दल बदल का चार्ज लगाते हैं, मैं उनको निर्दोष नहीं कहता भजनलाल ने क्या किया? चन्द्रजीत यादव ने क्या किया? उनका दल-बदल किसने कराया? बाबू गेंदा सिंह जी का दलबदल

किसने कराया ? श्री वीरेन्द्र वर्मा जो होम मिनिस्टर थे और पहले बी० के० डी० के मेम्बर भी थे, उन्होंने क्या किया ? विकल जी जो संविद के मंत्री यहां रह चुके थे, उनका दल-बदल किसने कराया ? नारायण सिंह जी जो कल तक इस सरकार में उप मुख्य मंत्री थे। आज इधर आ गये, यह किसने कराया ? माननीय हेमवती नन्दन बहुगुणा ने तो जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। जब कांग्रेस के दुर्दिन देखे तो उसे लात मार दी जब देखा कि कांग्रेस में कुछ मिलने वाला है तो चौधरी चरण सिंह जिन्होंने उनको वित्त मंत्री केन्द्र में बनाया उन्हीं को लात मार कर कांग्रेस में फिर चले गये। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

आपको राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर भी कुछ बोलना है या नहीं ?

श्री ऊदल--

मैं उसी के बारे में तो कह रहा हूं कि आज अस्थिरता के युग में जो इस तरह के कार्य हो रहे हैं, जिसका इसमें जिक्र नहीं है, उसका हम माननीय सदस्य विरोध करेंगे और इसीलिये मैं इन बातों को कहना चाहता हूं।

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से कहना चाहता हूं कि हमारे देश की संघीय व्यवस्था है केन्द्र में किसी की सरकार हो सकती है, प्रदेशों में किसी की सरकार हो सकती है तो यह तानाशाही का रवैया, यह चलेगी श्रीमन् ? इसीलिए हमारी संघीय व्यवस्था है कि केन्द्र में किसी की सरकार हो, प्रदेश में किसी की सरकार हो। यही तो डिमोक्रेसी है। यह तो जनतन्त्र है। यही लोकतन्त्र है। श्रीमन्, कहा गया है कि "निंदक नियरे राखिये" तो ये निंदक रखने वाले नहीं हैं। वह दरबारी लोग जो हुआ करते थे, राजा जो कुछ गलत सही कहता था दरबारी लोग जो हुजूर, जो सरकार कह कर स्वीकार करते थे। तो इसलिए श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से कहना चाहता हूं कि आज बहुत बड़ा खतरा है तानाशाही का, आतंकवाद का। आतंकवाद क्या है ? आतंकवाद यह है कि हमने बड़ा पाप किया था, मोहन सिंह जी से कह देता हूं। कम्युनिस्ट पार्टी ने माफी मांगी थी कुछ कहने के लिये, श्रीमन्, ये कहते हैं कि बड़ा अत्याचार हुआ और हमारे रियासत भाई पता नहीं कहां थे, मुजफ्फरनगर के एक मोहल्ले में सैकड़ों लोगों को नसबन्दी के नाम पर भून दिया गया और सुल्तानपुर में एक लाख हरिजनों के मुकदमें थानों में दर्ज हैं। मैं भिमंडी गया था देखने के लिये, वह स्थान जलकर खाक हो गया था। हम लोगों का बड़ा दुर्भाग्य है।

हमारे गवर्नर साहब थे, आज कल हैदराबाद के मुख्य मंत्री हैं। मेरी मुलाकात यहां पर गवर्नर होने से पहले हो गयी थी। श्रीमन्, पिछले 77 में रामनरेश जी का जो भाषण तैयार किया हुआ था, वह पढ़ रहे थे, तो मैंने उनको बीच में टोक दिया था। तो ये लोग जो स्वार्थवादी लोग हैं, सत्ता के आकांक्षी लोग हैं, इनसे श्रीमन् जो चाहें करवा ले। इस देश में पूंजीवाद हैं, इस देश में सामन्तवाद हैं, उनसे निपटने के लिए मैं माननीय सदन के द्वारा प्रदेश की जनता से और इस देश की जनता से कहना चाहता हूं कि इस देश में कोई भी पूंजीवादी पार्टी विकल्प नहीं हो सकती और वह सत्ता जो बन गयी है, उसका भी सत्यानाश होने वाला है, यह बचेगी नहीं, क्योंकि समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता। या तो श्रीमन् गरीबी रहेगी या तो अमीरी रहेगी। शेर और बकरी का क्या रिश्ता है ? मैं मैनेजर सिंह जी से कहना चाहता हूं, आचार्य नरेन्द्र देव से विनोबा भावे जी से, पंडित सुन्दर लाल से बहुत बार मैं मिला तो श्रीमन् शेर और बकरी का कोई रिश्ता है ? या तो शेर रहेगा या बकरी रहेगी। यह कांग्रेस (आई) पूंजीवादी का प्रतिनिधित्व करती है। यदि यहां पूंजीवाद को, सामन्तवाद को पूंजीवाद को खत्म करना है, तो जाकर इस देश में विकल्प होगा। पांच पक्षीय जनवादी मोर्चे का इस देश की जनता को जो भ्रम हो गया था, वह भ्रम बहुत जल्दी टूटेगा और आज नैतिक मूल्यों को स्थापित करने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। लोकतन्त्र को खतरा है, डिमोक्रेसी को खतरा है।

[श्री ऊदल—]

अब इस देश में तानाशाही श्रीमन्, आपने अखबारों में पढ़ा होगा बसंत दादा पाटिल हमारे बड़े मित्र हैं, मेरी जान-पहचान भी है, बम्बई के मुख्य मंत्री भी रह चुके हैं, विचार से प्रगतिशील हैं, आज उन्होंने बयान दिया था कि मैं संजय गांधी से मिला और मैंने कहा कि दलबदल हो जाय, तो उन्होंने कहा कि असेम्बली भंग करना ही ठीक है दलबदल ठीक नहीं है। यह बड़े बड़े नेता हमारे प्रदेश के उनसे मिले, एक तो हमारे विधान परिषद् के सदस्य हैं उनसे मैंने पूछा बड़े भाई क्या हाल चाल हैं उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों का जो संजय के पीछे घूम रहे थे जमघट लगा हुआ है, वही चन्डाल चौकड़ी वही कार्यक्रम वही खरीद फरोक्त व्यापार सौदागरी जो लोकतन्त्र को खरीदना चाहते हैं, जो विधायकों को खरीदना चाहते हैं, जो एम0 पी0 को खरीदना चाहते हैं और लोकतन्त्र का गला घोटना चाहते हैं। ऐसे लोगों को इस देश की जनता सबक सिखा चुकी है और आगे भी सिखायेगी। हमसे उन्होंने कहा कि जहां श्रीमती गांधी जाती हैं वहां की धरती हिलती है। केरल के चुनाव के थोड़े दिन बाद श्रीमन् उन्होंने मुझसे कहा, बड़े जिम्मेदार व्यक्ति हैं जनरल सेक्रेटरी हैं उत्तर प्रदेश के कि जहां श्रीमती गांधी जाती हैं वहां की धरती थररा जाती है, कांपती है, हमने कहा केरल ऐसा प्रदेश है जो नहीं कांपेगा बल्कि इन्दिरा गांधी को कंपा देगा। केरल का नतीजा आप देख लीजिये। इस देश में पूंजीवाद और अमीरी को खत्म करने के लिये बामपन्थी और जनवादी मोर्चा की आवश्यकता है। तानाशाही और तानाशाही शक्तियों से जो लोकतन्त्र के दुश्मन हैं, से हम भाग नहीं सकते। यह दो बातें निवेदन कर दूं।

*श्री बाबू र म शुक्ल (जिला कानपुर)—

मान्यवर, उपाध्यक्ष महोदय, मुझे खेद है कि महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के प्रति धन्यबाद के प्रस्ताव पर जो माननीय रघुवर दयाल बर्मा जी द्वारा रखा गया है, उसका समर्थन करने में मैं अपने को असमर्थ पा रहा हूं। मान्यवर, इस राज्यपाल के अभिभाषण में पृष्ठ 12 पर 25 नम्बर के पैराग्राफ में कानपुर का जिक्र किया गया है और उसमें कहा गया है कि कानपुर में जो मलिन बस्तियां हैं, शासन उन मलिन बस्तियों को समाप्त करके उनके स्थान पर अच्छी बस्तियां बनाने का प्रयास कर रहा है और यह भी कह गया है कि इसके लिये बिश्व बैंक से कुछ मदद मिल रही है।

मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कानपुर नगर में विकास प्राधिकरण है और नगर महापालिका 2 संस्थायें कानपुर के विकास के लिये कार्य कर रही हैं। पहले मैं विकास प्राधिकरण का जिक्र करना चाहूंगा, वहां सन् 1972 में विकास प्राधिकरण का गठन हुआ। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि सन् 1972 से लेकर आज तक विकास प्राधिकरण ने कानपुर महानगर सीमा के अन्तर्गत एक भी भू-खण्ड विकसित नहीं किया जिसके प्लाट्स बनाकर नागरिकों को एलाट किया जाता। विकास प्राधिकरण में अधिकारियों की ही इतनी बड़ी फौज है जिनकी तनख्वाह, भत्ते आवासों, कार और टेलीफोन का इतना खर्चा है कि जो अंश अनुदान शासन की ओर से विकास प्राधिकरण का विकास के लिये दिया जाता है वह इन अधिकारियों के भत्ते और कार पर खर्च कर दिया जाता है। मान्यवर, विकास प्राधिकरण की अकर्मण्यता का और इससे अच्छा उदाहरण क्या दे सकूंगा कि जो लोग विकास प्राधिकरण को कुछ पैसा देना चाहते हैं उसकी ओर उनका ध्यान नहीं है। मैं कानपुर कैन्ट विधान सभा क्षेत्र से चुनकर आया हूं कैन्ट विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत अनेकों ऐसे मुहल्ले हैं जो विकास प्राधिकरण को बेटरमेंट देना चाहते हैं इसके अन्तर्गत हरजेन्द्र नगर, लाल बंगला, शिवकटरा, काजीखेड़ा, सफीपुर, परदेवनपुर, जगई पुरवा, ओम पुरवा, चन्द्र नगर, देवीगंज, धाउखेड़ा, बीबीपुर, तिवारीपुर, गौशाला, गज्जूपुरवा, जाजमऊ, शीटल बाजार, गांधी ग्राम, पटेल नगर, गंगागंज तथा काकोरी ऐसे मुहल्ले हैं। मान्यवर, जहां मकान बने हुये हैं यहां के मकान मालिक विकास प्राधिकरण से

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बार-बार निवेदन कर रहे हैं कि हमसे वेटरमेंट ले लिया जाय, हमारे मकानों का विनियमितीकरण कर लिया जाय। किन्तु मान्यवर, इसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से शासन से निवेदन करना चाहता हूं कि उन मुहल्लों की ओर ध्यान दें जहां के मकान मालिकों के वेटरमेंट नहीं हुये हैं, उन मकान मालिकों के मकान का वेंटरमेंट कर दिया जाये और जो मकान बन गये हैं, उनका विकास प्राधिकरण की ओर से नक्शा पास करके विनियमितीकरण कर दिया जाय। मान्यवर, दूसरा प्रश्न है विकास कार्य का। मैं मान्यवर, कहना चाहूंगा कि शायद ही कोई नगर भारत के प्रदेशों में होगा जो कानपुर से अधिक गंदा हो। कानपुर के बारे में कहना चाहता हूं कि उसके मुख्य मार्गों पर कूड़े के अम्बार आपको जगह-जगह पर दिखाई देंगे। यहां के मोहल्लों की नालियां बजबजाती हुयी दिखायी देंगी। यहां सफाई का अत्यन्त अभाव है, पीने के पानी का अभाव है। कानपुर एक ऐसा महानगर है जहां पर विकास प्राधिकरण और नगर महापालिका के कर्मचारियों के वेतन के रूप में लाखों रुपया खर्च हो रहा है। अधिकारियों की तनख्वाहों पर लाखों रुपया खर्च हो रहा है। लेकिन काम कुछ हो रहा है यह नहीं कहा जा सकता।

मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इस महानगर में पीने के पानी का जो अभाव है, उस अभाव को दूर किया जाये। मैंने तो इस संबंध में बहुत प्रयत्न किये और उस प्रयत्न के बावजूद अभी तक मेरे क्षेत्र में, जाजमऊ क्षेत्र में कोई प्रबन्ध नहीं हो सका है। मान्यवर, बहुत कुछ प्रयत्न के बाद शासन द्वारा 6 नलकूप स्वीकृत किये गये थे। उनमें से अभी कुछ बन रहे हैं बहुत धीमी गति से और जो कुछ बन भी चके हैं, उनको 'केसा' बिजली कनेक्शन नहीं दे रहा है। इसलिये मैं फिर शासन से अनुरोध करूंगा कि जाजमऊ क्षेत्र में पीने के पानी की अविलम्ब व्यवस्था की जाय। इसके अलावा मान्यवर, मैं इस विधान सभा में पहले भी इस विषय पर प्रश्न उठा चुका हूं। मान्यवर, एक बात और आपके सज्ञान में लाना चाहता हूं कि चांदमारी क्षेत्र जो पहले शहर से बाहर पड़ता था परन्तु अब उसके चारों ओर बस्ती हो गयी है। चांदमारी में निशाने बाजी की रिहर्सल में जब गोलियां चलाई जाती हैं, तो उन गोलियों से आस-पास के रहने वाले लोग घायल हो चुके हैं और कुछ लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है। इसलिये मेरा निवेदन है कि इस चांदमारी को शहर से कहीं अलग शिफ्ट किया जाये, जिससे वहां पर बा बस्ती के लिये क्वार्टर बनाये जायें या स्टेडियम बनाया जा सकता है।

मान्यवर, मेरे क्षेत्र के एक हिस्से में एक बहुत बड़ा सीवर नाला है। इसके आस-पास कई बड़े फार्म बन रहे हैं और छोटे छोटे किसानों को भी पट्टे पर भूमि दी जा रही है। लेकिन मान्यवर, पिछले दो साल से मैं इस ओर बराबर प्रयत्न कर रहा हूं और विधान सभा में भी इस प्रश्न को उठा चुका हूं। मशीनें लगी हैं। 8 में से केवल 3 काम कर रही हैं जिसके परिणाम स्वरूप किसानों को पानी नहीं मिल रहा है। गांवों में न सड़कों की, न रोशनी की, न स्कूलों की व्यवस्था है। नगर महापालिका टैक्स तो भरपूर वसूल रही है लेकिन विकास की ओर कोई ध्यान नहीं देती है। मैं चाहता था कि उद्योग मंत्री जी उपस्थित रहते लेकिन किसी कारण से वे चले गये। खादी बोर्ड का कार्यालय 20व षों से कानपुर में है। 20 वर्षों से कर्मचारी काम कर रहे हैं। न जाने क्यों उसके लखनऊ स्थानान्तरण का प्रयत्न किया जा रहा है। वहां के जो प्रशासक है 75–76 तक वे रहे थे। उन पर भ्रष्टाचार का आरोप था जिसकी वजह से वे हटा दिये गये थे लेकिन बोर्ड के गठन के बाद जब उद्योग मंत्री बदले तो फिर उन्हीं को जिन पर विजिलेंस की इन्क्वायरी थी, प्रशासक नियुक्त कर दिया गया। अब अपनी सुविधा के लिये, जिनका निवास स्थान लखनऊ है उसे कानपुर वे कर नहीं सकते, उन्हें रोज लखनऊ से कानपुर जाना पड़ता था, बोर्ड के कार्यालय को लखनऊ लाने की योजना बना डाली।

कानपुर मुख्यालय से एक दिन रात में इलेक्शन ड्यूटी पर जब कर्मचारी गये थे, चोरी-चोरी फाइल उठा लाये और अब वे पीरगुर हाउस में किराये की फर्नीचर पर पड़े है। कर्मचारी किराये के फर्नीचर पर बैठते हैं। करीब 50 लाख की हेरा फेरी हुई है जिसकी वजह से

[श्री बाबू राम शुक्ल]—
मुख्यालय यहां लाया जा रहा है। अतः मेरी मांग है कि जो प्रशासक हैं उनको मुअत्तल कर दिया जाय और उनके खिलाफ कार्यवाही की जाये। कानपुर में ही मुख्यालय रखा जाय। यहां कर्मचारियों क आवास का सवाल है। इसलिय मेरा अनुरोध है कि आप शासन को निर्देश दें कि मुख्यालय न बदलें।

*श्री हरि चरण यादव (जिला सुल्तानपुर)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने इस राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया। माननीय राज्यपाल जी ने जो अभिभाषण दिया है और श्री रघुवर दयाल जी ने जो धन्यवाद का प्रस्ताव रखा है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। जनता पार्टी और लोकदल की सरकार ने अपने कार्यकाल में जितना भी विकास कार्य किया है वह जनता के समक्ष है और इतना कार्य जिस गति से हुआ है अगर उसी गति से हुआ होता तो प्रदेश का पिछड़ापन दूर हो गया होता। चाहे सड़कों के संबंध में, चाहे शिक्षा के संबंध में, भवन निर्माण के संबंध में रहा हो, काफी प्रगति हुई है। जो कार्य हुआ है वह कांग्रेस की हुकूमत में 30 वर्षों में भी सम्भव नहीं था। आज लोकदल की सरकार जिस प्रगति क साथ आगे बढ़ रही है उसी से उम्मीद है कि प्रदेश का काफी विकास होगा।

जनपद सुल्तानपुर के बारे में अमेठी के क्षेत्र की तरफ आपके माध्यम से शासन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। यह क्षेत्र पिछड़ा हुआ है, यहां उसरीली जमीन है, नलकूप बहुत कम आवंटित किये गये जिसके कारण क्षेत्र का विकास नहीं हो पा रहा है। सड़कों के बारे में भी काफी क्षेत्र पिछड़ा हुआ है।

(इस समय 1 बजकर 55 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री बाबूराम शुक्ल पीठासीन हुये)

हम यह मांग करत हैं कि सड़क, ट्यूबवेल स्कूलों के भवनों के बारे में विशष ध्यान दिया जाये। मान्यवर, सुल्तानपुर में अमेठी निर्वाचन क्षेत्र से संजय गांधी जिनको युवा हृदय सम्राट कहते हैं, चुनाव लड़े थे। वहां पर लोग वोट नहीं देने पाये। मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि जो लोग वहां गये होंगे उन्होंने देखा होगा वहां के राजकुमार जी हर पोलिंग के क्षेत्र में 10, 10 गुन्डों को लेकर पोलिंग अधिकारी के साथ 400 बैलेट पेपरों में अपने हाथों से मोहर लगवाया है। रामगढ़ हीमी पश्चिम में यह गये और अपने हाथों से मोहर लगवाकर बैलेट पेपर डाले। मैं आपके सामने उदाहरण रखना चाहता हूं अपने क्षेत्र में इन्होंने आतंक फैला रखा है, शायद पहले ऐसा कभी नहीं हुआ होगा। लोक दल और जनता पार्टी के प्रत्यासियों के पास आज भी 10-10 बैलेट पेपर हैं जिनमें लोकदल और जनता पार्टी के खाने में मोहर लगी है, उन पर प्रेसाइडिंग आफिसर के दस्तखत भी मौजूद हैं। 6 ऐसे हैं जिनमें लोकदल के प्रत्याशी को वोट मिला है, 4 ऐसे हैं जिनमें जनता पार्टी के प्रत्याशी को वोट मिला है। इन सबमें जिलाधिकारी का हाथ था। जिलाधिकारी ने काउन्टिग कराते समय बिजली फेल कराया था। जय सिंहपुर में विधान सभा का उप-चुनाव था, पहली काउन्टिग में लोकदल का प्रत्याशी 15 हजार वोटों से आगे था पांच मिनट बिजली फेल करा दी गयी, लोकदल के एजेंटों को जिलाधिकारी ने कहा कि बाहर जाइये आपके दस्तखत नहीं हैं। बैलेट पेपरों में जाली मोहर लगायी गयी और 10 मिनट बाद कहा गया कि कांग्रेस (आई0) का प्रत्याशी 311 वोटों से जीत गया। कांग्रेस (आई0) क्या कर रही है, सभी असामाजिक तत्व हैं इसमें, सारे के सारे अव्यवस्था पैदा कर रहे हैं और दुहाई देते हैं लोकतंत्र की, समाजवाद की, इस प्रकार की गड़बड़ी सभी जगहों पर इन लोगों ने मचाई। एक बात मंत्रि परिषद् के लोगों से कहना चाहूंगा कि आज चाहे जनता पार्टी के मंत्री रहे हों, चाहे लोकदल के मंत्री हों इनको संकीर्णता समाप्त करनी होगी। यह सभी अपने क्षेत्र

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

के हिसाब से काम करते हैं। यह भूल जाते हैं कि यह पूरे प्रदेश के मंत्री हैं। कोई नलकूप बनाना हुआ तो सिंचाई मंत्री जी के यहां बनेगा, सड़क बननी हुई तो सा0 नि0 वि0 मंत्री के यहां, स्कूल बनना हुआ तो शिक्षा मंत्री के यहां। इस प्रकार के संकुचित दृष्टिकोण के कारण पूरे प्रदेश की प्रगति अवरुद्ध होती है। मेरी मांग है कि मंत्री चाहे जिस दल का हो, लोक दल का हो, जनता का हो, चाहे जिस क्षेत्र का हो निर्माण कार्य में संकीर्णता नहीं होनी चाहिये। तब जाकर सर्वांगीण विकास होगा। अगर यह क्षेत्रीयता की भावना से ग्रसित होंगे तो इससे वोट में भले फायदा मिल जाये परन्तु प्रदेश का विकास नहीं हो सकता। मैं आपके माध्यम से मंत्रियों से, माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार की संकुचित भावना को विशाल दृष्टिकोण में बदलें।

दूसरा सुझाव छात्रवृत्ति के संबंध में है। पिछड़े वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति आवंटित करने की व्यवस्था की गयी है। एक भी छात्र को छात्रवृत्ति नहीं मिली। जिलाधिकारी से बात की जाती है तो कहते हैं कि शासन से पैसा नहीं आया। हरिजन कल्याण मंत्री महोदया से बात की जाती है तो कहती हैं कि व्यवस्था करा रही हैं। पूरा साल बीत गया आज तक व्यवस्था ही करा रहीं हैं। इसलिये मेरा हरिजन कल्याण मंत्राणी जी से अनुरोध है कि अगर शासन ने इस प्रकार का धन आवंटित किया है और नीति निर्धारित की है और वास्तव में छात्रवृत्ति देने को सोचा है, वोट लेने की राजनीति नहीं है तो इन गरीब छात्रों को समय से छात्रवृत्ति पहुंचायें। मैं दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि गवर्नर महोदय के अभिभाषण में बार-बार कहा गया है कि पिछड़े और कमजोर वर्गों को राहत पहुंचायी जायेगी।

लेकिन कहीं पर आरक्षण नीति को अक्षरशः लागू किया जायगा इस संबंध में कोई बात नहीं कही गयी है। इस समय तामिलनाडु के मुख्यमंत्री एम0 जी0 रामचंद्रन को बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने कहा है कि 30 प्रतिशत आरक्षण की जगह 50 प्रतिशत आरक्षण करने जा रहे हैं। वहां पर कांग्रेस (आई0) ने इसका विरोध नहीं किया। वोट लेने के लिये इनके नेता उत्तर भारत में विरोध करते हैं। अधिष्ठाता महोदय, जब से कांग्रेस (आई0) की केन्द्रीय सरकार बनी, देश भर में अस्थिरता का वातावरण पैदा किया जा रहा है। देश में असामाजिक तत्वों को बढ़ावा दिया जा रहा है, चोरी डकैतियां करायी जा रही हैं। चुनाव के दौरान अमेठी क्षेत्र में जहां जहां कांग्रेस (आई0) के लोग गये, दिन में पदयात्रा करते थे रात्रि को वहीं डकैती पड़ी थीं। गांव के लोगों से पूछा जाय तो बतायेंगे कि जहां जहां लोगों ने पदयात्रा की वहां रात को लूट हुयी। मैंने जिला प्रशासन, कलेक्टर से बात की उन्होंने कहा कि राजनीतिक भावना से आप बात कर रहे हैं। मुख्य मंत्री से बात की उन्होंने भी कार्य-वाही नहीं की। मैं मुख्य मंत्री जी से आपके माध्यम से मांग करता हूं कि सुल्तानपुर के जिलाधिकारी की एक उच्चस्तरीय जांच करायी जाय कि 10 बैलेट पेपर जिन पर जनता पार्टी और लोकदल के लोगों को मत मिले थे वह कलेक्टरी के प्रांगण के बाहर कैसे मिले। जले हुये बैलेट पेपर कैसे मिले। 50 हजार रुपये के अमेठी में बैलेट पेपर दोबारा छपाये गये तो यह 50 हजार रुपया जिलाधिकारी सुल्तानपुर द्वारा वसूल होना चाहिये। वह शासन अपने ऊपर क्यों ले रहा है। इसके ऊपर मुख्य मंत्री जी ने कोई जांच नहीं करायी। मैं मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इस प्रकार कायरतापूर्ण व्यवहार छोड़कर प्रशासन को चुस्त करें और भ्रष्ट अधिकारियों की जांच करायें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

*श्री मन्नू लाल द्विवेदी (जिला रायबरेली)---

मान्यवर, राज्यपाल जी के अभिभाषण पर जो संशोधन का प्रस्ताव पेश किया गया हैं उसका मैं समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। इस पुस्तिका में सरकार ने बड़े जोर शोर से

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मन्नू लाल द्विवेदी]

लिखा है कि 33,5000 मी0 टन खाद्यान्न तथा 600 मी0 टन दुग्ध चूर्ण और सोयाबीन का खाद्य तेल भारत सरकार द्वारा वितरण हेतु आवंटित किया गया । इसके बारे में मैं कहना चाहता हूं कि जहां कहीं कोई मंत्री रहे होंगे, जोरदार, लोकदल के वहां यह दुग्ध चूर्ण और सोयाबीन का तेल गया होगा । लखनऊ डिवीजन में रायबरेली एक ऐसा जिला है जो सूखे से ग्रस्त था, लोग वहां तड़प रहे थे लेकिन वहां पर सोयाबीन का तेल या दुग्ध चूर्ण नहीं बांटा गया । इससे साफ होता है कि यह सरकार पक्षपातपूर्ण कार्य कर रही है और इस सरकार को रहने का नैतिक अधिकार समाप्त हो गया है । इसी पुस्तिका में यह कहा गया है कि हम सूखे का सामना कर रहे थे । सूखे का सामना इस तरह कर रहे थे कि मैं रायबरेली की बात बताऊं कि वहां पर 55 ट्यूबवेल हमारे जिले में बने हुये पड़े हैं 3 साल से, जब से यह विधान सभा बैठी है, तब से बने पड़े हैं लेकिन उनको बिजली नहीं दी गयी । हमने यह सोचा था कि सूखे के समय में इन ट्यूबवेलों को बिजली मिल जायगी और किसानों को पानी मिलेगा ।

मैं आपका नाम बताना चाहता हूं कि डलमऊ निर्वाचन क्षेत्र में धीरनपुर, सहजादपुर, सेलरहा, सन्तपुर में स्टेट ट्यूबवेलों मे आज तक बिजली नहीं गयी है । जब कि वह 3 साल से बने पड़े है । मैं इस संबंध में बिजली के अधिकारियों से मिला तो उन्होंने जबाव दिया कि किसान अपने खर्चे से सामान उठा ले जाये तो बिजली लग जायेगी । किसानों ने चन्दा भी दिया जो सरकार के लिए शर्म की बात है लेकिन उसके बावजूद भी आज तक सामान नहीं दिया गया और न बिजली दी गयी है ।

मान्यवर, डलमऊ में गंगा लिफ्ट नहर योजना है जो एशिया में सबसे बड़ी योजना है । उसको यह सरकार फेल करना चाहती है । वहां के चीफ इन्जीनियर के पास मैं गया और उसको हमने इस योजना को दिखाया कि किस तरह से वहां के कर्मचारी पैसा खा रहे हैं । गंगा में पानी कम था इसलिए पम्प में पानी लाने के लिए गड्ढा एक मीटर चौड़ा और एक मीटर गहरा खोदने का ठेका दिया गया जिसमें मजदूरों को 7.60. पैसे मजदूरी प्रतिदिन के हिसाब से देना था । लेकिन उस पैसे को सारे कर्मचारी खा रहे थे और काम कुछ नहीं हो रहा था, इसलिए चीफ इन्जीनियर ने वहां के स्टाफ को ट्रान्सफर कर दिया । अब उस नहर में पानी आ गया है । मान्यवर, सूखे के समय रायबरेली में उसी गंगा नहर के माइनरों में पानी नहीं दिया गया । यह माइनर है जलालपुर धई, गौरा माइनर, दीनगंज, ऊंचाहार , रजबहा जिसमें एक बूंद पानी नहीं डाला गया । यह पानी उन्नाव से नहीं आया ।

मान्यवर, तकाबी बांटी गयी है जिसका इस पुस्तिका में उल्लेख है । यह लोक सभा के चुनाव जब होने जा रहे थे तब बांटी गयी क्योंकि बोट लेना था । मान्यवर, आप कह रहे हैं कि जूनियर हाई स्कूल खोलेंगे । तो वह वहां खोलेंगें जहां जरूरत नहीं होगी और पार्टीबाजी के आधार पर खोलेगे । इस लिए मान्यवर, सदन में इसको रहने का कोई नैतिक आधार नहीं रह गया है ।

मान्यवर, मिट्टी के तेल का और डीजल का किस तरह मजाक हुआ है वह सभी जानते हैं । इसके अलावा जहां के मंत्री है वहां का तो कोटा बढ़ा दिया गया है और रायबरेली ऐसे जिलों का जहां का कोई मंत्री नहीं है वहां का कोटा कम कर दिया गया है, इसलिए वहां डीजल की दिक्कत पैदा हो गयी है । डीजल खरीदने में रायबरेली मे पुलिस की लाठी से एक आदमी मारा गया है, जिसकी जांच की मांग किया है लेकिन उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी है ।

मान्यवर, चीनी की दुकानें खोल रहे हैं । डलमऊ में चीनी की जो दुकानें खुली हैं उसमें अभी तक चीनी तथा अन्य आवश्यकता की वस्तुयें नहीं मिलती है । कोटा ईमानदार व्यक्तियों को नहीं दिया गया है क्योंकि इन्होंने पैसा कर्मचारियों और अधिकारियों को नहीं दिया है । नये लोगों को कोटे दिये गये है, यह सदन को मैं सूचना देता हूं ।

मान्यवर, 21 वर्ष की उम्र को घटाकर 18 साल कर रहे हैं । तो मान्यवर, आपको चुनाव ही नहीं कराना है । आपकी हिम्मत नहीं है कि टाऊन एरिया, नोटीफाइड एरिया

और म्युनिसिपैलिटीज के चुनाव करा सकें। जबसे यहां आप कुर्सी पर बैठे हैं एक भी टाऊन एरिया और म्युनिसिपैलिटीज में जनता का प्रतिनिधि नहीं है। वहां आप सरकारी आदमियों से काम करा रहे हैं।

आप में हिम्मत हो तो मेरा दावा है कि आप वहां चुनाव करायें। आप कहते हैं कि केवल 160 हड़तालें हुई। इसके माने बहुत अधिक हड़ताले चाहते थे।

मान्यवर, लोक सभा चुनाव का जिक्र भी इस पुस्तिका में है। लोक सभा चुनावों में एक साथ लोक दल के उम्मीदवार जीत कर गये थे और वह किस तरह जीते। हरिजनों को वोट डालने से रोका गया, बोगस बोटिंग हुई, पोलिंग आफिसरों को रोका गया। इस तरह से मा० चौधरी चरण सिंह जो प्रधान मंत्री के कुर्सी पर बैठे थे उन्होंने पक्षपात के आधार पर चुनाव कराये और लोक दल के उम्मीदवार को चुन कर भेजा। मेरा यह कहना है कि जो सरकार यहां पर बैठी है इसे नैतिक रूप से यहां पर बैठने का अधिकार नहीं रह गया है। यहां के मंत्री मण्डल को जरा भी शर्म है तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिये और दुबारा चुनाव लड़ें।

इस प्रकार मैं, जो संशोधन प्रस्ताव पेश किया है, इसका समर्थन करता हूं।

*श्री जागेश्वर (जिला फतेहपुर)--

अधिष्ठाता महोदय, गुलाब सेहराजी जो प्रस्ताव लाये हैं मैं उसका समर्थन करता हूं। साथ ही जो मेरा क्षेत्र फतेहपुर है और किशनपुर क्षेत्र है जहां से मैं संबंधित हूं उसके बारे में कुछ जानना चाहता हूं। श्रीमन्, वहां पर एक कोटा गांव है जिसकी आबादी बीस हजार है, बीच में एक नदी पड़ती है, वहां पर न तो पुल है न तो सड़क। हमारे मिनिस्टर साहब राम नरेश जी से लेकर अब्दुल लारी साहब, बिजली मंत्री जी वित्त मंत्री जी उस गांव में गये थे और लम्बें चौड़े भाषण दिये थे लेकिन वहां पर अभी तक पुल नहीं बना। चुनाव दरमियान में लम्बें वायदे किये गये थे। जनता की तकलीफों को दूर करेंगे। हमारे सामने हमारे बिजली मंत्री नजर आ रहे हैं उन्होंने कहा था कि यहां हमे चुनाव में जितवा दो तो हम आदमियों की मदद करेंगे। कई बार दरख्वास्तें दी लेकिन एक आदमी को भी नौकरी नहीं दिलवाई। हमारे वित्त मंत्री जी ने वायदा किया था, लारी साहब ने वायदा किया था कि लेकिन हमारे कोटा में पुल नहीं बन सका। वहां आज कोई जा नहीं सकता है। बीस हजार की आबादी वहां पर है। वहां पर एक वोट भी नहीं पड़ा। वहां के लोग कहते थे कि जब तक पुल नही बनेगा, स्कूल नहीं खुलेगा, हम वोट नहीं देंगें। सरकार से हमारी अपील है कि वहां पर पुल बनना चाहिए, स्कूल खुलना चाहिए।

दूसरी बात भीखों का जो पुल है जिसके बारे में आपने वायदा किया था वह बनना चाहिए। वहां पर सिंचाई की सुविधा होनी चाहिए। सूखे के दौरान यदि परमात्मा की मेहरबानी नहीं होती तो क्या हालत होती, आप देखते। फतेहपुर जिला सूखे से पीड़ित था, लेकिन उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। हमारी सरकार से अपील है कि फतेहपुर इलाके की ओर भी नजर करके वहां सारी सुविधायें सिचाई की, रास्ते की, पुल की, स्कूल की, देने का प्रबन्ध करें।

मेरे एक साथी ने कहा कि इस सरकार को रहने का कोई अधिकार नहीं है। यदि हम जनता का काम नहीं कर सकते तो हमें तो जनता को निकाल देना चाहिए। हम भय नहीं करेंगे जनता आप को निकाल देगी। अच्छा काम करेंगे तो जनता आप को चुनेंगी। पुलिस प्रसाशन कितना ढीला है रेलों में लूटपाट हो रही है। पुलिस में भी सब बेईमान नहीं है, लेकिन जो अच्छा काम करते हैं उनको दंड मिलता है, उनको मुअत्तल किया जाता है। यह कोई तरीका है? चोरी डकैतियां बढ़ी क्योंकि आप ने सख्त कानून नहीं बनाया। आप कानून बनाइयें कि जो चोरी डकैती करेगा उसे चौराहे पर गोली मार दी जायेगी तो चोरी और डकैती नहीं होगी। कोई आफिसर बदमाशी और अत्याचार करता है तो उसे आप क्यों नहीं निकालते हैं? आखिर यह

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री जागेश्वर]

भ्रष्टाचार क्यों हो रहा है ? क्योंकि सरकारी प्रशासन बिलकुल ढीला है। इस कारण से सरकार को नहीं रहना चाहिए, उसे फौरन इस्तीफा दे देना चाहिए। मुख्य मंत्री को आप क्यों नहीं समझाते कि वह क्यों ढीला प्रशासन चला रहे हैं ? क्यों नहीं वह कड़ा कानून बनाते ताकि बिजली व डीजल मिल सके और जनता परेशान न हो। हमारे देश में किसी भी चीज की कमीं नहीं है लेकिन भ्रष्टाचारी लूट खसोट कर रहे हैं, प्रशासन ढीला है जिससे जनता परेशान है (व्यवधान) आप सही काम करें, ईमानदारी से करें जैसे गरीबों को, भूमिहीनों को जमीन पर आज तक कब्जा नहीं दिलवाया गया, उनको जमीन नहीं बांटी गयी, लिहाजा उनको जमीन पर कब्जा दिलवाया जाय। इतना कहकर मैं समाप्त करता हूं।

श्री नाथूराम शिक्षक (जिला इलाहाबाद) ---

अधिष्ठाता महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के संबंध में संशोधित प्रस्ताव के पक्ष में अपने विचार रख रहा हूं। अभिभाषण में जो वायदे किये गये हैं वे सत्य से परे हैं। बाढ़ का एक समय आया था उसके बाद सूखे का समय आया। सूखे के दिनों में राहत के लिए जो आदेश शासन की ओर भेजे गये विभिन्न विभागों को कि श्रम के बदले अन्न दिया जाय ताकि अधिक लोगों को काम मिल सके तो मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि सिवा विकास खण्ड अधिकारियों के किसी अन्य विभाग ने श्रम के वदलें अन्न की स्कीम को चालू नहीं किया है; मैं इलाहाबाद जिले की बात आपके सम्मुख रखना चाहता हूं। वहां पर तीन हिस्से हैं गंगा पार, जमुना पार तथा दुआबा। मेरी यह निश्चित धारणा है कि वहां के मंत्री स्कीमों को उठाकर गंगा पार तथा जमुना पार ले गये और खासतौर से इसके पहले जो उद्योग मंत्री थे श्री रेवती रमण सिंह जो आज विद्युत् मंत्री हैं उन्होंने इलाहाबाद में बड़ा भ्रष्टाचार फैला रखा है।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है...

श्री नाथूराम शिक्षक—

भैया बैठ जाओ। आप की व्यवस्था सुबह से शाम तक चला करती है। हमारे ऊपर कृपा करें।

मान्यवर, सिंचाई के संबंध में दोआब के क्षेत्र में मंझनपुर एक बड़ी तहसील है जहां पर किशनपुर एक लिफ्ट योजना चल रही है। वह केवल 10/15 किलो मीटर तक ही सीमित है और उस पर करोड़ों रुपया सरकार का लग रहा है। उस सिलसिले में कहना चाहता हूं कि पूरी तहसील मंझनपुर में नहरों का जाल बिछा है लेकिन पानी किसी भी नहर में नहीं है हमने शासन से मांग की है कि जहां नहरों का जाल बिछा है और पानी वहां नहीं है वहां उस क्षेत्र को नहरी कमाण्ड से बाहर निकाल कर सरकारी ट्यूबवेल की व्यवस्था की जाये। हमेशा इस बात को यह कहकर हमेशा टाला जाता है कि यह नहरी कमाण्ड में है शासन से मेरी मांग है कि इसके लिये आप सर्वे करा लें और तीन वर्ष के अन्दर जहां पानी नहीं पहुंचा है' उस क्षेत्र को नहरी कमाण्ड से अलग करके सरकारी ट्यूबवेल लगाने की व्यवस्था की जाये। मेरे क्षेत्र किलनहाई ससुर खदेरी आदि में वरसाती नदियां हैं जो बरसात के समय में काफी भर जाती हैं और उनकी वजह से सारे गांवों को, फसलों को नुकसान होता है। इस संबंध में मैंने श्रम के बदले अन्न की योजना के अन्तर्गत लिखकर दिया था और कहा था कि इन वरसाती नदियों को गहरा किया जाय और इस बरसाती पानी को जगह-जगह बंधी बांधकर इकट्ठा किया जाय और उससे सिंचाई की जाय। वहां पर एक पबोसा पहाड़ी है जहां से गिट्टी निकाल कर सड़क का निर्माण कराया जा सकता है। सड़क के काम भी अधूरे पड़े

हुये हैं। शंकरगढ़ से गिट्टी मंगाई जाती है जहां से एक-एक ट्रक 4-4 और 5-5 सौ रुपये का अधिक अधिभार पड़ता है। इसलिये मेरा शासन से अनुरोध है कि स्थानीय समस्याओं का समाधान स्थानीय तरीकों से किया जाय।

विभागों के हेड जो हैं, वे बैठे रहते है, कागजों को रंगते रहते हैं। इससे काम नहीं हो पाता है। आज स्थिति यह है कि जब तेज हवा चलती है तो फसल नष्ट होने वाली होती है तो उस समय शासन को सतर्क होना चाहिये। जिले के अन्दर जो अधिकारी बैठे होते है प्रदेश में कृषि मंत्रालय है, कृषि डाइरेक्टर है, कौन-कौन से अधिकारी हैं उनको जाकर देखना चाहिये कि क्या हालत है। इसके लिये विभिन्न विभागों का समन्वय आपस में होना चाहिये ताकि उस विपत्ति का सामना किया जा सके। इलाहाबाद के जिलाधिकारी का आपने ट्रांसफर कर दिया है। वह एक भला आदमी था। वे कहते थे कि एक पेट्रोल ही के खर्चे से विभिन्न विभागों के लोग दौरा किया करें। यह उन्होंने अच्छी राय दी थी। तो विभागों का आपस में समन्वय होना चाहिये और इस तरह से समस्याओं का समाधान करना चाहिये। लेकिन शासन की ढिलाई के कारण आज सरकारी मशीनरी फेल हो गई और उसका कोई कन्ट्रोल नहीं रह गया है। एक बड़ी भारी फौज, कृषि विभाग, पी0 डब्लू0 डी0, सिंचाई विभाग में बढ़ रही है। उनको पेंशन भी बाद में मिलती है और वे ही भ्रष्टाचार भी फैलाते हैं। अन्त में में इन शब्दों के साथ जो संशोधन प्रस्ताव रखा गया है उसका समर्थन करता हूं।

श्री राजेन्द्र चौधरी (जिला गाजियाबाद)---

मान्यवर, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया। इस अभिभाषण में जहां तमाम बातें कही गई है, वहीं, आदरणीय लोकनायक जयप्रकाश नारायण का नाम लिया है और अभिभाषण के शुरू में लोक नायक को अपनी श्रद्धांजलि उन्होंने अर्पित की है। अधिष्ठाता महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि लोकनायक, जब हिन्दुस्तान में जो तानाशाही शक्तियां थी, उसके खिलाफ एक ऐसी ताकत थी जिन्होंने हिन्दुस्तान की तमाम लोकतांत्रिक शक्तियों को इकट्ठा किया। माननीय सदस्यों को जिन्हें लोक तंत्र में विश्वास है उनसे अपील करना चाहता हूं एक मौका फिर उन लोगों के हाथ में आया है, तानाशाही सरकार फिर केन्द्र में पहुंच गई है। इसलिये तमाम लोकतांत्रिक शक्तियों को फिर एक जुट होकर संघर्ष में जुट जाना चाहिये।

अभी जो चुनाव केन्द्र में हुआ, लोक सभा के लिये उसमें हिन्दुस्तान भर में तमाम तरह के हथकंडे अपनाये गये। कांग्रेस की तरफ से यह प्रचार किया गया कि स्टैबिलिटी के लिये हमें वोट दीजिये क्योंकि हम स्थायी सरकार बनाना चाहते हैं। स्टेबिलिटी वह किस बात के लिए चाहते हैं। 23 जनवरी को इस विधान सभा के सामने अराजकतत्वों द्वारा प्रदर्शन किया गया। वे इस प्रदेश में अस्थायीपन पैदा करना चाहते हैं। इसी बात के लिये क्या उन्होंने स्टेबिलिटी के नाम पर वोट मांगा। मैं कहना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान में भ्रष्टाचार स्टेबिल करने के लिए तमाम प्रदेशों के अन्दर तमाम तरह के अराजक शक्तियों को ओवर-स्टेबल करने के लिये यह सरकार केन्द्र में बनी है। तमाम तरह से प्रदेश सरकार के साथ सौतेला व्यवहार करने के लिये यह काम कर रही है।

अभी इस सदन में कल डिजल की बात उठी, कहा गया कि केन्द्र सरकार इस मामले में सौतेला व्यवहार कर रही है। हम लोगों को डीजल का कोटा कम दिया जा रहा है। इस प्रदेश में तमाम ऐसे ऐंटी सोशल एलीमेंट इकट्ठा होकर विधान सभा भंग करने के लिये प्रदर्शन करते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि यह केन्द्र की सरकार अगर इस तरह का वातावरण बनाने के लिए काम करेगी, दल-बदल को बढ़ावा देने का काम करेगी, माननीय विधायकों को खरीदने का काम करेगी तो क्या यही स्टेबिलिटी का नमूना है। इस तरह की स्टेबिलिटी के नाम पर प्रदेश के अन्दर अराजकता का वातावरण बनाया जाता रहेगा तो मैं माननीय सदस्यों से

[श्री राजेन्द्र चौधरी—

अपील करना चाहता हूं कि हम सब लोगों को भी हिन्दुस्तान की लोक सभा के सामने जाकर प्रदर्शन करना पड़ेगा। जैसा कि कल माननीय राम आसरे वर्मा जी ने यह मामला उठाया था कि हमें लोक सभा के सामने प्रदर्शन करना चाहिये। हम लोग तानाशाही शक्ति के खिलाफ एक हो जांय और यदि यहां अराजकता हुई तो हम उसे बरदाश्त नहीं करेंगे। केन्द्रीय सरकार के सौतेले व्यवहार के खिलाफ हम आन्दोलन करेंगे।

मान्यवर, दो-तीन दिन से अभिभाषण पर चर्चा चल रही है। दो दिन पहले कांग्रेस के उपनेता श्री गुलाब सेहरा ने आरोप लगाया कि सरकार प्रदेश में सूखे का सामना करने में नाकाम रही है। मैं कहना चाहता हूं कि सरकार के पास जितने साधन थे उसने सूखे और बाढ़ का उससे मुकाबला किया। आज से डेढ़ वर्ष पहले हमारे पास जो साधन थे उनके जरिये हमने इतका मुकाबला किया। मैं एक सवाल उठाना चाहता हूं कि इस प्रदेश और देश के अन्दर जो बाढ़ आती है या सूखा पड़ता है उसमें गरीब किसान उसे एक साल भी बरदास्त नहीं कर पाता है। बाढ़ से किसान के जो भी साधन होते हैं या जो उसकी फसल होती है वह तहसनहस हो जाती है, उसकी आर्थिक स्थिति जरजर हो जाती है। पिछले 30 सालों में उसकी आर्थिक स्थिति जरजर हो गई है। तो यह किसकी जिम्मेदारी है। बेशक हमारी सरकार के पास जितने साधन थे उससे उसका मुकाबला किया लेकिन पिछले 30 सालों में जो कांग्रेस सरकार रही है उसने इस प्रदेश की जनता की आर्थिक स्थिति इस हालत में पहुंचा दी कि वह एक साल भी सूखे और बाढ़ को बरदास्त नहीं कर सकती है। कांग्रेस के लोगों ने इस प्रदेश के अन्दर करोड़ों रुपया बहा कर चुनाव जीत लिया।

कांग्रेस (आई) के लीडरों के पास बेशुमार रुपया है। करोड़ों रुपया चुनाव में बांट दिया गया लेकिन सूखे और बाढ़ से निपटने के लिए उनके पास पैसा नहीं रहता था। मैं कहना चाहता हूं कि पिछले ढाई वर्ष से हमारी सरकार अपने को ही बचाने में लगी हुई है। जिस प्रकार से एक इनस्टेबिल सरकार होती है और अपने को बचाने में लगी रहती है उसी प्रकार से हमारी सरकार भी अपने को बचाने में लगी रही है। ये लोग कहते हैं कि सरकार अल्पमत में है और इस्तीफा दे। इस प्रकार की दशा में कोई भी सरकार किस प्रकार से जन-कल्याण कार्य कर सकती है। इन ढाई वर्षों में सरकार अपने को ही बचाने में लगी रही है। आज मान्यवर, आप देखें की दल-बदल कराया जाता है। रोज कहा जा रहा है कि विधान सभा भंग करो। हर रोज यही बात कही जाती है कि विधान सभा जल्दी से जल्दी भंग करो। प्रदेश के चुनाव करा दिये जायें। मैं समझता हूं कि जिस प्रकार का वातावरण इस प्रदेश में बनाया जा रहा है उस पर सरकार को अंकुश लगाना चाहिये। अगर चुनाव कराये जाते हैं तो उनकी हरकतों के कारण कांग्रेस (आई) की सरकार बन नहीं पावेगी। वह अशांति का वातावरण बनाना बन्द करें। इस प्रदेश की जनता का विश्वास जनतन्त्र में है और जो अराजक तत्व है उनके साथ सख्ती से कदम उठाये जाने चाहिये। लेकिन हमारी सरकार पिछले ढाई वर्ष तो अपने को बचाने में ही लगी हुई है। मान्यवर, इन सब चीजों के होते हुए भी हमारी सरकार ने काफी काम किए हैं जो सराहनीय है। एक तो हमारी सरकार ने गांवों में सड़कों का निर्माण कराया है उससे गांवों का विकास होगा। दूसरी चीज जो बिजली की है उसकी भी हालत कुछ सुधरी है। किसानों के लिये कुछ किया जा रहा है। इस सरकार को जितने काम करने चाहिये वह नहीं कर सकी है।

मान्यवर, मैं गाजियाबाद जिले से आया हूं। गाजियाबाद एक औद्योगिक नगर है। मैंने मोटे तौर पर कुछ मुख्य मुद्दों की ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। गाजियाबाद में एक बहुत बड़ी समस्या यह है कि आये दिन मजदूरों की छंटनी होती है और फैक्टरियों में ताला बन्दी होती है। इससे मजदूर बहुत परेशान हैं। मिल मालिक जो है वह कानून का सहारा लेकर गरीबों के साथ अत्याचार करते रहते हैं। इस प्रकार के मिल मालिकों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही होनी चाहिये जिससे इस प्रकार की प्रवृत्ति पर अंकुश लग सके।

मान्यवर, गाजियाबाद में मोहन मीकिन नाम की एक फैक्ट्री है। इमरजेन्सी के अवसर पर इस जिले को बनाया गया था। तहसीलों को जो बनाया गया है उसमें गांवों को शामिल करने में बड़ी गड़बड़ी की गयी है। मोहन मीकिन फैक्ट्री को पिछड़ी तहसील में रखने के लिये यह किया गया। इसके कारण कुछ गांव 30-40 किलोमीटर दूर जो तहसील पड़ती है उसमें सम्मिलित हो गये इससे वहां के लोगों को बड़ी असुविधा हो रही है। मोहन मीकिन एक बहुत ही बड़ी फैक्ट्री है और बहुत बड़े क्षेत्र में फैली हुई है। खादर के जो गांव हैं उनको वहां से गुजर करके 30-40 किलोमीटर दूर की तहसील में जाना पड़ता है। इनको दादरी तहसील में जाना पड़ता है और कुछ गांवों को हापुड़ तहसील में शामिल कर दिया गया है। यह सब कांग्रेस की हुकूमत में मोहन मीकिन की साठ-गांठ से हुआ है। मैंने मांग की है कि इसको ठीक किया जाय और लोगों को जो परेशानी होती है वह न हो। गाजियाबाद के आस-पास के गांव गाजियाबाद तहसील में किये जायें। मान्यवर, आवास की समस्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। नगरों की आबादी दिन प्रतिदिन बढ़ रही है उसको देखते हुए आवाज की सुविधायें ठीक नहीं है। बहुत ही पिछड़ा और गरीब मजदूरों की आबादी वाला क्षेत्र है गाजियाबाद में लोग ग्रीन वेल्ट में इसे आबादी एरिया घोषित किया जाये। लाइन पार के लोगों की भी समस्या है। उसको नगर पालिका में शामिल कर लिया गया था लेकिन सभी सुविधायें वहां के लोगों को नहीं मिल रही है। वहां पर जिला अस्पताल का मसला है इसके अतिरिक्त और अन्य सुविधायें भी नहीं दी गयी है। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वहां पर अस्पतालों में तमाम सुविधाएं दिया जाना चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री शतरुद्र प्रकाश (जिला वाराणसी)--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं अपनी बात महामहिम राज्यपाल ने जहां अपना भाषण समाप्त किया है, वहीं से आरम्भ करता हूं। उन्होंने इसके आखिरी पृष्ठ पर कहा है कि "माननीय सदस्यगण, आने वाला समय बड़ा कठिन है। मुझे आशा है कि आप सब कटिबद्ध होकर प्रदेश के सर्वांगीण विकास में अपेक्षित सहयोग प्रदान करेंगे। लोकतांत्रिक सिद्धांतों में अटूट विश्वास के साथ जनता के प्रति अपने कर्तव्यों को तत्परता से निभाने में आप सफल हों, इसकी मैं कामना करता हूं।" हमारे प्रदेश के राज्यपाल बड़े अनुभवी हैं और उन्होंने समझाते हुए इशारे से यह बात कह दी कि आने वाला समय बड़ा कठिन है। इस समय पूरा प्रदेश सूखे से पीड़ित है। कैसे यह सरकार अल्पमत की सरकार बन गयी। कुछ लोगों ने ठीक ही कहा कि जिसकी 100 में से 34 नम्बर मिले वह ही सामने आ गये और सरकार बन गयी। हिन्दुस्तान में चुनाव प्रणाली है, चाहे वह लोक सभा का चुनाव हो या विधान सभा का चुनाव हो, उसमें परिवर्तन होना चाहिये। अल्पमत में रहने वाला दल भी बहुमत में रहकर सरकार चलाता है, यही लोकतन्त्र की चुनाव प्रणाली की सबसे बड़ी खामी है। मैं अपने दोस्तों से चाहूंगा कि जो सम्पूर्ण क्रांति में विश्वास रखने वाले हैं और संसदीय लोकतन्त्र में जो आस्था रखते हैं, कि इस चुनाव प्रणाली में आमूल परिवर्तन किया जाये और जो अल्पमत में रहने वाली सरकार है, उसको समाप्त किया जाय।

इस समय प्रदेश में डीजल का घोर संकट हो गया है और कानून व्यवस्था में भी गिरावट आ गयी है। श्रीमती इंदिरा गांधी जब जीत गयीं तो उन्होंने पहला बयान यह दिया कि कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लूंगी। दूसरा जो उन्होंने अपना बयान दिया वह यह था कि बदले की भावना से काम नहीं किया जायेगा। तो मान्यवर, आप जानते हैं और आपने भी "टाइम्स आफ इंडिया" अखबार पढ़ा होगा कि श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार बनने के बाद ही दिल्ली में सरे आम डकैती, ग्रीन पार्क से लेकर जो भी आधुनिक मुहल्ले हैं, दिन के 1 1/2-2 बजे लोग दुकानों में गये और लूट की और भिन्डर साहब को वहां का कमिश्नर

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री शतरुद्र प्रकाश]

बना दिया। पूरे देश की कानून व्यवस्था को जो ठीक करने का दम भरती थी वे पहले दिल्ली की ही कानून व्यवस्था को ठीक कर लें। जो लोग कहा करते थे कि उनके बैठते ही देश की कानून व्यवस्था ठीक हो जायेगी, मैं उनसे कहता हूं कि वे बतायें कि क्या दिल्ली की ही कानून व्यवस्था ठीक हो गयी है ?

दूसरी बात यह है कि देश में 19 महीनों तक एमरजेन्सी लगी थी और उस अवधि में इस विधान सभा की कार्यवाही अखबारों में नहीं छापी गयी, सेन्सर लगा दिया गया और तमाम विधान सभाओं और लोक सभा का कार्यकाल 6 साल तक बढ़ा दिया। यहां पर ऊदल जी और वर्मा जी तर्क दे रहे थे। यह उसी प्रकार है जैसे भैंस के आगे बीन बजाये भैंस खड़ी पगुराय। तानाशाही का तर्क उनकी समझ में आता नहीं है।

तानाशाह तो डंडा देखता है। उसको तर्क समझ में नहीं आता। लेकिन मैं अरुण बाबू और सेठी जी से पूछना चाहता हूं, चुनी हुई विधान सभा को भंग करने की बात करते हैं, क्योंकि 1977 में हमने भंग कराया था। इसलिए हमने जो किया है वही-वही आप करेंगे। आपके पास अपना मत था नहीं। जो मोरार जी भाई, बाबू जगजीवन राम और चौधरी चरण सिंह ने किया वही करोगे ? अपना मत था नहीं है ? हमने 1977 में विधान सभा भंग किया। उसका कारण क्या था ? 1977 का चुनाव, चुनाव नहीं था, जनमत संग्रह था। उत्तर प्रदेश में जनता पार्टी को 68 फीसदी वोट मिले और आपको 25 फीसदी। सौ में 33 पाने वाला पास होता है। 25 फीसदी पाने वाला फेल होता है। आप फेल हो गये। आपको 100 में 25 और जनता पार्टी को 68 मिले। गाजियाबाद से लेकर गाजीपुर तक आपको एक सीट नहीं मिली। उसके बाद कहते हैं कि 1977 में मैंने जो किया वही करेंगे। उत्तर प्रदेश में उन्होंने 34 प्रतिशत वोट पाया और 51 सीटों में से 10 या 12 सीटें बहुमत से पायी हैं, 41 सीट वोट के बटवारे में मिली हैं। फिर वह कहते हैं कि 1977 में आपने जो किया वही वह करेंगे। उनको उतना मत मिला ही नहीं। इमरजेंसी के खिलाफ जनता ने वोट दिया। जनमत संग्रह हुआ और जहां विधान सभा का कार्यकाल पूरा हो गया वहां विधान सभाएं भंग कर दी गयीं।

उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन कराया गया युवक कांग्रेस (आई) से। संजय गांधी के लोगों ने प्रदर्शन किया। उससे काम नहीं चला। एक हैं मायापति त्रिपाठी। वह भाग नहीं ले पाये प्रदर्शन में। जब जीप चली तो मायापति त्रिपाठी बैठ नहीं पाये। उन्होंने सोचा कि हम भी इंदिरा गांधी को खुश करने के लिये प्रदर्शन करें। छात्र युवक संगठन और किसान मजदूर वाहिनी, इनको लेकर चले गये प्रदर्शन करने के लिये। जहां युवक कांग्रेस करती है, मैं क्यों पीछे रहूं पूंछिए, इंदिरा गांधी ने हरियाणा में क्यों नहीं विधान सभा को भंग कराने के लिए प्रदर्शन किया ? वहां भजनलाल को भजन क्यों करवाया ? वहां प्रदर्शन करते तब तो समझ में आता। यह सौदागर, साहू जी जो हैं, उनको उड़ीसा भेजवा दिया। हवाई जहाज जो उड़ा तो उसको रोक दिया, डेढ़ घंटे देर करायी। यही कानून व्यवस्था है यही ईमानदारी से काम करते हैं ? पूछिए जाकर संजय सिंह के कार्यकर्ता क्यों नहीं हरियाणा विधान सभा को भंग करवाने के लिये प्रदर्शन करते हैं ? मैं कहना चाहूंगा कि हरियाणा विधान सभा को भंग करवा लें। संसदीय लोकतन्त्र की हत्या करने वाले भले ही दिल्ली में उत्तर प्रदेश विधान सभा को भंग करने के लिये काला कानून पास कर दें लेकिन उत्तर प्रदेश के अन्दर दल-बदल के जरिए सरकार गिरने वाली नहीं है। भले ही आप लोकतन्त्र की हत्या दिल्ली में बैठ कर कर लें। आज बड़े पैमाने पर लोग दल-बदल कराने के लिये शाम को दारुलशफा में, एक-एक, दो-दो लाख रुपया बांटने की साजिश कर रहे हैं। लेकिन उसका कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। इंदिरा गांधी की जीत के बाद लोकतन्त्र को बहुत बड़ा खतरा आ गया है। पहला सौदा इंदिरा गांधी की जीत का दल-बदल है। जो लोग हिन्दुस्तान के अन्दर संसदीय लोकतन्त्र चलाना चाहते हैं उनके लिये यह दल-बदल की चुनौती है। सारे के सारे

विधायकों को दल-बदल के लिए प्रेरित किया जा रहा है। क्या यही चलते, संसदीय लोकतन्त्र चलेगा या नहीं ? पहली सौगात इंदिरा गांधी की दलबदल है।

दूसरी सौगात यह कि उन्होंने कहा कि हम बदले की भावना से कोई काम नहीं करेंगे। मगर जहां-जहां उनकी सरकार नहीं है वहां विधान सभाओं को भंग कराने का सिलसिला शुरू हो गया और साजिश उसके लिये चल रही है। यह क्या है यह साजिश बदले की भावना का ही प्रतीक है, प्रमाण है। आज उत्तरी भारत के साथ सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है ? बनारसीदास जी दिल्ली गये हैं मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में भाग लेने के लिये। सेठी साहब आज कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में आज संकट बनारसी दास जी के कारण है, आज बनारसी दास जी दल-बदल कर उनकी तरफ चले जायें तो क्या यह संकट दूर हो जायेगा ? फिर डीजल का संकट नहीं होगा। 5 हजार टन उत्तर प्रदेश के खाद्यान्न का कोटा मध्य भारत में भिजवा दिया गया, क्यों ?.....क्या यह सौतेला व्यवहार हमारे साथ नहीं है ? 2 रेक जो मिर्जापुर और बनारस के लिये आ रहे थे वे आन्ध्रप्रदेश में मेडक में भेज दिये गये ? क्योंकि वहां से इन्दिरा गांधी जीती हैं। मैं तो कहता हूं कि हमारे खाद्य मंत्री जी को इसका घोर विरोध करना चाहिये केन्द्र की सरकार से। रायबरेली में इंदिरा जी ने इस्तीफा दे दिया है और उत्तर प्रदेश से केवल कमलापति त्रिपाठी जी को ही लिया गया है, क्यों ? यह प्रमाण है हमारे प्रदेश के साथ सौतेले व्यवहार का बदले की भावना से काम करने का। मैं चाहूंगा कि आज इस समय डीजल के अभाव को देखते हुए, केरल में इन्दिरा गांधी की हार को देखते हुये, आज जो हर जगह कानून और व्यवस्था ठप्प हो गयी है उसको देखते हुए तथा यह सिरफिरे नवजवान जो दिशा भ्रमित हो गये हैं इस सबके कारण इस सूबे की सरकार को नहीं, बल्कि दिल्ली की सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिये। इस सबके लिये कांग्रेस (आई) के विधायकों को कड़ा विरोध प्रकट करना चाहिये। उनको मांग करना चाहिये कि डीजल आदि का कोटा बढ़ाया जाय।

* श्री रामआसरे वर्मा (जिला हरदोई)--

मान्यवर, न पूछो क्या गुजरती है, दिले खुद्दार पर अक्सर, जब किसी नामेहरबां को मेरहबां कहना ही पड़ता है, न फैजे मसलेहत ऐसा भी होता है जानने में, कि रहजन को अमीरे कारवां कहना ही पड़ता है। इन शब्दों के साथ में महामहिम राज्य पाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

मान्यवर, आज हमारा पूरा प्रदेश अनिश्चितता के गर्त में समाया हुआ है और यह उस समय से पैदा हुई है जब से केन्द्र में इन्दिरा गांधी की सरकार स्थापित हुई है। उस सरकार के कायम होने के बाद से ही प्रदेश के हर क्षेत्र में अस्थिरता और अनिश्चितता का वातावरण व्याप्त हो गया है।

एक तरफ केन्द्र से हमारे प्रदश पर तलवार लटका दी गयी है कि विधान सभा भंग कर दी जायगी, आज भंग की जा रही है, कल भंग की जा रही है। इस तरह का सिल-सिला इस प्रदेश में शुरू किया गया। जहां पर हमार प्रदेश के सामने समस्यायें हैं, वहीं पर केन्द्र की सरकार भी नई-नई समस्याओं को पैदा करने का प्रयास कर रही है। आज इस शासन के सामने, इस विधान सभा के सामने दो तरह की चुनौतियां मौजूद हैं, एक चुनौती केन्द्र की सरकार द्वारा किये जाने वाले षड़यन्त्रों की है, दूसरी समस्या यहां पर मौजूद समस्याओं की। केन्द्र की सरकार के षड़यन्त्रों को नकामयाब करने के लिये यह जरूरी हो जाता है कि दूसरी चुनौती के बारे में यहां पर सोचा, विधान सभा के तमाम सदस्य सोचते। जितना ही जन समस्याओं के समाधान के लिए रास्ता तैयार करेंगे, उतना ही जनता का मनोबल बढ़ेगा और जब मनोबल जनता का बढ़ेगा, तो निश्चित रूप से केन्द्र की ओर से होने वाले हर षड़यन्त्र का मुकाबला किया जा सकता है।

[श्री राम आसरे वर्मा–]

मान्यवर, यहां जब राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा शुरू होती है, तो लोक नायक जय प्रकाश का जिक्र किया गया, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर चर्चा की शुरुआत होती है। लेकिन मैं यह पूछना चाहता हूं कि इस शासन के लोगों से और उन लोगों से जिन्होंने लोक नायक जय प्रकाश नारायण जी के नाम की कसमें खाई हैं, जिन्होंने लोक नायक द्वारा प्रतिपादित मान्यताओं के लिये संघर्ष करने का संकल्प किया था, जाहिर है कि भाषण राज्यपाल पढ़ते हैं, लेकिन तैयार शासन की ओर से होता है। इसलिए भाषण में जिन बातों का भी जिक्र किया जाय, उनके बारे में शासन से पूछने का अधिकार भी बनता है। आपातकालीन स्थिति के पूर्व बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और मंहगाई के खिलाफ लोक नायक जय प्रकाश नारायण ने एक जेहाद बुलंद किया। उस जेहाद के साथ हमारे इस देश के अधिकांश सदस्य शामिल हुए, लेकिन जेहाद बोलने के बाद कुर्सी पा लेने के बाद वे उन संकल्पों को, उन कस्मों को भूल गयी। अगर वह कसमें याद रही होतीं। वह संकल्प याद रहा होता, तो शायद आज जो अस्थिरता का वातावरण पूरे देश में कायम हो गया है, यह कायम न होता।

मान्यवर, मैं इस मौके पर इस बात को दोहरा देना चाहता हूं कि एक अधिनायकवादी ताकतों के खिलाफ 1974 से लेकर 1975 तक बराबर संघर्ष किया गया। आज वही ताकतें फिर सिंहासनारूढ़ हो गयी हैं मैं इस बात को भी अच्छी तरह से जानता हूं कि हमारे लोकदल के बन्धु या जनता पार्टी के बन्धु जो हैं, उनका विश्वास खत्म हो चुका है कि अधिनायकवादी ताकतों के खिलाफ उनकी लड़ाई कारगर साबित हो सकती है। अभी 1977 के पहले जो लोग एक मंच पर खड़े होकर अधिनायक वादी ताकतों के खिलाफ आवाज बुलंद करते थे आज हम देखते हैं कि उन्हीं में से कुछ को अधिनायक वादी ताकतों के साथ कंधा मिलाने के लिये चले गये। यहां पर बहुगुणा जी का जो खेल था, जो नाटक था, वह नटवरलाल कहे ही जाते हैं, उस खेल को भी मैंने यहां देखा और उन्हीं के नेतृत्व में जो कल तक अधिनायकवाद के खिलाफ लड़ाई का दावा करते थे ,आज उन्हीं अधिनायकवादी ताकतों के साथ कंधा मिलाते हैं और अधिनायकवादी ताकतों के चरणों पर अपना मत्था टेक दिया।

अधिनायकवादी ताकतों के खिलाफ आवाज उठाने के लिये ताकतें इसी देश में मौजूद हैं। बंगाल को देखिए, त्रिपुरा को देखिए, केरल को देखिए, जहां सैद्धांतिक और वैचारिक आधार इन अधिनायकवादी ताकतों के खिलाफ लड़ने के लिये लोगों ने मोर्चा बनाया। जब तक सैद्धांतिक और वैचारिक आधार पर नहीं बनता तब तक मोर्चा कायम नहीं हो सकता है न लड़ाई कामयाब हो सकेगी। मैं यह कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश को जरूरत है उन लोगों की जो सैद्धांतिक और वैचारिक रूप से एक हो और इस अधिनायक वाद के खिलाफ लड़ने के लिये संकल्पबद्ध हो। ऐसी ताकतें बामपन्थी ताकतें कही जा सकती हैं और बामपन्थी ताकतों को लेकर जब तक एक मोर्चा नहीं बनता लड़ाई को बल नहीं मिल सकता है। इस समय जरूरत है इस बात की कि इस प्रदेश की राजनीति में बामपन्थी मोर्चा को जन्म दिया जाय और उसके बाद इन अधिनायकवादी ताकतों की चुनौती का मुकाबला किया जाय।

मान्यवर, जिस समय केन्द्र में नई सरकार बनी थी उस नई सरकार की रहनुमा के रूप में श्रीमती इन्दिरा गांधी ने कहा था कि वह लोकतन्त्र की सबसे बड़ी हिमायती हैं और लोकतन्त्र की मान्यताओं के अनुरूप उसका आचरण होगा। उनकी लोकतन्त्र की मान्यताओं की कसौटी सभी के सामने आ गई और सारे हिन्दुस्तान में दलबदल का एक चक्र उन्होंने पेश कर दिया। एक तरफ दलबदल और इसकी तरफ जनता द्वारा संवैधानिक रूप से चुनी गई विधान सभाओं को भंग करने का प्रयास, यह उनकी लोकतान्त्रिक कसौटी है। कहना नहीं होगा हमारे साथी श्री अरुण की अपनी पुरानी याद ताजा हो रही हैं यह सुनना नहीं चाहते अपने पुराने जुल्मों को। मान्यवर, दलबदल को कोई भी पसन्द नहीं करेगा और राजनीति में

इससे बड़ा अपराध कोई नहीं हो सकता है, जिस विश्वास को और जनता के सामने जिस ईमान को रखकर लोग चुनकर आये हैं अगर वह ईमान से डिगते हैं तो जनता के साथ इससे बड़ा विश्वासघात कोई नहीं होगा। लेकिन आज श्रीमती इन्दिरा गांधी, कांग्रेस (आई) की राजनीति का यही आधार बन रहा है इसके लिये इस बात को दोहराने से कोई फायदा नहीं कि सौदागर अटैचियों में नोटों की गड्डियां लेकर घूम रहे हैं, प्रलोभन दे रहे हैं।

मान्यवर, मैं इस बात के साथ यह भी कहना चाहूंगा कि जब तक इस भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई के भूत से प्रदेश को मुक्त नहीं कराया जाता तब तक लोकतान्त्रिक मान्यताओं के लिये संघर्ष और संयुक्त मोर्चाबन्दी नहीं हो जाती प्रदेश का कल्याण होने को नहीं। मान्यवर, मैं कहना चाहूंगा कि प्रदेश में जो समस्यायें हैं उनका जो भी समाधान राज्य सरकार अपने स्तर से कर सकती है उसको करना चाहिये। हमारे बिजली मंत्री यहां बैठे हैं। प्रदेश की जनता का हाल छोड़ दीजिये।

इस विधान सभा के अन्दर भी अंधेरा हो जाता है। जब समस्यएं इस तरह से मौजूद रहेंगी तो जनता का मनोबल नहीं बढ़ेगा। मान्यवर, इन शब्दों के साथ मैं थोड़ा संकेत और करना चाहूंगा कि जो बातें महामहिम राज्यपाज के अभिभाषण में नहीं कहीं गयी हैं। कई स्थानों पर नलकूप लगाने की बात कहीं गयी है और हरिजनों और निर्बल वर्ग के लोगों के मनोबल को ऊंचा करने के लिये कहा जा रहा है कानपुर की एक मिसाल हमारे सामने है। कानपुर में कालोनियां बनाई जा रही हैं, फर्जी एलाट मेंट किये जा रहे हैं। फर्जी हलफनामे बनाकर फर्जी एलाटमेंट हरिजनों के नाम पर किये जा रहे हैं। लेकिन हरिजनों के साथ जिस प्रकार से पहले समय में अत्याचार होते रहे हैं वैसे आज भी इस सरकार द्वारा हो रहा है। उसको भूमि आवंटित की जाती है, लेकिन कागज पर किसी भी जिले में हरिजन को उस आवंटित भूमि पर कब्जा नहीं दिलाया गया है।

श्री अधिष्ठाता--

अब आपका समय समाप्त हो गया है, आप अपना भाषण समाप्त करें।

श्री राम आसरे वर्मा--

अभी मान्यवर, मेरा समय कुछ बाकी है। जहां तक बुनकरों की समस्याओं का सवाल है।

श्री अधिष्ठाता--

मैंने तिवारी जी को बुला लिया है, इस लिए अब आप समाप्त करें, कृपया आप बैठें।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, बुनकरों की समस्याओं के बारे में कह रहा था। मैं चाहूंगा कि जो सरकारी मिलें हैं, उनमें भी सरकार द्वारा.....

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

मैंने श्री राम प्यारे तिवारी जी को बुला लिया है। अब आप अपना भाषण समाप्त करें।

श्री राम प्यारे (जिला वाराणसी)--

मान्यवर, माननीय अधिष्ठाता महोदय, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर मैं अपने विचार व्यक्त करने के लिये खड़ा हुआ हूं। (व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

आप लोग शांत रहें, तिवारी जी को मैंने बुला लिया है।

श्री राम प्यारे--

महामहिम राज्यपाल के भाषण को मैंने अच्छी तरह से पढ़ा है और उसमें कहीं भी..

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी (जिला लखनऊ)--

मान्यवर, महिलाओं के दृष्टिकोण को सुनने की आप कृपा करेंगे या नहीं ? अगर इतनी हिम्मत है तो मुझे भी समय दे दीजिए।

श्री अधिष्ठाता--

आप बैठ जाएं, आपको भी समय दिया जायेगा।

श्री राम प्यारे--

मैंने काफी ध्यान से अभिभाषण पढ़ा, लेकिन महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में मुझे कोई उत्साहवर्धक बात नहीं मिली। वही पुरानी घिसी-पिटी बातें ही मिलीं। उसमें ऐसी कोई बात नहीं मिली जिससे अपने प्रदेश का भविष्य उज्ज्वल होता। बल्कि मुझे अभिभाषण पढ़कर बड़ा दुःख हुआ और चिन्ता भी। क्योंकि जो मौलिक मुद्दे थे और जो अत्यन्त आवश्यक मुद्दे थे, उनका उसमें कोई उल्लेख नहीं किया गया है, कतई छोड़ दिया गया है मेरी समझ से कोई भी शासन तंत्र या कोई भी समाज तभी उन्नतरूप से चल सकता है। तभी वह सुचारुरूप से और निष्पक्षरूप से चल सकता है। जब उसकी नीतियां स्वच्छ हों, जब उसमें कोई भ्रष्टाचार न हो। इस समय महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में भ्रष्टाचार का कोई जिक्र नहीं किया गया है जोकि बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे हैं।

जब कि यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा था। दूसरी बात राज्यपाल के भाषण में मद्य-निषेध की कोई चर्चा नहीं की गई। ये दो मुद्दे ऐसे हैं जो सारे समाज की जिन्दगी से संबंध रखते हैं। मैं समझता हूं कि इनकी उपेक्षा करना प्रदेश की जिन्दगी का बहुत अहित करना है। मैं नहीं समझता कि उत्तर प्रदेश की सरकार को महसूस हो गया है कि भ्रष्टाचार नहीं रह गया है, या पूर्ण मद्य-निषेध हो गया है इसलिए इनको छोड़ दिया है या जान-बूझ कर इनकी उपेक्षा की है। मैं आपसे कहता हूं कि अगर घड़े के नीचे कई छेद हों और एक लोटा पानी डालें और उन छेदों में इतनी क्षमता हो कि सारा पानी बहा दे तो आप पानी छोड़ते जायें लेकिन घड़ा भर नहीं सकता। इसी तरह से यदि उच्च नैतिकता की स्थापना नहीं हुई तो आपका सारा प्रयास बेकार जायेगा।

जो निर्माण कार्य होते हैं, उन पर लाखों-लाखों रुपया बजट स्वीकृत होता है। यदि जितना धन और जितना मैटीरियल सरकार स्वीकृत करती है, वह पूरा का पूरा लग जाये तो 100 बरस तक तो निर्माण की दोबारा मरम्मत की जरूरत ही न पड़े। किन्तु एक कार्य बनता है और साल भर बाद टूट जाता है। एक ट्यूबवेल की नालियां बनती हैं साल भर के बाद ध्वस्त हो जाती हैं। इसी तरह से इमारतों की बात है। भ्रष्टाचार के तहत इस देश में, प्रदेश में जो निर्माण कार्य हो रहा है टोटल बालू की भीत खड़ी होती है। भ्रष्टाचार मंत्रिमण्डल स्तर से लेकर सारे प्रशासन, सारे परिवार में फैलता जा रहा है। मैं कहता हूं कि एक आदमी चाहे कितना घी-मलीदा खाये अगर वह सदाचारी, सयमी, ब्रह्मचारी नहीं है तो स्वस्थ नहीं रह सकता है। मोटा अन्न खाने वाला सदाचारी, संयमी, ब्रह्मचारी स्वस्थ रह सकता है। आपको देखाना हो तो मजदूरों को देखिये जो सड़कों पर, रेलवे में काम करते हैं, मजदूरी का काम करतें हैं, सड़क के किनारे ईंट जमा कर रोटी पकाकर नमक के साथ आलू के चोखे के साथ खा लेते हैं लेकिन स्वस्थ्य रहते हैं। एक मजदूर दो-दो ढाई-ढाई मन

का बोझा उठाकर 3 मंजिले पर चला जाता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर समाज की जिन्दगी को स्वस्थ रखना है तो उसके अन्दर से अनैतिकता और भ्रष्टाचार समाप्त करना होगा।

कई सदस्य---

जरा धीरे बोलें।

श्री राम प्यारे---

मैं कहता हूं कि मैं मानसिंह आजाद से ज्यादा तेज नहीं बोल रहा हूं। अगर आप सचमुच में चाहते हैं कि इस देश का विकास हो तो केवल भौतिक विकास से कल्याण नहीं होगा। चारित्रिक एवं नैतिक विकास की भी जरूरत है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि :

यद्यदा चरति श्रेष्ठस्तत्र देवांतरो जनाः।
स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते ।।

समाज का नुमाइंदा जैसा आचरण करता है जन साधारण भी उन्हीं का अनुकरण करता है। हमारे मंत्री लोग हैं, इनकी हालत मैं देखता हूं, चाहे कोई कहे नहीं लेकिन जानते सभी हैं कि मंत्री लोगों का स्टाफ जो है उनकी दलाली करते हैं। ट्रांसफर में, नियुक्तियों में पदोन्नति में मंत्री से लेकर ट्रांसफर करने के दूसरे जो अधिकारी हैं, सबका हिस्सा बंधा है। और मैं आपसे कहता हूं कि इनके चमचे हैं, जिन्हें यह जानते हैं कि यह चमचे जो हैं, अनैतिक हैं, भ्रष्ट हैं, बेइमान हैं, लेकिन फिर भी यह उनके कब्जे में रहते हैं। इससे कि कहीं इनका पर्दा फास न हो जाये। ये सत्ता विकेन्द्रीकरण की बात करते हैं किन्तु इनके शिक्षा मंत्री जी प्राइमरी स्कूल व मिडिल स्कूल के अध्यापकों का स्थानान्तरण करते हैं मंत्री अपने विभाग के छोटे से छोटे कर्मचारी का स्थानान्तरण करते हैं। किसलिये ? लालच है उनको, कमाई करने की। जिला स्तर के कर्मचारी का तबादला जिला स्तर के अधिकारी के सुपुर्द कर दिया जाये, कमिश्नरी स्तर के कर्मचारी का कमिश्नरी स्तर के अधिकारी के, प्रदेश स्तर के कर्मचारी का प्रदेश स्तर के अधिकारी के सुपुर्द हो। जब कहीं कोई अन्याय की बात हो तब उसको मंत्री देखें। जब तक सुव्यवस्था नहीं होगी अरबों नहीं खरबों रुपया खर्च करते रहें इससे उत्तर प्रदेश का कल्याण नहीं कर सकते। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से इस सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि यदि यह चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के 10 करोड़ लोगों की भलाई हो, उनका कल्याण हो, उत्तर प्रदेश का विकास हो, तो ये पहले अपने को आदमी बनायें, अपने को ठीक करिये, भ्रष्टाचार को जड़ से समाप्त करिये। जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे आप लाख बजट की दुहाई देते रहें कुछ होने वाला नहीं है।

अन्त्योदय में आपने क्या दिया, उनके पास क्या पहुंच पाया। खाद्यान्न के रूप में दिया मजदूरों को मिला नहीं, इसकी आप जांच कराइये। गरीबों की भलाई की बात करते हैं, किसी की जांच नहीं करते, किसी योजना का मूल्यांकन नहीं करते। योजना बना देते हैं, स्कीम बना देते हैं, पैसा दे देते हैं, खर्च हुआ या नहीं, नहीं देखते। जब तक भ्रष्टाचार समाप्त नहीं होता प्रदेश की उन्नति नहीं हो सकती। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी ---

मान्यवर, मैं 30 हजार महिलाओं की प्रतिनिधि की हैसियत से आपसे समय मांग रही हूं।

श्री अधिष्ठाता---

आपको समय दंगा।

श्री रामदत्त जोशी (जिला नैनीताल)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव पेश करके हम एक दिलचस्प परम्परा का निर्वहन करते हैं। लेकिन मैं धन्यवाद प्रस्ताव से अपने को संबद्ध करने में असमर्थ पा रहा हूं, क्यों ?

क्योंकि राज्यपाल के अभिभाषण में ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई देता है जो प्रदेश के उज्जबल भविष्य के लिये आ शा जनक हो, उत्साहवर्धक हो। लोक नायक जयप्रकाश तथा राष्ट्रपिता महात्मागांधी जिनका अभिभाषण के आरम्भ में जिक्र किया गया है, यह हम लोगों का एक फैशन हो गया है कि हम अपने देश के महात्माओं, महर्षियों या जिनके प्रति श्रद्धा रखते हैं, जिनके सिद्धांतों को दुनिया में मान्यता मिली, उन्हीं के सिद्धांतों, आदर्शों पर हम अपने देश का निर्माण करने की बात तो करते हैं लेकिन केवल कथन से, श्रद्धांजलि देने से उनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों की चर्चा कर देने से कोई देश ऊंचा नहीं उठता। यह हमारे देश का दुर्भाग्य रहा, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और लोकनायक जयप्रकाश ने जिनके नैतिक मूल्यों की स्थापना की, हम राजनीति में काम करने वाले लोगों ने उनकी उनके जीवन काल में उपेक्षा की और लोक नायक जय प्रकाश जी को हम राजनीति में काम करने वाले लोगों ने इतना बड़ा आघात पहुंचाया कि वह हमा बीच से उठकर चले गये।

मान्यवर, राजनीति में नैतिक मूल्यों की स्थापना राष्ट्रपिता महात्मागांधी और लोक नायक जय प्रकाश ने किया था। लेकिन हमारे देश में आज 32 सालों में लोकतन्त्र की हालत कहां से कहां पहुंच गयी। सम्पूर्ण लोकतन्त्र आज अनैतिकता के समुद्र में गोते लगा रहा है। मेरे मित्र अभी भ्रष्टाचार का जिक्र कर रहे थे। मैं पूछता हूं कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ेगा कौन ? कौन इसको दूर करेगा। भ्रष्टाचार के विरुद्ध केवल भाषण लगा देने से या लोकपाल ऐक्ट बना देने से भ्रष्टाचार दूर होने वाला नहीं है। भ्रष्टाचार को दूर करने के लिये इस देश में महात्मा गांधी और लोकनायक जयप्रकाश जैसे चरित्रवान और आदर्शवादी लोगों का एक कारवां चाहिये, काफिला चाहिये जो पहले स्वयं अपने पर चरितार्थ करें और अपने पर प्रयोग करें। जो व्यक्ति त्याग नहीं कर सकते जिन्हें सत्ता और धन से मोह है वह भ्रष्टाचार के विरोध में नहीं लड़ सकते हैं। भ्रष्टाचार कहां से जन्म लेता है। सत्तागत ऐश्वर्य और पूंजीवादी वैभव और दरिद्रता की जहां खाइयां हैं, वहां वह भ्रष्टाचार की प्रेरणा देती हैं। हम राजनीति में काम करने वाले लोग भ्रष्टाचार को दूर करने की बात करते हैं। क्या हमने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के चरित्र से कोई सबक की बात सीखी, त्याग और बलिदान की कोई बात सीखी। इसके विपरीत हमने इस देश में राजनीतिक वेश्यावृत्ति का आचरण किया है। (व्यवधान) सच को आप लोग सुनना नहीं चाहते हैं। अन्त्योदय योजना, खाद्यान्न योजना, तकावी का जिक्र तो हर राज्यपाल के भाषण में आजतक होता रहा है। ब्रिटिश पीरियड में जिस राज्यपाल ने अभिभाषण दिया होगा उसमें भी होगा। कौन से आदर्शों को लेकर हम को चलना चाहिये इसको सुनना नहीं चाहते हैं तो देश कैसे आगे चलेगा। राजनीति में काम करने वाले हम लोग अपने को समाज का प्रतिनिधि कहते हैं। हम पर उनकी अगुवाई करने का दायित्व है। लेकिन हम लोगों ने इन 30 सालों में राजनीतिक वेश्यावृत्ति जिसको दलबदल कहते हैं उसको जन्म दिया और ऐसी स्थिति पैदा कर दी है कि आम जनता को, जन साधारण को राजनीति से घृणा हो गयी है। यह, इम्मारल ट्रेफिक इन पालिटिक्स, अनैतिक आवागमन राजनीति में, जो चल रहा है उसके चलते हुए लोकतन्त्र से लोगों की आस्था उठ जायगी।

अपने गरेबां में झांक कर हमने नहीं देखा कि हमारा आचरण क्या है तो लोकतन्त्र कैसे चलेगा। हम लोग उल्टा आचरण कर रहे हैं। राजघाट पर हमने कसम खायी थी कि हम सादगी और मितव्ययिता से जन सेवा करेंगे और इसके विपरीत हमने किया क्या कि हमने सबसे पहले अपनी उपलब्धियों में 2 गुनी वृद्धि कर ली और तनख्वाह बढ़ाने की मांग करते हैं।

हम राजनीतिक ऐश्वर्य का आनन्द लेना चाहते हैं। गोया कि सेवा करने के लिये हम यहां नहीं आये हैं बल्कि सत्ता का लोभ और पैसे का लोभ, इन दो चीजों ने हमारे देश के लोकतन्त्र को दूषित और दुर्बल बनाया है। इसलिये मैं पूछना चाहता हूं कि सदन में इतने कर्मचारी हैं, विधान सभा में जो कर्मचारी हैं उनके वेतन और भत्ते आपने कितने बढ़ाये हैं? गरीबों को कितनी सुविधायें मिली हैं? हमारे प्रदेश में 60 प्रतिशत लोग गरीबी की रेखा के नीचे रहते हैं। इसके माने बहुमत गरीबों का है। तो जिस बहुमत से हम चुनकर आये हैं वह गरीबी की रेखा के नीचे रहते हैं और उनके चुने हुए प्रतिनिधि नवाबों की तरह रहते हैं? राजाओं के पर्स समाप्त हो चुके हैं लेकिन हम लोगों को पेंशन चाहिये तो पेन्शन किसको मिलती है? वह उसको मिलती है जो पूरे जीवन भर सेवा करने के बाद जब वह सेवा-निवृत्त होता है तब उसको पेंशन मिलती है। इसके अलावा असहाय, वृद्ध, लूले, लंगड़े और विधवाओं को पेंशन दी जाती है। लेकिन यह चुने हुए नेता, जन प्रतिनिधि 5 साल के लिये यहां आ जायें और उसके बाद जनता उनको हटा दे रिजेक्ट कर दें तो फिर किस चीज की उनको पेंशन दी जानी चाहिये? यहां बैठकर हमने पेंशन के विधेयक को पास किया, तो क्या उसको हमें पास करने का अधिकार है? किसी संस्था का मैनेजर अपने आप क्या यह तय कर सकता है कि उसका वेतन इतना बढ़ा दिया जाय। नहीं, इसलिये अपने वेतन को बढ़ाने का हमारा कोई नैतिक अधिकार नहीं है और उस हालत में जबकि जहां कि जनता 60 प्रतिशत गरीबी की रेखा के नीचे रहती हो। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि यह राजा और नवाबों की फौज तैयार होने जा रही है। क्योंकि हर चुनाव के बाद भूतपूर्व एम0 एल0 ए0 और एम0पीज0 की फौज तेजी से बढ़ती जायेगी और देश की जनता का करोड़ों रुपया उन पर व्यय होगा।

यह कांग्रेस के लोग विधान सभाओं को भंग करने की बात तो करते हैं लेकिन उसके पीछे कोई दलील नहीं देते हैं। परन्तु विधान परिषद् जो केवल 4 प्रदेशों में हिन्दुस्तान में चल रही हैं। यह क्या है। यह सफेद हाथीखाने हैं। जनता के चुने हुए प्रतिनिधि परिषदों में नहीं हैं। वह बिना जनता से पूछे हुए वहां पहुंच जाते हैं। इन पर जनता के करोड़ों रुपये खर्च हो रहे हैं। इसलिये हिन्दुस्तान में जब अन्य प्रदेशों में बिना विधान परिषदों के काम चल सकता है तो इन 4 प्रदेशों मे इन पर खर्च करने का कोई औचित्य नहीं है। मैं उस स्थिति से धन्यवाद के प्रस्तावों की भावनाओं से अपने को सम्बद्ध कर पाता जबकि इस अभिभाषण में कुछ ऐसी चीजें होती जैसे कि जो शिक्षित बेरोजगार हैं उनको बेरोजगारी भत्ता दिया जायेगा। शिक्षितों में बेरोजगारी इतनी तेजी स बढ़ रही है कि उसको यदि गम्भीरता से न लिया गया तो निश्चित जानिये कि सारा देश बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है। राज्यपाल ने अभिभाषण में कहा कि शिक्षा को रोजगार परक बनाया जायेगा लेकिन वह केवल कागज पर ही है। लिखा पढ़ा व्यक्ति सड़क पर मारा-मारा घूम रहा है। यूनिवर्सिटी और कालेजों में पढ़ने वाला छात्र जानता है कि उसके भविष्य के रूप में उसके सामने अंधकार के अलावा कुछ नहीं है। इसलिये हम लोगों को बैठकर चिन्तन करना चाहिये, कि राजनीति करने वाला व्यक्ति चाहे इधर हो या उधर हो, क्या हम इस देश में लोकतन्त्र को सशक्त बनाने के लिये कोई आदर्श पेश कर सकते हैं कि नहीं। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

*श्री अजीत सिंह सेठी (जिला मेरठ)--

मान्यवर, महामहिम् राज्यपाल का भाषण जो दोनों सदनों में एलान होता है उस में हुकूमत की पालिसी का ऐलान होता है। वह ऐलान श्री राज्यपाल के जुबान द्वारा इस सदन को, इस प्रदेश के देशवासियों तक पहुंचता है। उस ऐलान के साथ काम करना होता है। वह संकेत करता है कि इस प्रदेश के देशवासियों के लिए हुकूमत कौन-कौन से राहत के काम करने जा रही है। लेकिन इस वक्त जो अभिभाषण हमारे सामने है और जिसको मैंने पढ़ा है उसमें जनता की जरूरतों को पूरा करने का कहीं पर जिक्र नहीं है। जरूरतों को

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री अजीत सिंह सेठी--

पूरा करना जिन्दगी का मूल आधार है, जीविका जिन्दगी की प्रथम चीज है। यह जो अराजकता का वातावरण, डकैतियों का वातावरण बना है इसे दूर करना प्रथम काम है। इसका कहीं जिक्र इस अभिभाषण में नहीं है। कोई भी योजना इस बारे में नहीं बताई गई है। इसके साथ ही जीविका के साधन मुहैय्या करने की योजना, कीमत जो आसमान तक पहुंच गयी है उन्हें कम करने की स्कीम, इसका जिक्र कहीं पर नहीं है। इसके लिए क्या योजना बनाई गई है, इनको कैसे उपलब्ध किया जायगा, क्या तरीका होगा इस अभिभाषण में कोई जिक्र नहीं है। एग्रीकल्चर के बारे में कोई बात नहीं कही गयी है। पैदावार कीमतों को कम करने के काबिल है इसकी कोई योजना नहीं है। पब्लिक सेक्टर के बारे में कोई बात नहीं की गई है। इसमें प्रोडक्शन किस प्रकार बढ़ाया जायगा, सीमेन्ट वाले कैसे काम करेंगे, बिजली वाले कैसे काम करेंगे, इसका कोई जिक्र नहीं है। इसके बारे में इस अभिभाषण में जिक्र होना चाहिए था।

और फिर अंत में अर्थ-व्यवस्था के बारे में कुछ बात कही होती। अर्थ-व्यवस्था बिगड़ चुकी है। हजारों समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि समस्याओं के समाधान के लिए शक्ति का प्रयोग करना हुकूमत को जरूरी है। जिस हुकूमत का हुक्म चल नहीं पाता वह समस्याओं का कैसे समाधान कर सकती है। मैं पूछना चाहता हूं कि इस प्रदेश के अंदर जो लोक दल की हुकूमत है जिसने अपनी पालिसी इस सदन के अन्दर अभिभाषण में पेश की है उसके अंदर कोई जनता को राहत देने की पालिसी का भी जिक्र है। वातावरण क्या है जनकल्याणकारी पालिसी, वह सुन्दर कल्याणकारी पालिसीज हैं कि जनता को अनुदानों के जरिये सुविधाएं दी जायं लेकिन क्या यह सही आधार होगा इस प्रदेश को उठाने का। आपने इंसानी शक्ति को बढ़ावा नहीं दिया और आप इंसान को अनुदानों के जरिये हुकूमत पर निर्भर करने के लिये मजबूर कर रहे हैं।

इसी तरह से विद्युत् के बारे में एक पैरा है जिसमें यह जिक्र कि विद्युत् हम ग्रामीण जनता को देंगे लेकिन देखने में यह आ रहा है कि ग्रामीण शहरी जनता तथा कारखाने दार आज सभी परेशान हैं। 75 फीसदी विद्युत् तापगृह से आप प्रोड्यूस करते हैं और 20, 25 प्रतिशत हाइडिल से उत्पन्न होती है लेकिन आपने 60 प्रतिशत बिजली की कटौती कर रखी है। लिहाजा आवश्यकता आज इस बात की है कि आप तापगृहों में ज्यादा बिजली पैदा करें वर्ना आप बिजली कहां से देंगे। इसके अलावा आपने प्रौढ़ शिक्षा का जिक्र इस अभिभाषण में किया है। दो करोड़ रुपया इस पर लगा रहे हैं, लेकिन उसकी सियासी लोगों को दिया जा रहा है अनुदान के दौर पर जिसका रिजल्ट यह है कि प्रौढ़ में जो कार्य होना चाहिये वह कहीं नजर नहीं आया। केवल कुछ इलाकों में प्रौढ़ शिक्षा के नाम पर अपनी सियासत को पक्का करने के लिये सियासी अनुदान देने के लिये आपकी यह पालिसी है। आपने पैरा 9 में बेरोजगारी का जिक्र किया है और गांधी जी की फिलासफी का जिक्र किया है। इसके पहले कि हम सोशलिस्ट बनें अथवा गांधीवादी बनें हमको मानव बनना चाहिये। जोशी जी की स्पीच से मैं बड़ा मुतास्सिर हुआ हूं जिसमें उन्होंने कहा कि पहले हमको मानव बनना चाहिये। अगर मानवता की तरक्की हो जायगी तो सारा समाज तरक्की कर जायगा।

ग्रामीण जनता को राहत देने की बात कही जाती है लेकिन देखने में यह आया कि इलेक्शन के दौरान लोक दल ने सारे प्रदेश में तनाव पैदा कर दिया है जातपात व बिरादरीवाद को बढ़ावा दिया गया। गरीब जनता को पोलिंग स्टेशन पर नही जाने दिया गया, वह घर बैठी रही है और उसके बोट डाल दिये। लिहाजा पहले इस तनाव को खत्म करके दिखलाइये ताकि शान्तिपूर्वक वातावरण पैदा हो सके जो कि बिलकुल नदारत है। एक चीज और कहूंगा कि बिजनौर जिले को मेरठ डिवीजन में लगा दिया है लेकिन यातायात का सम्पर्क बहुत लम्बा है। उस सम्पकको कायम रखने के लिए परिक्षतगढ़ के नजदीक गंगा पर एक पुल का निर्माण कराना आवश्यक है तब मेरठ के साथ बिजनौर को लगाया जाय लेकिन सियासी पालिसी

के आधार पर यह किया गया है। दल बदल की बात भी बहुत की गयी । मैं जानना चाहूंगा कि किसने दल बदल किया ? कांग्रेस (आई0) में एक इखलाक है यह एक ऐसी संस्था है जिसके अन्दर कोई दल बदल नहीं हुआ। जिन पार्टीज के अन्दर दल बदल हुआ है वही सदन में अपनी परेशानियों को पेश करते हैं ।

आपकी स्वयं पालिसी आपके काम आ रही है। दूसरी शक्ति काम नही आ सकती है, मान्यवर, मुझे थोड़ा सा गांव सभाओं के निर्वाचन के संबंध में भी कहना है। आपने कहा कि हमने वोटर्स की उम्र 18 साल कर दी है। यह लोग कब वोट देंगे। नोटिफाइड एरिया और म्यूनिसिपैलिटी के इलेक्शन नहीं किये गये है। जनता को उनके अधिकारों का इस्तेमाल करने का मौका नही दिया जा रहा है। उनको आप जनप्रतिनिधि चुनने का मौका नहीं दे रहे है। जनता का आप पर अब कोई भरोसा नहीं रह गया है। इसलिए जनता आज डिजोल्यूशन चाहती है। उन्होंने आपको देख लिया है। आपके हाथ से बागडोर छिनने वाली है। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

*संस्थागत वित राज्य मंत्री (श्री मुख्तार अनीस)--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय ने जो सदन को सम्बोधित किया है उसके लिये मैं उन्हें धन्यवाद देने के लिये खड़ा हुआ हूं । मान्यवर, जबसे लोक सभा के चुनाव हुए हैं उसके बाद निरन्तर उत्तर प्रदेश के अन्दर ऐसा वातावरण पैदा करने की कांग्रेस (आई) के द्वारा कोशिश की जा रही है जिससे कि उत्तर प्रदेश का प्रशासन चौपट हो गया है और प्रतिक्रिया करने वालों के मन में ऐसा विश्वास पैदा हो गया है कि अब सत्ता जा रही है, शासन जा रहा है । कोई भी कार्य आज सुचारु रूप से नहीं हो रहा है । मैं आपके सामने एक बात कहना चाहता हूं कि पिछले दिनों कांग्रेस (आई) के कुछ विधायक और संसद् सदस्य माननीय राज्यपाल महोदय से मिले थे और उन्होंने राज्यपाल महोदय से कहा था कि उत्तर प्रदेश के अन्दर हरिजनों पर अत्याचार हो रहा है । मैं कहना चाहता हूं मान्यवर, कि ऐसा वे लोग कह रहे थे, वे शिकायत कर रहे थे जिन्होंने डेढ़ साल पहले केन्द्रीय सरकार के मंत्री और जनता पार्टी के अन्दर देश का प्रधान मंत्री बनाये जाने के नाम पर बाबू जगजीवन राम को खड़ा किया जिसने कि बाबू सम्पूर्णानन्द की मूर्ति का अनावरण किया और उसके बाद उन्हीं लोगों ने उस मूर्ति को धोया और आज हरिजनों का नाम लेते हैं । मान्यवर, ऐसे ही लोग राज्यपाल महोदय के पास गये थे और कहे थे कि उत्तर प्रदेश के अन्दर हरिजनों के ऊपर अत्याचार हो रहा है ।

मैं आपके सामने आंकड़े प्रस्तुत करना चाहता हूं । 1978-79 में उत्तर प्रदेश में बाढ़ आयी थी और 1979-80 में उत्तर प्रदेश में सूखा पड़ा । इस सरकार ने इस दिशा में सराहनीय काम किये हैं । सड़कें बनाई, कुंए खोदे गये और हरिजन और निर्बल वर्ग के लोगों की समस्याओं को हल करने की भरसक कोशिश की गई । हरिजनों की जो सबसे मुख्य समस्या है वह है उनके लिये पीने के पानी की व्यवस्था करना । आज भी ऐसे बहुत से नेता हैं जो हरिजनों का वोट तो लेते हैं लेकिन हरिजन के यहां पानी पीना नहीं पसन्द करते हैं । ऐसे लोगों ने कांग्रेस (आई) के पक्ष में वोट दिया है । इस सरकार ने पेयजल योजना के अन्तर्गत 1979-80 में 12 करोड़ रुपया दिया है और उसके तहत 32,448 कुएं अब तक खोदे जा चुके हैं और इस तरह से हरिजनों को पीने के पानी की व्यवस्था की गई है । मान्यवर, सूखे की हालत आप जानते ही हैं । पूरे बुन्देल खण्ड का इलाका, झांसी कमिश्नरी आदि इलाका इस वर्ष सूखे की वजह से त्राहि-त्राहि कर रहा है और प्रदेश में भयंकर सूखे की स्थिति हो गयी है । इससे निपटने के लिये राज्य सरकार ने यथासंभव प्रयास किया है और दो लाख से अधिक रुपया सड़क आदि के बनाने के लिये 1979-80 में खर्च किया है । इस तरह से 6 लाख 54 हजार लोगों को जो गरीब थे, भूमिहीन थे, बेकार थे, सूखे के कारण मजदूरी नहीं कर सकते थे, ऐसे लोगों को हमने काम पर लगाया है । यह हमारी उपलब्धि है । इसलिये राज्यपाल महोदय का जो अभिभाषण है वह उत्साहवर्धक है, क्रान्तिकारी दिशा बताता

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मुख्तार अनीस--]

है कि जो हमारी राज्य सरकार है वह प्रगतिशील कार्य करने जा रही है। इसके तहत हमारे यहां जो गांवों की बुनियादी समस्याएं हैं उनका हल है। गांवों में आवागमन के साधन नहीं हैं सड़कें नहीं हैं, वहां बिजली नहीं है, गांवों में शिक्षा की अच्छी व्यवस्था नहीं है। मान्यवर, वर्ष 79-80 के अन्दर इस सरकार ने फूड फार वर्क खाद्यान्न योजना के तहत 5 हजार कि0मी0 कच्ची सड़कें बनाई हैं और 5 हजार कि0मी0 सड़कों पर ईट बिछाने की व्यवस्था सरकार कर रही है। यह हमारी उपलब्धि है। स्कूल बड़े पैमाने पर खोले जा रहे हैं। हमारे भाई कालीचरण जी बैठे हैं उनके जमाने में भी बड़ी संख्या में स्कूल खुले और इस शासन में भी स्कूल बड़े पैमाने पर ग्रामीण क्षेत्रों में खुले हैं खोलने की कोशिश हो रही है ताकि साक्षरता गांव-गांव तक फैले और लोग वोट के महत्व को समझें और ऐसे लोगों को गद्दी पर बैठायें जो जन-कल्याण-कारी हैं।

मान्यवर, विधान सभा को भंग करने की आज बात हो रही है। किस नाम पर हो रही है कि प्रदेश में शान्ति व्यवस्था नहीं है। ऐसा इन लोगों का झूठा आरोप है। वर्ष 1979-80 के अन्दर पुलिस के साथ भिड़न्त में जितने लोग मारे गये उतने कभी भी पिछले 10 सालों में नहीं मरे। शान्ति व्यवस्था को सुधारने के लिए तीव्र गति से काम हो रहा है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार की ओर से जिस दिन से प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने शासन सम्भाला है दिल्ली जैसे छोटे शहर में वह शान्ति व्यवस्था स्थापित नहीं कर पा रही है जिसकी आबादी एक करोड़ से कम है और 10 करोड़ वाले प्रदेश में चैलेंज दे रहे हैं। मेरे पास हिन्दुस्तान अखबार है इसमें दिया हुआ है। 19 जनवरी, 1980 को जब इन्दिरा गांधी गद्दीनसीन थी उस दिन हिन्दुस्तान अखबार के प्रथम पृष्ठ पर लिखा है 3 डकैतियां, 4 लूट की घटनाओं से दिल्ली के लोगों में भय और आतंक। 20 जनवरी, 80 का हिन्दुस्तान कहता है दिल्ली की सरकार के बारे में कि दिल्ली पुलिस की ढोंगागुस्ती के विरोध में गाजियाबाद बाजार बन्द, महिला की हत्या, लुटेरे माल लेकर चम्पत। 22 जनवरी, 1980 का अखबार लिखता है राजधानी में 3 डकैतियां, करोलबाग में दिन-दहाड़े लूटमार, जनता में आतंक निरन्तर बढ़ता जा रहा है। फिर 23 जनवरी, 80 का अखबार कहता है 2 महिलायें दिनदहाड़े लूटीं, 24 जनवरी, 80 का अखबार कहता है राज-धानी में डकैतियों की तीन वारदातें, राजधानी में डकैतियां बढ़ रही हैं, दिल्ली में चोरी हो रही है, रोजाना हजारों की लूट हो रही है, रोजाना औरतों का जबरदस्ती सामान लूटा जा रहा है। तो यह सब क्यों हो रहा है, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं वहां पर लोकसभा के लिए जो चुनाव जीत कर आये हैं वह लोग ऐसे हैं जिन पर जनता को शक है जो समाज में अशान्ति पैदा करना चाहते हैं। राजधानी के अखबारों में यह सब छपा है तो फिर दिल्ली की सरकार को क्यों न भंग किया जाय जिसके आते ही एक हफ्ते के अन्दर ऐसा वातावरण बना है। तो वह सरकार इस्तीफा दे। हम शान्ति और व्यवस्था ठीक करने के लिए कृतसंकल्प हैं।

मान्यवर, इस चीज की पृष्ठभूमि समझनी पड़ेगी कि विधान सभा भंग करने की बात इस देश में कैसे चली। आप जानते हैं आप भी उस आन्दोलन के सेनानी थे। आप जानते हैं कि 1972 में गुजरात के अन्दर अकाल का दौर आया था जैसा कि हमारे यहां सूखा पड़ा है वहां भी सूखा पड़ा था। उस समय इन्दिरा गांधी सरकार थी वहां लोगों को खाने के लिए गेहूं नहीं मिलता था। नव-निर्माण समिति ने कहा कि हम लोग भूखे स्कूल नहीं जायेंगे और आन्दोलन चलाया। उन लोगों ने आन्दोलन चलाया खूराक के लिए। सन् 1972 में इन्दिरा गांधी की सरकार ने उन नवजवानों को गोली मारी, तो मांग की गयी थी कि मुख्य मंत्री इस्तीफा दें। मोरार जी देसाई ने अनशन किया और तब विधान सभा भंग करने का आन्दोलन चला था। तो उस आन्दोलन का पृष्ठभूमि बेकारी और महंगाई थी। उन्होंने कहा कि जो लोग सत्ता में बैठे हैं, जिनको हमने चुनकर भेजा है, अगर वह हमें खाना नहीं दे सकते हैं तो इस्तीफा दें।

मान्यवर, आप देखें कि बिहार में क्या हुआ। वहां पर भी मौलिक समस्या को लेकर आन्दोलन चला। बिहार के नवजवानों ने आन्दोलन चलाया और यह मांग की कि उनकी समस्याओं को हल करो। जब राज्य सरकार ने उन समस्याओं को हल करने में आना-कानी की तो प्रदर्शन हुए और उसके बाद उस प्रदर्शन पर गोली चलायी गयी और लोग मारे गये। तब यह मांग की गयी थी कि अब्दुल गफ्फार इस्तीफा दो और बिहार के मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांगा गया। सड़कों पर जनता निकल आयी, तब यह हुआ था। विधायकों ने इस्तीफा दिया था। अगर आपसे कहा जाय कि इस्तीफा दो, तो नहीं देंगे। मीठा मीठा गप्प, कड़ुवा कड़ुवा थू, यह नहीं चलेगा। जो भी आन्दोलन हुए हैं वह किसी पृष्ठभूमि पर आधारित हैं। मान्यवर, 1977 आया। मैं बताना चाहता हूं सन् 1977 में कांग्रेस पार्टी को पूरे हिन्दी इलाके की जनता ने हरा दिया। उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति थी, यह सब जानते हैं। 1977 के पार्लियामेन्ट के इलेक्शन में केवल तीन विधान सभा की सीटों पर कांग्रेस जीती थी, बाकी सभी विधान सभा क्षेत्रों में वह हारी थी। वह रामपुर विधान सभा की सीट थी। अब भी क्या स्थिति है, लोकदल और जनता पार्टी दोनों की सामूहिक शक्तियों को जोड़ दिया जाये तो देखेंगे कि 280 सीटों पर हम लोग जीते हैं। अगर जनता पार्टी को अलग कर दिया जाये तो केवल लोकदल ने इस चुनाव में 180 सीटें जीती हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि हम किस-लिए इस्तीफा दें। कम्युनिस्ट पार्टी ने 6 सीटों को जीता है अगर उनको भी जोड़ दिया जाये तो यह 186 सीटें हो जाती हैं। यह फिरोजाबाद की सीटें थीं। इतनी कामयाबी लोकदल को हुई है। तो इस प्रकार से अभी भी विधान सभा के चुनाव में इन्दिरा गांधी हारी हैं और हमसे इस्तीफा मांगने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। प्रदेश की कल्याणकारी सरकार को हटाने का जो षड़यंत्र हो रहा है उसका उत्तर प्रदेश की जनता 4 नारोख को मुंहतोड़ जवाब देने जा रही है। यहां का जो वातावरण बन रहा है उसके बारे में मैं कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश शासन को शान्तिपूर्ण ढंग से चलने देना चाहिए और ऐसा माहौल नहीं पैदा करना चाहिये जिससे शान्ति और व्यवस्था में बाधा उत्पन्न हो। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

*श्री भाभी (जिला आजमगढ़)--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर वर्मा जी ने जो धन्यवाद का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, मैं उसके समर्थन में निवेदन करना चाहता हूं। और विरोध पक्ष की ओर से जो संशोधन प्रस्तुत किए गये हैं उनके विरोध में मैं निवेदन करना चाहता हूं। श्रीमन्, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में लोक नायक श्री जय प्रकाश नारायण जी का जो जिक्र किया गया और जो आज हमारे बीच में नहीं हैं, सबसे पहले मैं उनको अपनी ओर से श्रद्धान्जलि अर्पित करता हूं।

श्रीमन्, महामहिम राज्यपाल का जो अभिभाषण है उसको हमारे सभी साथियों ने, जो इधर और उधर बैठे हैं, पढ़ा है। इसमें जिन उपलब्धियों का जिक्र किया गया है वे सभी सत्य और सही हैं और हम सबको उनका स्वागत करना चाहिये। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या यह सही नहीं है कि हमारे प्रदेश में 80 प्रतिशत जनता गांवों में निवास करती है। इस तथ्य को सभी जानते हैं। क्या यह सही नहीं है कि गांवों में जहां पर 80 प्रतिशत जनता निवास करती है वहां पर प्रति व्यक्ति सालाना आमदनी 197 रु0 से घट कर 196 रुपये प्रतिवर्ष हो गयी है? और शहरों में प्रति व्यक्ति आमदनी 397 रुपया प्रति वर्ष से बढ़ कर आज 800 रु0 हो गयी है। आज जनता सरकार ने या लोक दल की सरकार ने अगर गांवों की ओर कुछ ध्यान दिया, जहां पर 80 प्रतिशत गरीब लोग बसते हैं, जिनको पेट भर भोजन प्राप्त नहीं हो पाता है, तन ढकने के लिए कपड़ा उपलब्ध नहीं है, रहने के लिए मकान उपलब्ध नहीं है और बीमार पड़ने पर दवाओं का प्रबन्ध नहीं है, पढ़ाई-लिखाई के साधन उप-लब्ध नहीं हैं, तो क्या यह बुरी बात हो गयी। यदि कांग्रेस सरकार ने 30 वर्षों तक उनकी ओर ध्यान नहीं दिया और जनता पार्टी की सरकार ने ध्यान दिया तो क्या यह इनकी अच्छी

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री भाभी—]

बात नहीं है। यही नहीं इस सरकार का ध्यान छोटे उद्योगों की ओर भी गया, जैसे हमारे बुनकर लोग हैं और जो 30 साल की अवधि में मर चुके थे, तो क्या यह भी कोई अच्छी बात नहीं की ? मेरा तो विचार है कि जो सही बात हो, उसको हमें तसलीम करना चाहिये और उसमें किसी प्रकार की हिचक नहीं होनी चाहिए। जो बात गलत हो वास्तव में उसका विरोध करना चाहिए।

इसके अतिरिक्त इन 30 वर्षों में जितने सड़कों और पुलों के निर्माण कार्य हुए थे उतने गत 2 वर्षों में किए गए हैं। क्या यह कोई अच्छी बात नहीं हुई ? इस सूखे के समय में जैसा कि सभी को विदित होगा, खाद के दाम में भी भारी कमी की गयी। यही नहीं खाद का अनुदान भी छोटे किसानों को दिया गया, क्या यह बात भी अच्छी नहीं हुई है ? कभी भी इस कांग्रेस सरकार ने इस प्रकार के अनुदान दिए ?

अब मैं अन्त्योदय योजना के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। क्या यह सही नहीं है कि गांवों के हरिजनों और छोटे आदमियों के उत्थान के लिए, उनकी आमदनी के जरिये को बढ़ाने के लिए पैसा 4 प्रतिशत के नाममात्र ब्याज पर दिया ? मान्यवर, मैं आजमगढ़ जिले का रहने वाला हूं और मैं सही हालात बयान कर देना चाहता हूं। यही वजह है कि हमारे जिले के हरिजनों से, गरीब लोगों से और पिछड़े और कमजोर लोगों से कांग्रेस (आई) के एक भी कैन्डीडेट को वोट नहीं दिया वहां से हमारी पार्टी के ही 3 लोग जीत कर आये। जो हमारा वोट का बटवारा हुआ, जनता पार्टी और लोकदल, उससे कांग्रेस (आई) को सीटें मिल गयीं। मैंने भी देखा है। तीन बार मुझे चुन कर आने का मौका मिला है। चाहे उधर के बैठने वाले हों या इधर के, हम सबको बड़ी गम्भीरता के साथ सोचना चाहिये कि जहां इतना बड़ा बहुमत, एक राय होकर सरकार को चलाने और मुट्ठी भर लोग आतंक फैलाएं और प्रदर्शन करें विधान सभा भंग करने के लिये यह चलने वाला नहीं है।

अधिष्ठाता—

आप धीरे बोलें। लिखने वाले लिख नहीं पा रहे हैं। उनकी समझ में बात नहीं आ रही है। समय है। आप धीरे से बोलें।

श्री भाभी—

मैंने अभिभाषण को पढ़ा। मुझे भी विरोधी दल में रहने का मौका मिला है लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि इस तरह का जो लोक दल और जनता पार्टी की सरकार ने काम किया है बहुत सराहनीय है। रह गयी बात चुनाव की डींग हांकने की, मैं ईमानदारी से बयान करता हूं मैं आजमगढ़ जिले के जो लोग बैठे होंगे, आजमगढ़ में एक भी हरिजन ने कांग्रेस (आई) को वोट नहीं दिया। डींग हांकने से काम चलने वाला नहीं है। क्या यह सही नहीं है कि हमारे प्रदेश में इस सरकार ने सूखे के अवसर पर जो गरीबों की सहायता की है, वह किसी से छिपी नहीं है। इस सरकार ने सूखे के अवसर पर तमाम विद्यार्थियों, की फीस को माफ कर दिया, लगान माफ किया। लगान की वसूलियाबी को मुल्तवी किया यह किसी से छिपा नहीं है। मैं ज्यादा न कह कर यह अभिभाषण पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, वर्मा जी द्वारा, उसका समर्थन करता हूं और जो लोगों ने वि ोध में संशोधन दिये हैं, उसका घोर विरोध करता हूं।

श्री राम जी (जिला आजमगढ़)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर मुझे अपने विचार प्रकट करने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मान्यवर, आजादी हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है लोकतंत्र को हमने जीवन पद्धति के रूप में स्वीकार किया है। नैतिकता को हम अपना कर्तव्य मानते हैं, अपना धर्म मानते हैं। देश की आजादी

के लिए हमारे पूर्वजों ने एक लम्बी लड़ाई लड़ी और अंग्रेजों भारत छोड़ों का नारा देते हुए अपने सीने पर गोलयां खायीं। उस आजादी को 15 अगस्त, 1947 को हासिल किया। लेकिन 15 अगस्त, 1947 के बाद जब 1977 का समय आता है तब 26 जून, 1975 से 1977 के बीच में अपने ही देश के लोगों ने अपने देश को गुलाम बनाया, लोगों के मौलिक अधिकारों को उलटा और छीन लिया, अदालतों के दरवाजे बन्द कराये, न्याय के साथ एक क्रूर मजाक किया, लोगों को गोलियां से भूना। जिस आजादी को वापस करने के लिए लोक नायक जय प्रकाश नारायण के नेतृत्व में जो संघर्ष किया। उससे इस देश की जनता को पुन: आजादी मिली। जब 'नारायण' के साथ 'प्रकाश' शब्द जुड़ता है तो जय मिलती है, लेकिन जब शब्द 'नारायण' के साथ शब्द 'राज' जुड़ता है तो परिणाम विघटन और पराजय में बदलता है। जो ताकतें जनतंत्र विरोधी हैं, जो पहले इस देश पर हावी थीं, वही फिर सत्ता में आयी हैं। जनता के मौलिक अधिकारों की दुश्मन ताकतें फिर उभर आयी हैं। आज फिर से देश के अन्दर अराजक और असामाजिक तत्व गठबन्धन करके ऐसा माहौल पैदा करना चाहते हैं जो 1975 में पैदा हुआ था और इमरजेन्सी लगायी गई थी। वही लोग आज फिर चाहते हैं कि देश के अन्दर अराजकता उत्पन्न की जाये और फिर से इमरजेन्सी लागू की जाये और तानाशाही ताकतें हुकूमत करती रहें। हम इस बात को बताना चाहते हैं कि इस देश की जनता गरीबी में रहना पसन्द कर सकती है, लेकिन गुलामी पसन्द नहीं करती और जो आजादी को अपना जन्मसिद्ध अधिकार मानती है। जो भी सरकार हमारे मौलिक अधिकारों का हनन करेगी उसे इस देश की जनता कतई बरदाश्त नहीं करेगी।

मान्यवर, इस अभिभाषण में बहुत सी बातें कही गयी हैं, लेकिन कुछ बातों की ओर मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं जो रह गयी हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में गोरखपुर विश्वविद्यालय ही एक है जहां घोर अव्यवस्था है। इसी कारण पिछली जनता सरकार ने एक पूर्वान्चल विश्व-विद्यालय खोलने की बात स्वीकार की थी, लेकिन इस अभिभाषण में राज्यपाल महोदय ने उसका कोई जिक्र नहीं किया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास के लिये इसकी स्थापना बहुत ही आवश्यक है। इसे मऊनाथ भंजन में स्थापित होना चाहिये। इसकी आवश्यकता को स्वीकार किया जा चुका है पर जाने क्यों उसका विचार त्याग दिया गया है।

भूतपूर्व शिक्षा मंत्री श्री कालीचरन ने मऊनाथ भंजन में एक टैक्सटाइल इन्जीनियरिंग कालेज खोलने की मांग को भी स्वीकार की थी। वह मान्यवर, एक ऐसा स्थान है जिसे पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है, वहां कई छोटे-छोटे उद्योग हैं, लाखों छोटे-छोटे बुनकर उद्योगों में लगे हुए हैं और अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। उत्तर प्रदेश में केवल कानपुर में ही एक टैक्सटाइल इंजीनियरिंग कालिज है। हमारी मांग है कि मऊनाथ भंजन में भी दूसरा टैक्सटाइल इंजीनियरिंग कालेज खोला जाय मऊनाथ भंजन में एक लाख से ऊपर की आबादी है और यह एक औद्योगिक नगर है, पर यहां अस्पताल की उचित व्यवस्था नहीं है, एक टूटा फूटा अस्पताल है जिसकी इमारत रिजेक्ट कर दी गयी है। पता नहीं किस कारण से अभी तक उस अस्पताल की इमारत को नयी बनवाने का प्रयास नहीं किया गया है। मेरी मांग है कि उस अस्पताल को जिला स्तर का अस्पताल होना चाहिये।

मान्यवर, उसके बगल में एक गोपागंज कस्बा है जहां 25 हजार की आबादी है। वहां पर किराये की इमारत में अस्पताल चलता है। वहां के लोगों ने अस्पताल के लिये 2 एकड़ भूमि भी दी है। लेकिन आज भी जो कुछ भी बजट बना दिया गया है, वह मंत्रियों के क्षेत्रों के लिए है और कुछ बड़े लोगों के क्षेत्रों के लिए और जो गरीब और पिछड़े इलाके हैं, जहां पर जनता के विकास को ध्यान में रखते हुए नये अस्पतालों का निर्माण धवरियासाथ, हथिनी और कुसभौर में होना चाहिए। जहां पर भवन चिकित्सालय के लिए बने हुए हैं, वहां के लिए बजट में कोई व्यवस्था नहीं की गयी है। मान्यवर, यही नहीं, मैं आपको यह बताना चाहता हू कि शिक्षा के क्षेत्र में जो छोटी-छोटी कक्षाओं के लिए बात कही जा रही हैं, प्राइमरी पाठशालाओं की, हमारे क्षेत्र में प्राइमरी पाठशालों की बहुत कमी है। हमारे

[श्री रामजी---]

खरगजेपुर, देवपरा मु0 परदहा क्षेत्र के भरहीं गांव में अत्यन्त गरीब लोग बसते हैं। वहां पर कोई प्राइमरी पाठशाला नहीं है। मान्यवर, जो सड़कें बनी हुई हैं, वह तो ह ही, लेकिन जहां पर नदियां हैं, वहां पर पुल अभी तक नहीं तैयार किये गये हैं। छोटी सरजू में कोपागंज, भारमल सड़क पर पुल न बनने के कारण लोगों को बड़ी कठिनाई हो रही है। जो पी0डब्ल्यू0 डी0 द्वारा सड़क बनाई गयी है, उससे अच्छी तरह से आवागमन नहीं हो सकता है।

(इस समय 4 बज कर 7 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

यही नहीं, टोन्स नदी पर दो जगह पूरा घाट में संख्या में पुल नितान्त आवश्यक है। यही नहीं, मान्यवर, सूखे के कारण जो इस समय विकास के तथा खाद्यान्न की योजना लागू की गयी है, जो गांव में चेक रोड को चौड़ा करने, सम्पर्क मार्ग बनाये जाने की बात है, नियम है कि 20 फीट से कम चौड़ी सड़क कोई नहीं बनेगी, जो काम करना चाहते हैं, अनाज के ऊपर जो जनता काम करना चाहती है वह जमीन न मिलने के कारण 20 फीट जमीन न मिलने के कारण सड़कों का काम बन्द है और लोग भुखमरी की हालत में हैं। मैं सरकार से मांग करता हूं कि 20 फीट के स्थान पर 15 फीट कर दिया जाय ताकि लोगों को काम मिल सके और भूखे का शिकार न बन सकें।

यही नहीं मान्यवर, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत जो जनता की दूकानें खोलने की बात कही गयी थी कि स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों को, सैनिकों को प्राथमिकता दी जायगी, लेकिन मान्यवर, जितने मीसा बन्दी थे, जितने डिसीरबन्दी और स्वतंत्रता के सेनानी थे, सैनिक थे, उनको किसी को दूकान नहीं दी गयीं, जिन्होंने प्रार्थना-पत्र दिया था। मान्यवर, दूकानें उन लोगों को आवंटित की गयीं, जिन्होंने गलत तरीके से अधिकारियों को पैसा दिये हैं और जिन लोगों ने मंत्रियों को अप्लीकेशन्स दिये हैं, उनको भी अभी तक दुकानें नहीं एलाट की गयी हैं। तो मान्यवर, मैं मांग करता हूं कि इन सब चीजों की जांच होनी चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष---

आपका समय समाप्त हो गया।

श्री राम जी---

मान्यवर, म यह कहना चाहता हूं कि अभी कुछ दिन पहले मऊनाथ भंजन को तहसील बनाने की बात कही गयी थी, वह कागज पर ही रह गयी। मऊनाथ भंजन को एक अलग जिला बनाया जाय। इसके लिए जनता की इस मांग को देखते हुए बड़े पैमाने पर जन-आन्दोलन चलाया जा सकता है, जिसे कोई रोक नहीं सकता। ये सब बातें महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में न होने के कारण जहां हमें दुःख है, वहीं आश्चर्य भी हुआ है।

श्री श्याम देव (जिला वाराणसी)---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर विरोध पक्ष का जो संशोधन प्रस्ताव आया है उसके पक्ष में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, जैसा हम सभी जानते हैं कि महामहिम का अभिभाषण मंत्रिपरिषद् तैयार करती है और मान्यवर, यदि हम देखेंगे महामहिम का अभिभाषण इतना अपूर्ण है शायद मंत्रिपरिषद् ने जल्दी-जल्दी इसको तैयार कराया हमारे प्रदेश की सारी नीतिगत बातें जो यह सरकार भविष्य में करना चाहती है उसका उल्लेख नहीं है। मैं विशेष कर उन संशोधनों की तरफ न जाकर जो हरिजनों पर अत्य चार हुआ है अमरोहा, मुरादाबाद और मेरठ में और आगरा में जो हुआ है, मान्यवर, उसके सम्बन्ध में महामहिम राज्यपाल ने जो चनाव की बलिवेदी पर शहीद हुए है लोकतंत्र की रक्षा के लिये, उसके सम्बन्ध में न तो श्रद्धान्जलि का एक सुमन अर्पित किया गया न शहीदों के प्रति आभार प्रकट किया। चुनाव के समय उत्तर प्रदेश के जिन 7 हरिजनों की हत्या हुई है उसके सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश सरकार को चुनौती देना चाहता हूं कि जो यह हत्यायें चुनाव के समय हुई

है इसका कौन जिम्मेदार है यह शासन जिम्मेदार है या और कोई शासन। इन शहीदों की हत्या के लिये यह शासन जिम्मेदार है तो यह किस मुंह से इस प्रकार की बात करते हैं कि हमने हरिजनों के लिये बहुत कुछ किया है। इन घड़ियालू आसू से काम चलने वाला नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि यदि जरा भी आप में साहस है तो आगरा में, मेरठ में मुरादाबाद में जो हत्यायें हुई हैं इनको बढ़ावा देने में जिन अधिकारियों, व्यक्तियों ने सहयोग दिया है उनके खिलाफ अदालत में वाद करना चाहिये।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के विकास के बारे में बहुत सारी बातें आयी है। महामहिम ने अपने अभिभाषण में कहा है कि अन्त्योदय कार्यक्रम के अन्तर्गत बहुत कुछ किया गया है। पिछले 28 महीनों में जो कुछ हुआ उसका तो आंकड़ा मिलता है किन्तु इधर जो कुछ हुआ उसका कोई आंकड़ा नहीं मिलता है। मान्यवर, इधर जो कुछ अन्त्योदय कार्यक्रम के अन्तर्गत किया गया उसका आंकड़ा आप मंगा कर देख लीजिए आपको मंगाने का अधिकार है। श्रीमन्, जुलाई के बाद किसी भी हरिजन परिवार को कोई सहायता नहीं प्राप्त हुई है। मान्यवर, खाली घड़ियालू आसू बहाने के बजाय अन्त्योदय के नाम पर उत्तर प्रदेश में काम किया गया होता तो हरिजनों को काफी सहायता मिली होती। उनको जो सामान दिया जा रहा है उसके कल-पुरजे इतने कमजोर है कि जब वह रिक्शा लेकर सड़क पर जाता है तो वह टूट जाता है। मान्यवर, उसे रिक्शा चलाकर बैलगाड़ी चलाकर अपने परिवार का पालन करना है और सरकार की किश्त भी देनी है। जो सामान खरीद कर दिया जा रहा है वह इतना कमजोर है कि वह टूट जाता है। मान्यवर, मैं चाहूंगा कि अन्त्योदय कार्यक्रम पर उत्तर प्रदेश सरकार एक आयोग बना दे कमेटी बना दे जो यह अन्त्योदय के अधिकारी है विकास अधिकारी है, हरिजनों का शोषण करते हैं, अन्त्योदय का पैसा खा जाते है उसको रोका जा सकता है।

श्रीमन्, इसमें दूधारू पशुओं की बात कही गई है। मैं बताना चाहता हूं कि चाहे डाक्टर हो चाहे ब्लाक का अधिकारी हो वह सब 80 प्रतिशत पैसा खा जाते हैं। मान्यवर, आज जो धन आवंटित हो रहा है चाहे वह पी0 डब्ल्यू 0डी0 का हो चाहे सिंचाई विभाग का हो चाहे ग्राम्य विकास का हो उसका उपयोग नहीं हो रहा है। राज्य सरकार मान्यवर, इन अधिकारियों का अन्धाधुन्ध ट्रांसफर कर रही है इससे उत्तर प्रदेश का कितना नुकसान हो रहा है कितना टी0ए0,डी0 ए0 का भार शासन पर डाल रहे हैं। रोज टी0ए0, डी0ए0 देने पड़ते हैं। मैं फिर उत्तर प्रदेश सरकार का विशेषकर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि वह कभी भी उत्तर प्रदेश के पिछड़े इलाकों के गरीब लोगों का उत्थान और उनका सही इन्तजाम जब तक नहीं कर सकती जब तक कोई नीति निर्धारण कर सुचारु रूप से कार्य नहीं करेगी, । यह उत्तर प्रदेश ऐसा है जहां के लोग आज भी भूगर्भ से निकले हुए अन्न पर बसर करते हैं,जिनके लिये कोई उचित व्यवस्था यह सरकार अभी तक करने में सफल नहीं हो पा रही है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी और माननीय उद्योग मंत्री जी तथा विधान सभा के उन माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि निष्पक्ष होकर देश के और प्रदेश के गरीब जनों के उत्थान के लिए और उनके विकास के लिए कोई ठोस कार्यक्रम बनायें ताकि इस प्रदेश के गरीब लोगों का मनोबल ऊंचा हो और साथ ही साथ देश में कुछ खुशहाली आए।

*श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

आदरणीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपको धन्यवाद देती हूं कि आपने मुझे कुछ शब्द कहने का मौका दिया।

मैं धन्यवाद के प्रस्ताव का विरोध करने के लिए खड़ी हुई हूं। उत्तर प्रदेश के उन करोड़ों महिलाओं की ओर से उन माताओं और बहनों की ओर से, जिनकी गोद में छोटे-छोटे मासूम बच्चे हैं, जो रात में भूख सो जाते हैं। मैं उनकी तरफ से मांग करती हूं कि यह सरकार तत्काल इस्तीफा दे क्योंकि यह सरकार ठीक ढंग से प्रशासन को नहीं चला पा रही है, ठीक से कानून और व्यवस्था को कायम नहीं कर पा रही है। हमको यह नहीं देखना है कि यह हमारे ऊपर

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी---]

कितने अधिकार व्यक्तिगत रूप से करना चाहती है। जिस सरकार को यह नहीं मालूम कि उसकी सम्पूर्ण नीतियां, सारे कार्यक्रम, सारी योजनायें डांवाडोल हो रही है। इसलिये मेरा अनुरोध है कि इस सरकार को अब इस्तीफा देना बहुत जरूरी है ताकि जनप्रिय सरकार तुरन्त बन सके। चाहे प्रदेश के कल्याण की बात हो, चाहे किसी क्षेत्र में विकास की बात हो। इस मंच से मैं इस सरकार पर इल्जाम लगाती हूं कि महिलाओं की सुरक्षा का कोई प्रबन्ध नहीं किया गया है। अभी कुछ ही दिन हुए जो किस्सा हुआ है देवरिया में, वह समाज में हृदय हिला देने वाली घटना है। अभी पिछले साल भी ऐसी ही कई शर्मनाक घटनाएं हुई हैं। महिलाओं का जगह-जगह पर अपमान किया जा रहा है। आज फिर वही घटना देवरिया में हुई। इसलिए मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि आप क्या कोई महिलाओं की सुरक्षा का प्रबन्ध करेंगे। न जाने आज कितनी बेसहारा और गरीब महिलाओं और 12-12 वर्ष की मासूम लड़कियों की इज्जत दिन दहाड़े सामूहिक रूप से लूटी जा रही है। इसके सम्बन्ध में एक पूरा गिरोह है, मान्यवर, जो पूरी तरह से इस काम के लिए ऐक्टिव है। जिनकी खबरें रोजमर्रा अखबारों में छपती हैं। लाखों महिलाओं की इज्जत आज खतरे में पड़ी है, परन्तु इसके विरुद्ध अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी है।

मान्यवर, मैं आपका ध्यान दहेज प्रथा की एक मिसाल की ओर ले जाना चाहती हूं। महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में इस बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है। मान्यवर, आज दहेज प्रथा की आड़ में आये दिन केस प्रकाश में आ रहे हैं, इन समस्याओं को दूर करने के कोई हल नहीं निकाले गये हैं और न ही इस राज्यपाल के अभिभाषण में कुछ नहीं है। इसलिए मैं महिलाओं की ओर इस भाषण पर इलजाम लगाती हूं। अभी कुछ अर्सा हुआ दहेज प्रथा के सम्बन्ध में संजय गांधी के नेतृत्व में एक आन्दोलन चलाया। एक बड़ा भारी आन्दोलन चलाया गया लेकिन उसके पहले यह हो गया कि जितने पूंजीपति थे सब मिलकर उस लड़के के ऊपर 50 मुकदमे दायर कर दिये और आज दहेज प्रथा पर कोई स्त्री मिट्टी के तेल से जल जाती है कोई खाना बनाते जल जाती है, लेकिन लोग यह कहते हैं कि रसोई बनाते घटना हो गयी और वह जल कर मर गयी। उसके खिलाफ क्या किया जा रहा है ? मैं यह पूछना चाहती हूं कि आज जो अन्नपूर्णा कहलाती हैं उनसे पूछिये, न मिट्टी का तेल मिलता है न शक्कर, न कोई खाने-पीने का सामान। जो सरसों के तेल के नाम पर रेपसीड आयल मिलता है उसको हाथ पर रखना मुश्किल है इतनी दुर्गन्ध आती है।

इस समय हमारे सामने प्रजातंत्रवाद को बड़ा खतरा है। इस अभिभाषण में क्या इस बात का संकेत है कि हम इसकी किस तरह से रक्षा करेंगे ? प्रजातंत्र की सुरक्षा करने की जब कोई आवाज उठाता है चाहे अध्यापक हो, छात्र हो, युवक हो, महिला हो, लाठी से उसका जवाब दिया जाता है। 23 तारीख को जो घटना हुई, मैं 40 वर्षों से इस मेहमाननवाजी के लिए मशहूर शहर में रह रही हूं, आजतक ऐसी भीषण लाठी चार्ज न अंग्रेजी हुकूमत में और न 47 से अब तक कांग्रेस की हुकूमत में हुई। न टियर गैस छोड़ी गयी न कुछ हुआ एकदम से युवकों पर जो निहत्थे थे, इस तरह से उनको धुना गया जैसे रुई को धुना जाता है। वह आज भी अस्पताल में पड़े हैं। हमें प्रजातंत्रवाद की रक्षा करनी है शान्तिपूर्वक आन्दोलन करने की, अपनी बात कहने का, हमको अपनी योजनायें सामने पेश करने का जन्मसिद्ध अधिकार है।

संविधान की आधार शिला जो प्रजातंत्रवाद और धर्मनिरपेक्षता पर है हमारे अन्दर एक मां का दिल है, हिन्दू, मुसलमान, शिया-सुन्नी पर जो अत्याचार हो रहे हैं, वह एक मां का दिल जानता है। हरिजनों पर अत्याचार हो रहे हैं, जो जमीनें दी गई, छीन ली गई, इसके सम्बन्ध में भाषण में कोई संकेत नहीं। शिक्षा के सम्बन्ध में मैं कहना चाहती हूं कि इसका राष्ट्रीयकरण किया जाये। जब तक इसका राष्ट्रीयकरण नहीं होगा तब तक जो गड़बड़ियां हैं, बुराइयां हैं, हम दूर नहीं कर सकते, हमारा कल्याण नहीं हो सकता। (व्यवधान)।

श्री उपाध्यक्ष--

अब आप बैठिए ।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

अन्त में हम फिर डिमाण्ड करते हैं कि जो सरकार है जो जनता की सुरक्षा नहीं दे सकती, पानी नहीं दे सकती, माताओं-बहनों की मुसीबतों को दूर नहीं कर सकती, कन्याओं की सुरक्षा नहीं कर सकती वह सरकार इस्तीफा दे ।

श्री सुखपाल पाण्डेय (जिला बस्ती)--

मान्यवर, मैं आपका बहुत आभारी हूं जो आपने मुझे राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद के प्रस्ताव पर बोलने का....

श्री उपाध्यक्ष

आप कृपया बैठिए । आपको नहीं बुलाया गया है ।

श्री सुखपाल पाण्डेय--

मैं एक कान से जरा कम सुनता हूं ।

श्री मानसिंह आजाद--

माननीय उपाध्यक्ष जी जरा दो मिनट हम भी चाहते हैं (शोर)

*श्री गंगा सहाय यादव (जिला मैनपुरी)--

मान्यवर, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। राज्यपाल के अभिभाषण में बाढ़ और सूखे के सम्बन्ध में कहा गया है। बाढ़ के सम्बन्ध में जो भी सरकार ने कार्य किया है वह सराहनीय है। जो वितरण प्रणाली थी, खाद्य और वस्त्र की उसमें दोष था। जो हकदार था उसको न मिलकर उन्हें मिला जिनको हक नहीं था। सूखे के सम्बन्ध में सरकार ने जो भी कार्य किया वह बहुत ही सराहनीय है। प्रदेश में भ्रष्टाचार व्याप्त है जिसके कारण न किसानों को समय से बिजली मिल सकी न पानी मिल सका। इसके लिये मैं अधिकारियों को दोषी कहूंगा। सरकार को ऐसे अधिकारियों को दण्डित करना चाहिये। 5-6 घण्टे बिजली मिलनी चाहिये। मैंने घूम कर देखा 2-2, 3-3 घण्टे से अधिक बिजली नहीं मिल पा रही है। अगर ऐसा ही रहा तो बहुत कुछ फसलें सूख तो गयी ही हैं जो शेष रह गयी हैं वह भी पानी बिजली की कमी के कारण बेकार चली जायेंगी। आपके माध्यम से निवेदन है कि आप कर्मचारियों को आदेश दें कि वह छोटे-छोटे किसानों को राहत पहुंचाएं और उनका नुकसान हो रहा है उसके लिये भी उन्हें सहायता दें। हमारे क्षेत्र में सूखे का असर बहुत हुआ है। वहां पर पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, नलकूपों की बहुत कमी है, नलकूपों की व्यवस्था की जाय। नलकूपों के जरिये ही किसानों को राहत मिल सकती है। नलकूपों के जरिये अन्य तरीकों से डिस्ट्रीब्यूटरी पानी की व्यवस्था की जा सकती है। इस प्रकार हमारे यहां की बहुत बड़ी समस्या तय हो सकती है।

एक बात मुझे यह भी कहनी है कि अन्त्योदय स्कीम सरकार ने बहुत अच्छी स्कीम चलाई थी जिससे किसानों को, गरीब परिवारों को, गांव के रहने वालों को काफी राहत मिल सकती थी। अधिकारियों के कारण इसका उचित उपयोग नहीं हो सका। बहुत से लोग है जो वास्तव में अन्त्योदय के अन्तर्गत लाभान्वित हो सकते थे उनको लाभ नहीं हो सका। जो लोग इसके योग्य नहीं थे उनको अधिकारियों के द्वारा लाभ पहुंचाया गया। इसकी जांच होनी चाहिये। जो अधिकारी दोषी पाये जाएं उनको दण्डित किया जाना जरूरी है। अन्त्योदय स्कीम बहुत अच्छी स्कीम है। पहले कभी किसी सरकार ने इस ओर सोचा भी नहीं। यह इस सरकार की देन है। इसके लिये यह सरकार कृपा की पात्र है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गंगा सहाय यादव---]

साथ ही साथ शिक्षा की ओर भी सरकार ने ध्यान दिया है। शिक्षा में बहुत सी स्कीमें चलाई जा रही हैं। अध्यापक बढ़ाये जा रहे हैं लेकिन भ्रष्टाचार के कारण कोई काम नहीं हो पा रहा है। जितने भी अधिकारी हैं बिना घूस लिये कोई काम नहीं करते हैं। बिना घूस के नियुक्ति और स्थानान्तरण नहीं होते। हमारे यहां बेसिक शिक्षा अधिकारी और अन्य अधिकारी हैं वह बिना घूस लिये कोई काम ही नहीं करते। इसलिये वहां का वातावरण बड़ा गन्दा हो रहा है। इनकी जांच करा कर इन्हें दण्डित किया जाना चाहिये। इस समय जो सरकार की तरफ से मार्गों का निर्माण किया जा रहा है वह बहुत अच्छा काम है। आज तक इतने मार्ग नहीं बने थे। इसके लिये हम सरकार के आभारी हैं। लेकिन साथ ही साथ इन मार्गों को पक्का कराने की बहुत जरुरत है। अगर इन मार्गों को पक्का नहीं कराया गया और पुलियां नहीं बनायी गयी तो सारा रुपया सरकार ने जो इन पर खर्च किया है वह बेकार हो जायगा। इसके अलावा मण्डी समिति की जो सड़कें बनी हुयी हैं उनको भी पक्का कराने की जरुरत है और उन पर पुलिया बनाने की आवश्यकता है। उनकी हालत दिन पर दिन खराब होती जा रही है। इसीलिए उनको पक्का कराया जाय नहीं तो सारा रुपया जो उन पर खर्च हुआ है वह बेकार चला जायगा। मैं सम्बन्धित मंत्री जी से अपील करूंगा कि जो मण्डी समिति ने मार्ग बनाये थे उनको पक्का कराया जाय और पब्लिक को राहत पहुंचाई जाय।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि ग्राम्य विकास में सही योगदान होना चाहिये। मेरे यहां एक ब्लाक मदनपुर है। वहां से ब्लाक चला गया था लेकिन मंत्री श्री बोस की कृपा से वह ब्लाक फिर आ गया है। लेकिन अधिकारी सुबह आकर शाम को चले जाते हैं क्योंकि वहां इमारत ठीक नहीं है। इसके लिये रुपया मंजूर किया जाय। करीब एक लाख रुपये की जरुरत है। इमारत की मरम्मत न होने के कारण अधिकारी वहां रहने में अपने को असुरक्षित पाते हैं। साथ ही साथ पुलिस की व्यवस्था बहुत खराब है वहां पर एक पुलिस चौकी की बहुत आवश्यकता है। वहां पुलिस चौकी न होने से अधिकारी अपने को असुरक्षित पाते हैं। वहां पर एक शराब का ठेका है जिसकी वजह से जनता में झगड़े फसाद और नाना प्रकार की बातें होती है। मेरा आपसे अनुरोध है कि शराब के ठेके को वहां से हटाया जाय जिससे पब्लिक को सुरक्षा हो सके। पुलिस व्यवस्था के विरोध में एक बात और कहना चाहता हूं। हमारे क्षेत्र में कुछ ऐसा इलाका है जो मध्य प्रदेश से मिला है। जब वहां पर अपराधियों पर सख्ती होती है तो वह बदमाश जमुना के किनारे हमारे इलाके में आ जाते हैं और पब्लिक की सुरक्षा को खतरा हो जाता है। लिहाजा वहां पर पुलिस की व्यवस्था अच्छी तरीके से की जाय जिससे जनता की सुरक्षा हो सके।

श्री उपाध्यक्ष---

अब आप समाप्त करें।

श्री गंगा सहाय यादव---

वहां पर अगर सुरक्षा नहीं की गयी तो जनता को मुश्किल होगी दिन दहाड़े चोरी डकैतियां हो रही हैं जिसके लिए सरकार को समुचित उपाय करना चाहिये। अन्त में मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का समर्थन करता हूं। जो कुछ हो रहा है, वह अच्छा हो रहा है।

*श्री मानसिंह आजाद (जिला लखनऊ)---

उपाध्यक्ष महोदय, मै आप का बड़ा आभारी हूं। आज मेरा शायद इस विधान सभा में आखिरी भाषण होगा। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं माननीय सदस्यों, सबको हाथ जोड़ कर, हिदुस्तान में जो आजादी आयी थी वह महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुयी थी। लोक नायक जय प्रकाश नारायण ने लोकतंत्र को बचाने के लिए आन्दोलन किया। आज इंदिरा गांधी हुकूमत

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

में आयीं। आज के पेपर में है कि विड़ला ने कहा है कि चरनसिंह सो गया और इंडिया टुडे पेपर में है, मोरार जी गायब हो गयें। दिल्ली में उद्योग मंत्री ने कहा कि अल्यूमूनियम के उद्योग को बिजली सप्लाई करें। जबकि भीषण सूखा पड़ा है। हिन्दुस्तान में पूंजीपतियो को बढ़ावा दिया जा रहा है। आई0 सी0 एस0, पी0 सी0 एस0 के लोगों ने जो हिन्दुस्तान में गद्दारी करके अंग्रेज को बुलाया था।

उनसे आज लोकतंत्र को खतरा है। इसलिए विधायकों से निवेदन है कि आज मैं सुन रहा हूं कि विधान सभा भंग होने वाली है और उन कर्मचारियों से निवेदन है कि जो संविधान की धारा 193 के अनुसार शपथ लिये हैं उन्होंने अपना काम क्यों रोक रखा है, यह जो शपथ लिए है कि उसके अनुसार अपने कार्य का पालन करें।

मान्यवर, नहरों से कुलाबा निकाले जा रहे है। इस लिए सरकार से निवेदन है कि वह कुलाबे न निकालें। आज मैनें अखबारों में पढ़ा है कि हरिजनों को कोई अनुदान नहीं गया। चुनाव के दौरान मेरठ में मोरार जी देसाई के आगे जो पुलिस का पाइलट चलता था वह हटा लिया गया और पुलिस भी हटा ली गयी.इसलिए जब वह मंच पर पहुंचे तब उन पर हमला किया गया। कैलाश प्रकाश के क्षेत्र में सिर्फ 2--2 होमगार्ड के जवान लगाये गये जबकि पुलिस आर्मगार्ड होनी चाहिये थी। हरिजन औरत के पेट को फाड़ कर बच्चा निकाला गया है। इसलिए मै माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान में जो गांधी है वह मोरार जी देसाई ही है और उन पर हमला किया गया है। इसलिए मै माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं कि आप अपने बल को बढ़ाये और यदि हिन्दुस्तान में कोई तानाशाही की हुकूमत आये तो जो लोकतंत्र को खतरा हो तो उसके खिलाफ बगावत का झंड़ा उठाये।

मैं कल निवेदन करं रहा था कि हमारे पंत जी की मूर्ति पर 26 जनवरी, को एक भी माला नहीं पहनाई गयी। हमारे विधायकों एवं प्रेस वालों के लिए कोई सीट सुरक्षित नहीं की गयी। काकोरी कांड की झांकी निकाली गयी। उसमें राम कृष्ण खत्री जो लखनऊ में हैं उनको नहीं बुलाया गया और न किसी स्वतंत्रता संग्राम सैनानी को बुलाया गया है और न उनकी सीटें ही सुरक्षित की गयीं। उसमें वह लोग बैठे थे जो हिन्दुस्तान के आई0 ए0 एस0 और पी0 सी0 एस0 है। गवर्नर जब आये तो एक भी अधिकारी नहीं उठा। यह खुली लोकतंत्र की हत्या है। इसलिए मैंने उस कांड को विधान सभा में खोला था और कानों को इन्कलाब का नारा लगा कर खोला। इसलिए मैं प्रेस वालों से निवेदन करना चाहता हूं कि लोकतंत्र को बचाने में आपकी उसी प्रकार तलवार चलनी चाहिये जैसे कि अंग्रेज को हटाने में चली थी। इंदिरा जी आज देश में लोकतंत्र को समाप्त करना चाहती हैं वह पूंजीपतियों को देश में लाना चाहती हैं। चुनाव के पहले 5 पूंजीपतियों की उन्होंने मीटिंग किया है और उन्हीं से चुनाव के साधन इकट्ठा किये। गांधी जी की जब हत्या हुई,तो इस देश के इन 5 सेठों नें शराब पिया और एक जस्न मनाया था और कहा था कि अंग्रेज होता तो वह हमें फैक्ट्रियों और रियासतों का ट्रस्टी बना देता। इस लिए सारे विधायकों से हाथ जोड़ कर निवेदन है कि वह अपने सीने को खोलकर देंखे और जनतंत्र की रक्षा करने के लिए एक हो जायं। अधिकारियों और कर्मचारियों से भी निवेदन है क्योंकि वह हमारे साथी और भाई हैं, इसलिए वह देश के साथ गद्दारी न करें और लोकतंत्र को बचायें। नव जवानों को भी लोकतंत्र की रक्षा में आगे आना चाहिये। इतना कहकर मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं। जयहिन्द।

*श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)---

मान्यवर, जिन्होंने महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव पेश किया है वह हमारे अभिन्न मित्रों में से एक हैं। उन्होनें केवल एक औपचारिकता को निभाया है।

उनका हृदय उससे जुड़ा हुआ नहीं है। इसलिए नहीं जुड़ा हुआ है क्योंकि वे समाजवादी विचारधारा के हैं और समानता और बराबरी में विश्वास करते हैं। यह जो राज्यपाल का अभिभाषण है आप पूरा पढ़ा जायें जो कुछ भी कार्यक्रम इसमें उल्लेख किया गया है वह कार्यक्रम किस पथ पर चलेगा, सरकार कैसे अग्रसर होगी, यह पूंजीवादी व्यवस्था अपनायेगी, समाजवादी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया

[श्री शम्भू नाथ चौधरी---]

व्यवस्था अपनायेगी, गांधीवादी व्यवस्था अपनायेगी या समान्तवादी व्यवस्था अपनायेगी समानता लायेगी या असमानता लायेगी इसका कहीं कोई उल्लेख नहीं है, इसलिए मै यह समझता हूं कि यह राज्यपाल का अभिभाषण लिखित है किन्तु यह निराशावादी दस्तावेज मात्र रह गया है। श्रीमन्, इस दस्तावेज में अलोकतांत्रिक परम्पराओं का गुणगान किया गया है। श्रीमान्, आपातकाल की बड़ी चर्चा हुई। आपातकाल की देन थी मीसा और डी0आई0 आर0। इस राज्यपाल के अभिभाषण में जो आपातकाल में जो नजरबन्दी कानून लागू किया गया था, अनेकों लोग डिसिर में बन्द कर दिये गये थे चाहे इधर के बैठने वाले हों या उधर उसका गुणगान किया गया है। इसमें कहा गया है कि हमें खुशी है कि वर्तमान सरकार अधिनियमित करने जा रही है उस अध्यादेश को । जिन लोगों ने अध्यादेश जारी किया था वही लोग आज पार्लियामेन्ट में हैं। इसलिए यह साफ है कि अलोकतांत्रिक मान्यताओं का इसमें उल्लेख किया गया है। यही नहीं मैंने देखा कि जिन कारागारों में हम लोग थे अब तक वहां पर दो व्यवस्थायें है ऊंच और नीच।

अब एक विशेष व्यवस्था की जा रही है। गांधी जी विशेषता के खिलाफ थे। मेरी समझ में नहीं आया कि विशेष व्यवस्था किस लिए है। मुझ ऐसा लगता है कि यह विशेष व्यवस्था मंत्रियों के अपने लिए कर ली है और उनको डर है कि ढ़ाई वर्ष के काल जिस प्रकार इस प्रदेश में लूट उन्होंने की है और यदि वह जांच में पकड़े गये और जेल चले गये तो उनको विशेष सुविधा मिले। इसके अलावा कुछ है नहीं। इस लिये मैंने कहा अलोकतांत्रिक मान्यताओं का उल्लेख इसमें किया गया है। श्रीमन्, यही नहीं हमारे भारतीय सम्मान को इससे धक्का लगा है। सत्यदेव त्रिपाठी जी हंस रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं अंग्रेजी हटाओ आन्दोलन में जेल गये थे। कहेंगे हां। हमने नारा दिया था कि अंग्रेजी अनिवार्य नहीं होगी। 1957 से हिन्दुस्तान में एक आन्दोलन हुआ था। अंग्रेजी हटाओ। यह सरकार आज उसका गुणगान कर रही है। इसने 6, 7 और 8 की कक्षाओं में अंग्रेजी अनिवार्य कर दी है। इस अभिभाषण में मैं साफ कहता हूं कि वर्मा जी सुन लें खुला न्योता दे दिया गया है।

प्रदेश में स्वच्छ प्रशासन के लिए भ्रष्टाचार मिटाने के लिए, प्रशासन को चुस्त करने की आवश्यकता है। लेकिन जो भ्रष्टाचार में लिप्त रहना चाहेगा वह कहेगा प्रशासन तंत्र अधिक चुस्त तथा दक्ष बनाया जायगा। इस तरह से शासन तंत्र जो भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है उसे और अधिक चुस्त तथा दक्ष बनाया जा रहा है। इस तरह से इस अभिभाषण के जरिये जनतांत्रिक मर्यादाओं पर सीधे कुठाराघात किया जा रहा है। अभी कल चर्चा हो रही थी एक मोटर चालक के लिये क्या-क्या हुआ है, महिलाओं की इज्जत लूटी गयी, मोटर चालकों को छूट दे दी गयी है और इस अभिभाषण के जरिये उनको सुविधायें दी जा रही है। गांधी जी ने कहा था, जनतंत्र वहां है, जहां राह पर चलने वालों की बात सुनी जाती हो। मोटर पर चलने वाला बिगड़ जाता है लेकिन आज मोटर पर चलने वालों को सुविधा देने की बात की जाती है।

इसी तरह से इस अभिभाषण में पशुपालन की भी घोर उपेक्षा की गयी है। मत्स्य निगम तो बना दिया गया लेकिन पशुपालन तथा खेती पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। कांग्रेस के तीस वर्ष के शासन में पशुपालन के लिये कोई अस्पताल देहातों में नहीं खोला गया न स्टाकमेन सेन्टर ही खोले गये उसी तरह से आज भी इस लोकदल के शासन में पशुपालन की हालत देहातों में है। बलिया जिले का एक क्षेत्र है रेवतीदिया जहां अहीर लोग ज्यादा रहते हैं। मैं वहां गया था तो वोट देने के लिये तो वहां के लोगों का कहना था कि कांग्रेसी राज्य में भी हमारे पशु मरते थे और आज भी मरते हैं। यहां कोई अस्पताल नहीं है पशुओं के लिये और न स्टाकमेन सेन्टर ही है। वहां पर लाखों पशु हैं और उनकी जीविका भी उन पशुओं पर निर्भर करती है। मंत्री जी से जब वहां के लिये पशु अस्पताल खोलने के लिये कहा गया तो उनका कहना था कि एक पैसा भी बजट में है ही नहीं। अगर हिम्मत हो उनमें तो बतला दें कि गत वर्ष कितने पशु अस्पताल खोले गये, कितने स्टाकमेन सेन्टर खोले गये। कांग्रेसी राज्य की

तरह आज भी पिछड़े वर्ग की उपेक्षा की जा रही है जबकि पिछड़े वर्ग की बात बहुत की जाती है और पिछड़े वर्ग के विकास के लिये आयोग बनाने की बात की जाती है। आयोग की बात सुनते-सुनते उन लोगों के कान पक गये हैं और अब पिछड़ा वर्ग इन आयोगों के भुलावे में आने वाला नहीं है। हमारे शिक्षा मंत्री जी बैठे हैं वह जरा बतला दें कि पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिये कितनी छात्रवृत्तियां उन्होंने दीं और कितनी सुविधायें उनको दी जा रही हैं? देखने में तो यह आया है कि जिन मंत्रालयों के हरिजन मंत्री हैं उनमें हरिजनों तथा पिछड़े वर्ग की और अधिक उपेक्षा की जा रही है। पिछड़े वर्ग के लिये आयोग बनाने की बात केवल धोखामात्र है।

इस अभिभाषण में अन्त्योदय, श्रम के बदले अनाज तथा प्रौढ़ शिक्षा की बात भी कही गयी है अब हमारे शिक्षा मंत्री चले गये। वरना मैं उनको बताता कि उनके क्षेत्र में प्रौढ़ शिक्षा चल रही है। अगर आप साबित कर दें कि प्रौढ़ शिक्षा का कार्यक्रम ठीक से चल रहा है तो आप तो कुर्सी पर बैठे ही हैं.... (व्यवधान)। मान्यवर, हम क्या करें। हमारा तो समझौता रहा है। लोक सभा के चुनाव के लिये चुनाव आयोग है। संशोधन देने वाले हमारे कांग्रेस (आई) के लोग हैं वे बड़े तिकड़मी हैं। लोकतंत्र की हत्या कर देंगे और प्रजातंत्र की बात करेंगे। हमारे ऐसे लोगों की निश्चित राय है कि हमारा भविष्य दिल्ली तय नहीं करेगा उत्तर प्रदेश को विधान सभा करेगी, उत्तर प्रदेश की जनता करेगी। उत्तर प्रदेश की सरकार सामाजिक तत्वों, हुल्लड़बाजी, डण्डे-पत्थर से नहीं चलेगी। इन शब्दों के साथ अभिभाषण की इन त्रुटियों का उल्लख करते हुए हम उसका समर्थन भी करते हैं।

*श्री सुरेन्द्रपाल (जिला बांदा)—

मान्यवर, मैंने राज्यपाल का अभिभाषण पढ़ा और उसमें देखा कि सूखे का सामना करने के लिये सरकार ने जो युद्धस्तर की डींग हांकी है वह केवल थोथी ही है। मान्यवर, मैं बुन्देलखण्ड और बांदा की सूखे की स्थिति के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। मेरी समझ में नहीं आता कि इस सरकार ने सूखे के सम्बन्ध में युद्धस्तर पर कैसे सामना किया है। बांदा जनपद में सूख से लगभग 20/22 मौतें हो चुकी हैं और भूख से लोग मर गये हैं। पशु तो सैकड़ों मर गये हैं। पता नहीं इन्होंने कैसे इसका युद्धस्तर पर सामना किया है। इन्होंने जो कुछ राहत वहां दिलाई है वह इतनी कम है और पहले तो वह मजदूरों और हरिजनों को मिली ही नहीं है। एफ0सी0आई0 से जो गेहूं राहत कार्य के लिये वहां जाता था उसको मैंने देखा कि जो ट्रक उस गेहूं को ले जाते थे और बोरों से सड़क पर जो गिर जाता था उसको वहां के बच्चे और महिलायें बीन लेते थे और उससे अपना जीविकोपार्जन करत थे। जो सड़कें बनी हैं वे सब अधूरी पड़ी हुई हैं। एक भी सड़क पूरी नहीं हो पायी है। यदि इस साल उन सड़कों को पक्का नहीं किया गया तो वे इसी बरसात में जमीन पर आ जायेगी। इसके साथ ही साथ 8 दिन तक काम करने के बाद 15/20 दिन तक मजदूरी पाने के लिये वह मजदूर ब्लाक में धरना देकर पड़ा रहता है। बांदा में नरेनी, करवी और पाठा क्षेत्रों में मजदूर पेठा और पत्ती खाकर अपना जीवन निर्वाह किये हैं। वहां की सूखे की भयंकर स्थिति हो गई है।

दूसरी ओर बिजली का संकट है। आप कुछ 1/2 घन्टे बिजली उनको देते हैं। आपने कहा था कि नवम्बर और दिसम्बर के बिजली के पूरे बिलों को हम माफ कर देंगे। अभी कुछ नहीं हुआ। इसके साथ, सिंचाई और लगान की वसूली करने में अपने एक रिकार्ड कायम कर दिया है। हमारे जनपद में अभी इस लगान को माफ करने के आदेश नहीं पहुंचे हैं। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि आप अविलम्ब ऐसे आदेश भेज दें कि जो लगान वहां वसूल किया जा रहा है, उसको माफ किया जाय। डीजल के सम्बन्ध में यहां कल भी चर्चा हुई थी।

डीजल की तो समझ लीजिये कि भारी समस्या है। दो तीन महीने तक किसान डीजल पम्पों पर डेरा डाले रहे और अब इन्दिरा सरकार आई तो उसकी सरकार ने उत्तर प्रदेश का जो कोटा था उसको आधा कर दिया। तो यह सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है इसके लिए मुख्य मंत्री जी को जाकर भारत सरकार से प्रयत्न करना चाहिये कि डीजल का कोटा बढ़ाया जाय।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री सुरेन्द्रपाल---]

सिचाई व्यवस्था के संबंध में बांदा में बड़ी अव्यवस्था है। वहां कुओं का जल स्तर गिर रहा है। पाठा जैसे क्षेत्र में यह अवस्था आ गई है वहां पर ट्रकों से पानी जाना चाहिये वर्ना सिचाई की बात तो दूर रही पीने के पानी की भी समस्या आ जायेगी। मान्यवर, वहां पर एक केन नहर है जिसका पहले पूरा पानी बांदा को सप्लाई होता था फिर भी पूरा नहीं पड़ता था। अब हमारी सरकार ने मध्य प्रदेश सरकार से एक समझौता कर लिया है और 60 परसेंट पानी हमें देने की व्यवस्था है। उत्तर प्रदेश की सरकार को चाहिये कि वह केन्द्र से कहे कि इस समझौते के अन्तर्गत बांदा जनपद को पूरा पानी सप्लाई किया जाय।

राज्यपाल महोदय ने बादां क्षेत्र के विकास के लिए कोई बात नहीं की। सरकार को चाहिये कि बुन्देलखण्ड के लिए एक आयोग गठन करे जो वहां की समस्याओं का अध्ययन करें। बुन्देलखण्ड के विकास के लिए एक समिति बना कर वहां की समस्याओं के दूर करें।

यह सरकार किसानों का हमदर्द होन का दम भरती है और उसके लिए एक भू-सेना की बात कही थी लेकिन उस पर कोई कार्यवाही अभी तक नहीं की। इसके साथ ही फसलों के बीमा की बात होनी चाहिये। लोकदल की सरकार अपने को किसान की सरकार कहती है। किसान की फसल का बीमा करना चाहिये जिसका राज्यपाल के अभिभाषण में कोई जिक्र नहीं है। इसके साथ ही कृषि उत्पादन के मूल्यों को बढ़ाने के संबंध में राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में कोई ऐसी बात नहीं है।

जहां तक भूमिहीन गरीबों की बात है मैं कहना चाहता हूं कि अभी तक तमाम ऐसी जगहें हैं जहां पर गरीबों को भूमि के पट्टे नहीं मिले हैं। उनके बाद उनके नाम पर अभी भी सामंत भूमि पर अपना कब्जा किये हैं।

शिक्षा के संबंध में कहना चाहता हूं। आज हर शिक्षा संस्था राजनीति का केन्द्र बनी हुई है। ऐसा मालूम होता है कि वहां पर प्रदेश की पूरी राजनीति डील होती है। स्कूलों में हड़ताल होती है। सरकार को चाहिए कि इसके लिये छात्रों और अध्यापकों की समिति का गठन करे जिसमें एक छात्र और एक शिक्षक हो। इसके साथ ही माननीय सदस्यों की एक कमेटी बना दी जाय जो इस संबंध में अध्ययन करके एक रिपोर्ट दे जो इस बात को बतायें कि किन कारणों से इन संस्थाओं में अव्यवस्था फैल रही है। बी0 टी0 सी0 अध्यापकों के संबंध में कहना है कि तमाम बी0टी0सी0 अध्यापक बेरोजगार पड़े हैं उनके लिए आज तक सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की।

श्री उपाध्यक्ष---

अब आप समाप्त कीजिए। आपके बाद में एक दो सदस्यों को और बोलने के लिए कहूंगा।

श्री सुरेन्द्र पाल---

कालेजों के प्रांतीयकरण की मैं सराहना करता हूं। लेकिन इसके साथ ही मैं कहूंगा कि आयुर्वेदिक डाक्टरों को और सुविधा प्रदान की जाय। अन्त में एक बात और कहनी है कि राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में संजय गांधी को तानाशाही को रोकने के लिये कदम उठाने की बात नहीं की यह सबसे अहम मसला है। संजय गांधी की तानाशाही पर रोक लगनी चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

*श्री सुखलाल पाण्डेय---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका अभारी हूं कि आपने मुझे महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर अपने विचार व्यक्त करने का अवसर प्रदान किया है। मान्यवर, मैं आपका ध्यान हरैया जिला बस्ती की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। आपके माध्यम से

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इस सरकार का ध्यान उस पिछड़े क्षेत्र की ओर दिलाना चाहता हूं जो पूर्वी उत्तर प्रदेश का सबसे पिछड़ा जिला है और जहां पर अनेक समस्यायें हैं और उनके समाधान के लिये अभी तक कोई स्थायी योजना नहीं बनायी गयी है। मान्यवर, आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि सबसे पीड़ित जिला यह बाढ़ के कारण है, लेकिन उससे छुटकारा पाने के लिये कोई कदम नहीं उठाये गये हैं। पत्थर की ठोकरें और बांध नहीं बनाये गये हैं। इस प्रकार की कोई योजना यहां पर नहीं शुरू की गयी है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि घाघरा के कटान से जो जमीन कट गयी और जो गांव बह गये, उनकी रोक थाम के लिये कोई स्थायी योजना पत्थर की ठोकर बनाने के लिये नहीं की गयी है। मान्यवर, एक योजना पत्थर की ठोकर बनाने के लिए बनायी गयी थी परन्तु वहां के जो सुपरिन्टेन्डेन्ट इन्जीनियर थे उन्होंने उसके बनाने में बहुत ही भ्रष्टाचार किया और बहुत कमाई की और बहुत सा रुपया लूटा। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जब उस मामले की जांच करायी गयी और उनका भ्रष्टाचार प्रकाश में आया तो वहां के एस० ई०, गोरखपुर और इक्जीक्यूटिव इन्जीनियर तथा सहायक अभियन्ता उस दफ्तर को उठाकर फैजाबाद ले गये जिससे कोई बात प्रकाश में न आवे और रुपया कमाते रहे। उनका स्थानान्तरण हुआ और उस स्थानान्तरण को भ्रष्टाचार के फलस्वरूप माननीय सिचाई मंत्री ने किया था लेकिन उन्होंने फिर उसको रुकवा लिया। मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं। जो स्थिति है उसको सभी लोग जानते हैं। किसी से छिपा नहीं है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि जो दोषी अधिकारी हैं और प्रशासन में हैं उनके विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जानी चाहिये। मान्यवर, आपके दाहिने जो लोग बैठे हैं उनकी अक्ल गुम हो गयी है और जो लोग बाये बैठे हैं वह अक्लमन्द हैं। आपके दाहिने बैठने वाले लोगों की अक्ल अधिकारियों के हाथ में चली जाती है। इसलिए वह अक्लमन्द बने।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान शिक्षा की ओर भी ले जाना चाहता हूं। माननीय शिक्षा मंत्री जी ने संस्कृत भाषा को हटाकर बहुत बड़ी भूल की है। संस्कृत भाषा को त्रिभाषा फार्मूले से हटाकर उन्होंने संस्कृत की हत्या की है। इसके लिये इस मंत्रिमण्डल को प्रायश्चित करना होगा। उसमें लिखा गया है कि अगर कोई अन्य भाषा पढ़ाना चाहता है तो 40 विद्यार्थी क्लास में होने चाहिये परन्तु अगर उर्दू पढ़ाना चाहता है तो 5 विद्यार्थी भी हो सकते हैं। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि भाषा में इस प्रकार का व्यवहार क्यों किया जाता है। आप सभी भाषाओं के साथ समान व्यवहार करें।

मान्यवर हमारे जिले में सूखे से काफी हानि हुई है। हमारा जिला सूखा से पीड़ित जिला है। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 65 लाख रुपये की हानि हुई है। यह आंकड़े मान्यवर सरकारी हैं परन्तु मैं कहना चाहता हूं कि डेढ़ करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है। सरकारी आंकड़ों में वास्तविक स्थिति को नहीं दिखाया गया है। इसलिये माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि इस मामले की जांच होनी चाहिये कि वास्तविक स्थिति को किन अधिकारियों ने छिपाया है।

आज प्रदेश में बहुत से ऐसे लोग हैं जो अस्थिरता और अराजकता का वातावरण उत्पन्न कर रहे हैं। आरक्षण में जातीय आधार पर एक ऐसा वातावरण पैदा कर दिया है जिससे लोगों में आपस में टकराव उत्पन्न हो गया है। इसलिए सरकार को चाहिये कि आरक्षण आर्थिक आधार पर किया जाना चाहिए और एम० पी०, एम० एल० ए० और जो अधिकारी हैं वे आरक्षण से वंचित होने चाहिये।

मान्यवर, एक और निवेदन करना चाहता हूं कि जो लोग सरकारी सेवाओं में कार्यरत हैं यदि उनकी पदोन्नति का प्रश्न है तो वह आरक्षण के आधार पर नहीं होना चाहिये, उनकी वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति होनी चाहिए। आज इस प्रकार की अशांति पैदा करके विशाक्त वातावरण पैदा किया जा रहा है, यह समाप्त होना चाहिये।

[श्री सुखपाल पाण्डेय---]

हमारे प्रदेश में जो राजकीय नलकूप हैं, उनकी नालियां ठीक नहीं हैं। न उनमें बिजली है, न उनसे किसानों को पानी मिल पा रहा है। मेरी प्रार्थना है कि इन चीजों पर सरकार को ध्यान देना चाहिए।

जहां तक सार्वजनिक निर्माण विभाग का सम्बन्ध है, इस सरकार ने काफी सड़कों के निर्माण की योजना तो स्वीकार की है जिससे इनकी लोकप्रियता तो बढ़ रही है लेकिन जिस तरह से इन सड़कों पर खर्च किया जा रहा है, वह बड़ा ही असंतोषजनक है।

हमारे यहां पर बभनान चीनी मिल है जिस पर करोड़ों रुपया गन्ना किसानों का बकाया है और उसका भुगतान नहीं किया जा रहा है। वैसे ही हमारे क्षेत्र में किसान बाढ़ और सूखे से पीड़ित हैं लेकिन फिर भी उनके गन्ने की कीमत का भुगतान नहीं किया जा रहा है। यह चीनी मिल सरकारी नियंत्रण में है लेकिन आज भी वहां पर 12 रुपये 25 पैसे का गन्ने का दाम रखा गया है जबकि और स्थानों पर 14 रुपये और 15 1/2 रुपये प्रति क्विंटल गन्ने का दाम है। इस प्रकार का भेदभाव हमारे क्षेत्र में किसानों के साथ बरता जा रहा है जिसके कारण उनमें घोर असंतोष व्याप्त है। इस खाई को पाटने का उत्तरदायित्व हमारी सरकार का है।

हमारे शिव मंगल जी कृषि विभाग के मंत्री हैं जो शून्य मंगल जी हैं। जब उनके पास गन्ना विभाग था, तब उसको चौपट किया था, अब उनके पास कृषि विभाग है, उसको चौपट किया है। ऐसा मालूम होता है कि चौपट करने की ठेकेदारी उन्होंने ले रखी है। मैं चाहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री जी को कृषि के रूप को बदलना चाहिए।

जो खाद में 31 अक्टूबर को छूट दी गयी थी वह 31 दिसम्बर को समाप्त हो गयी लेकिन किसानों को पैसा नहीं मिल पाया। हमारे मंत्री भी नहीं जानते कि कब छूट दी गयी और जिनको अपने विभाग के कार्य कलापों के बारे में ही जानकारी नहीं है तो मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि उनसे काम लिया जाय।

जहां तक शिक्षा विभाग का सम्बन्ध है, आज आये दिन स्कूल खोले जा रहे हैं लेकिन उनमें बैठने के लिये न छात्रों के लिये टाट-पट्टी हैं, न उनमें मेज हैं और न कुर्सियां और न उन स्कूलों में भवन ही है। मेरा नम्र निवेदन है कि जब तक आपके स्कूलों में भवन न बनाये जायें, तब तक दूसरे स्कूलों को खोलना बन्द कर दें। दूसरी बात यह है कि जब ये स्कूल खोले जाते हैं तो इनमें किसी प्रकार का प्रतिबन्ध नहीं लगाया जाता है कि इतने-इतने कमरे होने चाहिए जबकि प्राइवेट स्कूलों में नाना प्रकार के प्रतिबन्ध लगाये जाते हैं। मैं चाहूंगा कि इस प्रकार के प्रतिबन्ध समान रूप से सरकारी और प्राइवेट स्कूलों दोनों में लगने चाहिए। इसमें किसी प्रकार का भी भेदभाव नहीं होना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष---

अब आप समाप्त करें ?

श्री सुखपाल पाण्डेय---

हरिजनों का जहां तक सम्बन्ध है हरिजनों को अनुदान देने के लिये करोंड़ों रुपया जिलों में भेजा गया है। उसका उपयोग नहीं किया गया है।

श्री उपाध्यक्ष---

अब आप बैठें। श्री राम कृष्ण.....

श्री सुखपाल पाण्डेय---

मैं अस्पतालों के बारे में ध्यान दिलाना चाहता हूं। अस्पतालों में भवन नहीं हैं शैय्यायें नहीं हैं। इस तरफ ध्यान देना चाहिये जिससे वहां की समस्याओं को हल किया जा सके।

श्री राम कृष्ण (जिला जौनपुर)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज हमने महामहिम राज्यपाल के भाषण को पढ़ा इस किताब को देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। जैसी काम चलाऊ सरकार है वैसा ही महामहिम राज्यपाल का भाषण भी है। हमने पढ़ा उसमें कोई तथ्य की बात नहीं मिलती है। इस पुस्तक में जिन चीजों से करोड़ों लोगों का सम्बन्ध होता है उनका कोई जिक्र नहीं है। मुझे आश्चर्य होता है हमारे महामहिम ने कहा है कि शिक्षा की ओर हमने व्यवस्था किया है। उन्होंने बिजली पर बड़ा संतोष व्यक्त किया है, सिचाई पर संतोष व्यक्त किया है। लेकिन अगर भगवान ने कृपा न की होती तो सिचाई के अभाव में रवी की बुआई न हो पाती। मुझे दु:ख के साथ कहना पड़ता है, मैंने बहुत-सी सरकारें देखीं लेकिन ऐसी सरकार नहीं देखी। जनता पार्टी की सरकार या लोकदल की सरकार को मैं एक ही समझता हूं। उन्होंने अपने देश की संस्कृत पर कुठाराघात किया है। मैं उर्दू की इज्जत करता हूं लेकिन हमारे देश की संस्कृत भाषा पर कुठाराघात किया जा रहा है। हमें डर लगता है कि आज जो संस्कृत के ऊपर संशोधन कर रहे हैं कल हिन्दी पर संशोधन करेंगे। इसलिए हम मांग करेंगे कि संस्कृत भाषा पर जो संशोधन किया है, उसको वापस लें। उर्दू और संस्कृत को समान दर्जा जैसे पहले रहा है वैसा स्थापित करें।

हमारे प्रदेश की जनता ने लोक सभा के चुनाव में श्रीमती इन्दिरा गांधी के नेतृत्व को जो समर्थन दिया है उसका भी उल्लेख राज्यपाल के अभिभाषण में नहीं है। श्री जय प्रकाश नारायण को मैं भी मानता हूं। मैं भी उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। लेकिन इन्दिरा जी की जो बहुत बड़ी विजय हुई है उसका उन्होंने जिक्र नहीं किया। करोड़ों जनता ने इन्दिरा जी के उम्मीदवारों को विजयी बनाया इसके लिये प्रदेश की जनता को धन्यवाद देता हूं। ढाई साल में जनता पार्टी की सरकार का जो प्रशासन रहा उसमें मुझे लगता है जैसे कोई सरकार नहीं है। राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस चल रही है। मैं अधिकारियों को धन्यवाद दूंगा जो बैठकर विचार कर रहे हैं लेकिन मंत्रियों की लाइन की लाइन साफ है। इस प्रशासन को मैं क्या कहूं? ढाई साल में दिल्ली में जो कुर्सी की लड़ाई हुई है उसका फल सामने आया है। अब प्रदेश में वही लड़ाई शुरू कर दिया है। यह प्रशासन ऐतिहासिक प्रशासन है। आपने देखा एक विधायक को छूरा मार कर थैली ले ली। एक विधायक जा रहे थे शाहगंज बस में उनको मारकर दो हजार रुपया छीन लिया। एक विधायक के निवास का ताला तोड़कर गुंडों ने लूट लिया। एक विधायक जिनके पास शैडो था उनकी प्रदेश में हत्या हुई। इस प्रकार कितने ही विधायकों की हत्या लूट मार डकैती इस प्रदेश के अन्दर हुई है।

दूसरे मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि पुलिस के कर्मचारियों को मुस्तकिल तौर से आवास दिया जाय और उनको विशेष काम करने के लिए भत्ता देने की व्यवस्था की जाय। लखनऊ मेडिकल कालेज में एक शोध कार्यालय स्थापित किया जाय।

जौनपुर जिले के बरसठी क्षेत्र से 250 नम्बर जिस क्षेत्र से मैं आता हूं वहां एक भी डिग्री कालेज नहीं है, मेरी मांग है कि वहां पर एक डिग्री कालेज की स्थापना होनी चाहिये।

इस राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में वैदेशिक नीति की चर्चा नहीं है। जो बंगला देश हमारी रोटियों पर पला आज वह हमारे देश पर गोली वर्षा करता है। यह कितनी गम्भीर बात है। अफसोस की बात है कि उसके बारे में इसमें कोई जिक्र नहीं किया गया है।

जो हमारी महत्व की योजनायें हैं उनका जिक्र इसमें नहीं है। डीजल की कमी के लिये यह सरकार सारा दोष केन्द्र के ऊपर मढ़कर बचना चाहती है। आज डीजल और मिट्टी का तेल गांव में मोहइयां नहीं हैं। पम्पिंग सेट्स बेकार पड़े हुए है। सारी जिम्मेदारी उसके लिये इस सरकार की है। मगर यह सरकार तो सारी जिम्मेदारी अपनी इन्दिरा गांधी पर दोषारोपण करने की ही समझती है। यही कहती रहती है कि जब केन्द्र देगा तभी काम

[श्री राम कृष्ण]

चलेगा। इस सरकार की तो जिम्मेदारी बस इतनी ही आज रह गयी है कि किसी तरह से यह मंत्री और राज्य मंत्री बने रहें, यह सरकार दो ढाई साल और कायम रहे ताकि लोगों की पेन्शन बरकरार रहे। आप चुनाव से क्यों कतराते हैं मेरी समझ में नहीं आता है, आखिर डरते क्यों है ? अगर चुनाव होते हैं तो उसका मुकाबला करना चाहिये, आप उससे भागने की कोशिश कर रहे हैं।

आज प्रदेश में बिजली की कमी के कारण भी त्राहि-त्राहि मची हुई है। हमारे जौनपुर में ही अस्पताल में एक व्यक्ति की मृत्यु केवल इस कारण से हो गयी कि जब उसका आपरेशन हो रहा था उस समय बिजली चली गयी।आज बिजली न होने के कारण एक्सरे गलत हो जाते हैं। अस्पतालों में म ीज मर रहे हैं। बिजली न होने के कारण उद्योगों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। सारे उद्योग चौपट पड़े हैं। आज हम लोगों को दैनिक कार्यों तक के लिये सवेरे बिजली उपलब्ध नहीं हो पा रही है। बिजली न मिलने के कारण बड़ा नुकसान हो रहा है। इस उत्तर प्रदेश की सरकार का बस यही काम रह गया है कि उसके मंत्री और उपमंत्री बैठे रहें, भाषण देकर चले जायें और किसी प्रकार यह असेम्बली ढाई साल तक चलती रहे।

इस सरकार ने बहुत सारे बोर्ड बना दिये हैं और उनके हर एक के चेयरमैन नियुक्त कर दिये हैं और उनको एक-एक कार तथा एक-एक बंगला दे दिया है। यह कितने अफसोश की बात है। काम कुछ नहीं हो पा रहा है।

इसके अलावा मेरा एक बहुत छोटा प्रस्ताव है कहिये, उसे आपके सामने रखना चाहता हूं। उपाध्यक्ष जी की आज्ञा से मैं एक यह प्रस्ताव छोटा सा रख रहा हूं–इस प्रदेश की जनता ने श्रीमती इन्दिरा गांधी को इतने भारी बहुमत से विजयी बनाया है उसके लिये यह सदन प्रदेश की जनता को धन्यवाद देता है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष––

बिना मेरी अनुमति के यह प्रस्ताव नहीं आ सकता है आप बैठिये, अब आपका समय समाप्त हो गया है।

श्री शतरुद्र प्रकाश––

समय कब तक बढ़ा है, मान्यवर ?

श्री उपाध्यक्ष––

जब तक हम बैठे रहें।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट (जिला इटावा)––

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं बहुत आभारी हूं। महामहिम राज्यपाल ने पृष्ठ 4 के पैरा 8 में विद्युतीकरण तथा नलकूपों और उद्योगों को बिजली देने के लिए दृढ़ संकल्प लिखा है। इस वर्ष सूखे की विषम स्थिति के कारण बिजली की मांग बहुत बढ़ गयी है। इसका संदर्भ दिया। इसके लिए मैं उनको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। लेकिन मात्र संदर्भ देने से काम तो चलने वाला नहीं है। मैं साफ तौर से कहना चाहता हूं कि जब आपकी इतनी व्यवस्था विद्युतीकरण के लिये है,तो शासन का ध्यान इटावा के उस पार पट्टी के लोगों की तरफ क्यों नहीं गया? उन लोगों ने कौन सा पाप किया था जो दो ढाई साल से नलकूपों को जमीन के अन्दर गाड़ दिया गया और इस तरह से 14 लाख रुपया जमीन के अन्दर गाड़कर ढाई सालमें उनको बिजली देने पर ध्यान नहीं दिया गया। हमारे दूसरे साथियों की और भी समस्यायें हैं, लेकिन

खासतौर से जो मध्य प्रदेश से मिला हुआ हमारा जिला इटावा है, उस जनपद वाले उस पार पट्टी वाले भाग में जहां पर सात टयवेल हैं,वहां पर ढाई साल से अभी तक बिजली नहीं दी गयी, जब प्रस्ताव आया तब कहा गया कि उनको बिजली देंगे । मैंने कहा कि कहीं से बिजली वहां के इलाके को दीजिए, लकिन उनको बिजली मिलनी चाहिये, इसलिए कि 14–15 लाख रुपये जो जमीन में गाड़ दिया, उसका कुछ तो उपयोग होना चाहिए । मान्यवर, पहले कहा गया कि जनरेटर से ट्यूबवेल को चलायेंगे, लेकिन उसका भी पता नहीं चला । मैं नहीं समझता कि महामहिम राज्यपाल ने जो यह पैरा दिया है उसका आखिर फिर मतलब क्या ह और श्रीमन्, कृषि मंत्री जी भी बैठे हुए हैं, अभी यहां पर बिजली मंत्री भी बैठे हुए थे लेकिन जब उनकी बात आई, तो उनकी तसवीर भी बिजली की तरह गोल हो गयी । मान्यवर एक योजना बनी थी पंचनद बांध की, जिसके बारे में मैंने अनेकों बार इस शासन से निवेदन किया था । वहां पर 5–5 नदियों का संगम होता है । उस योजना को दो साल से उसी जगह रोक दिया गया है ।

फतहपुर के कैबिनेट की मीटिंग में शासन ने सिद्धांतत: स्वीकार कर लिया था और एक हजार करोड़ की योजना स्वीकृत हो गयी , लेकिन वह अभी तक जहां की तहां पड़ी है । तो मैं यहां पर कहना चाहता हूं कि जो इसमें ये संदर्भ दिये गये हैं, वे बिलकुल व्यर्थ दिये गये हैं । मान्यवर, हरिजनों के अत्याचार की बात कही गयी । मैं जो बहुत गर्व किया करता था कि हमारे जिले में हरिजनों पर अत्याचार नहीं होता था । लेकिन मान्यवर, यादवपुर काण्ड आपन सुना होगा, एक गीतम नामक डाकू, जिसने 23 साल पहले छक्कीलाल के घर पर डकैती डाली । उसके बाद छक्कीलाल को बन्दूक दी जाती है । इस समय जो उसके घर पर डकैती पड़ी, इस साल पुलिस अधीक्षक ने उसकी बन्दूक डकैती के 2–3 दिन पहले जमा करा लता है । मैं कहना चाहता हूं कि पुलिस अधीक्षक उस षड़यंत्र में शामिल था और इस बात से आप भी सहमत होंगे कि डकैती के दो-तीन दिन पहले उसकी बंदूक पुलिस अधीक्षक क्यों जमा करा लेते हैं और उसके बाद उसके घर पर डकैती पड़ती है । इस पर हरिजन समाज में बहुत आक्रोश है और उसकी भावना को मैं इन शब्दों में व्यक्त करना चाहता हूं और मैं तो श्रीमन्, यह कहना चाहता हूं कि—

"फुटपाथ, कारखाने मिले भट्टियां गिरते हुए दरखत,
सुलगते हुए मकां, बुझत हुए यकीन, भड़कते हुए गुमा,
इन सबसे उठ रहा है वगावत का फिर धुंआं,
शोलों के पैकरों से लिपटने की देर है,
आतिश फिशां पहाड़ क फटन की दर है ।

मैं श्रीमन्, इन शब्दों के साथ अपनी बात अभी समाप्त नहीं कर रहा हूं । कृपया करके आप तैयार होकर न बैठें कि लाल बत्ती कर दें । अब मैं आगे आ रहा हूं कि हरिजनों पर उत्पीड़न किस सरकार ने नहीं किया गया है मैं अपने मित्रों से कहना चाहता हूं कि शतिया काण्ड, हड़ोरा काण्ड, बहेड़ी काण्ड शेरपुर काण्ड और वह तन्जौर काण्ड जिसमें 42 हरिजनों को एक कमरे में बन्द करके मिट्टी का तेल छिड़कवार आग लगा दी गई किस पार्टी के लोगों ने किया किन लोगों ने किया था किस पार्टी के लोगों ने यह उत्पीड़न किया था । इतिहास गवाही इस बात के लिये कि हरिजनों की सुरक्षा किसी भी सरकार या किसी भी शासन काल में ठीक से नहीं हुई और यह सरकार तो सुरक्षा की बात दूर ह हरिजनों क उत्पीडन में एक कदम और आगे चली गई । मान्यवर, गरीबों के पास जमीन नहीं है जब यह जमीन बटी होगी तो सामन्ती और महन्त लोगों ने यह व्यवस्था की कि शूद्रों के पास जमीन रह ही नहीं सकती । जिस प्रकार से मान्यवर, "शक्तेनापि न शूद्रेण न कार्यो धन संचय" इसका अर्थ है शूद्र उच्च कर्म करके धन कमा ही नहीं सकता है । यदि वह उच्च कर्मों को करके धन कमाता है तो राजा को अधिकार है कि वह उसका धन छीन कर उसे राज्य से निकाल दें ।

श्री उपाध्यक्ष--

आप बहुत तेज बोल रहे हैं।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट--

यदि सही समाजवाद लाना है तो इस देश की जमीन धन फिर से बटें और गरीबों को दिया जाय तभी क्रांतिकारी परिवर्तन हो सकता है, श्रीमन्, इस सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि--

"साम्यवादियों की जो आंख उठ गयी तो पूंजीपतियों की सारी पूंजी लुट जायगी हलधारी हल बन्द कर देंगे तो हठता से भी हेखड़ी हठीले अनाचारी की नशायगी, खतों में लकीरें इत-उत न दिखायेंगे, तो ब्रह्मा की लकीर भी आखिर दिखलायेगी।"

दूसरी बात मैं मान्यवर, खाद्यान्न योजना के बारे में कह रहा था कि जो खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत सड़कें, लिंक रोड बनाये गये हैं, यदि बरसात के पहले-पहले उस पर खड़न्जा नहीं बनाया जाता तो वह सब बेकार हो जायेगा और जैसा एक देहाती कहावत है कि --

"ताल की मिट्टी तालै जाय,"

यह सड़क बह कर नष्ट हो जायेगी और सारा परिश्रम बेकार हो जायेगा। इसलिये श्रीमन्, मेरा निवेदन है इस सरकार से कि उन सड़कों पर खड़न्जा कराया जाय। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष--

नियम 51 के अन्तर्गत 8 सूचनायें प्राप्त हुई हैं। इनमें से पहली श्री मित्र सेन की यो प्रदेश में बिजली की आपूर्ति के सम्बन्ध में है, को मैंने स्वीकार किया है और दूसरा जिला कानपुर में सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियन्ता द्वारा लूट-घसोट किये जाने से उत्पन्न विषम परिस्थिति के सम्बन्ध में है जिसे मैंने केवल वक्तव्य के लिये स्वीकार किया है।

श्री राज किशोर तिवारी तथा डाक्टर कृष्णवीर सिंह ने लखनऊ विश्वविद्यालय में कार्यरत प्रवक्ताओं को बिना कोई कारण बताये सेवा निवृत्त किये जाने के संबंध में,

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त तथा श्री श्रीनारायण ने सीतापुर में त्रिभुवन दत्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों को वेतन न दिया जाने के संबंध में,

श्री शतरुद्ध प्रकाश ने जिला वाराणसी में जल संस्थान द्वारा अनियमित बिलों को भेजने से उत्पन्न असंतोष के बारे में,

श्री गुलाब सेहरा ने जनपद फतेहपुर व जनपद बांदा में पुलिस और पी० ए० सी० द्वारा गांवों को लूटने के संबंध में,

श्री श्रीराम द्विवेदी ने फैजाबाद जनपद में डीजल न मिट्टी के तेल के अभाव से उत्पन्न स्थिति के संबंध में तथा

श्री गुरु प्रसाद शास्त्री ने इलाहाबाद नगर महापालिका के कर्मचारियों पर लाठी चार्ज किये जाने के संबंध में जो सूचनाएं भेजी हैं, इन सबको मैंने अस्वीकार किया। श्री मित्रसेन की सूचना पर 4 तारीख को वक्तव्य होगा।

जनपद मुरादाबाद के अमरोहा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अकबरपुर पट्टी स्थित मतदान केन्द्र पर गोली से तीन व्यक्तियों की हत्या के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

सूचना राज्य मन्त्री (श्री सत्य देव त्रिपाठी)--

मान्यवर, प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 3 जनवरी, 1980 को अकबरपुर पट्टी स्थित मतदान केन्द्र पर शांतिपूर्वक मतदान चल रहा था कि लगभग 10-15 बजे पूर्वाह्

अकबरपुर निवासी श्री राम स्वरूप वोट डालकर निकल रहे थे उस समय जनता पार्टी के चुनाव अभिकर्ता श्री दया राम न उन पर दुबारा वोट डालने का अभियोग लगाया। इस संबंध में दोनों में कहा सुनी हो गयी। इन दोनों में वाद-विवाद बढ़े जाने पर श्री राम स्वरूप के समर्थक लोगों ने अपने घरों से बन्दूकें लेकर मतदान केन्द्र के बाहर श्री दया राम के समर्थकों पर फायर कर दिया जिसके फलस्वरूप सर्वश्री श्योराज सिंह, चरन सिंह तथा नत्थू सिंह नामक तीन जाटवों की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गयी और उनके पक्ष के 19 व्यक्ति घायल हो गये।

पुलिस ने तत्परता से कार्यवाही कर नौ अभियुक्तों को दिनांक 4 जनवरी, 1980 को तथा 4 अभियुक्तों को दिनांक 6 जनवरी, 1980 को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया तथा शेष 4 अभियुक्तगण दिनांक 9 जनवरी, 1980 को न्यायालय में उपस्थित होकर जेल गये। घटना के संबंध में धारा 147/148/307/302 भ0 द0 वि0 के अन्तर्गत 12 जनवरी, 1980 को अभियोग पत्र न्यायालय प्रेषितकर दिया गया है और अब यह मामला न्यायालय के विचाराधीन है। इस गोली काण्ड में प्रयुक्त सभी आठ लाइसेंस बन्दूकों के लाइसेंस निलम्बित कर दिये गये हैं। शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु धारा 107/116 सी0 आर0 पी0 सी0 क अन्तर्गत कार्यवाही की गयी है तथा एक सब-इन्सपेक्टर, दो सिविल पुलिस तथा एक सक्शन पी0 ए0 सी0 वहां तनात कर दी गयी है।

चुनाव के पूर्व सभी असलहे जमा कराने के कोई आदेश नहीं थे।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)--

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो वक्तव्य पढ़ा है, उसमें दो बातें स्पष्ट हैं। एक यह कि कुछ लोग जबरन वोट डालने, फर्जी वोट डालने की कोशिश कर रहे थे। उनके इस कार्य से वहां विवाद उत्पन्न हो गया। विवाद होने के बाद वहां जो स्थिति पैदा हुई। यह तो मान्यवर, सभी जानते हैं कि जहां मतदान होता है वहां पुलिस व्यवस्था भी होती है, वहां दनादन फायर होते रहे। तब पुलिस वहां खड़ी क्या करती रही। इन लोगों ने इसे रोकने के लिये क्या प्रयास किये। वहां पर पोलिंग स्टेशन पर अधिकारी भी तैनात होंग, उन्होंने क्या कार्यवाही की, क्या प्रयास किये इसे रोकने के लिए। मान्यवर, जनादेश इस तरह से है कि वहां पुलिस इस जघन्य आपत्ति और अपराध को रोकने में असफल रही। इसलिए संबंधित पुलिस अधिकारियों और अन्य संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए।

श्री सत्य देव त्रिपाठी--

मान्यवर, यह कहना न्याय संगत न होगा कि पुलिस कर्मचारियों ने कोई कार्यवाही या वहां पर उस समय पोलिंग-स्टेशन पर मौजूद अधिकारियों ने कोई कार्यवाही नहीं की। सबसे पहले जो एफ0 आई0 आर0 लिखायी गयी है, उसमें यह साफ-साफ है कि इन लोगों ने अन्धाधुन्ध फायर किये और तुरन्त भाग गये।

चूंकि 2 पार्टियों के बीच संघर्ष का मामला था इसलिए जिन 17 अभियुक्तों के खिलाफ एफ0 आई0 आर0 लिखाई गयी वे जेल चले गये, चार्ज शीट लगायी गयी और पूरी सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। जो पुलिस पोस्ट थी उसके विरुद्ध कार्यवाही का सवाल नहीं है।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)--

मान्यवर, सारा मामला 12 तारीख को सब-जुडिस हो गया लेकिन 2 बातों की अपेक्षा है--जब वह हथियार लेकरके पट्टी में पोलिंग थी, अकबरपुर थोड़ी दूर पर गांव है, पोलिंग स्टेशन के परिसर में आये तो जो वहां पर ड्यूटी पर थे उन्होंने जो नेग्लीजेंस की, उसके खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं हो रही है? वह अपना मत देने का, जो उनके संविधान के तहत राइट है, कर्तव्य कर रहे थे, तो वह लोग जो मारे गये हैं, जो जख्मी हुये हैं, उनको क्या कम्पेनसेशन देने की बात है?

श्री सत्यदेव त्रिपाठी--

मान्यवर, यह गांव में 2 पार्टियों के झगड़े का मामला है। उनके बीच झगड़ा होने के मामले में कोई ड्यूटी या और कोई ऐसी स्थिति नहीं बनती इसलिये यह सिम्पल ला-एण्ड आर्डर का सवाल था। इस पर जो गोली चली और जो मर गये हैं उनके विरुद्ध तत्काल पुलिस ने कार्यवाही की ओर मुकदमा दर्ज किया और फिर जेल भेज दिया।

श्री उपाध्यक्ष--

मंत्री जी, श्री राजेन्द्र कुमार जी ने और रियासत हुसैन साहब ने पूछा है कि जो ड्यूटी पर पोस्ट थे पुलिस या कोई मैजिस्ट्रेट, उन्होंने तत्काल यदि कार्यवाही की होती तो यह दुर्घटना न होती।

श्री सत्य देव त्रिपाठी--

वहां पर कोई मैजिस्ट्रेट ड्यूटी पर नहीं था। एक पुलिस पार्टी थी, इसके बारे में कोई सूचना नहीं है।

श्री हरिश्चन्द्र (जिला बस्ती)--

मान्यवर, 3 व्यक्ति मत देने के लिए लाइन में खड़े हुए, उनके सामने बन्दूक लेकर गांव वाले आ रहे हैं, फायर करके मार दे रहे हैं। इस पर दो प्रश्न हैं--जो ड्यूटी पर थे उनके खिलाफ कार्यवाही क्या की गई और दूसरी बात तीनों व्यक्ति मत देने के लिए लाइन में खड़े हैं; निश्चित रूप से संविधान के अनुसार एक नागरिक के फर्तव्य का पालन कर रहे थे। ऐसे समय मारे गये हैं। तो मैं जानना चाहता हूं कि शासन ने क्षतिपूर्ति के रूप में उन्हें क्या दिया है और यदि नहीं दिया है, तो क्यों और कब तक दिया जायेगा ?

श्री सत्यदेव त्रिपाठी--

मैंने निवेदन किया कि यह गांवों में.....

(शोर)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मेरा एक औचित्य का प्रश्न है इसे सुन लें। वक्तव्य में साफ लिखा है कि दया राम ने उन पर दुबारा वोट डालने का अभियोग लगाया। विवाद का कारण है वोट दुबारा दे रहे थे, इस संबंध में आप हमारी रक्षा करें।

श्री सत्य देव त्रिपाठी--

इस वक्तव्य में लिखा है कि वोट डालने पर टोका कि फर्जी वोट डाल रहे थे। इसके बाद बाहर निकल कर कहा सुनी हो गयी।....

मान्यवर, इसमें स्पष्ट है कि कहा सुनी हो गयी और कहा सुनी के बाद झगड़ा हुआ, वह लोक बन्दूक लेकर आ गये, फायर किया। यह स्पष्ट है। (शोर)

श्री गुलाब सेहरा (जिला आगरा)--

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जो 17 अभियुक्त पकड़े गये वह किस जाति के हैं और जिस क्षेत्र में यह घटना हुई उसका थानाध्यक्ष किस जाति का है ?

श्री उपाध्यक्ष--

(मन्त्री जी से) क्या यह सूचना आपके पास है ?

श्री सत्यदेव त्रिपाठी—

माननीय, घटना के अभियुक्तों के नाम हैं :—तेजपाल, चन्दपाल, जयपाल, इसमें जाति दी नहीं है ।

कई सदस्य—

थानाध्यक्ष का नाम बता दिया जाय ।

श्री गुलाब सेहरा—

17 अभियुक्त जाट हैं और थानाध्यक्ष भी जाट है ।

श्री सत्यदेव त्रिपाठी—

हर गोविन्द सिंह, थानाध्यक्ष हैं । अब यह बता नहीं कि यह ठाकुर हैं, ब्राह्मण हैं, क्या हैं ?

श्री रवीन्द्रनाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)—

माननीय, मेरा यह निश्चित मत है कि श्री राम स्वरूप तथा सभी 17 अभियुक्त जाट हैं और जो तीन मारे गये हैं और 19 घायल हुये हैं वह हरिजन हैं । सारे अभियुक्त लोक दल के थे और सारे व्यक्ति जो मारे गये हैं जनता पार्टी के थे । मेरी इस सूचना को क्या माननीय मंत्री जी सही मानकर जांच करायेंगे और सारे तथ्यों को सदन के सामने रखेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष—

यह मामला वह कहते हैं कि कोर्ट में भेज दिया गया है ।

श्री रवीन्द्रनाथ तिवारी—

मेरा एक निवेदन है । कौन किस जाति का है, किस पार्टी का है, यह सबजुडिस नहीं है । न्यायालय के विचाराधीन तो यह है कि कितने मारे गये, किसका कत्ल किया गया, कौन अभियुक्त है, यह कतई नहीं है कि कौन किस पार्टी का है ।

श्री उपाध्यक्ष—

यह जो तिवारी जी ने कहा क्या इसकी जांच करा लेंगे ?

श्री सत्यदेव त्रिपाठी—

यह एक मुकदमा है । एक मुकदमें में यह नहीं होता कि कौन किस जाति का है, किस पार्टी का है । पार्टी और जाति मंगाई भी नहीं जा सकती है । (शोर) ।

श्री उपाध्यक्ष—

जवाब तो दे दिया है ।

श्री रवीन्द्रनाथ तिवारी—

यह जवाब सन्तोषजनक नहीं है । इस सरकार के हाथ खून से रंगे हुये हैं । [× × ×] (शोर)

श्री उपाध्यक्ष—

यह मेरे ऊपर आक्षेप है । मैं इसकी इजाजत नहीं देता [× × ×] ।

नोट :—[× × ×] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री रवीन्द्रनाथ तिवारी--

मेरी चुनौती है । यह स्पष्टीकरण नहीं है । किस जाति के अभियुक्त हैं, किस जाति के मृतक हैं, यह सबजुडिस नहीं है । यदि यह सबजुडिस है तो मैं सदन की सदस्यता से इस्थीफा दे दूंगा ।

श्री गुलाब सेहरा--

मान्यवर, जब एफ0 आई0 आर0 लाज होती है तो उस व्यक्ति का नाम और कौम भी लिखी जाती है । उन 17 व्यक्तियों का नाम और कौम भी एफ0 आई0 आर0 में है ।

श्री शतरुद्र प्रकाश--

हमारा सवाल नहीं हुआ ।

श्री उपाध्यक्ष--

आपका सवाल हो जायेगा, बाद में ।

अगर आपके पास निश्चित सूचना नहीं है तो निश्चित सूचना मंगवाकर बाद में सूचित कर दें ।

श्री सत्य देव त्रिपाठी--

मान्यवर, आप अच्छी तरह जानते हैं और जो लोग मंत्रि मंडल में रहे हैं, जो सूचना जिला प्रशासन से मंगायी जाती है और जो सूचना आती है उसी के आधार पर उत्तर दिया जाता है । सूचना में जाति क्या है, दल क्या है यह नहीं मंगाया जाता है ।

श्री उपाध्यक्ष--

इतना आप बता दें कि जो आदमी मारे गये हैं वह क्या हरिजन हैं ?

एक सदस्य--

एफ0 आई0 आर0 पढ़ दें । डिटेल में पढ़वा दें ।

श्री सत्य देव त्रिपाठी--

श्रीमन्, एफ0 आई0 आर0 की जो कापी मुझको उपलब्ध है उसमें जाति नहीं लिखी है ।

श्री रवीन्द्रनाथ तिवारी--

मान्यवर, एफ0 आई0 आर0 पढ़वा दें ।

कई सदस्य--

एफ0 आई0 आर0 पढ़वा दें ।

श्री उपाध्यक्ष--

एफ0 आई0 आर0 क्या कुछ ज्यादा लम्बी है ? आप पढ़ दें ।

श्री सत्यदेव त्रिपाठी--

मैं एफ0 आई0 आर0 पढ़े दे रहा हूं ।

"निवेदन है कि मैं ग्राम अकबरपुर पट्टी में रहता हूं और ए0 डब्लू0 फेजे आम उ0मा0 विद्यालय अमरोहा में सहायक अध्यापक हूं । आज दिनांक 3-1-80 को मेरे ग्राम के प्राइमरी स्कूल पर ग्राम रज्जाकपुर में लोक सभा चुनाव के वोट डालने जा रहे थे जहां पर मेरे गांव पट्टी अकबरपुर ग्राम रज्जाकपुर तथा पट्टी की मड़इयों के वोट डाले जा रहे थे । मैं

जनपद मुरादाबाद के अमरोहा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अकबरपुर पट्टी स्थित मतदान 445 केन्द्र पर गोली से तीन व्यक्तियों की हत्या के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

वहां पर जनता पार्टी की ओर से ऐंजूट था वोट ,सुचारुरूप से पड़ रहें थे । ग्राम अकबरपुर का राम स्वरुप सिंह अपना वोट डाल गया था करीब 10 1/4 बजे पुनः वोट डालकर निकला तो मैने उसे टोका कि तुम्हरा वोट पहले पड़ चुका है तो तुम अब फिर किसका वोट फर्जी डालकर जा रहे हो । इस पर राम स्वरुप सिंह ने तैस में आकर कहा कि मैं सही वोट डाल रहा हूं तुम मुझे रोकने वाले कौन हो मैंने कहा कि मैं रोक नहीं रहा हूं बल्कि यह कह रहा हूं कि गलत वोट नहीं डाले जायें। इस तरह मुझसे राम स्वरूप सिंह व इंदरपाल सिंह की बात चीत पर तू-तू मैं-मैं हो गयी और हम लोग स्कूल से बाहर आ ग ये। राम स्वरुप सिंह व इंदरपाल सिंह ने मुझसे कहा कि तुम लोगों को हम अभी बताते हैं कि सही क्या गलत क्या है और स्कूल के उत्तर खेत व रास्ते पर खड़े अकबरपुर के प्रीतम सिंह वगैरह को पुकार कर कहा कि मारो सालों को देख क्या रहे हो । इतनें में ही अकबरपुर के समर पाल सिंह ने अपनी लाइसेंसी बन्दूक से टीकम सिंह ने अपनी लाइसेंसी बन्दूक से, हरपाल सिंह अतर सिंह महिपाल सिंह जो अपने भाई जयपाल सिंह की बन्दूक से, रामसिंह, करतार सिंह व इन्द्रपाल सिंह जो अपने भाई दौलत सिंह की बन्दूक लिये था, ने लाइसेंसी बन्दूक से मूलचन्द सिंह ईश्वरपाल सिंह, धर्म सिंह, तेजपाल सिंह, चन्द्रपाल सिंह, जयबीर सिंह व पूरन सिंह ने नाजायज बंदूकों से बलवीर सिंह ने नाजायज तमंचे से मेरे घर व गांव वालों पर 20–25 फायर किये जिससे घायल होकर लोग इधर उधर भागने लगे एकदम से हड़बंग मच गयी मैं व मेरे गांव के चंचल सिंह, काशीराम, बदलू सिंह, टेका सिंह, अलाउद्दीन आदि ने मेरे गांव व घर वाले व वोट डालने वाले व मौजूद लोगों ने मुजलिमान को ललकारा तो मुलजिमान ने मेरे घर वालों व गांव वालों को फायरों से घायल करके पश्चिम की ओर भाग गये । भाग जाने के बाद हमने देखा कि मेरे पिता जी नत्थू सिंह, सौराज सिंह व चरन सिंह मौके पर मर गये हैं व मेरे गांव के 1–राम चरन सिंह, 2––होरी सिंह, 3–बालकराम, 4–गजराम, 5–शीश राम, 6–जगराम, 7–महेन्द्र, 8–इन्द्र, 9–नन्हू, 10–मुक्खन, 11–कृपाल, 12–अमर सिंह को फायरों की चोटे लगी है जिनसे वे घायल हैं । मूल चन्द्र व समरपाल की पहली गोली चरन सिंह के लगी टीकम सिंह की गोली नत्थू सिंह के लगी व हरपाल सिंह की गोली स्वराज सिंह के लगी व अन्य फायरों से अन्य लोग घायल हो गये हैं । इन समर पाल सिंह आदि ने जान से मारने की नियत से फायर करके नत्थू सिंह आदि को मार डाला गया है व राम चरन सिंह आदि को घायल किया है मेरी रिपोर्ट लिखकर उचित कार्यवाही की जाये । प्रार्थी दयाराम सिंह पुत्र नत्थूसिंह ग्राम अकबरपुर पट्टी डा0 अमरोहा थाना नौगावासादात जि0 मुरादाबाद उ0 प्र0 3–1–80 नोट में हे 0 मो0 मुरारीलाल शर्मा प्रमाणित करता हूंकि नकल तहरीर चिक हाजा पर शब्द ब शब्द अंकित की गयी है लेखक मुरारी लाल शर्मा एच0 एम0 3–1–80 ।

श्री शत्रुद्र प्रकाश (जिला वाराणसी)––

मान्यवर, मैं जो कहना चाहता हूं वह श्री गुलाब सेहरा के सवाल से संबंधित है कि एफ0 आई0 आर0 में जाति नहीं लिखी जाती है। एफ0 आई0 आर0 की नकल मेरे पास है उसको वह देख सकते हैं। मान्यवर, मेरा आपसे निवेदन है कि यदि यह जाति से ही दल का पता लगायेंगे तो पता चलेगा। इसलिये मान्यवर, मेरा आपसे निवेदन है कि जो तथ्य हैं और जो घटना है उसी के बारे मे यहां बहस होनी चाहिये। किस जाति और किस वंश के हैं यदि यह बात यहां चलेगी तो कुछ लोग अपराधियों को बचाना चाहेंग इसलिये तथ्यों से हटकर बहस नहीं होनी चाहिये।

श्री राजब्रजराज सिंह (जिला लखीमपुर)––

मान्यवर, 4 जनवरी को तमाम हिन्दुस्तान के अखबारों में निकला जैसे हिन्दुस्तान टाइम्स में निकला है कि यह हरिजन था और जनता पार्टी से संबंद्ध था तो इसकी सूचना सरकार को है कि नहीं ?

श्री उपाध्यक्ष—

इसका जवाब दे चुके हैं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, मैंने नियम 51 मैं जो सूचना दिया था उसमें मैंने दो तथ्य प्रस्तुत किये थे। एक तो यह था कि राज्य सरकार की ओर से निर्देश था कि चुनाव के पहले सभी असलहा जमा कर दिये जायेंगे, इस बात को मंत्री जी ने काट दिया हमारे जिले में जिलाधिकारी ने लिखित सूचना दिया कि सभी असलहा जमा कर दिय जायें। दूसरा तथ्य यह था जिसको मंत्री जी ने काटा नहीं और इसलिये मैं मान लेता हूं कि उसको स्वीकार कर लिया, कि चुनाव से पहले जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से जिलाधिकारी, एस० पी० को लिखित सूचना दी गयी थी कि इस संदर्भित मतदान केन्द्र पर उपद्रव होने वाला है और कुछ विशेष लोग हरिजनों को वोट नहीं डालने देंगे और लोकदल पर आरोप लगाया था जिसको काटा नहीं है। तो क्या यह बात सही है ? यदि हां, तो फिर संदर्भित मतदान केन्द्र पर प्रशासन द्वारा सुरक्षा की क्या व्यवस्था की गयी थी ? तीसरी बात पूरे चुनाव में कितनी घटनायें हरिजनों पर हुई है क्योंकि चुनाव के जिम्मेदारी चुनाव आयोग पर है और ला एण्ड आर्डर की जिम्मदारी राज्य सरकार पर है अत्याचार तो सुनिश्चित तौर पर हुये हैं, इसलिये इस घटना को मानकर प्रदेश की समस्त घटनाओं की जांच के लिये क्या राज्य सरकार किसी आयोग को बिठायेगी ?

श्री उपाध्यक्ष—

मंत्री जी केवल दो बिन्दुओं का जवाब दें कि जिला अधिकारी या अन्य अधिकारियों को इसकी सूचना थी कि नहीं कि हरिजनों के साथ जबरदस्ती होगी और यदि हां, तो उन्होंने कोई विशेष व्यवस्था किया कि नहीं ?

श्री सत्य देव त्रिपाठी—

मान्यवर, इसकी कोई सूचना इस समय उपलब्ध नहीं है ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का सवाल है कि नियम 51 की जब सूचना देते हैं तो उसकी दो प्रतियां दी जाती हैं। एक माननीय अध्यक्ष के पास रहती है और दूसरी संबंधित मंत्री को भेज दी जाती है। तो श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त ने स्पष्ट आरोप लगाया था कि इस तरह की शिकायत जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा जिलाधिकारी को की गयी थी। तो मंत्री जी ने उन बिन्दुओं पर जानकारी जिला प्रशासन से क्यों नहीं मंगायी। यदि नहीं मंगायी तो निवेदन है कि इस प्रश्न को आज स्थगित कर और सारी सूचना मंगाकर कल उत्तर दें। यह कहने से काम नहीं चलेगा कि इसकी जानकारी नहीं है। और उसकी एक कापी मंत्री को जाती है। या तो आप अपने पीठ से व्यवस्था दे दें कि श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त ने अपने नोटिस में सूचना दी थी और आपने उसे मंत्री जी को अग्रसारित किया तो इन बिन्दुओं पर पूरी सूचना देनी चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष —

उस सूचना को आप मंगा ले और पुनः दे दें ।

श्री राम रतन सिंह —

उस पोलिंग स्टेशन पर कितना स्टाफ था, उस स्टाफ ने इस झगड़े को रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया दूसरी बात मैं उस पट्टी में गया था। हरिजन गांव के लोग पूरे लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल पाते थे, जो मजदूरी करता वह मजदूरी के लिए नहीं जा पाता था, भय की स्थित थी, आज भी तनाव पूर्ण स्थित वहां पर है। क्या सरकार ने इस दशा में कोई कदम उठाया है उन्हें प्रोटेक्शन देने के लिए।

श्री उपाध्यक्ष —

यह तो लिखित जबाब में दिया है। माननीय मंत्री जी अब जिन बिन्दुओं पर आप के पास सूचना नहीं है उन पर सूचना मंगा कर सदन को सूचित कर दें।

अब हम उठते हैं और कल 11 बजे फिर बैठेंगें।

(इसके बाद सदन 5 बजकर 55 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे के लिए स्थगित हो गया)

सत्य प्रिय सिंह;
सचिव विधान सभा
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ:
29 जनवरी, 1980।

विधान सभा

नत्थी 'क'

[देखिये नियम 38(2) के अन्तर्गत ताराकित प्रश्न संख्या–6 का उत्तर पीछे पृष्ठ 317 पर।]

पुरस्कृत पुलिस कर्मचारियों की सूची

क्रम-संख्या	नाम तथा पद	पुरस्कार की धनराशि
		रु0
1	श्री बी0ए0मिश्र, इन्स0	100
2	श्री दीप नारायण सिंह पी0सी0	50
3	श्री यशपाल सिंह, पी0सी0	50
4	श्री गोरख नाथ तिवारी, पी0सी0	50
5	श्री श्याम लाल सिंह, पी0सी0	75
6	श्री बंश लोचन पान्डे, स0इ0	75
7	श्री हरिनाम सिंह, स0इ0	50
8	श्री भागीरथी पान्डे, हव0मेजर	30
9	श्री महिपाल सिंह, हे0 कान्स0	30
10	श्री राम जीत सिंह, हे0 कान्स0	30
11	श्री ब्रिजराज सिंह, कान्स0	20
12	श्री ताकेश्वर लाल, कान्स0	20
13	श्री अब्दुल वहाब, कान्स0	20
14	श्री आलम गिरि खां, कान्स0	20
15	श्री अब्दुल कुदूस, कान्स0	20
16	श्री राम कुमार राय, कान्स0	20
17	श्री शिव पाल गिरि, कान्स0	20
18	श्री राम दयाल सिंह, कान्स0	20
19	श्री राज नारायन राम, कान्स0	20
20	श्री साहब सिंह, कान्स0	20
21	श्री मंहगू राम, कान्स0	20
22	श्री कामता सिंह, कान्स0	20
23	श्री धीरज राय, कान्स0	20
24	श्री दीप नरायन सिंह सी0सी0	75
25	श्री सुरेन्द्र नाथ सिंह, थानाध्यक्ष, औराई	100
26	श्री मुरली धर सिंह, कान्स0 919 सी0पी0	20
27	श्री राज कुमार दुबे, कान्स0 40 सी0पी0	20
28	श्री हर्षनाथ सिंह, कान्स0	20
29	श्री राम सिंह, कान्स0 552 सी0 पी0	20
30	श्री हरि किशुन लाल, कान्स0	20
	योग	1,075

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 29 का उत्तर पीछे पृष्ठ 344 पर)

अनुलग्नक :--दीवानी न्यायालय कर्मचारी संघ का मांग पत्र

जो दिवानी न्यायालय कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश के 30 वें वार्षिक अधिवेशन, जो दिनांक 25/26-12-77 को लखनऊ दीवानी न्यायालय के नवीन भवन के प्रागंण में हुआ, में पारित किये गये ।

1--पारित किया गया कि शासन से अनुरोध किया जाय कि उच्च न्यायालय के कर्मचारियों की ही भांति अधीनस्थ न्यायालय के कर्मचारियों के समान वेतनमान, अवकाश तथा अन्य प्राप्त सुविधायें प्रदान की जावें ।

2--पारित किया गया कि शासन से अनुरोध किया जावे कि अधीनस्थ न्यायालय के के कर्मचारियों को राजकीय आवासीय सुविधा प्रदान की जावें इस हेतु समस्त जनपदों में भवनों का निर्माण शीघ्रातिशीघ्र कराया जावे तथा मध्यावधि में या जब तक कर्मचारियों को सरकारी भवन नहीं उपलब्ध कराये जाते समान दर से मकान भत्ता समस्त जनपदों के कर्मचारियों को अबिलम्ब दिया जावे ।

3--पारित किया गया कि शासन से अनुरोध किया जाय कि कुछ पदों के वेतनमान वेतन आयोग द्वारा पुनरीक्षण करते समय उपेक्षापूर्ण नीति अपना कर निम्म स्तर का कर दिया गया था उन वेतनमानों को पुनः पुनरीक्षण करके अविलम्ब उचित स्तर पर लाया जावे ।

4-- पारित किया गया कि शासन से अनुरोध कि या जावे कि अधीनस्थ न्यायालय में कार्यरत कर्मचारी जो विधि स्नातक है उन्हें न्यायिक सेवा मे सीधे भर्ती के माध्यम से 50% का आरक्षण दिया जावे ।

5--पारित किया गया कि शासन से अनुरोध किया जावे कि उच्च न्यायालय में लिपिक वर्गीय पदों की पूर्ति अधीनस्थ न्यायालय में कार्यरत कर्मचारियों को प्रोन्नति द्वारा 50 प्रतिशत आरक्षण देकर किया जावे ।

6--पारित किया कि शासन से अनुरोध किया जावे कि प्रदेश के सभी जिला जजियों में सिविल जज तथा मुन्सिफ के न्यायालयों के मुंसरिम तथा पेशकारों के वेतनमानों को समवर्गीय कर दिया गया है उन्हे कर्मचारियों की दक्षता में वृद्धि की दृष्टि से तथा मुंसरिम के पद को कार्यालय के अधीक्षक होने के नाते उच्च न्यायालय वेतनमान अविलम्ब प्रदान किया जावे ।

7--पारित किया गया कि शासन से अनुरोध किया जावे कि समस्त जनपदों में अतिरिक्त जिला न्यायधीशों के न्यायालय में भी, जिला न्यायालय के न्यायालय में नियुक्त कर्मचारियों की भाति ही प्रत्येक कार्य हेतु पृथक-पृथक पदों का सृजन कर के कर्मचारियों की तदैव नियुक्ति का अविलम्ब प्राविधान किया जावे ।

8--पारित किया गया कि शासन से अनुरोध किया जावे कि प्रदेश के सभी जिला जजियों में स्थायी व अस्थायी अतिरिक्त न्यायालयों में स्थायी न्यायालयों की भांति ही मुंसरिम पेशकार वादलिपिक, आज्ञप्ति-लिपिक, आज्ञप्तिनिष्पादन लिपिक, विविध लिपिक आदि समस्त पदों का सृजन करके अविलम्ब कर्मचारियों की नियुक्ति का जावे ।

9--पारित किया गया कि शासन से अनुरोध किया जावे कि समस्त न्यायालयों में एक पद टंकण लिपिक का सृजित किया जावे जिससे कि पत्रव्यवहारों में होने वाली असुविधा तत्काल समाप्त हो ।

10--पारित किया गया कि शासन से अनुरोध किया जावे कि न्यायालयों में प्रतिभूति वाले पदों पर कार्य करने वाले समस्त कर्मचारियों को जिला जज के कायलय मे कार्यरत सत्र लिपिक की भांति 20 रुपये का विशेष वेतन अविलम्ब दिया जाव ।

11--पारित किया गया है कि शासन से अनुरोध किया जावे कि समस्त जिला जजियों में एक लेखा विभाग का पृथक सृजन किया जावे जिसमें एक लेखाकार, तथा 4 लेखा लिपिक के न्यूनतम पद रखें जावें ।

12--पारित किया गया कि शासन से अनुरोध किया जावे कि प्रत्येक दीवानी एवं फौजदारी के न्यायालयों में क्रमश: 500 व 1000 पत्रावलियों पर एक अतिरिक्त लिपिक दिये जाने की व्यवस्था जो कि सिद्धान्त: स्वीकृति की जा चुकी है अनुरूप तत्काल लिपिक दिये जावें ।

13--पारित किया गया कि शासन से अनुरोध किया जावे कि आवास बनाने तथा वाहन क्रय करने हेतु आबंटन धनराशि राजपत्रित-अराजपत्रित कर्मचारियों के लिए इस प्रकार विभक्त की जाय कि अधिकतम अराजपत्रित कर्मचारी लाभान्वित हो सके ।

14--पारित किया गया कि शासन से अनुरोध किया जावे कि सरकारी आवासीय योजनाओं में निर्मित आवासों अधीनस्थ न्यायालय के कर्मचारियों के लिए एक निश्चित अनुपात निर्धारित करते हुए लाभ-हानि रहित आवंटन हो तथा इनकी प्रथम किश्त का भुगतान कर्मचारियों की भविष्य निधि से कर दिया जावे ।

15--पारित किया गया कि शासन से अनुरोध किया जावे कि कार्यरत प्रत्येक कर्मचारी को 280 दिन निरन्तर सेवा करने के बाद औद्योगिक विवाद अधिननियम के भांति ही स्वत: स्थायी मान लिया जावे ।

16--पारित किया कि शासन से अनुरोध किया जावे कि वर्तमान चरित्र पंजिका प्रविष्ट की प्रथा को अविलम्ब समाप्त किया जावे ।

17--पारित किया गया कि शासन से अनुरोध किया जावे कि प्रत्येक न्यायालय क कार्यालयों के लिपिक वर्गीय समस्त पदों के कार्यभार की सीमा अन्य विभागों क लिपिक वर्गीय पदों के कार्यभार से पृथक अपेक्षाकृति कम किया जावे ।

18--पारित किया गया कि शासन से अनुरोध किया जावे कि :--

(अ) प्रत्येक जिला न्यायधीश के न्यायालय में दो आशुलिपिक उच्च वेतनमान के रखे जाने का अविलम्व प्राविधान किया जावे ।

(ब) आशुलिपिकों को निर्णय अदि लिखने के लिए न्यायाधीशों द्वारा उन्हें प्रतिदिन तथा छुट्टिया में भी बंगले पर बुलाया जाना तुरन्त समाप्त किया जावे ।

(स) यदि उन्हें अवकाश के दिन आवश्यक कार्यवश बंगले अथवा कार्यालय पर बुलाया जाय तो उन्हे एक दिन का अतिरिक्त वेतन अथवा उसके बदले में किसी अन्य दिन अवकाश दिया जावे तथा 10रुपयें प्रतिवाद क हिसाब से मार्ग व्यय दिया जावे

19--पारित किया गया कि शासन से अनुरोध किया जावे कि प्रत्येक तृतीय श्रेणी कर्मचारी को अन्य विभागों की भांति ही ऋतुओं के अनुसार पोशाक प्रदान करने की व्यवस्था की जावे ।

20--पारित किया गया कि शासन से अनुरोध किया जावे कि अधीनस्थ न्यायालय के कर्मचारी के दिवंगत होने पर पूरे दिवस का अवकांश संबंधित जिला जजी में घोषित किया जावे ।

21—पारित किया गया कि शासन से अनुरोध किया जावे कि अधीनस्थ न्यायालयों कर्मचारियों के लिए जलपान हेतु आधे घंन्टे का अवकाश सुनिश्चित किया जावे ।

22—पारित किया गया कि उच्च न्यायालय से अनुरोध किया जावे कि अधीनस्थ न्यायालयों में लेंखन सामग्री प्रारूप पत्रों एवं नियत रजिस्टरों (Prescribes) की आपूर्ति समुचित मात्रा में तथा आवश्यकतानुसार समयान्तर में वर्ष के अन्तिम मास में अगले वर्ग के उपयोग हेतु सीध माननीय उच्च न्यायालय से बिना किसी पत्र व्यवहार के की जावे ।

23—पारित किया गया कि शासन से अनुरोध किया जाव कि आपात्कालीन अवधि में अनिवार्य सेवा निवृत्त कर्मचारियों, जिनके विरूद्ध भ्रष्टाचार के आरोप न हों, की अविलम्ब सेवा में वापस लिया जावें तथा वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड 24 भाग 2 से 4 क नियम 56 के अन्तर्गत अनिवार्य सेवा निवृत्त के, नियुक्ति अधिकारियों को प्रदत्त अधिकारियों को तत्काल समाप्त करके अन्य सभी प्रकार के उत्पीड़नों को समाप्त किया जावे ।

24—पारित किया गया कि शासन से अनुरोध किया जावे कि प्रत्येक जिला जजियों के संघ क कार्यालय हतु एक पृथक कक्ष तथा समय समय पर शासन एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित समस्त प्रशासनिक आशाओं की एक प्रति शाखा के मंत्री को प्रदान किये जाने की अविलम्ब व्यवस्था की जावे ।

प्रस्तुतकर्ता
नन्द कुमार
महा मंत्री
दीवानी न्यायालय कर्मचारी संघ, उत्तर प्रदेश
सिविल कोर्ट, लखनऊ ।

नत्थी 'ग'

(देखिये तांराकित प्रश्न संख्या 50 का उत्तर पीछे पृष्ठ 351 पर)

मांगों की सूची

1--अन्य विभागों की तरह हमारे विभाग की भी परामर्शदात्री समिति गठित की जावे जिसमें हमारे एशोसियेशन को प्रतिनिधित्व देकर हमें दैनिक उत्पीड़न से बचाया जाये ।

2--राष्ट्रीय पुलिस आयोग की भांति हमारे विभाग के लिये भी एक आयोग गठित किया जाये जो हमारी सेवा शर्तों, आवास व्यवस्था, कार्य के घन्टों तथा अन्य पारिवारिक आवश्यकताओं का आंकलन करते हुए हमारी सेवा शर्तों में सुधार की संस्तुति कर सके ।

3--वर्ष 1945 में हमारे प्रहरी वर्ग तथा अन्य सभी संवर्गों में वेतन मान तत्कालीन पुलिस विभाग के समकक्ष सम्वर्गों से अधिक था और अब पिछले 35 वर्षों में धीरे-धीरे हमारे वेतन मान पुलिस से काफी पीछे रह गये है । अतएव हमारी मांग है कि हमारे वेतन मान वर्ष 1945 के अनुपात में पुलिस विभाग से अधिक रखे जाय।

4--कारागार विभाग में वर्दी भत्ता 250.00 रुपया प्रति पांच वर्ष पर दिया जाता है जबकि पुलिस विभाग में यह 350.00 है ।हमें भी उतना ही भत्ता दिया जाय।

5--हमारे विभाग को भी पुलिस विभाग की तरह 30 दिन का आकस्मिक अवकाश अनुमन्य किया जाये क्योंकि हम भी अवकाश के दिनों में कार्य करते हैं ।

6--हमारे भी प्रहरी सम्वर्ग को प्रतिवर्ष एक माह का अतिरिक्त वेतन दिया जाय जैसा अभी पिछले दिनों पुलिस महानिरीक्षक ने अपने विभाग के सिपाही संवर्ग को दिया है ।

7--हमारे प्रहरी सम्वर्ग को भी सहायक जेलर के पद पर पहुंचने के लिये निर्धारित अर्हताओं के अन्तंगत 60 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया जाय ।

8--जेलें शहर से दूर होने के कारण उनमें कार्यरत सभी श्रेणियों के कर्मचारियों को पहले तो आवास उपलब्ध ही नहीं हो पाते हैं और जो उपलब्ध भी हैं, वह बड़ी जीर्ण अवस्था में है अतएव हमारी मांग है कि जेल के सभी कर्मचारियों को निर्विवाद रूप से मानवोचित आवास व्यवस्था उपलब्ध कराया जाये ।

9--कारागारों के सभी कर्मचारी आवासों में बिजली और पानी की सुविधा उपलब्ध करायी जाये जिससे कि हम शासन के व्यय पर पाने के लिये अधिकृत हैं ।

10--"समान कार्य के लिये समान वेतन" के घोषित सिद्धांत के अनुसार हमारे सहायक जेलरों को पुलिस उप निरीक्षक तथा उप जेलरों को पुलिस निरीक्षक का वेतनमान दिया जाये ।

11--हमारे कारापालों को जिला सूचनाधिकारी तथा बी0 डी0 ओ0 के समकक्ष वेतनमान स्वीकृत किया जाय । जो उनके समकक्ष वर्ष 1955 में वेतन पाते थे ।

12--हमारे विभाग में अधीक्षकों को प्रदत्त अर्थ दण्ड का अधिकार जेल मैनुअल के प्राविधान से निकाल दिया जाये ।

13--कर्मचारी बीमा योजनात के अन्तंग हमारे बीमा की धनराशि भी पुलिस के बराबर बढ़ायी जाये ।

14--हमारे विभाग में प्रचलित अर्दली व्यवस्था को पुलिस के समान समाप्त किया जाये । और हमारे प्रहरियों से वहीं काम लिया जाये जिनका जेल नियमावली में प्राविधान है ।

15--हमारे प्राविधिक सम्वर्ग जिसमें शिक्षक, प्राविधिक शिक्षक, लेखाकार, कम्पाउन्डर फार्म क्लर्क, फाम सुपरवाइजर, ट्रक तथा ट्रक ड्राइवर तथा टयूबवेल आपरेटर आदि हैं। उन्हें भी उनके संबंधित विभागों के अनुसार उन विभागों में प्रचलित वेतनमन व सुविधायें प्रदान की जाये जब कि उनकी नियुक्ति की सारी अर्हताएं उन्हीं विभागों के अनुसार रखी गई है।

16--चूंकि प्रत्येक कारागार पर सामान्यतया पूर्णकालीन अधीक्षक नियुक्त है और वे प्रत्येक कार्य के लिये उत्तरदायी होते हैं अतएव उन्हें भी कारापालों के साथ-साथ त्रुटियोंके लिये उत्तरदायी ठहराया जाये क्योंकि प्राय: सभी अच्छे कामों के लिये पारितोषिक केवल उन्हीं को दिया जाता है एवम् सामान्य न्याय की दृष्टि से वरिष्ठ अधिकारी होने के नाते अधीक्षक को ही मुख्य कार्यकारी अधिकारी होने चाहिये न कि कारापाल को तथा तदनुसार जेल नियमावली को संशोधित किया जाये ।

17--कारगार अधीक्षकों का चयन केवल कारपालों से ही किया जाये और बाहरी व्यक्तियों का चयन रोक दिया जाये। उपअधीक्षकों के पदों को समाप्त करके अधीक्षक जिला कारागार के समकक्ष किया जाये।

18--उप कारापाल तथा सहायक कारापाल के सम्वर्गों को विलीन करके एक संवर्ग सब जेलर का बना दिया जाये क्योंकि दोनों के कर्तव्य एक ही होते हैं और वे साथ-साथ एक ही जैसे पदों पर कार्य करते हैं तथा ऐसा ही अन्य राज्यों में भी प्रचलित है। सेवा अवधि का मूल्यांकन कर सीनियारिटी लिस्ट बनाई जाये।

19--तीन वर्ष सेवा काल पूर्ण करने पर प्रत्येक अधिकारी एवम् कर्मचारी को, नियमानुसार स्थायी किया जाय।

20--हमारे बच्चों की शिक्षा व्यवस्था हेतु दूरस्थ स्कूलों तक नि:शुल्क लाने ले जाने हेतु शासन की ओर से व्यवस्था की जाये या केन्द्र की भांति शिशु भत्ता जो बच्चे पढ़ते हैं, के निमित्त दिया जाये।

21--हमारी सुरक्षा हेतु पुलिस विभाग की भांति अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु बाहर जाने पर शासन की ओर से शस्त्र उपलब्ध कराये जायें क्योंकि हमारा समाज के अपराधी तत्वों से अधिक तथा लम्बे समय तक सम्पर्क रहता है और उनके अनुशासन में रखने हेतु कभी-कभी हमें उनके विरुद्ध कड़े कदम भी उठाने पड़ते हैं।

22--हमारे कारागार प्रशिक्षण विद्यालय में कार्यरत कर्मचारियों को सचिवालय में प्रचलित दरों पर वेतनमान तथा अन्य सुविधा उपलब्ध कराये जायें।

नत्थी 'घ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 2 का उत्तर पीछे पृष्ठ 356 पर)

तालिका "क"

दिनांक 1 अप्रैल, 1978 से 31 मार्च, 1979 तक प्रदेश के मुख्य मंत्री तथा मंत्रि परिषद् के प्रत्येक सदस्य की यात्राओं तथा टेलीफोन पर हुये खर्च का व्यौरा

क्रम सं 0	नाम	यात्राओं पर हुआ व्यय	टेलीफोन पर हुआ व्यय
1	2	3	4
1	श्री बनारसी दास ..	10,126.01	2,267.50
2	श्री राम नरेश यादव ..	1,32,473.88	86,303.60
3	श्री नारायण सिंह ..	4,804.95	2,896.75
4	श्री शारदा भक्त सिंह ..	40,709.31	22,818.10
5	श्री रमा शंकर कौशिक ..	68,448.35	36,820.50
6	श्री बलवीर सिंह ..	48,514.41	24,233.35
7	श्री राम प्रकाश ..	53,505.74	25,640.20
8	श्री सत्य प्रकाश मालवीय ..	5,672.14	11,143.45
9	श्री रवीन्द्र किशोर शाही ..	66,842.26	78,077.80
10	श्री राजेन्द्र सिंह ..	64,251.21	37,601.15
11	श्री मधुकर दिघे ..	51,193.45	32,105.20
12	श्री जमुना प्रसाद बोम ..	42,227.22	63,168.90
13	श्री हरिश्चन्द्र ..	51,241.70	44,579.15
14	श्री गणेशदत्त बाजपेयी ..	42,515.67	30,123.70
15	श्रीमती चन्द्रावती ..	53,881.65	30,604.75
16	श्री मुलायम सिंह यादव ..	53,306.30	34,367.40
17	श्री राम सिंह ..	34,056.50	43,162.25
18	श्री काली चरण ..	30,998.65	23,315.75
19	श्री केशरी नाथ त्रिपाठी ..	40,585.72	29,786.75
20	श्री मोहम्मद मसूद खां ..	52,344.62	22,683.50
21	श्री आबिद अली ..	39,400.28	48,082.20
22	श्री कल्याण सिंह ..	30,013.27	16,232.25
23	श्री शोबन सिंह जीना ..	42,630.45	21,260.25
24	श्री ओम प्रकाश सिंह ..	45,975.64	34,138.40
25	श्री श्रीचन्द ..	56,338.80	30,337.70
26	श्री शिव मंगल सिंह ..	25,131.55	23,969.65
27	श्री अब्दुल हलीम खां ..	4,523.00	347.50
28	श्री कैलाश नाथ सिंह ..	2,529.25	861.00
29	श्री क्रांति कुमार ..	3,884.65	1,110.00
30	श्री ख्याली राम शास्त्री ..	5,851.70	2,540.00
31	श्री देव राम ..	4,327.70	1,290.00

क्रम सं0	नाम	यात्राओं पर हुआ व्यय	टेलीफोन पर हुआ व्यय
1	2	3	4
32	श्री बेनी प्रसाद वर्मा ..	4,446.25	453.00
33	श्री मलिखान सिंह ..	2,805.65	2,709.00
34	श्री राम अधार पांडेय ..	5,174.44	329.00
35	श्री शिवानन्द नौटियाल ..	1,114.95	300.50
36	श्री हरी किशन श्रीवास्तव ..	3,059.15	2,062.25
37	श्री त्रिलोक चन्द ..	3,535.05	1,013.00
38	श्री काजी मुहम्मद मोहिउद्दीन ..	43,840.05	10,875.60
39	श्री लक्ष्मण सिंह ..	44,863.40	28,844.00
40	श्री अवधेश प्रसाद ..	29,049.50	25,546.45
41	श्री धीरेन्द्र सहाय ..	33,226.55	17,998.25
42	श्री सुबेदार प्रसाद ..	35,098.00	14,151.10
43	श्रीमती शकुन्तला नायर ..	22,699.70	16,675.25
44	श्री रेवती रमण सिंह ..	42,258.35	53,124.80
45	श्री लक्ष्मी सहाय सेक्सेना ..	38,695.25	18,828.40
46	श्री राजबली तिवारी ..	48,197.75	18,316.00
47	श्री भगवती सिंह ..	11,860.45	8,121.55
48	श्री शारदा प्रसाद रावत ..	41,824.47	24,157.75
49	श्री सत्यदेव त्रिपाठी ..	34,716.25	29,728.75
50	श्री कुंवर सत्यवीर ..	21,081.01	17,326.50
51	श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल ..	35,209.35	20,244.15
52	श्री शिवदास तिवारी ..	22,463.93	17,648.80
53	श्री मुख्तार अनीस ..	45,883.71	23,957.15
54	श्री छोटेलाल यादव ..	9,804.26	14,867.25
55	श्री चन्द्र शेखर सिंह ..	30,319.29	11,752.00
56	श्री तेज सिंह ..	26,604.81	9,724.05
57	श्री मकबूल हुसेन खां ..	4,231.00	6,335.85
58	श्री दीनानाथ सेवक ..	5,540.15	9,797.80
59	श्री अब्दुल रऊफ लारी ..	43,396.25	13,991.00
60	श्री बाबूलाल वर्मा ..	5,330.49	11,310.50
61	श्रीमती मालती शर्मा ..	11,123.01	38,652.20

पी0एस0यू0पी---ए0पी0---13 विधान सभा---6-4-80(416)-1980-835 (हिन्दी)